खण्ड–492, अंक–5
बुधवार, 06 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(25 फरवरी, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 492 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
श्रीमती सीमा द्वारा जनपद जौनपुर में खराब सड़कों को ठीक करने हेतु धरने पर बैठने सम्बन्धी जानकारी	7
प्रश्नोत्तर	8–127
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री हिम्मत सिंह, श्री अमीरुद्दीन, श्री मुफ्ती जलील अहमद, श्री गिरिजा शंकर पाठक, श्री नत्थू लाल, श्री अशर्फी लाल यादव, श्री अनन्त राम जायसवाल, श्री रामदास पाल (आर0डी0 पाल एडवोकेट), श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी), श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री बाबूलाल, श्री गुन्जेश्वर प्रसाद तथा श्री आशाराम के निधन पर शोकोद्गार	127–130
नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या–3 के अनुपूरक प्रश्न में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिये प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही से निकाले जाने की मांग	130–131
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	131–132
जे0एस0एस0 कालेज, नोएडा समेत प्रदेश में बी0टेक0 आदि उच्च शिक्षा के छात्र–छात्राओं को विगत दो वर्षों से छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	132–133
जनपद बलिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा समाजवादी पेंशन योजना में की जा रही धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	133
जनपद बलिया में आर्सेनिक युक्त पानी होने के कारण पेयजल की आपूर्ति नदियों से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	133–134
मेरठ महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	134
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	134–135
जनपद कानपुर महानगर के कैण्ट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सरकारी कालोनियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	135

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत सोन पम्प कैनाल को पूर्ण क्षमता से चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	135–136
जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेस–वे से वाया यमुना पुल होते हुए मथुरा–वृन्दावन मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	136
जनपद मथुरा के जयगुरूदेव बाबा के आश्रम पर स्थापित 33 के0वी0ए0 के सब स्टेशन की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	136–137
विधान सभा क्षेत्र चन्दौली के विकास खण्ड नियन्ताबाद की ग्राम सभा दुलहीपुर में हुई घटना के मृतकों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	137
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र जगनेर अन्तर्गत सी0ए0टी0 मार्ग जगनेर रोड से डांडा होते हुए मिर्जापुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	137–138
जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2013–2014 की अवस्थापना निधि की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	138
जनपद हमीरपुर मुख्यालय में यमुना नदी व बेतवा नदी के दोआब में बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	138–139
जनपद सोनभद्र में सर्पदंश से हो रही मौतों को दैवीय आपदा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	139
जनपद इलाहाबाद के विद्युत सब–स्टेशन पर वर्कशाप, स्टोर में तैनात संविदा कर्मियों को नियमानुसार हर माह भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	139
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	139–140
जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 बाघनगर चौराहे से ग्राम पंचायत सिसईमाफी होते हुए ग्राम पंचायत बूढ़ानगर मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शकील अहमद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	141
जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास	141

खण्ड सेमरियावां में स्थित पैड़ी हनुमानगंज मार्ग पर स्थित गंगौली से पुरैना मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शकील अहमद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड दानुकुईया चौराहे से दारनुकोईया ग्राम पंचायत के अन्दर तक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री वकीउद्दीन आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	141
जनपद सन्त कबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 उसरा शहीद से ग्राम पंचायत मुड़ाडीहा खुर्द होते हुए ग्राम पंचायत महुआरी मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अब्दुलवफा आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	141
जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित सेमरियावां टेमारहमत मार्ग पर सालेहपुर चौराहे से छितौना होते हुए सिहोरवा तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अब्दुल अहद आदि निवासीगण जनपद सन्त कबीर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	142
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरैचा एवं ग्राम पंचायत रतूली के मध्य कैमुआ नाले पर जनहित में पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	142
जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत निगोही–तिलहर क्षतिग्रस्त मार्ग का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर नगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)... ...	142
जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हजमापुर एवं ग्राम पंचायत डींग के मध्य कैमुआ नाले पर जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री पातिराम वर्मा आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	142
जनपद कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत श्री	142–143

राम नगर क्षेत्र में सीवर लाइन डालने तथा नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमर सिंह राठौर आदि निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत भाभानगर क्षेत्र में खड़ण्जा की मरम्मत तथा नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री धीरज लोहनी आदि निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	143
जनपद कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत नरवल तहसील बनाये जाने पर नरवल ग्राम सभा में सभी सुविधायें उपलब्ध होने के कारण तहसील मुख्यालय नरवल ग्राम को रखे जाने विषयक श्री सुरेन्द्र कुमार अवस्थी आदि निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	143
जनपद कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत यशोदा नगर में जलभराव के कारण पुलिया नं0–1 से 22 तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रशान्त शुक्ला आदि निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	143
जनपद एवं शहर बहराइच के मोहल्ला–धसियारीपुरा (नई बस्ती) म्रें जल निकासी की समुचित एवं स्थायी व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री वी0एस0 श्रीवास्तव आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी) ...	143
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2015–2016 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायतीराज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना	144–145
उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2015–2016 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायतीराज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिये विधान सभा के सदस्यों का	145–146

नाम–निर्देशित करने हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)...	146–148
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 (पुरःस्थापित) ...	148
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	148–198
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	198–200
जनपद अलीगढ़ के किरन देवी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बामौती, अलीगढ़ के पूर्व प्रबन्धक एवं वर्तमान प्रधानाचार्य को प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये कदाचार की जांच में दोषी पाये जाने के बावजूद मण्डलीय सचल दल का प्रभारी बनाकर नकल रोकने की जिम्मेदारी सौंपे जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	201–202
उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गेंदा लाल चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	202
जनपद बुलन्दशहर में वेव चीनी मिल को माह जनवरी, 2015 में बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	203–205
पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा पर्यटन विभाग को मेजा डेस्टीनेशन स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि द्वारा यमुना नदी पर अवस्थित घाटों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	205–207
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में किसानों के गन्ना बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुदयाल बाल्मिकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	207–209
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में दिनांक 05 मई, 2014 को गंगा राम पुत्र मैकू लाल की विद्युत तार की चपेट में	209

आने से हुई मृत्यु के उपरान्त कृषक दुर्घटना बीमा की सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में तैनात अधीक्षक द्वारा बड़े पैमाने पर की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्रीमती लालमुन्नी सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	209
जनपद वाराणसी नगर के पेय जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के कार्य में जल निगम द्वारा अत्यधिक विलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	209
कानपुर महानगर में नजूल की भूमि को फ्री–होल्ड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	209
जनपद शाहजहांपुर के पं0 राम प्रसाद बिस्मिल सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सकों, टेक्नीशियन्स की तैनाती तथा आवश्यक उपकरण लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	209–211
जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ग्राम सभा की भूमि, पोखरों, चारागाहों की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	211

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–302

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
5. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
6. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
7. अताउररहमान, श्री बरेली
8. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
9. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
10. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
11. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
12. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
13. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
14. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
15. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
16. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
17. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
18. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
19. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
20. अमित गौरव यादव, श्री एटा
21. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
22. अरविन्द सिंह यादव, श्री कन्नौज
23. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
24. अरूण कुमार, डा0 बरेली
25. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
26. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
27. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
28. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
29. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
30. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
31. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
32. आदिल शेख, श्री आजमगढ़
33. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
34. आबिद रजा खां, श्री बदायूं
35. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
36. आलमबदी, श्री आजमगढ़
37. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
38. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
39. आशीष यादव, श्री बदायूं
40. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
41. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
42. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
43. इकबाल, श्री बिजनौर
44. इकबाल महमूद, श्री संभल
45. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
46. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
47. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
48. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
49. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
50. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
51. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
52. उदयराज, श्री उन्नाव
53. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
54. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया

55. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
56. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
57. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
58. काली चरन सुमन, श्री आगरा
59. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
60. कृष्ण गोपाल पटेल, श्रीलखीमपुर खीरी
61. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
62. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
63. कैलाश, श्री गाजीपुर
64. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
65. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
66. गजराज सिंह, श्री हापुड़
67. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
68. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
69. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
70. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
71. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
72. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
73. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
74. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
75. गोमती यादव, श्री लखनऊ
76. गोरख पासवान, श्री बलिया
77. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
78. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
79. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
80. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
81. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
82. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
83. जगपाल, श्री सहारनपुर
84. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
85. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
86. जफर आलम, श्री अलीगढ़
87. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्रीफर्रुखाबाद
88. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
89. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
90. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
91. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
92. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
93. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
94. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
95. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
96. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
97. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
98. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
99. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
100. दलजीत सिंह, श्री बांदा
101. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
102. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
103. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
104. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
105. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
106. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
107. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
108. धर्मराज, श्री बाराबंकी
109. नजीवा खान जीनत, श्रीमतीकासगंज
110. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
111. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
112. नवाजिश आलम खान, श्रीमुजफ्फरनगर
113. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
114. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
115. नाहिद हसन, श्री शामली
116. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
117. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
118. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
119. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
120. पीतमराम, श्री पीलीभीत

121. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
122. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
123. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
124. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
125. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
126. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
127. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
128. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
129. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
130. 'बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
131. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
132. बदलू खां, श्री उन्नाव
133. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
134. बाबू खां, श्री हरदोई
135. बाबूलाल, श्री गोण्डा
136. बावन सिंह, श्री गोण्डा
137. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
138. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
139. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
140. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
141. बैजनाथ, श्री मऊ
142. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
143. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
144. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
145. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
146. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
147. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
148. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
149. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
150. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
151. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
152. मनीष रावत, श्री सीतापुर
153. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
154. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
155. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
156. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
157. महबूब अली, श्री अमरोहा
158. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
159. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
160. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
161. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
162. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
163. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
164. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
165. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
166. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
167. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
168. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानुपर नगर
169. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
170. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
171. मो0 आसिफ, श्री फतेहपुर
172. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
173. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
174. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
175. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
176. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
177. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
178. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
179. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
180. यासर शाह, श्री बहराइच
181. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
182. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
183. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
184. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
185. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
186. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई

187. रणजीत सुमन, श्री एटा
188. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
189. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
190. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
191. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
192. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
193. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
194. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
195. 'राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
196. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
197. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
198. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
199. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
200. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
201. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
202. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
203. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
204. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
205. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
206. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
207. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
208. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
209. राधे श्याम, श्री अमेठी
210. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
211. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
212. राम करन आर्य, श्री बस्ती
213. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
214. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
215. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
216. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
217. राम मगन, श्री बाराबंकी
218. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
219. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
220. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
221. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
222. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
223. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
224. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
225. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
226. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
227. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
228. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
229. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
230. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
231. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
232. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
233. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
234. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
235. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
236. लालमुन्नी सिंह, श्रीमती सिद्धार्थनगर
237. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
238. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
239. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
240. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
241. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
242. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
243. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
244. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
245. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
246. विजय सिंह, श्री रामपुर
247. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
248. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
249. 'विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
250. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
251. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
252. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर

253. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
254. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
255. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
256. शाकिर अली, श्री देवरिया
257. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
258. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
259. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
260. 'शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
261. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
262. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
263. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
264. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
265. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
266. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
267. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
268. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
269. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
270. संजय कपूर, श्री रामपुर
271. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
272. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
273. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
274. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
275. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
276. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
277. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
278. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
279. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
280. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
281. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
282. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
283. सियाराम सागर, डा0 बरेली
284. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
285. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
286. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
287. सुधाकर, श्री मऊ
288. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
289. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
290. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
291. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
292. सुरेश राणा, श्री शामली
293. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
294. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
295. सुल्तान बेग, श्री बरेली
296. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
297. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
298. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
299. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
300. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
301. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
302. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :– पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

श्रीमती सीमा द्वारा जनपद जौनपुर में खराब सड़कों को ठीक करने हेतु धरने पर बैठने सम्बन्धी जानकारी

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, एक हमारी माननीय विधायिका श्रीमती सीमा द्विवेदी बैठी हैं आज धरने पर जौनपुर में।

श्री अध्यक्ष–

हमसे कहकर गयी हैं जा रहे हैं धरने पर बैठने।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, सुन लें। एक मोगराबादशाहपुर है माननीय अध्यक्ष जी, ऐसी व्यवस्था है कि एक एडवांस स्टेज आफ प्रिगनेन्सी की महिला के उस सड़क पर बच्चा हो गया इतनी खराब सड़क है ।

श्री अध्यक्ष–

यह आपके क्षेत्र में भी होगा तो आप भी धरने पर बैठेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

सुन ले मान्यवर, एक महिला विधायक धरने पर बैठी हैं।

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं, आप बैठे।

मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 ले रहा हूं। अब वह हो गया अनावश्यक क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं ? यह बात आप लिखकर दे दीजिए, धरने पर बैठी हैं वह अपने आप अखबारों में आयेगा। आप क्यों प्रश्न प्रहर खराब कर रहे हैं ? यह बात आप जीरो आवर में उठा सकते थे, जीरो आवर में उठाते जब जीरो आवर आता। वह तो रोज धरने पर बैठती हैं, रोज उनका दारोगा से झगड़ा होता है, कल मुझसे भी लड़ रही थीं।वह रोज लड़ेगी तो रोज आप असेम्बली में ही उठायेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप केवल निर्देश दे दें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे खन्ना जी को मालुम हो गया कि जब सारे काम हो गये तो आओ बनीबनाई जैसे भाई लोगों ने चांदी के थाल में सजाकर भारत सरकार दे दी ऐसे ही इस विषय को भी लूटने का इरादा है। मान्यवर, सड़क का पैसा गये हुए काफी दिन हो गये जिस अधिकारी पर कार्यवाही होनी थी माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं वह कार्यवाही हो गयी अब विधायक जी से मना कीजिए तशरीफ लायें हाउस में बैठें, अब क्या रह गया इसलिए यह शोर कर रहे हैं कि वहां पर क्रेडिट आप पर जाय कि आपने करा दिया।

लोक निर्माण, सिंचाई, बाढ़, राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, उस एक्सीएन की जांच के आदेश दे दिये गये हैं और उसको हटाने के भी आदेश दे दिये गये हैं। रोड के लिए पैसा भी पहुँच गया है। इसके बावजूद अब यह क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ?

ख11.05, प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के गन्ना किसानों का पेराई सत्र 2013–2014 के गन्ना मूल्य का भुगतान निजी व सरकारी मिलों द्वारा किये जाने की सरकार की योजना, भुगतान के विवरण की जानकारी

''01–श्री नदीम जावेद, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री धर्मपाल सिंह, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री वीरपाल राठी, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री बंशी सिंह पहाड़िया तथा श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों का पेराई सत्र 2013–2014 के गन्ना मूल्य का भुगतान निजी व सरकारी मिलों द्वारा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान कराये जाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)–

प्रदेश की चीनी मिलों पर पेराई सत्र, 2013–14 में दिनांक 12–02–2015 तक की स्थिति के अनुसार कुल रु0 19388.17 करोड़ देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष रु0 18747. 93 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है, जो कुल देय का 96.70 प्रतिशत है तथा वर्तमान में रु0 640.24 करोड़ अवशेष है।

पेराई सत्र 2013–14 में कुल 119 चीनी मिलों द्वारा पेराई कार्य किया गया था, जिसमें निगम एवं सहकारी क्षेत्र की सभी चीनी मिलों एवं निजी क्षेत्र की 84 चीनी मिलों द्वारा देय गन्ना मूल्य शत–प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है। निजी क्षेत्र की मात्र 10 चीनी मिलों पर ही गन्ना मूल्य का भुगतान वर्तमान में अवशेष हैं बकायेदार सभी चीनी मिलों के विरुद्ध गन्ना मूल्य भुगतान की वसूली हेतु वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत किये जा चुके हैं एवं प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है। सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान अपने श्रोतों से नहीं किये जाने के कारण उनकी चीनी की विक्रय से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। अब तारांकित प्रश्न संख्या–1 ले लेते हैं।

(श्री राम करन आर्य द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पढ़ने के उपरांत उत्तर से संबंधित कुछ और बातें रखनी प्रारम्भ की गई)

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह हमारा पहले का डाटा है और जो अभी लेटेस्ट आया है, उसके अनुसार 97.07 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया है और मात्र 2.93 प्रतिशत बाकी रह गया है। इस प्रकार मात्र 2.93 प्रतिशत बकाया भुगतान रह गया है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि 10 की जगह एक का पूरा भुगतान कर दिया गया है, मात्र 09 चीनी मिलों का ही बकाया है। सरकार गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान कराने हेतु पूरी तरह से कटिबद्व हैं और सरकार जल्दी से जल्दी प्रेसर बनाकर भुगतान करायेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पहले माननीय सदस्यगणों को अनुपूरक प्रश्न पूछ लेने दीजिये, इसके बाद आप अनुपूरक उत्तर दीजियेगा।

(श्री लोकेन्द्र सिंह के अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

लोकेन्द्र जी, कृपया आप अभी बैठ जाईये, श्री नदीम जी पूछ रहे हैं, कृपया पहले उन्हें पूछ लेने दीजिये, आप बाद में अपना प्रश्न रख लीजियेगा।

श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ने पर जो राज्य सरकार का एक्ट है, वह कहता है कि 14 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं होता है तो किसानों को इन्ट्रेस्ट भी देना चाहिये। चूंकि किसान जब गन्ने की बुआई करता है, तो उस टाइम वह बैंक से लोन लेकर बुआई करता हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि राज्य सरकार ने क्या इस प्रकार का कोई फार्मूला तय किया है कि जब किसान को चीनी मिल से ? पैसा मिले तो वह पूरे इन्ट्रेस्ट के साथ मिले और अगर ऐसा हुआ हो, तो क्या राज्य सरकार के पास कोई आंकड़ा है ?

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जो गन्ना मूल्य तय किया है, उसमें 40 रुपये को छोड़कर शेष गन्ने का भुगतान गन्ना बेंचने के 14 दिन के अंदर हो जाना चाहिये और अगर 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं होता है, तो हम उस पर इन्ट्रेस्ट लगाते हैं और जो 40 रुपया बचता है, तो अगर तीन महीने के अंदर नहीं उसका भुगतान नहीं करते हैं तो हम उस पर भी इन्स्ट्रेट लगाते हैं। इस प्रकार इन्ट्रेस्ट के अनुसार ही गन्ने का भुगतान किया जाता है और हमारा विभाग इसके लिए कटिबद्ध हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो मूल सवाल था वह यह था कि प्रदेश में गन्ना किसानों का जो पूर्व से गन्ना का बकाया है, वह निजी और सरकारी चीनी मिलों द्वारा उसको कैसे दिया जायेगा और सरकार कैसे उसकी व्यवस्था करेगी ? तो यह सवाल

केवल 2013–2014 तक ही इसमें सिमट गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि देवरिया और कुशीनगर को किसी जमाने में चीनी का कटोरा कहा जाता था और वहां पर 14 चीनी मिलें थी और आज की डेट में मात्र पांच चीनी मिल कुशीनगर में और एक चीनी मिल देवरिया में चल रही है। यह सारी चीनी मिलें चाहें वह कठकुईया की हो, पड़रौना की हो, गौरीबाजार की हो, देवरिया की हो, बैतालपुर की हो या सरदारनगर की हो, यह गन्ना मूल्य भुगतान के अभाव में किसानों की भारी रकम लेकर बैठी हुयी हैं और सरकार द्वारा उनका पैसा अब तक उन किसानों को नहीं दिलवाया गया है और केवल किसानों का ही नहीं, बल्कि मजदूरों का भी अभी काफी मात्रा में बकाया है। कठकुइयां चीनी मिल का 8 करोड़ रुपया किसानों का, 4 करोड़ रूपया मजदूरों का बाकी है और यह चीनी मिल 1996–97 से बंद है। इसी प्रकार पड़रौना चीनी मिल में 17 करोड़ किसानों का, 5 करोड़ रूपया मजदूरों का बाकी है और यह मिल 2011 से बंद है। इसी तरह गौरीबाजार चीनी मिल में 5 करोड़ किसानों का, 3 करोड़ मजदूरों का बकाया है और यह मिल 1996–97 से बंद है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो यह बंद चीनी मिलें हैं, इनके किसानों का बकाया काफी बड़ी धनराशि में है, तो क्या सरकार उन चीनी मिलों को निर्देश देकर इन किसानों के बकाया का भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी। दूसरी बात, जो यह चीनी मिलें बंद हैं, क्या सरकार उसको पुनः चलवाने की व्यवस्था करेगी।

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं यह बता दूं कि आपने पूरे का सवाल नहीं किया है। मान्यवर, इन्होंने केवल 2013–14 की मांग किया है, जिसके बारे में हमने बता दिया और जिन चीनी मिलों की यह बात कर रहे हैं, यह भारत सरकार की हैं और इन्हीं लोगों ने इन चीनी मिलों को बंद कराया। देवरिया और बस्ती में मान्यवर, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वह पूरा का पूरा इलाका चीनी का कटोरा माना जाता था। मगर मान्यवर, जिस तरीके से हमारे लायक दोस्तों ने तो 21 चीनी मिलें बेच दीं, 10 चलती हुयी चीनी मिल और 11 बंद चीनी मिल इन लोगों ने बेच दिया, यदि यह इसको न बेचे होते तो हमारी सरकार इनको चलाने का काम करती। अब 21 चीनी मिल हम नया खड़ा करेंगे तो कहॉ से खड़ा कर पायेंगे, कितने पैसे हो पायेंगे। तो मान्यवर, ऐसा कुछ नहीं है जो माननीय सदस्य ने सवाल किया। मिल मालिकों से निश्चित रूप से किसानों का बकाया धनराशि दिलाने के लिये यह सरकार कटिबद्व है, क्योंकि यह किसानों की सरकार है।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपका बहुत प्रभाव रहता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान है, वह केवल गन्ने पर अपनी पूरी जीविका चलाता है। अभी जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ऐसी 10 शुगर मिल हैं जिन्होंने 2013–2014 का भी भुगतान नहीं किया है और इस सत्र का भी लगभग आधे से अधिक बकाया है।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, 9 शुगर मिल हैं। अभी मैंने सदन में कहा है कि बाकी ने पूरा भुगतान कर दिया है।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

अरे चलिये 9 मान लेते हैं। लेकिन इस सत्र का भी आधे से अधिक समय निकल चुका है और आधे से अधिक किसानों का गन्ना पड़ गया है अभी न तो पिछले सत्र का भुगतान हुआ है और आधे से अधिक का गन्ना पड़ जाने के कारण उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। आज स्थिति यह है कि कोई भी किसान चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, कोई किसान ऐसा नहीं है, जिस पर बैंक का ऋण न हो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ तो चीनी मिलें पेमेंट नहीं दे रही हैं, और दूसरी तरफ बैंको का दबाव है। बैंकों के दबाव के कारण वहां का किसान आज आत्महत्या कर रहा है। आगे अगला प्रश्न भी है इसमें उत्तर में है कि किसी किसान द्वारा आत्महत्या नहीं की गयी, लेकिन मैं इसका प्रमाण दूंगा। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस पर सरकार कोई कार्यवाही करेगी। पेमेंट जो पिछले सत्र का नहीं हुआ, इस सत्र का भी नहीं हुआ तो क्या सरकार ने मय ब्याज के पेमेंट दिलाने के लिये कोई योजना बनाई है। नम्बर–2 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मिलों ने पेमेंट नहीं किया है तो कैसे किसान अपने लड़के और लड़की की शादी करेगा, कैसे जीविका चलायेगा। आज किसान भैंस और गाय पालकर अपने बच्चों की फीस दे रहे हैं, जीविका चला रहे हैं। आज दिन–प्रतिदिन कृषि घटती चली जा रही है और नगरीय क्षेत्र बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस किसान के पास 10 बीघा जमीन है, 8 बीघा जमीन है या 5 बीघे जमीन है वह न तो किसान है और न ही व्यापारी है लोग पशु पालकर अपनी जीविका चला रहे हैं। उसमें भी सरकार के द्वारा स्लाटर हाउस लगवा दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष–

सदस्य, पहले आप पहले प्रश्न का उत्तर ले लीजिए आप तो स्लाटर हाउस तक चले गये।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं वहीं आ रहा हूं। सरकार कह रही है कि जो नियम हैं उनका हम पालन करेंगे तो क्या सरकार पिछले सत्र का और इस सत्र का मयब्याज के पेमेंट करायेगी। दूसरा मवाना, सिंभावली, देवाकी, राणा, सिरमौर, खाईंखेड़ा और रामपुर जिले में शाहाबाद और बिलारी यहां के किसानों को मिल वाला तंग करता है और कहता है यह रिजेक्ट गन्ना है और रिजेक्ट गन्ना बताकर किसान के साथ बदतमीजी हो रही है।

श्री अध्यक्ष–

अरे! भाषण नहीं, आप सवाल पूछिये। आप तो आधे घण्टे से भाषण कर रहे हैं।

श्री लोकेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो आपने रेट रखा है 240 रुपए किसानों को मिले क्या वह मिलेगा और जो सड़कों पर कांटे लगाकर 140 रुपए,

150 रुपए और 120 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ना खरीदा जा रहा है तो क्या सरकार उसको रुकवाने का काम करेगी ?

(विपक्ष के सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, पहले आप उत्तर आ जाने दीजिए।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो सवाल किया है कि क्या सरकार भुगतान करेगी तो इस सरकार ने तो पिछली भी सरकार का भुगतान किया है। हमारी तो जिम्मेदारी है हम तो भुगतान करेंगे ही। जो कहा गया कि इंटरेस्ट के साथ तो हमारा जो संकल्प है हम उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे। दूसरा, जो आपने कहा कि इस साल का भुगतान नहीं हो रहा है तो इस साल भी 60 प्रतिशत से ज्यादा का भुगतान हो गया है।

(विपक्ष के सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप रुक जाइये, पहले मा0 बंशी सिंह पहाड़िया सवाल पूछ लें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया तो मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन 9 चीनी मिलों के नाम बतायेगी और दूसरा सवाल यह कि आज किसान को 10 हजार रुपए की वसूली पर जेल जाना पड़ता है इन्होंने प्राथमिकी दर्ज करा दी है तो क्या किसी मिल मालिक की गिरफ्तारी हुई है।

श्री राम करन आर्य–

मा0 अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने सवाल किया है उसमें मवाना ग्रुप है मोदी, सिंभावली, गड़ौरा इनकी धनराशि बाकी है। इन ग्रुप की जो चीनी मिलें हैं आपने कहा कि क्या सरकार तत्काल दिलायेगी तो एफ0आई0आर0 का मतलब आप समझते हैं। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है कर रही है तो आप यह कैसे कर रहे हैं कि नहीं करायेगी।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर प्रश्न पूछने का आग्रह करने पर शोर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहिये, पहले आप लोग आसन ग्रहण करिये। श्री धर्मपाल सिंह जी का सवाल है इसलिए पहले धर्मपाल सिंह जी अपना प्रश्न पूछें।

श्री धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं तीन बातें माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। गन्ना किसान उत्तर प्रदेश में प्रभावित है, गन्ना किसान खेती करे तो कैसे करे और न करे तो क्या करे ? जब वह गन्ना तौल केन्द्र पर ले जाता है तो घटतौली होती है, 100 क्विंटल में 90 क्विंटल तौला जाता है। इस सरकार में गन्ना मूल्य का भुगतान भी मिल मालिक 280 रुपये की जगह

250 रुपये प्रति क्विंटल कर रहे हैं और तीसरे जो उन्होंने 640.24 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य अवशेष बताया है उस पर किसान का कितना ब्याज बनता है मान्यवर, यह मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

यह तो आप स्वयं जोड़ लीजिए कि कितना बनता है।

(श्री सुरेश राणा, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री अखिलेश प्रताप सिंह व अन्य कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर प्रश्न पूछने का अवसर दिये जाने का आग्रह करने पर)

श्री अध्यक्ष–

सुरेश राणा जी अभी बैठिये, अखिलेश प्रताप सिंह जी का सवाल है इसलिए उनको अवसर दे रहा हूं। बिमला सिंह सोलंकी जी, आपका सवाल नहीं है इसलिए आप बैठिये।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैंने जो प्रश्न किया था वह यह किया था कि यदि भुगतान नहीं हो रहा है तो उसको कराये जाने की क्या कोई योजना है ? उसका विवरण क्या है ? उसका कोई विवरण नहीं दिया है, उन्होंने यह बताया है कि बकायेदार चीनी मिलों से वसूली की जाती है, पत्र निर्गत किये जाते हैं, प्राथमिकी दर्ज होती है और जो मिल पर चीनी है उसको कब्जे में लेकरके बकाये के भुगतान के प्रयास किये जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इतने आदेशों के बावजूद गन्ना किसान अपना कुछ भुगतान पाये हैं। हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सरकार किसानों का भुगतान भविष्य में समयबद्ध तरीके से कराये जाने हेतु कोई ऐसा टाइमटेबुल बनाएगी कि 15 दिन तक भुगतान का इंतजार होगा और 30 दिन के बाद एफ0आई0आर0 होगी, 60 दिन में उनकी चीनी का ऑक्शन होगा। इस तरह से भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के लिए क्या सरकार कोई योजना या टाइम टेबुल बनायेगी ?

श्री राम करन आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं, किसान भी हैं और समाजवादी आन्दोलन के बड़े योद्धा हैं। गन्ना मिलों पर आप भी धरना दिये हैं और मैंने भी आपके साथ जेल काटा है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में 157 चीनी मिलें थी और आज घटकर 118 चल रही हैं उसकी भी जिम्मेदारी हमारी आपकी है। मान्यवर, आप जानते हैं कि केन्द्र में बैठे हुए लोग....

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मंत्री जी, मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर दीजिए, इसको घुमाईये नहीं।

(कई सदस्यों द्वारा अपने आसन पर खड़े होकर एक साथ कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

सीधे प्रश्न का जवाब दीजिए।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, आपने अपनी बात कही तो मैं चुप रहा, मैं अब आपकी बात का जवाब देने जा रहा हूं। आपका संरक्षण उधर है, मेरी तरफ होना चाहिए। मान्यवर, बाहर का जो कच्चा शुगर हिन्दुस्तान में आ रहा है उससे आने वाले दिन में जो वहां का शुगर प्यूरीफाइड करके जो 24 रुपये किलो बिकेगा उसमें भी उनका फायदा है...

(भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्यों के अपने आसन पर खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर शोर)

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, किसान और मिल मालिकों के बीच में हमको और आपको तारतम्य स्थापित करना पड़ेगा और..

(इसी बीच श्री धर्मपाल सिंह, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री सतीश महाना, श्री अजय कुमार लल्लू व श्री अखिलेश प्रताप सिंह सदन की वेल में आ गये जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम करन आर्य–

हम किसानों का पैसा देने के लिए कटिबद्ध हैं और इसके साथ ही साथ जो भी सख्ती हो सकेगी मिल मालिकों के खिलाफ हम सख्ती करके किसानों का पैसा दिलायेंगे। मान्यवर, ये लोग किसान विरोधी हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल (वेल से)–

अध्यक्ष जी, सवाल कुछ पूछा जा रहा है और जवाब कुछ और दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

रिपोर्टर के पास न जाईये, पीछे रहिये।

श्री लोकेन्द्र सिंह (वेल से)–

मान्यवर, मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(वेल में उपस्थित सदस्य किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी–नहीं चलेगी के नारे लगाते रहे)

(कुछ सदस्यों के आसन की ओर बढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग इधर आएंगे तो फिर हम कार्यवाही करेंगे। आप वहां चलिए पीठ पर आने की क्या जरूरत है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी यह गम्भीर मामला है जब तक केन्द्र सरकार का सहयोग नहीं मिलेगा उस हद तक इस समस्या का पूरा निदान नहीं हो सकता। केवल पूंजीपतियों को खुश करने के लिए किसानों की जमीन छीनकर अडानी जैसे लोगों को देने के लिए नीतियां बनाई जाएंगी तो किसान हित तो नहीं होगा। अगर सरकार शकर

का इम्पोर्ट बन्द कर दे तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कांग्रेस ने शुरू किया भाजपा ने उसे जारी रखा। जब तक इम्पोर्ट बन्द नहीं होगा इस पर भाजपा को ही विचार करना है मान्यवर, यह दोनों दल आज एक हैं। किसानों के खिलाफ दोनों दल एक हैं यही तो हम कहते हैं कि यह एक सिक्के के दो रुख हैं इधर कांग्रेस उधर भाजपा। चांदी के थाल में सजाकर सत्ता दे दी। अपने थे यह दोनों एक हैं। अगर नहीं हैं तो आप इनके साथ क्यों खड़े हैं। इन्होंने तो सारे किसानों की जमीन अडानी को दे दी इनके साथ खड़े होंगे तो स्वाइन फ्लू हो जाएगा। हटिए इनके पास से। स्वाइन फ्लू हो जाएगा।

(वेल से)

श्री सतीश महाना–

अध्यक्ष जी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कांग्रेस को डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं।

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों ने अपना विरोध प्रकट कर दिया अब अपने–अपने आसन पर जाएं। वहीं से सवाल को आगे बढ़ाएं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, भारत सरकार चीनी का आयात बन्द करे। जो अध्यादेश पार्लियामेंट में पेश हुआ है उसे वापस लें किसानों की दुश्मन सरकार है केन्द्र सरकार किसानों की दुश्मन है।

(इसी मध्य वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सदस्य अपने–अपने आसन पर चले गए)

श्री अध्यक्ष–

बिमला सोलंकी जी आप अपने आसन पर चलें जिनका सवाल है उनको पूछने दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

अध्यक्ष जी मेरा सवाल है।

(सदस्यों के अपने स्थान से बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत हो जायं। खन्ना जी को मैंने बुला लिया है उनको अपना सवाल पूछ लेने दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इनको शांत करायें। आपने हमको अनुमति दी है, हमारा सवाल हो जाय उसके बाद यह कहें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया है। मैंने सवाल किया था कि क्या सरकार कोई नीति..

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमको अनुमति दी है। यह असली मुद्दे से भटकाया जा रहा है। हमारा सीधा सीधा सवाल यह है कि

श्री अध्यक्ष–

अखिलेश जी, आपका उत्तर मंत्री जी ने दे दिया है अगर आप उससे सन्तुष्ट न हों तो हम क्या करें ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी आपने हमको अनुमति दी है।

श्री अध्यक्ष–

तो पूछिये ना।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, पहले हाउस व्यवस्थित करवा दें।

श्री अध्यक्ष–

अरे आप लोग शॉत हो जायं। मैंने खन्ना जी को बुला लिया है उनको अपनी बात कहने दें।

(सदस्यों के बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, आप जरा बैठ जायं। पीछे अखिलेश जी खड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं, इनको सुन लें उसके बाद आप बोल लें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बस इतना सा प्रश्न था। हम सरकार को किसान विरोधी नहीं कह रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि यदि यह सरकार किसान हितैषी है, यदि किसान हितैषी है तो यह एक टेबुल बनाकर बता दे कि भविष्य में यदि यह भुगतान इतने दिनों में नहीं होगा तो क्या कार्यवाही करेंगे ? इतने दिनों में नहीं होगा तो हम एफ0आई0आर0 लिखेंगे ? इतने दिनों में नहीं होगा तो हम उनकी चीनी को एक्वायर करके नीलाम करके बेचेंगे। यही हम चाहते हैं। यदि यह ऐसा करते हैं तो हम किसान हितैषी कहेंगे नहीं करते हैं तो किसान विरोधी कहेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इनका जवाब आ चुका है। यह सवाल यह पूछ चुके हैं और उसका जवाब आ चुका है। अब मान्यवर आप हमें सवाल पूछने दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अखिलेश सिंह जी का कहना है कि कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनायेंगे चीनी के भुगतान का।

श्री राम करन आर्य–

मान्यवर, आलरेडी एक ऐक्ट है, और उसी के तहत कार्यवाही हम करते हैं इसलिये कोई नया नियम बनाने का सवाल नहीं उठता है। उसी ऐक्ट के तहत आर0सी0 जारी करते हैं एफ0आई0आर0 दर्ज करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अखिलेश जी, आपका जवाब आ गया अब आप बैठिये।

(सदस्य श्री अखिलेश जी के बोलते रहने पर व्यवधान)

अखिलेश जी, आपका जवाब आ गया अब जरूरी नहीं है। खन्ना जी को मैंने बुला लिया है। आप बैठिये, जिद न करिये। आप बैठ जायं अब आपका लिखा नहीं जायेगा। उन्होंने जो जवाब देना था दे दिया है। खन्ना जी को मैंने बुला लिया है उनको बोलने दीजिये। अब आप वही बात बार–बार कह रहे हैं। जो आप कह रहे हैं नहीं लिखा जायेगा।

(श्री अखिलेश प्रताप सिंह व कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्य किसान विरोधी सरकार का नारा लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, नियमों में जो व्यवस्था थी माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि 14 दिन के बाद मिल मालिकों को उनको ब्याज देना चाहिए। मान्यवर, मिल मालिकों से सरकार की सीधी सांठ–गांठ है इसलिये मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम आपके माध्यम से सीधा सवाल यह करना चाहते हैं। मान्यवर, निगमों में जो व्यवस्था थी माननीय मंत्री जी ने व्यवस्था बता दी कि 14 दिन के बाद मिल मालिकों को ब्याज देना चाहिए। मान्यवर, मिल मालिकों से सरकार की सीधी सांठ गांठ है इसलिए मिल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हम आपके माध्यम से सीधा सवाल यह करना चाहते हैं माननीय मंत्री क्या कोई स्थायी व्यवस्था बनायेंगे ? एक वर्ष से मान्यवर, यही सवाल विधान सभा में आ रहा है एक–एक सवाल को छः–छः लोग सवाल उठा रहे हैं तो कहीं तो पीड़ा होगी मान्यवर और जब पीड़ा होगी तो यहां प्रदर्शन जरूर होगा। मैं जानना चाहता हूं कि मिल मालिकों के साथ ढिलाई का व्यवहार क्यों है ? जिन मिल मालिकों ने 14 दिन के बाद पेमेन्ट किया है क्या उन चीनी मिलों से ब्याज का भुगतान करायेंगे ? क्या इसमें कोई स्थायी व्यवस्था बनायेंगे।

(शोर)

श्री रामकरन आर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2013–14 के भुगतान का प्रकरण आया है। इसके बारे में बताया कि 97.7 प्रतिशत केन का भुगतान हो चुका है और 2.93 बकाया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

नहीं हुआ है।

श्री रामकरन आर्य–

यह बात नहीं सुन रहे हैं। अगर यह नियमबद्ध न होता इसमें सख्ती न होती तो 2013–14 में इतना कम बकाया बचता। इसको चरणबद्ध तरीके से किया है। हमने अधिकारियों को बुलाया है जिन लोगों ने 14 दिन के अन्दर भुगतान नहीं किया है उस पर ब्याज लगाया है। अब यह उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं क्या बताऊँ। सरकार कटिबद्ध है, चरणबद्ध तरीके से भुगतान कराने के लिए। जो मिले देर में भुगतान करेंगी उन पर कार्यवाही करके पूरा का पूरा भुगतान करायेंगे।

(शोर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, गन्ना किसान का भुगतान तत्काल होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कह तो दिया है कि भुगतान करायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

यह सरकार किसान विरोधी है और गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करा रही है इस विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना ने भा0ज0पा0 के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री दलवीर सिंह–

मैं अकेले रह गया हूं सब चले गए हैं छोटा सा अनुपूरक है।

श्री अध्यक्ष–

पूरन प्रकाश जी आप भी दांव लगाए हो वेल में आने के लिए।

श्री दलवीर सिंह–

इस प्रश्न पर बहुत बहस हो गई सरकार ने अपना पक्ष रखा मेरा अलग कहना है इस संबंध में, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहकारी चीनी मिलों और निगम की चीनी मिलों का भुगतान आपने कर दिया जो भुगतान शेष रह गया है वह मिल जाएगा। किसान को सहकारी चीनी मिल और निगम की चीनी मिलों पर विश्वास है। चिन्ता का विषय यह है जैसा अभी खन्ना जी और अखिलेश जी कह रहे थे प्राइवेट चीनी मिल मालिकों से भुगतान कराने की इच्छा अगर सरकार की है तो मैं दाबे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी चीनी मिल मालिकों की हिम्मत नहीं है कि वह 24 घंटे के अन्दर भुगतान न करें।

श्री अध्यक्ष–

यह सवाल नहीं है।

श्री दलवीर सिंह–

अगर मिल मालिकों के खिलाफ आर0सी0 कटती है एफ0आई0आर0 दर्ज होती है तो मिल मालिकों की हिम्मत नहीं है कि वह भुगतान न करें। यह मिल मालिकों से 24 घंटे के अन्दर भुगतान करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह सवाल नहीं है आप भाषण कर रहे हैं।

(शोर)

(अनेक सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप सभी लोग बैठ जाईये। गन्ने पर काफी चर्चा हो चुकी है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, मा0 मंत्री के उत्तर से यह साफ स्पष्ट है कि पेराई सत्र 2013–14 का 640.24 करोड़ रुपया बकाया है और मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह भी कहा है कि सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान अपने श्रोतों से नहीं किये जाने के कारण उनकी चीनी की बिक्री से बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें दो चीजे हैं। अगर यह प्रयास किया जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आपने तो दूसरी मद ले ली है।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, जब आपके बीच में नेता विरोधी दल खड़े हो गए थे तो हमनें उनसे कहा था कि आप बैठ जाईये, खन्ना जी के बाद आपको मौका मिलेगा। चूंकि अब वह प्रकरण समाप्त हो गया है, परन्तु वह नेता विराधी दल हैं इसलिये विधान सभा में उनको अपनी बात कहने का अधिकार है तो इनको अपनी बात कह लेने दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं इस पर केवल इतना स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी अपने उत्तर को कार्यान्वित कराने के लिये पन्द्रह दिन अथवा एक महीने का समय निश्चित करके स्टाक की चीनी को बेचकर के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ चुका है।

नत्थी ''ख''

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में वर्तमान समय में विद्युत उत्पादन की बन्द यूनिट को चालू किया जाना

'01–श्री नदीम जावेद, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कुल कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है ? क्या सरकार बतायेगी कि विद्युत उत्पादन की कितनी यूनिट चल रही है तथा कितनी बन्द है, उनके बन्द होने के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक पुनः चालू करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री यासर शाह)–

वर्तमान में प्रदेश के राज्य ताप एवं जल विद्युत इकाइयों से औसत कुल 3103 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत :–

वर्तमान समय में उ0नि0लि0 की 18 विद्युत उत्पादन इकाइयां उत्पादनरत् हैं तथा 08 विद्युत उत्पादन इकाइयां नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/डिलीशन/रेस्टोरेशन/ओवरहालिंग हेतु बन्द हैं। बन्द इकाइयों के बन्द होने के कारण तथा पुनः चालू होने की सम्भावित तिथि का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	विद्युत उत्पादन इकाई	बन्द होने के कारण	भार पर आने की सम्भावित तिथि
1	2	3	4
1	ओबरा इकाई सं0–07 (94 मे0वा0)	आर0 एण्ड एम0	जुलाई, 2015
2	ओबरा इकाई सं0–10 (200 मे0वा0)	आर0 एण्ड एम0	अक्टूबर, 2015
3	ओबरा इकाई सं0–11 (200 मे0वा0)	आर0 एण्ड एम0	अप्रैल, 2016
4	ओबरा इकाई सं0–07 (105 मे0वा0)	आर0 एण्ड एम0	30 अप्रैल, 2015
5	ओबरा इकाई सं0–13 (200 मे0वा0)	ओवरहालिंग	टेस्ट लाइट अप किया गया है तथा माह फरवरी, 2015 में भार पर आने की सम्भावना है।
6	ओबरा इकाई सं0–08 (94 मे0वा0)	अधिष्ठापित क्षमता से हटाने हेतु	अधिष्ठापित क्षमता से हटाने हेतु
1	2	3	4
7	पारीछा इकाई सं0–03 (210	ओवरहालिंग	17 मार्च, 2015

	मे0वा0)		
8	पारीछा इकाई सं0–02 (110 मे0वा0)	रेस्टोरेशन कार्य	जून, 2015

उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 के अन्तर्गत :–

1–रिहन्द जल विद्युत गृह की 04 इकाइयां उपलब्ध है एवं 02 इकाइयां जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के कार्यों हेतु बन्द हैं जो दिनांक 31–03–2015 एवं 31–12–2015 तक चालू करा दी जायेगी।

2–ओबरा जल विद्युत गृह की सभी तीनों इकाइयां उपलब्ध हैं।

3–खारा जल विद्युत गृह की 02 इकइयां उपलब्ध हैं एवं 01 इकाई वार्षिक अनुरक्षण कार्य के सम्पादन हेतु बन्द हैं जिसे शीघ्र ही चालू करा दिया जायेगा।

4–माताटीला जल विद्युत गृह की तीनों इकाइयां उपलब्ध हैं।

5–बेल्का एवं बबैल जल विद्युत गृहों की 01–01 इकाइयां उपलब्ध हैं एवं 01–01 इकाई, गियर बाक्स क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द हैं जिसे 01–10–2015 तक चालू करा दी जायेगी।

6–शीतला जल विद्युत गृह की 02 इकाइयां उपलब्ध हैं एवं 01 इकाई थ्रोडन बियरिंग एवं शाफ्ट स्लीव क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द हैं जिसे 31–03–2015 तक चालू करा दी जायेगी।

7–ऊपरी गंगा नहर पर स्थित निरगाजनी जल विद्युत गृह की 02 इकाइयां उपलब्ध हैं। चित्तौड़ जल विद्युत गृह की 02 इकाइयां उपलब्ध हैं। सलावा जल विद्युत गृह की 02 इकाइयां उपलब्ध हैं।

8–भोला जल विद्युत गृह की 02 इकाइयां उपलब्ध हैं शेष 04 इकाइयों के सिविल स्ट्रक्चर्स पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण स्थायी रूप से बन्द कर दी गयी है।

9–पलरा एवं सुमेरा जल विद्युत गृहों की क्रमशः 03 एवं 02 इकाइयां वर्ष 1992 से स्थायी रूप से बन्द हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने मूल सवाल किया था कि मॉग और पूर्ति में अन्तर कितना है ? कई सवालों को मिलाकर एक सवाल बना दिया गया। उद्देश्य यह था कि बिजली की मांग और पूर्ति में जो अन्तर है, उसको सरकार किस प्रकार से पूरा करेगी, अपनी जो जनरेटिंग पावर यूनिट्स हैं, उनकी क्षमता बढ़ायेंगे या बिजली खरीदेंगे ? मान्यवर, जहां तक मैंने पढ़ा है, प्लान्ट लोड फैक्टर 57 से 60 परसेंट है तो यह भी अपने आप में चिन्ता का विषय है कि हमारा प्लान्ट लोड फैक्टर कैसे बढ़े ? यदि हमारी लापरवाही के कारण या किसी दूसरी वजह से हम पूरी क्षमता से बिजली नहीं पैदा कर पा रहे हैं तो उसका खमियाजा प्रदेश की पूरी जनता को भुगतना पड़ रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब तक यह यूनिट्स सेटेलाइट हैं, तब तक सरकार ने क्या व्यवस्था की है, मांग के अनुरूप पूर्ति करने का और मेरा दूसरा सवाल है कि क्या प्लान्ट लोड फैक्टर बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही सरकार कर रही है ?

श्री यासर शाह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो भी राज्य की कुल विद्युत आवश्यकता होती है और जो हमारे पास विद्युत उपलब्ध होती है, राज्य के जनरेशन प्लान्ट्स से और जो कमी होती है, उसे हम एनर्जी एक्सचेंज से लेते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि विद्युत आपूर्ति प्रदेश में सुचारु रूप से चलती रहे और जहां तक खन्ना जी ने प्लान्ट लोड फैक्टर की बात कही है, यह सही है कि प्लान्ट लोड फैक्टर पहले बहुत कम था, आज की तारीख में उसमें बहुत सुधार हुआ है। आज प्लान्ट लोड फैक्टर 63.68 प्रतिशत है और जो यूनिट्स बन्द पड़ी हैं, उनके वापस आने पर पीएलएफ और बढ़ जायेगा तो मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहता हूं और खन्ना जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि प्लान्ट लोड फैक्टर हमारा मैक्सिमम हो जाए और जो कमी विद्युत की प्रदेश में हो रही है, उसको हम भविष्य में पूरा करते रहेंगे।

श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जो मूल चुनौती दिखायी दे रही है, सरकार की तरफ से जवाब आया है, उस जवाब में 'आर0 एण्ड एम0' सब जगह लिखा गया है। तो जो मेन्टीनेंस की पालिसी है, सरकार के बिजली के उत्पादन के जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको किस प्रकार से ट्रान्सफार्म या नई टेक्नॉलोजी के जरिए इस सिस्टम को किस प्रकार से जल्दी से जल्दी किया जाए क्योंकि जो आपूर्ति है और जो मांग है, उसमें भारी अन्तर है। मान्यवर, राज्य सरकार हमेशा टारगेट फिक्स करती है, पिछले साल जो टारगेट था, वह इस साल एचीव नहीं हुआ और इस साल का जो टारगेट फिक्स किया जा रहा है क्या वह अगले साल एचीव होगा ? तो इस दिशा में सरकार ने जो वायदे किए हैं तो जो पिछले वायदे किये थे उसी प्रकार से होगा या उस पर सचमुच एग्जीक्यूशन होगा ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न आपका यह है कि जो पिछली बार वायदा किया गया था, बिजली उत्पादन का, वही न ? आप अपने प्रश्न को फिर से समझाइये।

श्री नदीम जावेद–

अध्यक्ष जी, पिछली बार सरकार ने सदन में जो आश्वासन दिया था, वह इस वर्ष नहीं हो पाया है तो इस वर्ष सरकार की तरफ से जो जवाब आया है, उसको हम किस प्रकार से मान लें।

श्री यासर शाह–

यह टारगेट जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ऐचिव करेंगे उसको हम करेंगे।

(सुरेश कुमार खन्ना जी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

कह तो रहे हैं कि ऐचिव करेंगे। खन्ना जी इसमें आपका सवाल नहीं है। इसमें सवाल है धर्मपाल जी का। उनका प्रश्न है।

श्री धर्मपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी के जवाब में जो ईकाइयां जल विद्युत की स्थायी रूप से बंद हैं क्या सरकार इन्हें भी चालू करने पर विचार करेगी ?

श्री यासर शाह–

मान्यवर जो इकाईयां बंद की गई है वह सम्पूर्ण रिसर्च के बाद बंद की गई हैं इनको चलाना इकोनोमिकली फिजीबल नहीं है और जो स्ट्रक्चरल डेमेज हो चुका है उसको रिपेयर हम कर नहीं सकते हैं तो यह स्थायी रूप से बंद हो गई हैं। हम यह प्रयास कर सकते हैं कि नई योजनाएं ले कर आएँ लेकिन अगर इन योजनाओं को पुनः चालू करने की बात हो रही है तो इससे प्रदेश का अहित होगा इसलिए इसे दोबारा चालू करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

बाजपेयी जी नहीं है। अभी यह बाकी रह गए थे उनकी तरफ से पूछ रहे हैं।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी जो जवाब मा0 मंत्री जी की तरफ से आया है मेरा आपसे निवेदन है पहली दो लाइनें देख लीजिए। इसमें वर्तमान में प्रदेश में राज्य ताप एवं जल विद्युत इकाईयों से औसत कुल 3103 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है मेरा आपके माध्यम से मा0 मंत्री से छोटा सा प्रश्न है कि वर्ष 15 मार्च 2012 को इनकी सरकार बनी और आज तीन साल हो गए हैं वर्ष 2012 में कितना उत्पादन हो रहा था और आज कितना हो रहा है क्या इसमें जो अंतर था वह कम था तो बढ़ाया गया है या पहले ज्यादा था उसे बढ़ाया गया है। मेरी स्पष्ट जानकारी है कि यह कह रहे हैं कि प्रदेश में 3103 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है तीन सालों से यही जवाब आ रहा है या इससे ज्यादा का आ रहा है कभी कम का नहीं आ रहा है। तीन वर्षों के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विद्युत उत्पादन की इकाई प्रारम्भ नहीं हुई है। मेरा आपके माध्यम से यही प्रश्न है मान्यवर कि तीन वर्ष पहले 31 मार्च 2012 को बिजली का उत्पादन कितना था और आज कितना है।

श्री अध्यक्ष–

सूचना है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर पहले तीन वर्षों में कम हुआ है और यह बढ़ा कर बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी इसकी सूचना आपके पास है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर इनके पास सूचना होनी चाहिए। नहीं तो आप मेरे प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष–

क्यो स्थगित कर दें ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर तीन वर्षों में देश में विद्युत का उत्पादन कम हुआ है और यह हर बार बता रहे हैं कि हम इसे बढ़ा रहे हैं इसे चालू कर रहे हैं। जब यह कहते हैं कि बढ़ा रहे हैं तो यह कम हो जाता है। मैं मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 3103 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है तीन वर्षों में यह कितना बढ़ा है और कितना कम हुआ है।

श्री यासर शाह–

मान्यवर स्पष्ट प्रश्न है और मा0 महाना साहब हमारे बहुत सीनियर सदस्य हैं। वर्तमान समय में कुल कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है अगर मा0 सदस्य महोदय की यह जिज्ञासा है यह जानने की तो बजट भी आ रहा है उससे उन्हें पता चल जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

चलिए महाना जी आपको पता चल जायेगा।

(सदस्यों द्वारा एक साथ बोले जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न तो पूछते नहीं भाषण करते हैं।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर कृपया मुझे बोलने दें। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूरे प्रदेश भर में 33 के0वी0ए0 का बिजली विभाग के द्वारा बनाए हुए ट्रांसफार्मरों का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के विधायक ही कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न में कहां से आ गया ?

उत्तर प्रदेश में घट रहे लिंगानुपात को ठीक करने हेतु सरकार की प्रभावी कार्यवाही

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) तथा श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कई राज्यों की तुलना में उ0प्र0 में स्त्री–पुरुष का घटता लिंगानुपात चिन्ता का विषय है और सरकार के सभी प्रयास विफल हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)–

जी नहीं।

एनवल हेल्थ सर्वे के उपलब्ध विगत 03 वित्तीय वर्षों के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के जन्म के समय लिंगानुपात 0 से 04 वर्ष की उम्र के बच्चों में लिंगानुपात व कुल लिंगानुपात में वृद्धि परिलक्षित हुई है, जिसका तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :–

ए0एच0एस0 सर्वे वर्ष	जन्म के समय लिंगानुपात	लिंगानुपात (0 से 04 वर्ष की उम्र)	लिंगानुपात
2010–11	904	913	943
2011–12	908	914	944
2012–13	921	919	946

जी हां।

प्रदेश में बाल लिंगानुपात (0 से 06 वर्ष की उम्र) पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले प्रश्न में मेरा नाम था आपने बोलने का अवसर नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष–

अरे उसमें इतना बवाल हो रहा था। उसी में आप दब जाते।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

हम बवाली नहीं हैं इसलिए हम चुप हैं।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जल विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

यह सच है कि यह बवाली नहीं हैं बवालियों से घिरे हैं।

श्री अध्यक्ष–

चलिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो यह लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम लागू है। लागू तो है और यह भी सही है कि कोई भी सरकार रही है वह यह कोशिश जरूर करती है कि यह लिंगानुपात कम न हो, बेटियां कम न हो जायें। ताकि कोई समस्या खड़ी हो जाये। लेकिन है। बेटियों की संख्या कम है। और इसके मूल में जो कारण है वह है, जो आधुनिक विज्ञान ने तरीके इजाद किये हैं अल्ट्रासाउंड इत्यादि के द्वारा, तो उसी पर

प्रतिषेध के लिए यह अधिनियम बना है। मेरा मानना है और स्पष्ट आरोप है कि जो भी विभाग इसके लिए उत्तरदायी है वह अपना काम नहीं करते हैं और इसके लिए हमको यह छूट प्राप्त है कि अगर हम यह जान लें कि अगर यह बेटी है तो हम गर्भ में ही उसकी हत्या कर दें। अगर ऐसा होता रहेगा तो हम कैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जो वर्तमान सरकार की भी नीति है। बेटियों को पढ़ाने के लिए तमाम योजनायें चलायी जा रही हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि सरकार यह नहीं बता रही है कि हम क्या करते हैं या उसके करने से इसके ऊपर क्या असर पड़ा है। सरकार ने यह कहीं नहीं बताया। खाली बताया कि प्रतिषेध अधिनियम लागू है। तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए इस अधिनियम का सहारा लेते हुए और क्या कार्रवाई की है या कर रही है जिससे लिंगानुपात न घटे, बेटियां गर्भ में मौत को प्राप्त न हों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंखलाल मांझी)–

माननीय अध्यक्ष जी, कन्या भ्रूण हत्या, यह केवल पी0सी0पी0एन0डी0टी0 ऐक्ट के सहारे ही नहीं यह सामाजिक तौर पर जब तक पूरे समाज में यह महसूस नहीं किया जाएगा कि यह कन्यायें हमारी जो हैं अगर इनका जन्म दर घटा तो आने वाले भविष्य में इसका दुष्परिणाम कितना भयंकर होगा। अगर समाज में हर तबके के द्वारा इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाएगा। तो केवल पी0सी0पी0एन0डी0टी0 ऐक्ट के द्वारा इसको समुचित रूप से प्रभावी नहीं किया जा सकता। जहां तक हमारे विद्वान विधायक जी ने कहा कि सरकार इस पर कोई काम नहीं करती है और वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करती है। आप इस बात से भिज्ञ हैं कि यह ऐक्ट जो भारत सरकार का बनाया गया है हम पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के तहत काम करते हैं। यह ऐक्ट लचीला है। इसमें जो प्रतिबंधित धारायें लगायी गयी हैं और उसमें जो सजायें हैं वह इतने उलझे हुए हैं कि हमारे विभाग स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसकी कार्यवाही की जानी चाहिए, यह इसमें जिला अधिकारी के माध्यम से इस पर कार्रवाई होती है। उनकी अध्यक्षता में होती है। जहां तक इस वित्तीय वर्ष में और पिछले तीन वित्तीय वर्षों में सरकार ने अब तक प्रदेश में विभाग के पास किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने अल्ट्रासाउण्ड वहां पर इस का नर्सिंग होम हैं, जहां पर इसकी जांच कर सूचना अवैध रूप से दी जा सकती है, उसकी संख्या कितनी है। हमने वह संख्या पता की है। अभी वर्तमान में पिछले महिने तक की रिपोर्ट के आधार पर 4891 ऐसे सेन्टर हैं जहां पर प्राईवेट नर्सिंग होम में अल्ट्रासाउण्ड लगे हुए हैं। वहां पर नियमित निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। हम लोग वहां नियमित कार्यवाही और मानीटरिंग भी करवा रहे हैं। यह मैने पहले ही कह दिया कि कन्या भ्रूण हत्या एक सामाजिक अपराध जब तक अपराध बोध समाज में नहीं होगा, केवल पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट के सहारे इसकी रोक मुकम्मल तौर पर लागू नहीं कर सकते। सरकार इसके लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है और अपनी जिम्मेदारी पूरी क्षमता के साथ कर रही है।

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

यह जो पी0सी0पी0एन0डी0टी0 ऐक्ट का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है और यह भी कहा कि यह इतना उलझा हुआ ऐक्ट है कि उसी से उलझ कर माननीय मंत्री जी रह गये हैं या विभाग उलझ कर रह गया है जिससे कोई सख्त कार्यवाही नहीं हो पा रही हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इस मकड़ जाल से या उलझन से निकलने के लिए आप या विभाग कुछ कर रहा है। माननीय मंत्री जी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही कर रहे है और यह भी बताने की कृपा करें कि इन सारी उलझनों के रहते हुए भी आप क्या कर सकते हैं और आपने क्या किया है ? आपने बताया कि इतने लोगों का हमने पता कर लिया और उसकी मानीटरिंग हम जिला अधिकारी के माध्यम से करते हैं। जिला अधिकारी को तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है और आप जिला अधकारी के माध्यम से इसकी मानीटरिंग करवा रहे हैं तो यह कैसे सम्भव होगा।

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, जिला अधिकारी के माध्यम से मानीटरिंग नहीं, मानीटरिंग हमारा विभाग करता है। उसमे जो केस होते हैं या इस तरह के जो मामले प्रकाश में आते है उसके लिए कार्यवाही के लिए एक क्लाज है, उसका हवाला दिया है। जहां तक कार्यवाही करने की बात है, हम लोगों ने कोशिश किया है और उसी कोशिश के तहत 143 केस अब तक एफ0आई0आर0 और अण्डर ट्रायल हैं और उसमें कुछ लोगों को दण्डित भी किया गया।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

माननीय मंत्री जी से जो प्रश्न किया गया था उसमें माननीय मंत्री जी ने समाज के ऊपर जिम्मेदारी डालते हुए अपनी जिम्मेदारी को कम करने का प्रयास किया। यह सही भी है, समाज की भी जिम्मेदारी है, लेकिन समाज की जिम्मेदारी होने के नाते सरकार अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकती। हमारे छोटे–छोटे दो प्रश्न है, पहला यह कि लिंगानुपात के जो आकड़े आये है उन आकड़ों में कुछ जनपदों में यह डिफरेन्स बहुत ज्यादा है, क्या जहां बहुत ज्यादा अनुपात के 05,10,15 जिले हैं, उनमें एक सघन अभियान चलाया जा सकता है कयोकि अगर वहां अनुपात ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि वहां नियम का उल्लंघन हो रहा है, उन जनपदों में चिन्हित करके एक सघन अभियान चलाया जाये जिससे लिंगानुपात को उन जनपदों में नियंत्रित किया जाये। दूसरा प्रश्न यह है कि सरकार को यह चिन्ता है कि जो अभी पिछले दिसम्बर माह में बैठक हुई थी, लखनऊ में सेमीनार हुआ था जो चाइनीज काम्पैक्ट अल्ट्रा साउण्ड मशीन है वो इस प्रक्रिया में बहुत कारगर साबित हो रही है भ्रूण हत्या करने वालों के लिए। जो रजिस्ट्रेशन अल्ट्रासाउण्ड सेन्टरों की सरकार करती है, उसमें इस तरह की मशीनों का प्रयोग वर्जित करने के लिए उनको यह लाइसेन्स तभी दे जब उसमें इस तरह की मशीने न रखी जायें, क्या सरकार इस पर कार्य करेगी ? क्योंकि सरकार की व्यवस्था हमने

देखी है, जो पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सेल है, उसमें मात्र दो कर्मचारी हैं। दो कर्मचारियों की बदौलत यह पूरा विधेयक, अधिनियम, कानून चल रहा है। तो यह दो सवाल मेरे हैं, इनका उत्तर मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 अखिलेश प्रताप सिंह जी ने बहुत ही सही बात कही है और हम आपकी बात से इक्तेफाक रखते हैं, जहां भी जिन 15 जनपदों के बारे में बताया कि वहां पर लिंगानुपात का अन्तर अधिक है, आपने सवाल किया कि क्या वहां पर सघन अभियान चला कर के उस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार कोई कार्रवाई करेगी। सरकार इसके लिए चिन्तित भी है और हम आपके विचार से अपने को सम्बद्ध करते हैं और यह आश्वासन देना चाहते हैं सदन को कि ऐसे जो 15 जनपद जिनका नाम हमें भी पता है वैसे आप भी देना चाहें तो दे दें, हम उन पर सघन अभियान चलायेंगे और उस पर प्रभावी नियंत्रण की कार्रवाई भी करायेंगे एक बात। दूसरी बात जहां तक चाइनीज मशीन के बारे में आपने कहा कि उसके द्वारा जांच से पता चल जाता है, जांच तो अल्ट्रासाउण्ड मशीन के द्वारा पता चल जाता है, आपने जिस मशीन का हवाला दिया है ऐसी मशीनों का हम यह कहकर के उनको वर्जित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हाईटेक्निक की जो मशीनें आ रही हैं उनको हम यह कह कर नहीं रोक सकते कि आप वहां जांच इस तरह करेंगे, हम उन पर यह प्रतिबन्ध जरूर लगायेंगे कि जहां भी इस तरह की मशीनें हैं, उन मशीनों का जहां सेण्टर हैं उन पर विशेष निगरानी रखा जाय, धन्यवाद।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने सदन में इस बात को कहा कि यह ऐक्ट बहुत उलझाऊ है, यह सरकार का बयान है। यही ऐक्ट पूरे देश में लागू है, यह उत्तर प्रदेश का ऐक्ट नहीं है, पूरे देश में यह लागू है। आज तक यह सुनने में नहीं आया किसी प्रदेश से आवाज नहीं उठी कि यह ऐक्ट उलझाऊ है और बहुत लचीला है और इसी ऐक्ट के रहते हुए अन्य प्रदेशों में लिंगानुपात में बहुत क्रान्तिकारी परिवर्तन किये गये। जो मा0 मंत्री जी ने आंकड़े दिये हैं मा0 अध्यक्ष जी अगर आप इसको देखें तो 2010–11 में 943 2011–12 में 944 और 2012–13 में 946 यानी दिन भर चले अढ़ाई कोस। सरकार अगर महसूस करती थी कि ऐक्ट प्राविधान इसके सही नहीं हैं, तो तीन साल बाद सरकार को यह कहने की जगह पर कि ऐक्ट उलझाऊ है, सरकार को भारत सरकार को लिखना चाहिए था, इस ऐक्ट में परिवर्तन के लिए या स्वयं अपने आधार पर हमें यह अधिकार है कि हम इन ऐक्ट में परिवर्तन कर सकें । मैं जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी की क्या यह सचमुच मंशा है कि यह ऐक्ट उलझाऊ है या इस सदन को उलझाना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि यह ऐक्ट उलझाऊ है, अन्यथा तीन साल में कौन–कौन से ऐक्ट के प्राविधान उलझाऊ महसूस हुए हैं, कृपया इस सदन को बतायें और उन ऐक्ट में परिवर्तन करने के लिए मा0 मंत्री जी क्या कर रहे हैं, सदन को इससे अवगत करायें।

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो मेरी बात पर कहा कि यह ऐक्ट उलझाऊ है, हमारे कहने की मंशा यह नहीं थी कि ऐक्ट में विवाद करना चाहते हैं, हमारी सिर्फ मंशा यह है कि इसके क्लाज व्यवहारिक रूप से होने चाहिए। हम यह कहना चाहते हैं कि इसी ऐक्ट के रहते हुए भी जो भी लचीलापन है, लचीलापन से मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उसका सहारा लेकर के जो इस तरह के अपराधन करने वाले लोग हैं, वह इससे बच निकलते हैं। जहां तक जो तीन साल का हमने आंकड़ा दिया है, उस आंकड़े से सरकार के प्रयास से यह जो 943 का आंकड़ा था लिंगानुपात था 2010–11 में वह 2012–13 में लिंगानुपात 946 हुआ जिसको आपने दिन भर चले अढ़ाई कोस कहा है, मा0 डाक्टर साहब, लेकिन यह तीन अन्तर जो आया हुआ है 943 के बजाय 946 इस तीन साल के अन्तर में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 20 करोड़ की आबादी में यह छः लाख का अन्तर आया है, तो इसके लिए सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

मान्यवर, मैं बहुत छोटे–छोटे दो सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी। देखिये, भारत वर्ष विश्व के उन 10 देशों में आता है जबकि 6.5 प्रतिशत शिशु मृत्यु दर है और इसमें उत्तर प्रदेश के हालात अच्छे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 13 जनवरी को 2015 में सरकार को निर्देशित किया कि जितने भी पी0सी0पी0एन0डी0टी0 के केसेज हैं, उनका आप त्वरित निस्तारण करिये। एक सवाल तो यह कि उसके सन्दर्भ में क्या हो रहा है? दूसरी बात यह कि 2011 के सेन्सेस में यह स्पष्ट था कि 15 अंक पेरीनेटर यानी 0 से 4 महीने के अन्दर जो बच्चों की मृत्युदर है पेरीनेटर, उसमें 15 प्वाइण्ट का डिप आया है तो क्या उसमें कोई सुधार है और एक अन्य छोटा सवाल कि बागपत इस मामले में हमारा सबसे बुरा जनपद था और जहॉ 1000 मेल पर 848 फीमेल बच्चे थे तो क्या वहॉ कुछ सुधार हुआ है? पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा भ्रष्ट है।

श्री अध्यक्ष–

आप यह सब भाषण स्वास्थ्य विभाग के बजट में करियेगा।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

मान्यवर, क्या वहां पर इसके लिये कोई विशेष प्राविधान या प्रायोजन हो रहा है या नहीं। मैं इतनी आपसे जानकारी चाहूंगी।

श्री शंख लाल मांझी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बता दिया है और मा0 अखिलेश प्रताप सिंह जी के प्रश्न के उत्तर में मैंने कह दिया है कि जो जनपद अति गम्भीर हैं, जहां का सूचकांक अति संवेदनशील है वहां पर हम गंभीरता से और अधिक ध्यान देते हैं। उन जनपदों के लिये हम कार्यवाही करायेंगे, मॉनीटरिंग करायेंगे, कार्यवाही भी करायेंगे। जहां तक आपने आंकड़ों के बारे में बताया है तो हमने आपको आंकड़े पहले ही दे दिये हैं।

प्रदेश में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति की समस्या का निराकरण करने हेतु सरकार की योजना

'03–श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री सतीश महाना, श्री सुरेश राणा, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री दीपक पटेल, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री उपेन्द्र तिवारी, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल तथा श्री मनीष असीजा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मांग के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न होने के कारण प्रदेश के देहात के क्षेत्रों में लगातार 20 घण्टों तक की बिजली कटौती तथा शहर के क्षेत्रों में 10 घण्टें की कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त समस्या के निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यासर शाह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति घोषित रोस्टर के अनुसार ग्रामीण स्तरीय क्षेत्र को 10 घण्टे तहसील स्तरीय क्षेत्र को 12 घण्टे, जनपद व समकक्ष स्तरीय क्षेत्र को 15 घण्टे, मण्डल स्तरीय क्षेत्र को 18 घण्टे, महानगर स्तरीय क्षेत्र को 20 घण्टे, बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 15 घण्टे, औद्योगिक एवं ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र को 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष जी, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और उत्तर प्रदेश में 1989 के बाद 1992 से कई सरकारें आईं तब से पूरे प्रदेश में बिजली का संकट है और 1992 के बाद से अब तक बिजली व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। यह जो सरकार का स्पष्ट जवाब आया है कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति रोस्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घण्टे, तहसील में 12 घण्टे और मण्डल में 18–20 घण्टे है। मान्यवर, बिजली पर सब कुछ आधारित है, छात्रों की पढ़ाई और किसानों की सिंचाई और इतने महत्वपूर्ण इश्यू पर अब तक सरकार का कोई गंभीर कदम पिछले 1989 के बाद से किसी सरकार का, गैर कांग्रेसी सरकारों का नहीं दिखा है जो इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं सरकारों को बिजली के प्रति उदासीनता रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल पूछिये न, बहुत थोड़ा समय बचा है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से बहुत छोटे–छोटे दो–तीन सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप एक सवाल कर लीजिये, बाकी और लोगों को करने दीजिये, बहुत सदस्य हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट का समय और लूंगा। मान्यवर, जब देश में लोक सभा चुनाव चल रहे थे ख ग ग ग ,

श्री अध्यक्ष–

इसका इस सवाल से क्या मतलब है, आप बहुत घुमाफिराकर सवाल पूछते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, एक मिनट सुन लीजिये और अमित शाह जी ने दिल्ली के चुनाव में कह दिया कि यह चुनावी जुमला है। वही स्थिति इस सरकार की है जो पिछले समय से लगातार इस बात को कह रही है कि हम प्रदेश में बिजली देंगे।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने से उत्पन्न शोर के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

लल्लू जी, जब आपको सवाल नहीं पूछना है तो आप और लोगों को सवाल पूछने दीजिये न।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिये। मा0 अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में 25 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत है।

(शोर के मध्य)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, सरकार इस प्रदेश को बिजली नहीं दे पा रही है। सरकार इस सदन को बरगलाना चाहती है। बिजली व्यवस्था आज से 03 साल पहले भी खस्ता थी और आज भी है। सरकार इस सदन को बरगलाना चाहती है आज से तीन साल पहले भी बिजली 3100 दी जा रही थी और आज भी 3100 ही दी जा रही है।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने के कारण व्यवधान की स्थिति)

(व्यवधान)

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल–

सरकार इस सदन को बरगलाना चाहती है। सरकार यह कह रही है कि हम 16 घंटे बिजली दे रहे हैं। सच्चाई यह है कि आज भी शहरों में 8 घंटे भी बिजली नहीं

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मिलती है। सवाल यह है कि सरकार इस सच्चाई को छुपाना क्यों चाहती है ? इस मुद्दे पर सरकार को सच्चाई बतानी होगी।

(विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने के कारण शोर की स्थिति)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग प्रश्न तो पूछने दीजिए।

श्री अजय कुमार ''लल्लू''–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को बिजली उत्पादन के लिए थर्मल पॉवर परियोजना में कितना कोयला दिया जा रहा है और उस कोयल में अब तक कितनी बिजली पैदा हुई है और कितनी परमिट को दी जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बतायेगी कि ट्रान्समीशन, डिस्ट्रीब्यूशन 25 से 30 प्रतिशत है, और पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली किसी को नहीं मिल पा रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाएं।

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो उत्तर आया है कि माननीय अध्यक्ष जी इसमें कहा है कि रोस्टर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र को 10 घण्टे बिजली दी जा रही है। तहसील क्षेत्र को 12 घण्टे दी जा रही है, जनपद स्तरीय क्षेत्र को 15 घंटे दी जायेगी, महानगर स्तरीय क्षेत्र को 20 घंटे तथा ताज ट्रिपोजियम क्षेत्र आगरा में 24 घंटे दी जा रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में केवल कन्नौज, इटावा में 24 घंटे बिजली दी जायेगी, रामपुर में भी 24 घंटे बिजली दी जायेगी तो मान्यवर, यह एक तरह से प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है।

(सरकार विरोधी नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के श्री सतीश महाना अपने दल के साथ सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का जो उत्तर है, वह तथ्यों से परे है, चूंकि यहां पर आगरा जो ताज ट्रेपोजियम क्षेत्र है। हमारे कई माननीय विधायक सदन के अंदर मौजूद हैं और इसके पहले भी मान्यवर, आगरा के माननीय सदस्यों ने इसी मामले को कि ताज ट्रेपोजियम जहां पर 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए वहां पर 10–10 घंटे की बिजली कटौती होती है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में 3 घंटे, 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती, क्योंकि ज्यादातर माननीय सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। जहां तक ताज ट्रेपोजियम की बात है आप के सामने आज कई विधायक बैठे हुए हैं जो इस बात का सीधे–सीधे प्रमाण है कि उनके यहां 10–10 घंटे बिजली कटौती होती है। मान्यवर, यह सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की गई है। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें और इसकी सही जानकारी अपने कार्यालय के माध्यम से या माननीय सदस्यों की समिति को निश्चित

करके इस बात का पता कर लें। यह जो भी इन्होंने उत्तर दिया है यह इनकी शेड्यूल सूची हो सकती है, जो इन्होंने कागज में बनाया होगा लेकिन व्यावहारिक रूप से इस तथ्य का कोई तालमेल नहीं है। मान्यवर, यह सदन को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हम समझते हैं कि सरकार को सदन को गुमराह करने का कोई अधिकार नहीं है। सदन के माध्यम से पूरी जनता की ऑख में धूल झोंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जनता इसको देख रही है और जो भी सदन के अन्दर हो रहा है यह उचित नहीं है। माननीय सारे सदस्यों के मन में पीड़ा इसीलिए है क्योंकि सारे सदस्य अपने–अपने क्षेत्रों में बिजली कटौती से पीड़ित हैं इसीलिए मैं चाहूंगा, इस पर आपका संरक्षण चाहिए और इस पर उचित उत्तर दिलाने के लिए आप निर्देश देने का कष्ट करें।

श्री यासर शाह–

मान्यवर, एक बात मैं भी कहना चाहता हूं कि व्यावहारिक रूप से सारी चीजे बहुत कठिन थी 25 हजार करोड़ बकाया छोड़कर गयी थी पिछली सरकार उसको पाटना भी बहुत मुश्किल था। व्यावहारिक रूप से जो कमियां हमारे प्रदेश में हैं बिजली उत्पादन क्षेत्र में, ट्रांसमीशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में उसको सही करना भी बहुत मुश्किल काम है यह सरकार इस बात के लिए सुनिश्चित करेगी कि 2016 में ...

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके दल के अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री यासर शाह–

आप जवाब सुनिये, आपको जवाब सुनना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, जवाब सुनने की हिम्मत होनी चाहिए इनके अन्दर।

(बसपा के माननीय सदस्य नारे लगाते हुए सदन के वेल में आ गये जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री यासर शाह–

यह गलत तरीका है माननीय अध्यक्ष जी, वेल में आकर के यह बताना, यह पिछली सरकार अपने गुनाहों को छिपाने की हरकते कर रही है। यह काफी पाप करके गये हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाये उसका जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे हैं जवाब सुनना चाहिए। बात यह कही गयी कि 25 हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गये थे, 25 हजार करोड़ का कर्ज छोड़कर गयी थी बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार इसका उत्तर नहीं दिया नेता प्रतिपक्ष ने, 25 हजार करोड़ का, 25 हजार करोड़ का कर्ज छोड़कर गये थे, 25 हजार करोड़ का पाप छोड़कर गये थे

यह लोग, 25 हजार करोड़ का कर्ज छोड़कर गयी थी यह बहुजन समाज पार्टी की सरकार।

श्री अध्यक्ष–

आगे निधन का निदेश है, आप लोग अपने अपने आसन पर चलिये।

(सदन की वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे)

श्री मोहम्मद आजम खां–

खूब चलेगी, खूब चलेगी।

श्री अध्यक्ष–

आगे निधन का निदेश है। आप लोग अपने अपने आसन पर चलिये।

(श्री अध्यक्ष के आग्रह पर वेल में आये हुए सदस्य अपने अपने आसन पर वापस चले गये)

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने अभी एक सवाल रखा था चूंकि सुचारु रूप से सदन चले इसलिए नेता प्रतिपक्ष को यह अधिकार है कि वह जिस समय चाहे अपनी बात कह सकते हैं, विपक्ष की बात कह सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बिजली से संबंधित एक प्रश्न रखा है संबंधित मंत्री उसका जवाब देने के लिए खड़े हुए वह जवाब नहीं सुना गया और सदन को अव्यवस्थित कर दिया गया क्या यह उचित है ? अगर यह उचित नहीं है तो मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष को यह अवश्य बताना चाहिए कि उनका जवाब न सुनने के पीछे क्या कारण था।

श्री अध्यक्ष–

चलिये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, नहीं, मेरा निवेदन है कि नेता प्रतिपक्ष का पद बहुत जिम्मेदारी का है विपक्ष की तरफ से उन्होंने एक बात रखी है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य और श्री इन्द्रजीत सरोज के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

एक तरफ की बात, नहीं मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने अपनी बात रखी है आपको सरकार की बात सुनना पड़ेगी, सरकार का जवाब सुनना पड़ेगा, 25 हजार करोड़ रुपये का यह कर्ज छोड़कर गये, लूटकर खा गये पूरे समाज को, शक्कर के कारखाने बेच दिये इन्होंने, 25 हजार करोड़ रुपया गरीब जनता पर बोझ डालकर गये और लूट लिया पूरे प्रदेश को बहुजन समाज पार्टी को यह सुनना पड़ेगा, यह सुनना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को कि 25

हजार करोड़ रुपये का कर्ज छोड़कर गये थे यह, इनके पाप धो रहा है, उत्तर प्रदेश इनके पाप धो रहा है यह सुनना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल निधन का निदेश है, ले लेने दीजिए, हो गया बहुत।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष अपने अधिकारों का नाजायज इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह पच्चीस हजार करोड़ रुपये का कर्ज प्रदेश की जनता पर छोड़कर गये हैं, यह पूरे समाज को लूट कर गये हैं, गरीब जनता पर बोझ डालकर गये है। इनके द्वारा किये गये पाप पूरा समाज ढ़ो रहा है, इन्हें यह सुनना पड़ेगा।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री इन्द्रजीत सरोज एवं बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों द्वारा अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर व्यवधान)

नत्थी 'ग'

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में यमुना नदी पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाये गये केबिल स्टेड ब्रिज के पिलर संख्या–17 और 18 में आयी दरार की जांच

'01–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12–08–2014 जो इलाहाबाद में यमुना नदी पर बने नये केबिल स्टेडपुल के पिलर नं0–17 एवं 18 में आयी दरार से उत्पन्न सम्भावित खतरे के सम्बन्ध में है, पर वर्ष 2014 में बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

इलाहाबाद में यमुना नदी पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाये गये केबिल स्टेड ब्रिज के पिलर संख्या–17 और 18 में आयी दरार की जांच हेतु प्रमुख अभियन्ता, परिवाद 'ख' लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा एक कमेटी गठित की गयी। कमेटी द्वारा दिनांक 08–01–2015 को स्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण में पाया गया कि पिलर संख्या–17 एवं 18 में कोई भी क्रेक, यमुना नदी के जल स्तर के ऊपर दृष्टिगोचर नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जीवन रक्षा हेतु पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत डायलिसिस केन्द्र खोले जाने की मांग

'02–श्री मनीष असीजा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जीवन रक्षा हेतु नियमित रूप से डायलिसिस पर निर्भर रोगियों को प्राइवेट चिकित्सा क्षेत्र में नियमित रूप से डायलिसिस करवाने पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है ?

यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे रोगियों को राहत प्रदान करने हेतु पी0पी0पी0 माडल के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रदेश में डायलिसिस केन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)–

जी हां।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालय परिसर में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों (डायलिसिस मशीन) को पी0पी0पी0 मोडल स्थापित किये जाने हेतु ''उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु सार्वजनिक निजी सहभागिता (पी0पी0पी0) नीति के सम्बन्ध में'' विषयक शासनादेश संख्या–164/पांच–1–2014–5(26)/2012, दिनांक 04–03–2014 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 के उप प्रस्तर (2.2) श्रेणी–प में डायलिसिस सेन्टर आदि का संचालन, प्रबन्धन एवं सर्विस अनुबन्ध के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

'03–श्री सतीश महाना–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

उ0 प्र0 जनहित गारन्टी अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अन्तर्गत जनहित से जुड़ी सेवाओं से विभागों को अधिसूचित करके जनता को राहत पहुंचाने का प्रकरण

'04–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनहित गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत कितने सरकारी विभाग ऐसे हैं जिनको अधिसूचित नहीं किया गया है तथा इसमें से कितने विभाग ऐसे हैं जिसमें जनहित से जुड़ी सेवाओं का समावेश है ? क्या सरकार उनको भी अधिसूचित करके जनहित में जनता को राहत पहुंचायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

उ0 प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अन्तर्गत 62 विभागों की सेवाएं अधिसूचित नहीं की गयी हैं। उक्त 62 विभागों में से 31 विभागों द्वारा उनकी सेवाएं जनहित से जुड़ी न होने के कारण अधिसूचित नहीं की गई हैं। शेष 31 विभागों की सूचना प्राथमिकता के आधार पर एकत्र की जा रही है।

उ0 प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अन्तर्गत सम्बन्धित विभागों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथा समय विचार कर उनकी सेवाओं को अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों/नगरों में शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सरकारी कार्य योजना की जानकारी

'05–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों/नगरों में शहरी गरीबों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थापित अर्द्ध विकसित मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य की मूलभूत सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु लिये गये निर्णय के क्रम में चिकित्सा अनुभाग–9 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–1684/5–9–2013–9 (186)/13, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त शहरों एवं कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया जायेगा तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में विगत पांच वर्षों से हो रही लाइन हानि, विद्युत चोरी रोकने का अभियान चलाकर रोकने का सरकार की योजना

'06–श्री दलवीर सिंह, डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत पांच वर्षों में विद्युत विभाग की वर्षवार लाइन हानि क्या रही है तथा इसमें वर्षवार कितनी कमी आयी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि लाइन हानि को और कम करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

विगत पांच वर्षों में लाइन हानियों तथा उसमें आई कमी का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	लाइन हानियां	लाइन हानियों में कमी
2009–10	26.91	––
2010–11	27.62	–0.71
2011–12	27.92	–0.30
2012–13	27.21	0.71
2013–14	25.89	1.32
2014–15 (माह 11/14	24.64	1.25

तक)		

जी हां, लाइन हानि को और कम करने के लिये सरकार द्वारा विद्युत चोरी रोकने सम्बन्धी अभियान, सुविधापूर्वक नवीन कनेक्शन निर्गत करने की व्यवस्था, अन्डर ग्राउन्ड केबल का कार्य, फीडरवार उपभोक्ताओं की जांच तथा एरियल बन्च कन्डक्टर की स्थापना आदि किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

'07–श्री सुरेश राणा–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के मानक एवं आधार निर्धारित करने की जानकारी

'08–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014 में प्रदेश में अवर्षण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के 44 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था ? यदि हां, तो जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किये जाने के क्या मानक एवं आधार निर्धारित किये गये हैं ? क्या ऐसे मानकों की पूर्ति होने पर कुछ अन्य जिले भी सूखाग्रस्त घोषित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

वर्ष 2014 में अवर्षण की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के 58 जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय दैवी आपदा राहत समिति की दिनांक 01–09–2014 व 08–09–2014 को हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार 50 प्रतिशत से कम वर्षा वाले 44 जनपदों को शासनादेश संख्या–318/1–11–2014–18 (जी)/2006, दिनांक 16–09–2014 द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। पुनः मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय दैवी आपदा राहत समिति की दिनांक 29–10–2014 को हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार 60 प्रतिशत से कम वर्षा वाले 14 जनपदों को शासनादेश संख्या–456/1–11–2014–18 (जी)/2006, दिनांक 17–11–2014 द्वारा सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुतियानुसार ही जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के जिला अस्पतालों में हड्डी के रोगियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नेल एड सेर तथा अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने विषयक

'09–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के मण्डलीय चिकित्सालय सहित प्रदेश के जिला अस्पतालों में भी हड्डी के रोगियों को बिना चीरे वाले राड को (नेल) लगाने के लिये मशीन ही नहीं है और राड भी मरीजों को स्वयं ही खरीद कर लाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोगियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नेल एड सेट तथा अन्य आवश्यक उपकरण प्रदेश के जिला अस्पतालों में उपलब्ध करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जी हां।

शासनादेश संख्या–41/932/पांच–6–14–2 (उपकरण)/13, दिनांक 10–09–2014 द्वारा प्रदेश के 37 अन्य चिकित्सालयों के साथ ही साथ एस0एस0पी0जी0 मण्डलीय जिला चिकित्सालय, वाराणसी हेतु एक नग सी–आर्म मशीन (कुल 38) की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है जिसके अनुपालन में महानिदेशक के पत्र संख्या–8फ/क्यू0सी0–638/2990, दिनांक 07–10–2014 द्वारा सी–आर्म मशीनों के क्रय आदेश जारी कर दिये गये हैं। शीघ्र ही वाराणसी सहित प्रदेश के 38 चिकित्सालयों में सी–आर्म उपलब्ध करा दी जायेगी।

आर्थोपेडिक सर्जरी के लिये आवश्यक सर्जिकल उपकरण नेल एड राड मरीजों को उपलब्ध कराने के लिये महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के पत्र दिनांक 16–02–2015 द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फाइलेरिया से बचाव के लिये चलाये जा रहे एम0डी0ए0 कार्यक्रम में चिन्हित रोगियों की खोज एवं उपचार का उपाय

'10–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फाइलेरिया से बचाव के लिये चलाये जा रहे एम0डी0ए0 कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 दिसम्बर, 2014 तक कितने रोगी चिन्हित हुए, उनके इलाज में कितना धन खर्च हुआ और कितने रोगी स्वस्थ हुए ? क्या सरकार के संज्ञान में फाइलेरिया बचाव के एम0डी0ए0 कार्यक्रमों में गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे ठीक ढंग से चलाने का उपाय सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां, एम0डी0ए0 कार्यक्रम में विगत दो वर्षों तथा चालू वर्ष में निम्नवत् रोगी चिन्हित हुये :–

क्र0सं0	वित्तीय वर्ष	एम0एफ0 धनात्मक रोगी	हाइड्रोसील रोगी
1	2012–13	356	2076
2	2013–14	293	1899
3	अप्रैल, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक	223	1275

उक्त रोगियों की खोज एवं उपचार के परिपेक्ष्य में एम0डी0ए0 कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिससे इन रोगियों से अन्य स्वस्थ व्यक्तियों में रोग न फैल सके। अस्तु खोज एवं उपचार सम्बन्धित समस्त एम0डी0ए0 क्रिया–कलापों में वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में क्रमशः रु0 2,57,23,600.00 व 7,12,80,000.00 व्यय हुआ तथा वर्ष 2014–15 में फाइलेरिया कार्यक्रम हेतु माह दिसम्बर, 2014 में भारत सरकार द्वारा रु0 1018.95 लाख प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष रु0 837.39 लाख की धनराशि मिशन निदेशक, उ0 प्र0 के माध्यम से जनपदों को दिनांक 04–12–2014 को प्रथम चरण में अवमुक्त किया गया है। वर्ष 2012–13, 2013–14 एवं अप्रैल, 2014 में दिसम्बर, 2014 तक क्रमशः 2432, 2192 एवं 1498 फाइलेरिया रोगियों को उपचारित किया गया।

विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा किये गये एम0डी0ए0 निरीक्षण में कतिपय अनियमितताएं परिलक्षित हुई तथा इन अनियमितताओं के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

'11–श्री जय प्रकाश निषाद–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

प्रदेश में वर्ष 2012 मार्च से वर्ष 2015 जनवरी तक कर्ज के कारण किसानों के आत्महत्या के प्रकरणों की जानकारी तथा कर्ज माफी की मांग

'12–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में मार्च, 2012 से जनवरी, 2015 तक कितने किसानों द्वारा कर्ज के कारण आत्महत्या करने के मामले प्रकाश में आये हैं ? क्या सरकार उक्त आत्महत्याओं को रोकने के लिये प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रदेश में मार्च, 2012 से जनवरी, 2015 तक किसी भी किसान द्वारा आत्महत्या करने का कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है।

जहां तक कर्ज माफी का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सहकारिता विभाग के पत्र संख्या–728/49/1–13–08 (135)/12, दिनांक 22–04–2013 द्वारा निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि 50,000/– तक स्वीकृत मूलधन के रूप में ऋण प्राप्त करने वाले कृषक, जिनके ऋण खाते में लिये गये ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत तक की धनराशि किसी भी रूप में (यथा–नगद जमा, अनुदान, पूर्व में दी गयी ऋण माफी, लाभांश तथा बीमा क्लेम से प्राप्त धनराशि) जमा हो, उनके दिनांक 31–03–2012 तक के अवशेष मूलधन एवं शासन द्वारा ऋण माफी की धनराशि उपलब्ध कराये जाने की तिथि तक के ब्याज को माफ किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के गांवों में विद्युत ओवर लोडिंग के कारण बार–बार ट्रान्सफार्मर फुंकने की रोकथाम हेतु ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि की कार्य योजना

'13–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गांवों के अन्दर विद्युत ओवर लोडिंग के कारण बार–बार फुंक रहे ट्रान्सफार्मरों को फुंकने से रोकने के लिये क्या सरकार ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि की कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश के गांवों में विद्युत ओवर लोडिंग के कारण बार–बार ट्रान्सफार्मर फुंकने की रोकथाम हेतु परिवर्तकों की क्षमता बढ़ाना एक सतत् प्रक्रिया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ट्रान्सफार्मर की क्षमता से अधिक विद्युत संयोजन हो जाते हैं, उनमें बिजनेस प्लान के अन्तर्गत ट्रान्सफार्मर की क्षमतावृद्धि की कार्यवाही की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत भी ग्रामों में लाइनों एवं परिवर्तकों के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है। जिसे स्वीकृति हेतु भारत सरकार भेजा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की विभिन्न प्रभावी योजनाओं का विवरण

'14–श्री धर्मपाल सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोई प्रभावी योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)–

जी हां।

पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पेईंग गेस्ट योजना, उ0 प्र0 बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना, हेरिटेज वाक आदि प्रदेश के चिन्हित स्थलों पर लागू की गयी है। उक्त के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा हेरिटेज आर्क, वायु सेवा का संचालन किये जाने, विश्व

बैंक सहायतित प्रो–पुअर टूरिज्म डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, रोप–वे सुविधा, कुशीनगर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे एवं ताज अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण आदि की कार्यवाही भी प्रचलन में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना उत्पादन हेतु गन्ने के पौधे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु टिश्यू कल्चर पद्धति के प्रयोग के सन्दर्भ में नीति का निर्धारण

'15–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना उत्पादन हेतु पूरी मात्रा में गन्ने के पौधे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या सरकार ने टिश्यू कल्चर पद्धति के प्रयोग के सन्दर्भ में कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्तमान में उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद् द्वारा प्रतिवर्ष नवीन प्रजातियों का लगभग 15–20 लाख कुं0 ब्रीडर सीड उत्पादन करके गन्ना विकास विभाग के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। उ0 प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर द्वारा नवीन गन्ना प्रजातियों का बीज टिश्यू कल्चर पद्धति से प्रायोगिक तौर पर एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादित किया गया है, जिसका वितरण बीज सम्बर्द्धन के लिये किया जाना प्रस्तावित है। टिश्यू कल्चर पद्धति अभी प्रायोगिक चरण में है तथा प्रदेश की जलवायु में विविधता के दृष्टिगत इस पद्धति द्वारा गन्ना बीज सम्वर्द्धन एवं व्यावसायिक खेती किये जाने से सम्बन्धित आवश्यक तकनीकी एवं व्यवहारिक पहलुओं का परीक्षण किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त पहलुओं का व्यापक अध्ययन एवं परीक्षण करने के उपरान्त शासन द्वारा नीति निर्धारित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कालाजार बुखार की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण की योजना

'16–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमन में कालाजार नामक बुखार तेजी से फैल रहा है एवं इस बीमारी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में काफी लोगों की मृत्यु भी हुई है ? यदि हां, तो क्या इसके इलाज के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के केवल जनपद कुशीनगर में गत वर्ष 2014 में कालाजर के कुल 11 रोगी पाये गये हैं तथा इनमें से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई

है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष किसी भी जनपद में कालाजार का कोई भी रोगी नहीं पाया गया है।

प्रदेश में कालाजार रोग से रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राज्य मुख्यालय द्वारा प्रभावी कार्य योजना बनाकर जनपदों को निर्देश प्रेषित किये गये हैं जिसके अनुसार जनपदों द्वारा यथा आवश्यकतानुसार कार्य योजना बनाकर इन रोगों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीर नगर व बस्ती में बाढ़ एवं भयंकर हुदहुद तूफान से हुए फसलों तथा कच्चे मकानों के नुकसान की क्षतिपूर्ति देने की मांग

'17–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल के जनपद गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीर नगर व बस्ती में बाढ़ एवं भयंकर हुदहुद तूफान से हुए फसलों तथा कच्चे मकानों के गिरने से हुए नुकसान की भरपाई के लिये सरकार किसानों को क्षतिपूर्ति देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

बाढ़ एवं भयंकर हुदहुद तूफान से हुये फसलों तथा कच्चे मकानों के गिरने से हुए नुकसान की भरपाई के लिये भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्र संख्या–32–3/2013, एन0डी0एम0–1, दिनांक 21–06–2013 द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार अहेतुक सहायता प्रदान की जाती है।

जनपद गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीर नगर में बाढ़ से फसलों की क्षति 50 प्रतिशत से कम होने के कारण कोई कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं कराया गया।

हुदहुद तूफान से इन जनपदों में प्रभावित आवासीय एवं अनावासीय भवनों की क्षति हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 21–06–2013 द्वारा निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार अहेतुक सहायता प्रदान की गयी है।

जनपद बस्ती में वर्ष 2014–15 की बाढ़ से 390 झोपड़ियां एवं 14 पशुशाला क्षतिग्रस्त पाये गये, जिनके स्वामियों को क्रमशः 11,70,000/– गृह अनुदान तथा रु0 21,000/– पशुशाला की क्षति के फलस्वरूप सहायता प्रदान की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में विद्युत बिल के भुगतान की समस्या से निपटने हेतु प्री–पेड विद्युत मीटर लगवाये जाने की योजना

'18–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में विद्युत बिल के भुगतान की समस्या से निपटने हेतु प्री–पेड विद्युत मीटर लगवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद शाहजहांपुर के गन्ना अनुसंधान केन्द्र को अपग्रेड करने की सरकारी योजना

01–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के गन्ना अनुसंधान केन्द्र को अपग्रेड करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसे कब तक अपग्रेड कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद शाहजहांपुर के गन्ना अनुसंधान केन्द्र को अपग्रेड करने की सरकार की सम्प्रति कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद मुरादाबाद के क्षेत्र कांठ मार्ग से ग्राम फूलपुर भिठनपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराया जाना

02–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में मुरादाबाद–कांठ मार्ग से ग्राम फूलपुर भिठनपुर सम्पर्क मार्ग जर्जर स्थिति में होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा वर्ष 2014 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, जिसमें कांठ मार्ग से ग्राम फूलपुर भिठनपुर सम्पर्क मार्ग के मरम्मत का प्रस्ताव भी सम्मिलित है।

2–वर्ष 2014 की बाढ़ से क्षतियों के दृष्टिगत भारत सरकार को रु0 768.92 करोड़ का बाढ़ मेमोरेण्डम प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर ही राज्य आपदा मोचक निधि के नियमानुसार जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ के ग्राम पैगम्बर निवासी सुखवासी लाल के गाटा नं0–199 एवं गाटा नं0–188 में मौजूदा कब्रिस्तान रिकार्ड में दर्ज किये जाने की मांग

03–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ के ग्राम पैगम्बर निवासी सुखवासी लाल के गाटा नं0–199 एवं गाटा नं0–188 में मौजूदा कब्रिस्तान को सरकारी रिकार्ड में दर्ज करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23–12–2014 जो मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम पैगम्बर सुखवासी लाल तहसील कांठ की भूमि गाटा सं0–188/0.097 हे0 व गाटा सं0–199/0.032 हे0 की श्रेणी बदलकर कब्रिस्तान दर्ज करने की अपेक्षा की गयी है। यह भूमि सरकारी भू–अभिलेखों में श्रेणी–5 (3) बंजर के रूप में दर्ज है। उक्त गाटा संख्याओं में पूर्व से ग्राम के मुस्लिम समुदाय के लोगों की कब्रें बनी हैं तथा उक्त भूमि कब्रिस्तान के रूप में प्रयोग की जा रही हैं। इस भूमि की श्रेणी परिवर्तित किया जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम लोधीपुर राजपूत में आई0एफ0टी0एम0 प्रशासन द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने विषयक पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

04–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के ग्राम लोधीपुर राजपूत में आई0एफ0टी0एम0 प्रशासन द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 03–12–14 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम लोधीपुर राजपूत की खसरा नं0–280 व 281 पूर्ववत् है, इस पर इस प्रकार का कोई अवैध कब्जे का विवाद नहीं है। खसरा नं0–279 रकबा 0.162 हे0 पर ए0एन0एम0 सेन्टर तोड़कर रातों रात अवैध कब्जा का प्रयास किया गया था। इसके सम्बन्ध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा थाना पाकबड़ा में दिनांक 13–11–2014 को अज्ञात लोगों के विरुद्ध एन0सी0आर0 दर्ज कराया गया। जिसे बाद में मुकदमा अपराध संख्या–292/14 धारा–380 आई0पी0सी0 व धारा–03 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम में तरमीम कर दिया गया। जिसकी विवेचना अपराध शाखा, जनपद–मुरादाबाद द्वारा की जा रही है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर चिकित्सा विभाग द्वारा बाउन्ड्री बनाकर

कब्जा वापस प्राप्त कर लिया गया है और ए0एन0एम0 सेन्टर बनाये जाने हेतु आगणन की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ के ग्राम सलेमपुर, ग्राम सिकन्दराबाद एवं ग्राम उमरी चौराहा में ट्रान्सफार्मर लगाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर हुयी कार्यवाही की जानकारी

05–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ के ग्राम सलेमपुर, ग्राम सिकन्दराबाद एवं ग्राम उमरी चौराहा में 100–100 के0वी0ए0 के ट्रान्सफार्मर लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24–12–14 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र के कांठ के ग्राम उमरी चौराहा, सिकन्दराबाद, सलेमपुर में विद्युत ट्रान्सफार्मर लगाने हेतु प्राक्कलन वित्तीय स्वीकृति करना प्रस्तावित था लेकिन उक्त ग्रामों के विद्युत उपभोक्ताओं पर 90 प्रतिशत से अधिक राजस्व बकाया होने के कारण प्राक्कलन स्वीकृति नहीं हो सका। परिवर्तक की क्षमतावृद्धि/अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करने हेतु उपभोक्ताओं का 50 प्रतिशत विद्युत बिल जमा होने की व्यवस्था निर्धारित है जो इस प्रकरण में जमा नहीं है। इसी कारण उक्त ग्रामों के प्राक्कलन की स्वीकृति नहीं हो पायी है। उक्त ग्रामों में विद्युत बकायेदारों से विद्युत बकाया वसूल करने हेतु कई बार कैम्प लगाये गये, परन्तु उपभोक्ताओं द्वारा अपने बकाया बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण विभागीय नियमानुसार उक्त परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि करना सम्भव नहीं है। विद्युत उपभोक्ताओं के बकाया विद्युत बिलों के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना निम्न प्रकार है :–

कुल उपभोक्ता		बकायेदार उपभोक्ता		10 हजार से अधिक के बकायेदार उपभोक्ता		टिप्पणी
सं0	स्वीकृत	सं0	प्रति0	सं0	प्रति0	
104	208 किवा0 प्रत्येक संयोजन–2 किवा0 का	100	96.15	90	86.53	10 उपभोक्ताओं पर 2000 से 4000 के मध्य की धनराशि बकाया

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके नलकूपों को अलग फीडर से जोड़ते हुए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराये जाने की योजना

06–श्री दलजीत सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके नलकूपों को अलग फीडर से जोड़ते हुए पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराये जाने की योजना संचालित है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

बुन्दलेखण्ड के किसानों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके नलकूपों को अलग फीडर से जोड़ने की डी0पी0आर0 बनाई जा रही है तथा भारत सरकार से अनुमोदन एवं धन की उपलब्धता होने पर क्रियान्वयन कराना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लो–वोल्टेज तथा बिजली की कमी की वजह से रबी की फसल हेतु पलेवा व सिंचाई न होने की समस्या तथा निदान की कार्यवाही की मांग

07–श्री दलजीत सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लो–वोल्टेज तथा बिजली की कमी की वजह से रबी की फसल हेतु पलेवा व सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लो–वोल्टेज की समस्या को दूर करने तथा समुचित बिजली आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में रोस्टर के अनुसार 14 से 15 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

विद्युत आपूर्ति और सुदृढ़ की दिशा में झांसी क्षेत्र झांसी में जनपद झांसी ललितपुर एवं जालौन में क्रमशः 3, 5 एवं 5 कुल 13 न0 बिजलीघर बिजनेस प्लान वर्ष 2014–15 के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सितम्बर, 2014 में की गई बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी को कम करने की मांग

08–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सितम्बर, 2014 में की गई बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी को कम करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत दरों का निर्धारण उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा–62, 64 में दिये गये प्रावधानानुसार लाइसेन्सी के ए0आर0आर0 तथा टैरिफ प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त किया जाता है। आयोग द्वारा उपरोक्त दर निर्धारण में लाइसेन्सी का हस्तक्षेप नहीं होता है।

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड भोजपुर में ग्राम भोजपुर से फरीदनगर होते हुए पिलखुआ तक मार्ग का निर्माण कार्य पूरा कराया जाना

09–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड भोजपुर में ग्राम भोजपुर से फरीदनगर होते हुए पिलखुआ तक लगभग दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ हुआ सड़क निर्माण कार्य अभी भी धनाभाव के कारण पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग के निर्माण हेतु शीघ्र धन आवंटित कर मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग पर आवंटित धनराशि के सापेक्ष कार्य प्रगति में है। कार्य को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत कादराबाद नाले पर पुलों के निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना

10–श्री सुदेश शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत कादराबाद नाले के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 54.400 के मध्य पुलों के निर्माण की योजना सन् 2012 से स्वीकृत है किन्तु धनाभाव के कारण पुलों का निर्माण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र धन आवंटित कर उक्त पुलों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

प्रश्नगत परियोजना उ0 प्र0 राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्थायी संचालन समिति की 45वीं बैठक दिनांक 06–02–2013 में स्वीकृत की गयी है। इस पर वित्त पोषण हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से अनुरोध किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होने पर अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत हापुड़ मार्ग पर ग्राम गदाना से चपभोला रजवाहे की पट्टी मार्ग तथा मोदीनगर कलछीना मार्ग की मरम्मत का प्रकरण

11–श्री सुदेश शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत हापुड़ मार्ग पर ग्राम गदाना से चपभोला रजवाहे की पटरी मार्ग मोदीनगर कलछीना मार्ग बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन सम्भव नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बम्बे की पटरी मार्ग का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

पटरी मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड मुरादनगर में ग्राम सौदा नहर के पुल से ग्राम डिडौली तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

12–श्री सुदेश शर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड मुरादनगर में ग्राम सौदा नहर के पुल से ग्राम डिडौली तक अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रवासियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मोदीनगर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों का विकास कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्यवाही की जानकारी

13–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मोदीनगर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले ग्रामों का विकास कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्रांक–एम0/301/रालोद/वि0म0द0/2014, दिनांक 23–06–2014 एवं पत्र दिनांक 15–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण द्वारा जिन ग्रामों की भूमि अर्जित की जाती है, उनका ही विकास कार्य किया जाता है। चूंकि मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र में उल्लिखित ग्रामों की भूमि विकास प्राधिकरण द्वारा अर्जित नहीं की गयी है, अतः विकास कार्य कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र के ग्राम चचरी गौटिया, ब्लाक भावलखेड़ा, तहसील सदर के व्यक्तियों को बिना विद्युत उपयोग एवं बिना भौतिक सत्यापन कराये बकाया विद्युत बिल का भेजा जाना, दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

14–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चचरी गौटिया, ब्लाक भावलखेड़ा, तहसील सदर, विधान सभा क्षेत्र 135–शाहजहांपुर में लोगों द्वारा बिना विद्युत का उपभोग किये एवं बिना भौतिक कनेक्शन के ही उन पर हजारों रुपये विद्युत मूल्य बकाया दिखा कर बिल भेजा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त क्षेत्र की शिकायत के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–प्रथम, शाहजहांपुर द्वारा जांच की गयी, जांच में ऐसा कोई प्रकरण पाये जाने की पुष्टि नहीं हुई है।

एन0एच0–91 के गाजियाबाद से अलीगढ़ तक चौड़ीकरण हेतु काटे गये पेड़ों से प्राप्त राजस्व एवं नये पौधों का रोपण

15–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एन0एच–91 के गाजियाबाद से अलीगढ़ तक चौड़ीकरण हेतु कितने वृक्ष काटे गये एवं उससे सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ? क्या काटे गये वृक्षों के स्थान पर नये वृक्षों का वृक्षारोपण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि नये वृक्षों का वृक्षारोपण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

एन0एच0–91 के गाजियाबाद से अलीगढ़ तक चौड़ीकरण के अन्तर्गत गाजियाबाद, बुलन्दशहर एवं अलीगढ़ वन प्रभागों में काटे गये वृक्षों की संख्या एवं उनसे प्राप्त राजस्व का विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रभाग का नाम	काटे गये वृक्षों की संख्या	प्राप्त राजस्व (रु0 में)
गाजियाबाद	147	5,91,808.85
बुलन्दशहर	13,174	1,30,36,392.00
अलीगढ़	3,197	35,22,104.00
योग :–	**16,518**	**1,71,50,304.85**

वर्तमान में बुलन्दशहर वन प्रभाग में काटे गये वृक्षों के स्थान पर 26,906 पौधों का रोपण कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर वन प्रभाग में कुल 89,906 पौधों का वृक्षारोपण कराया जाना है, इसमें से 26,906 पौधों का रोपण अन्य राजपथों के किनारे कराया जा चुका है। शेष 63,000 पौधों के रोपण का कार्य प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण कार्य पूर्ण होने पर एन0एच0आई0 द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने पर किया जायेगा।

गाजियाबाद वन प्रभाग में कुल 5,166 पौधों का रोपण कराया जायेगा। प्रस्तावित 5,166 पौधों के रोपण में से 54 पौधों का रोपण 2015 वर्षाकाल में कराया जायेगा व अवशेष 4,620 पौधों का रोपण प्रस्तावित मार्ग का चौड़ीकरण कार्य पूर्ण होने पर एन0एच0आई0 द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने पर किया जायेगा।

अलीगढ़ जनपद में 8,078 पौधों का रोपण वर्षाकाल 2015 में किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी तथा उसके आस–पास गर्मी के दिनों में डायरिया फैलने के कारणों का पता लगाकर उसकी रोकथाम किया जाना

16–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक वर्ष गर्मी में खासकर माह मई/जून में वाराणसी व उसके आस–पास डायरिया फैलने के कारण जिला अस्पताल वाराणसी व रामनगर डायरिया रोगियों से भरा रहता है

? यदि हां, तो क्या सरकार इस रोग के फैलने के पूर्व ही इसकी रोकथाम की आवश्यक व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

प्रत्येक वर्ष माह मई/जून में वाराणसी व उसके आस–पास डायरिया रोग का प्रसार बढ़ जाता है। जनपद वाराणसी तथा रामनगर में डायरिया रोगियों को उपचार के उपरान्त स्वस्थ्य हो जाने पर मुक्त कर दिया जाता है। यह कथन कि चिकित्सालय रोगियों से भरा रहता है, सत्य नहीं है।

जी हां, इस रोग के सम्भावित प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक वर्ष जनपद वाराणसी में संक्रामक रोग कार्य योजना बनाकर माह अप्रैल से सितम्बर तक जनपद स्तरीय एवं ब्लाक स्तरीय रैपिड रिस्पॉन्स टीम गठित है। प्रत्येक टीम में चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ तैनात है, जो 24 घण्टे क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी जनपद व नगर में बिजली के जर्जर तारों व खम्भों को बदलने की सरकार की योजना की जानकारी

17–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले व नगर में बिजली के जर्जर तारों तथा क्षतिग्रस्त खम्भों को बदलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक बदल जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

यह सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र बढ़ापुर के अन्तर्गत ग्राम शाहजादपुर से मुनव्वर सैद उर्फ महमदाबाद सम्पर्क मार्ग को पूरा कराया जाना

18–श्री मुहम्मद गाजी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र बढ़ापुर के अन्तर्गत ग्राम शाहजादपुर से मुनव्वर सैद उर्फ महमदाबाद सम्पर्क मार्ग अधूरा बना है जिससे नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे मार्ग का निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

शारदा सागर प्रणाली एवं शारदा नहर प्रणाली की शाखाओं, रजवाहों एवं अल्पिकाओं की सफाई का फर्जी भुगतान कराने विषयक प्रकरण के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना

19–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सागर प्रणाली एवं शारदा नहर प्रणाली की शाखाओं, रजवाहों एवं अल्पिकाओं की सफाई का फर्जी भुगतान कराये जाने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 2014 का पत्रांक 59/पसापा–22सिंचाई/2014 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र दिनांक 29 अप्रैल, 2014 प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्नगत मामले में मा0 सदस्य का एक अन्य पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2014 (पत्रांक–56/प0सं0–22सिंचाई/2014) प्राप्त हुआ है।

मा0 सदस्य के उक्त पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2014 में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–530/14–27–सिं–05 नियम/2013, दिनांक 29–5–2014 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भेजकर उच्च स्तरीय जांच कराते हुए जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायें। प्रश्नगत जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में रामघाट रोड अलीगढ़ से ग्राम तालसपुर क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराया जाना

20–श्री दलवीर सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में रामघाट रोड अलीगढ़ से ग्राम तालसपुर सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम पंचायत नगला वरी तहसील एतमादपुर में दोबारा चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

21–श्री दलवीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्राम पंचायत नगला वरी तहसील एतमादपुर में दोबारा चकबन्दी प्रक्रिया को निरस्त कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्रांक 140/रालोद/विमद/2014, दिनांक 23–07–2014 उन्हें प्राप्त हुआ

है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम नगला वरी में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा–4क (2) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या–3430/जी0–430/60–06, दिनांक 15–9–2006 को धारा–6 (1) के अधीन चकबन्दी निदेशालय की विज्ञप्ति संख्या–4477/जी0–430/60–06, दिनांक 13 नवम्बर, 2014 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर, विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम नाहली मुख्य मार्ग से जमील के मकान पर होते हुये ग्राम अमीपुर तक जर्जर मार्ग का निर्माण कराया जाना

22–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम नाहली मुख्य मार्ग से जमील के मकान पर होते हुये ग्राम अमीपुर तक मार्ग जीर्ण–शीर्ण हो गया है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले भाग में लेपित भाग की मरम्मत एवं खड़न्जा भाग को लेपन स्तर तक निर्मित किये जाने का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर के विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत मोदीनगर निवाड़ी रोड पुलिस चौकी से निवाड़ी गंग नहर तक सड़क जो जगह छूटी हो उस पर भी निर्माण कराने की मांग

23–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत मोदीनगर निवाड़ी रोड पुलिस चौकी से निवाड़ी गंग नहर तक सड़क निर्माण कराया जा रहा है, परन्तु मार्ग पर जगह–जगह सड़क बिना बनाये बीच–2 में छोड़ दी गयी है, जिससे क्षेत्रवासियों/किसानों को गन्ने की ढुलाई एवं आवागमन में भारी असुविधा का सामना

करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पूर्ण निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग के कि0मी0 1, 2 व 3 (300) एवं मार्ग के जिन चैनेज में पुलियों के चौड़ीकरण का कार्य कराया जाना है उस भाग में बिटुमिन का कार्य कराया जाना शेष है।

कार्य पूर्ण कराना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, विकास खण्ड मुरादनगर के ग्राम सौदा नहर के पुल से ग्राम महमदपुर पुलिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

24–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद विकास खण्ड मुरादनगर के ग्राम सौदा नहर के पुल से ग्राम महमदपुर के पुलिया तक सड़क क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन में नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद–पीलीभीत के अन्तर्गत शारदा, दियोहा तथा कटना आदि नदियों द्वारा गांवों की कटान से बचाने हेतु तटबन्ध बनाने एवं नदी की दिशा मोड़ने की योजना

25–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद– पीलीभीत के अन्तर्गत शारदा, दियोहा तथा कटना आदि नदियों द्वारा गांवों को कटान से बचाव के लिये तटबन्ध बनाने एवं नदी की दिशा मोड़ने सम्बन्धी परियोजनाओं को वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 हेतु स्वीकृतियां प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो इन्हें कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि कोई परियोजना स्वीकृत नहीं हुई है।

जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत अधिष्ठापित 43 राजकीय नलकूप को ठीक कराकर चालू कराया जाना

26–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अन्तर्गत अधिष्ठापित 43 राजकीय नलकूप वर्तमान समय में यांत्रिक खराबी, नाली न बनने, घटिया बोरिंग होने आदि कारणों से निष्प्रयोज्य हैं ? क्या यह भी सही है कि कई नलकूपों की बिना बोरिंग कराये ही भुगतान प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार फर्जी भुगतान की जांच कराते हुये सिंचाई सुविधा की दृष्टि से इन्हें चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर में स्थापित 43 राजकीय नलकूप में से वर्तमान में 40 राजकीय नलकूप चलित हैं तथा शेष 03 राजकीय नलकूपों को परित्याग किया जाना प्रस्तावित है।

जी नहीं। प्रसंगगत नलकूप सिंचाईरत हैं एवं इन नलकूपों से निःशुल्क सिंचाई सुविधा क्षेत्रीय कृषकों को उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुये मेट्रो रेल चलाने की कार्य योजना

27–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुये मेट्रों रेल चलाने की कोई कार्ययोजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। कानपुर महानगर में यातायात के बढ़ते दबाव को ध्यान में रखते हुए मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन के लिये फिजिबिलिटी स्टडी/डी0पी0आर0 तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त माह में प्रदेश के विभिन्न कालेजों एवं उससे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में 70 फीसदी शुल्क वृद्धि कम करने की मांग

28–श्री दीपक पटेल–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त माह में प्रदेश के विभिन्न कालेजों एवं उससे सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में 50 से 70 फीसदी तक शुल्क वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शुल्क वृद्धि को कम करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (प्रो0 शिवाकान्त ओझा)–

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ की वित्त समिति की 38वीं बैठक दिनांक 14–08–2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा शुल्क रु0 3000.00 प्रति छात्र से बढ़ाकर रु0 5000.00 प्रति छात्र शैक्षणिक सत्र 2014–15 से की गई है।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा उससे सम्बन्धित विभिन्न कालेजों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों, अल्पसंख्यक गरीब, पिछड़े वर्ग के छात्रों को शुल्क में छूट प्रदान करने विषयक

29–श्री दीपक पटेल–

क्या क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा उससे सम्बन्धित विभिन्न कालेजों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, छात्राओं, अल्पसंख्यकों तथा पात्र गरीब पिछड़े वर्ग के छात्रों को विश्वविद्यालय की शुल्क में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त वर्ग के छात्र–छात्राओं को शुल्क में छूट प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 शिवाकान्त ओझा–

उ0प्र0 प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ द्वारा परीक्षा सम्बन्धी शुल्क इत्यादि सभी वर्गों के छात्रों से एक समान लिया जाता है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार पात्र छात्रों की शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका, करछना एवं कौंधियारा के काश्तकारों ने निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने हेतु जमा धनराशि के बाद नलकूपों को ऊर्जीकृत न करने के कारण की जानकारी

30–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई हेतु प्रदेश में नये निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने की सरकार की क्या नीति है क्या सरकार बतायेगी कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड चाका, करछना एवं कौंधियारा के जिन काश्तकारों ने निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने के लिये 125/– रुपये अदा करके रसीद कटवाई है, के नलकूपों को कब तक ऊर्जीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

लम्बित बी0एण्डएल0 फार्म की संख्या के आधार पर अनुदान हेतु धन की मांग की जाती है एवं दिये गये अनुदान के आधार पर डिस्कामवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते

हैं। तत्पश्चात् किसानों द्वारा प्रकरण शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्बन्धित खण्ड द्वारा विद्युत संयोजन देने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाती है।

शासनादेश संख्या–1373/62–1–2014 आर/2009, दिनांक 13–10–2014 के द्वारा भू–जल संसाधनों का नवीन आंकलन के अनुसार विकास खण्ड–चाका में नलकूपों के ऊर्जीकरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

नये निजी नलकूपों के विद्युत संयोजन हेतु जिन आवेदकों ने दिनांक 30–11–2014 तक सम्बन्धित खण्ड से अनुबन्ध कर लिये हैं, उनको लाइन निर्माण हेतु विद्युत सामग्री दिनांक 31–03–2015 तक निर्गत कर दी जायेगी। ऐसे आवेदक जिन्होंने प्रकरण शुल्क रु0 125/– अथवा रु0 200/– जमा किया है तथा खण्ड द्वारा निर्गत टी0 एण्ड सी0 के सापेक्ष वांछित धनराशि जमा कर दी है उनके द्वारा अनुबन्ध के उपरान्त विद्युत लाइन निर्माण हेतु सामग्री निर्गत करने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसे आवेदक जिन्होंने केवल प्रकरण शुल्क रु0 125/– अथवा रु0 200/– जमा किया है तथा प्राक्कलन के अनुसार खण्ड द्वारा निर्गत टी0 एण्ड सी0 में अंकित धनराशि जमा नहीं किया है उनको संयोजन हेतु सामग्री निर्गत कर पाना सम्भव नहीं है। ऐसे आवेदक विकास खण्ड–करछना में 07 तथा विकास खण्ड–कौंधियारा में 03 अदद है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के यमुनापार इलाके के रामपुर रेलवे स्टेशन पर स्थापित रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी पुल का निर्माण कराया जाना

31–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के यमुनापार इलाके के रामपुर रेलवे स्टेशन पर स्थापित सर्वाधिक व्यस्ततम रेलवे क्रासिंग है तथा प्राय इसके फाटक बंद रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेलवे क्रासिंग पर फ्लाई ओवर/आर0ओ0बी0 का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद–मुगलसराय रेल खण्ड पर करछना रेलवे स्टेशन के निकट रामपुर ग्राम के पास समपार सं0–30 बी स्थित है।

इस रेलवे क्रासिंग पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम बुढ़पुरा से धरमपुरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

32–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड–बबीना अन्तर्गत ग्राम बुढ़पुरा से धरमपुरा तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड बबीना के ग्राम बुढ़पुरा का मजरा धरमपुरा, एक तरफ से हीरापुर–बुढ़पुरा मार्ग के कि0मी0 9 से तथा दूसरी तरफ से कि0मी0 11 से लेपित मार्ग से जुड़ा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड–बबीना अन्तर्गत ग्वावली से चौचनयाऊ से घिसौली पाइप लाइन तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना

33–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड–बबीना अन्तर्गत चौंचनयाऊ से घिसौली पाइप लाइन तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं। प्रश्नगत बसावट की आबादी 250 से कम होने के कारण इस पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम ग्वावली से चोचनयाऊ तक व ग्राम ग्वावली से वैजपुर तक तथा ग्राम हीरापुर से मजरा ढंगा तक सम्पर्क क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण

34–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम ग्वावली से चोचनयाऊ तक व ग्राम ग्वावली से वैजपुर तक तथा ग्राम हीरापुर से मजरा ढंगा तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में

अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम बैजपुर एक तरफ से लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा शेष बसावटों चोचनयाऊ तथा मजरा ढंगा की कुल आबादी 250 से कम होने के कारण इनका निर्माण किया जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर में निगोही से तिलहर मार्ग क्षतिग्रस्त होने से निर्माण

35–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर में निगोही से तिलहर मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चल रहा है। मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत निगोही से खुदागंज तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

36–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत निगोही से खुदागंज तक लगभग 15 कि0मी0 की सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग पी0एम0जी0एस0वाई0–2 योजनान्तर्गत उच्चीकरण हेतु ग्राम्य विकास विभाग में प्रस्तावित है।

मार्ग का उच्चीकरण का कार्य वित्तीय संशाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत तिलहर मार्ग से कुदिरना तक तथा डालमियां चीनी मिल नहर पुलिया से कुदिरना तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

37–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत तिलहर मार्ग से कुदिरना तक तथा डालमियां चीनी मिल नहर पुलिया से कुदिरना तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

तिलहर मार्ग से कुदिरना मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रसत है जिसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। डालमियां चीनी मिल नहर पुलिया से कुदिरना की ओर जाने वाला मार्ग 04 कि0मी0 लम्बाई का है। जिसमें से पंथम 1.50 कि0 मी0 मार्ग लेपित है जिसकी दशा संतोषजनक है। मार्ग के आगे का भाग कच्चा है। कुदिरना ग्राम एकल दिशा मार्ग से जुड़ा होने के कारण इसे दूसरी ओर से भी जोड़ना किसी योजना से आच्छादित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सड़क निधि, लोक निर्माण विभाग द्वारा इलाहाबाद लखनऊ लिंक मार्ग पर पम्पिंग स्टेशन के पास एक बाक्स कल्वर्ट, जल भराव की समस्या से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र की गई कार्यवाही की जानकारी

38–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क निधि, लोक निर्माण विभाग द्वारा इलाहाबाद लखनऊ लिंक मार्ग पर कि0मी0 3.3 पर पम्पिंग स्टेशन के पास एक बाक्स कल्वर्ट, जल भराव की समस्या का समाधान करने हेतु निर्माण सम्बन्धी प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 31–12–14 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग पर आर0सी0सी0 पुलिया एवं पहुंच मार्ग का कार्य कराये जाने हेतु रु0 62.49 लाख धनराशि का आगणन गठित कर लिया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के वि0खं0 निगोही के अन्तर्गत निगोही से बिलसण्डा मार्ग पर भटपुरा मिश्र तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

39–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के वि0खं0 निगोही के अन्तर्गत निगोही से बिलसण्डा मार्ग पर भटपुरा मिश्र तक की सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत डडिया बाजार से महमदपुर तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

40–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत डडिया बाजार से महमदपुर तक क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है जिसकी मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में जिला अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती किया जाना

41–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कितने जिला अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ? इनको शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इन पदों पर कब तक तैनाती कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

प्रदेश में 68 जिला अस्पतालों में 652 तथा 3548 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1038 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं।

प्रदेश में चिकित्सकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2014–15 में 2128 चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है। अन्य 568 चिकित्सकों

की संस्तुति लोक सेवा आयोग से प्राप्त हो गई है। चिकित्सकों की तैनाती एक सतत् प्रक्रिया है। लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की संस्तुति प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के स्वास्थ्य सेवाओं के लिये स्टाफ व सामग्री उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

42–श्री दलवीर सिंह–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के स्वास्थ्य सेवाओं के लिये स्टाफ व सामग्री उपलब्ध कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक–सीएम/वि0को0/एम0/पीजी–10498145/2014 पर दर्ज है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	भरे पद
अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी	09	07	03
उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	09	08	03
चिकित्साधिकारी	104	86	55
चतुर्थ श्रेणी	321	97	220
वाहन चालक	40	19	20
फार्मासिस्ट	66	14	58
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	396	154	364

इस प्रकार अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष 01 पद, उप मुख्य चिकित्साधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष 02 पद, चिकित्साधिकारी के 37 पद, वाहन चालक के 01 पद, फार्मासिस्ट के 06 पद एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) के 32 पद और सन्दर्भित पत्र प्राप्त होने के बाद भरे गये हैं।

लैब टैक्नीशियन के 22 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 07 लैब टेक्नीशियन कार्यरत हैं। इसी प्रकार स्टाफ नर्स के 39 पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष 08 स्टाफ नर्स कार्यरत हैं। प्रदेश में लैब टेक्नीशियन एवं नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नियुक्ति किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। मा0 न्यायालय के आदेश/निर्देश प्राप्त होने पर लैब टेक्नीशियन एवं उपचारिकाओं के रिक्त पदों पर तैनाती कर दी जायेगी।

स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष) के 660 पदों पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले पद यथा–वित्त एवं लेखाधिकारी, जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एवं स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के ग्राम–गधियांव, तहसील–करछना में स्थित आराजी नं0–319 पर अवैध कब्जा की जानकारी

43–श्री दलवीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के ग्राम–गधियांव, तहसील–करछना में स्थित आराजी नं0–319 पर अवैध कब्जा मुक्ति संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्रांक–295/ रालोद/वि0म0द0/2014, दिनांक 30–12–2014 जिलाधिकारी, इलाहाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व टीम गठित करके स्थलीय/अभिलेखीय जांच कराई गई। जांचोपरान्त ज्ञात हुआ कि गाटा सं0–319/0.023 हे0 पर कच्चा मकान बनाकर विगत 15 वर्ष पूर्व से बंशीलाल पटेल पुत्र रामकिशुन निवासी ग्राम गधियांव का कब्जा व दखल है। उक्त प्रकरण भूमिधरी भूमि पर बने निर्माण को हटाये जाने से सम्बन्धित है, जिसका निस्तारण सक्षम न्यायालय से सम्भव है, जिसके सम्बन्ध में उभयपक्षों को मौके पर अवगत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–गाजियाबाद के विकास खण्ड मुरादनगर के अन्तर्गत ग्राम डबाना से सुहाना तक तथा ग्राम डबाना से कैथवाडी तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत

44–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद–गाजियाबाद के विकास खण्ड मुरादनगर के अन्तर्गत ग्राम डबाना से सुहाना तक तथा ग्राम डबाना से कैथवाडी तक सम्पर्क मार्ग पर खड़ंजा लगा हुआ है जिसमें जगह–जगह गड्ढे हो गये हैं जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का प्रीमिक्सिंग द्वारा सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम डबाना, सुहाना एवं कैथवाड़ी अलग–अलग लेपित मार्गों से जुड़े हैं। वर्तमान में ग्रामों को सिंगिल कनेक्टिविटी के आधार पर लेपित मार्ग से जोड़े जाने की नीति ही लोक निर्माण विभाग में प्रचलित है।

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड मुरादनगर के अन्तर्गत ग्राम उजैडा से सुहाना तक खड़न्जा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना

45–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड मुरादनगर के अन्तर्गत ग्राम उजैडा से सुहाना तक खड़न्जा सम्पर्क मार्ग पर जगह–जगह गड्ढे हो गये हैं जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का प्रीमिक्सिंग द्वारा सड़क निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम उजैड़ा एवं सुहाना अलग–अलग लेपित मार्गों से जुड़े हैं। वर्तमान में ग्रामों को सिंगिल कनेक्टिविटी के आधार पर लेपित मार्ग से जोड़े जाने की ही नीति है।

जनपद बलिया में पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) योजना वर्ष 2013–14 में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित आठ कार्यों के प्रांकलन में अनियमितता विषयक पत्र, हुई कार्यवाही की जानकारी

46–श्री उपेन्द्र तिवारी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) योजना वर्ष 2013–14 में प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित आठ कार्यों के प्रांकलन में अनियमितता विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 01–06–2014 तथा तत्संबंधी स्मरण पत्र दिनांक 04–08–2014, जिलाधिकारी बलिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जांच कर ली गई है, जिसका अन्तिमीकरण प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 प्रीवेंशन आफ प्री मेडिकल डायोगेनोस्टिक टेस्ट ऐक्ट के अन्तर्गत इलाहाबाद में वर्ष 2012 तक अल्ट्रासाउंड मशीनों/उपकरणों का पंजीकरण का मानक तथा उक्त वर्षों में नवीनीकरण न किये जाने के कारणों की जानकारी

47–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 प्रीवेंशन आफ प्री मेडिकल डायोगेनोस्टिक टेस्ट ऐक्ट (पी0सी0एन0डी0टी0 ऐक्ट) लागू है ? यदि हां, तो इलाहाबाद में सन् 2012 तक कितनी अल्ट्रासाउंड मशीनों/उपकरणों का पंजीकरण किया गया तथा इनके पंजीकरण के मुख्य मानक क्या हैं तथा 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 में इनमें से कितनी अल्ट्रासाउण्ड उपकरणों का नवीनीकरण किया गया तथा कितने का नवीनीकरण नहीं किया गया तथा उक्त वर्षों में नवीनीकरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012 तक 205 अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों का पंजीकरण किया गया। पी0सी0एन0डी0टी0 अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत इस अधिनियम से विनियमित सेवायें प्रदान करने वाले केन्द्रों का पंजीकरण किया जाता है। अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के पंजीकरण हेतु मुख्य मानक अल्ट्रासाउण्ड मशीन आपरेट करने वाले चिकित्सक के शैक्षिक योग्यता अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार होनी चाहिये, निर्धारित प्रपत्र पर निर्धारित पंजीकरण शुल्क व समस्त औपचारिकताओं के साथ आवेदन संचालक/मशीन आपरेट करने वाले चिकित्सक का अधिनियम के प्राविधानों के अनुपालन सम्बन्धी शपथ–पत्र आदि हैं। वर्ष 2011–12 में नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन 16 के सापेक्ष 7, वर्ष 2012–13 में 30 के सापेक्ष 13 एवं वर्ष 2013–14 में 68 के सापेक्ष 30 केन्द्रों का नवीनीकरण किया गया। इस प्रकार वर्ष 2011–12 में 09, वर्ष 2012–13 में 17 एवं वर्ष 2013–14 में 38 का नवीनीकरण इसलिये नहीं किया गया क्योंकि एक्ट के अन्तर्गत इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की अनापत्ति प्राप्त नहीं थी।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में स्थित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, बैदोलागढ़ के परिसर में सेटेलाइट भण्डार उपकेन्द्र की स्थापना

48–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में स्थित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र, बैदोलागढ़ के परिसर में सेटेलाइट भण्डार उपकेन्द्र की स्थापना हेतु मुख्य अभियन्ता (वितरण) पूर्वांचल विद्युत वितरण नि0लि0 बस्ती क्षेत्र बस्ती के पत्रांक–777/मु0अ0 (वि0ब0/क्षेत्र/दिनांक 5–3–2013 एवं पत्रांक–5719/वि0वि0मुव0, दिनांक 10–12–2013 प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी को प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उस पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मानक के अनुरूप प्रत्येक जिले में एक भण्डार उपकेन्द्र की स्थापना नीतिगत है जो जनपद सिद्धार्थनगर के नौगढ़ में स्थापित है, अतः दूसरे भण्डार उपकेन्द्र की स्थापना की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में पुराने प्राथमिक स्वा0 केन्द्र में महिला चिकित्सालय को उच्चीकृत किया जाना

49–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए पुराने प्राथमिक स्वा0 केन्द्र में महिला चिकित्सालय को उच्चीकृत करते हुए 50 बेड का महिला अस्पताल खोलने पर क्या सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है, जहां आयुष चिकित्सा अधिकारी (महिला) तैनात हैं तथा इसके सन्निकट एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेवां स्थापित एवं क्रियाशील है, जिसके द्वारा स्थानीय जनता को चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के रामदेव पुत्र दुखी व महादेव पुत्र लाला ग्राम अकोल्हिया, पो0–शाहपुर, तहसील–डुमरियागंज ने अकोल्हिया के सोहना माइनर नहर बन जाने से जलभराव व ओलावृष्टि से फसल का नुकसान के सम्बन्ध में पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

50–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के रामदेव पुत्र दुखी व महादेव पुत्र लाला ग्राम अकोल्हिया, पो0–शाहपुर, तहसील–डुमरियागंज ने अकोल्हिया के सोहना माइनर नहर बन जाने के कारण जलजमाव व अतिवृष्टि हो जाने पर फसल का नुकसान होने के सम्बन्ध में जल निकासी हेतु साइफन बनाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र रजिस्टर्ड डाक सं0–ए0आर0यू0 429430223, दिनांक 4–10–2013 जो अधिशासी अभियन्ता, सरयू नहर खण्ड–3 बलरामपुर को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

स्थलीय निरीक्षण कराया गया। जल जमाव की समस्या नहर निर्माण के कारण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के मौलाना आजाद इण्टर कालेज, कादिराबाद के मार्गों का निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र, हुई कार्यवाही की जानकारी

51–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के मौलाना आजाद इण्टर कालेज, कादिराबाद के आगमन अवसर पर क्षेत्रीय जनता की मांग पर ग्रामीण अंचल के सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4–12–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में कुल 27 मार्गों के नवनिर्माण/अपग्रेडेशन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें क्रम संख्या–2, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24, 26 पर प्रस्तावित मार्गों पर इंगित ग्राम पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़े हैं तथा सिंगिल कनेक्टिविटी से आच्छादित हैं। वर्तमान में जुड़े हुए ग्रामों को आपस में जोड़ने की लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं हैं। क्रमांक 1, 3, 11, 12, 16, 18, 20, 23, 27 में प्रस्तावित मार्गों में इंगित समस्त राजस्व ग्राम लेपित मार्ग से जुड़े हैं किन्तु उनकी बसावटें, जिनकी आबादी 500 से कम है वे वर्तमान में लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित न होने के कारण इन्हें सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना सम्भव नहीं है। क्रमांक 4, 8, 19 की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। क्रमांक–25 पर अंकित मार्ग पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत है जो सम्प्रति निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में घाघरा नदी के किनारे बने बन्धे में ली गयी जमीन का मुआवजा मकरहा, गाय घाट आदि गांवों के किसानों का मुआवजा तत्काल दिये जाने विषयक

52–श्री सन्त प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खजनी तहसील जनपद गोरखपुर में घाघरा नदी के किनारे बने बन्धे में ली गयी जमीन का मुआवजा मकरहा, गाय घाट आदि गांवों के किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों के किसानों का मुआवजा तत्काल बढ़े हुए नये घोषित दर के अनुसार देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मुआवजे का भुगतान ग्राम खड्गपुर शाहपुर सोपाई तटबंध जिसकी कुल लम्बाई 26.300 कि0मी0 है, से सम्बन्धित है। तटबन्ध में पड़ने वाले लगभग 80 प्रतिशत

ग्रामों के कृषकों के भू–प्रतिकर के मुआवजा का भुगतान भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर के माध्यम से किया जा चुका है, शेष ग्राम दिलमन नगर, ढबिया, लोलानगर, इनायकचक, भूलनचक भभया मकरहा तथा गायघाट के कृषकों का भू–प्रतिकर का भुगतान होना अवशेष है। उक्त तटबन्ध के ग्राम गायघाट, मकरहा तथा शेष अन्य बचे गांवों का भू–प्रतिकर का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जनपद सहारनपुर की विधान सभा क्षेत्र बेहट में वर्ष 2012–13 में शिवालिक पर्वत से निकली नदियों से आई भीषण बाढ़ से नदियों के किनारे लगे आबादी क्षेत्र के सम्पर्क मार्गों को ठीक कराया जाना

53–श्री महावीर सिंह राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बेहट जनपद सहारनपुर में वर्ष 2012–13 में शिवालिक पर्वत से निकली नदियों से आई भीषण बाढ़ से नदियों के किनारे लगे आबादी भाग क्षेत्र के जिला मुख्य मार्ग सम्पर्क मार्ग, पुलों की पहुंच के रपटे एवं पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। वर्ष 2012–13 में जनपद सुल्तानपुर में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से कोई क्षति नहीं हुई थी। जनपद सहारनपुर वर्ष 2012–13 में बाढ़ रहित था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर में पापुलर की लकड़ी की खेती किसानों को सहारनपुर मण्डल में रोजगार की दृष्टि से प्लाई फैक्ट्रियों को लाइसेंस निर्गत किया जाना

54–श्री महावीर सिंह राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मण्डल सहारनपुर में किसान पापुलर की लकड़ी की खेती करते हैं जो प्लाई वुड एवं बोर्ड बनाने के लिये काम आती है ? यदि हां, तो क्या सरकार सहारनपुर मण्डल में वन उपज न मानकर कृषि उपज घोषित कर पश्चिमी उ0 प्र0 में रोजगार की दृष्टि से प्लाई फैक्ट्रियों को लाइसेंस निर्गत करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्लाई वुड फैक्ट्रियों की स्थापना एवं संचालन हेतु नये लाइसेंस निर्गत करने पर मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 04–03–1997 द्वारा रोक लगाई गई है, जिस कारण से प्लाई वुड फैक्ट्रियों के नये लाइसेंस निर्गत नहीं किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में बी0डी0बी0 जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर की सुविधा प्रारम्भ कराया जाना

55–श्री महावीर सिंह राणा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में बी0डी0बी0 जिला चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर की सुविधा प्रारम्भ न होने से क्षेत्रीय जनता को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में ट्रामा सेन्टर की सुविधा प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां। वास्तविक नाम एस0बी0डी0 (सेठ बलदेव दास) जिला चिकित्सालय, सहारनपुर है।

जी हां।

एस0बी0डी0 जिला चिकित्सालय, सहारनपुर में ट्रामा सेन्टर का भवन पूर्ण रूप से तैयार है तथा विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है। ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु उपकरणों के मानकीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें नियोजन विभाग/वित्त विभाग का परामर्श/सहमति प्राप्त होनी अपेक्षित है।

मानक निर्धारण के पश्चात् ही प्रदेश में ट्रामा सेन्टर को क्रियाशील किये जाने हेतु मानव संसाधन तथा उपकरणों के क्रय की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मार्ग के मरम्मत का कार्य उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा किये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

मार्ग के मरम्मत का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सहारनपुर के राज्य हाई–वे राजमार्ग नं0–57 की सड़क का मरम्मत कराया जाना

56–श्री महावीर सिंह राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बेहट जनपद सहारनपुर तीन राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है को राज्य हाई–वे राजमार्ग नं0–57 की सड़क पूर्णतः टूट चुकी है जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त 4 लेन मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद सहारनपुर में दिल्ली–सहारनपुर–यमुनोत्री (राज्य मार्ग–57) के 04 लेन चौड़ीकरण हेतु सार्वजनिक–निजी सहभागिता माडल पर मे0 एस0ई0डब्लू0, हैदराबाद व उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ के मध्य अगस्त, 2011 में अनुबन्ध गठित

हुआ था। इस मार्ग की मरम्मत का कार्य निजी विकासकर्ता को करना था। निजी विकासकर्ता द्वारा मरम्मत का कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत बीबीपुर पम्प कैनाल पिच मार्ग से गोधनी ब्रह्म स्थान तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

57–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत बीबीपुर पम्प कैनाल पिच मार्ग से गोधनी ब्रह्म स्थान तक (लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0) की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में लेपन कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग की वास्तविक लम्बाई 0.460 कि0मी0 है जिसमें बीबीपुर पम्प कैनाल पिच मार्ग से गोधनी ग्राम तक की लम्बाई 0.290 कि0मी0 का भाग लेपन स्तर तक पूर्ण है जिसकी दशा संतोषजनक है। शेष 0.170 कि0मी0 लम्बाई गोधनी से ब्रह्म स्थान तक ग्राम का आन्तरिक भाग है जिसका लेपन स्तर तक निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक बड़रांव के ग्राम सभा कुसुम्हा शारदा सहायक पटरी से मादी सिपाह एवं ऊसरी खुर्द पनसरवा चट्टी से शारदा सहायक नहर तक तथा ग्राम सभा भटमिला से ऊसरी बुजुर्ग होते हुए अमिला तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

58–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक बड़रांव के ग्राम सभा कुसुम्हा शारदा सहायक पटरी से मादी सिपाह एवं ऊसरी खुर्द पनसरवा चट्टी से शारदा सहायक नहर तक तथा ग्राम सभा भटमिला से ऊसरी बुजुर्ग होते हुए अमिला (ल0 लगभग 20 कि0मी0) तक की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में लेपन कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक बड़रांव के अन्तर्गत ग्राम सभा कुसुम्हा से मनिकापुर तक कुल लम्बाई 5.00 कि0मी0 के सापेक्ष 3.00 कि0मी0 मार्ग की दशा संतोषजनक है। अवशेष 2.00 किमी0 भाग क्षतिग्रस्त है। मनिकापुर से किमी0 5.900 तक खडंजा स्तर तक मार्ग जिला पंचायत विभाग का है। किमी0 5.900 से किमी0 8.300

(मादीसिपाह) तक भाग क्षतिग्रस्त है। उसरी खुर्द पनसरवां चट्टी से शारदा सहायक नहर मार्ग (ग्रामीण मार्ग) की लम्बाई 1.00 किमी0 है जो क्षतिग्रस्त है। भटमिला से उसरी बुजुर्ग अमिला मार्ग रौनापार–लाठघाट–अमिला मार्ग का भाग है जिसमें ग्राम भटमिला किमी0 23 में तथा अमिला किमी0 25 में स्थित है। भटमिला से अमिला मार्ग में किमी 24 एवं 25 में नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है। किमी 23 क्षतिग्रस्त है। मार्ग के क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत दोहरीघाट–मधुबन मार्ग से कोरौली इण्टर कालेज होते हुए कुरंगा पिच मार्ग तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण

59–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत दोहरीघाट–मधुबन मार्ग से कोरौली इण्टर कालेज होते हुए कुरंगा पिच मार्ग तक (ल0 लगभग 3.0 कि0मी0) की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में लेपन कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में कोरौली ग्राम तथा कुरंगा ग्राम लेपित मार्ग से जुड़ा है। दोहरीघाट मधुबन मार्ग से कोरौली इण्टर कालेज होते हुए कुरंगा पिच मार्ग की कुल लम्बाई 2.500 किमी0 है, जो खडंजा स्तर पर निर्मित है, प्रश्नगत मार्ग लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतेहपुर मण्डांव के अन्तर्गत मधुबन बेल्थरा मुख्य मार्ग से खीरी कोठा की बाग होते हुए कठघरा शंकर होते हुए शहीद मार्ग क्षतिग्रस्त होने से लेपन स्तर तक कार्य कराया जाना

60–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतेहपुर मण्डांव के अन्तर्गत मधुबन बेल्थरा मुख्य मार्ग से खीरी कोठा की बाग होते हुए कठघरा शंकर होते हुए शहीद मार्ग तक (ल0 लगभग 1.0 कि0मी0) की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में सरकार द्वारा लेपन कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की लेपन का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत दरगाह मार्ग से चकविलायत होते हुए बहरीपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग का कार्य लेपन स्तर तक कराया जाना

61–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत दरगाह मार्ग से चकविलायत होते हुए बहरीपुर तक (ल0 लगभग 2.0 कि0मी0) की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में सरकार द्वारा लेपन कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत दरगाह मार्ग से चकविलायत होते हुए बहरीपुर तक मार्ग अभिलेखों में अंकित ग्रामीण मार्ग असना–दरगाह मार्ग का किमी0 6 एवं 7 है। मार्ग के किमी0 6 की दशा संतोषजनक है तथा किमी0 7 क्षतिग्रस्त है।

क्षतिग्रस्त भाग के नवीनीकरण के कार्य की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में गोरखपुर–देवरिया राजमार्ग पर चौरी–चौरा के पास निबियहवा रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी पुल बनवाया जाना

62–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में गोरखपुर–देवरिया राजमार्ग पर चौरी–चौरा के पास निबियहवा रेलवे क्रासिंग पर आये दिन दुर्घटना होती है एवं घण्टों जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। कभी–कभी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इस क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु निर्माण का प्रस्ताव रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिये रेलवे विभाग को भेजा गया है। उपरिगामी सेतु का निर्माण रेलवे वर्क्स कार्यक्रम में अनुमोदन प्राप्त होने एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देवरिया के गौरी बाजार में स्थित शुगर मिल को चालू कराया जाना

63–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के गौरी बाजार में स्थित शुगर मिल जो पिछले 20 वर्षों से बन्द पड़ी है, को क्या सरकार चालू कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गौरीबाजार चीनी मिल भारत सरकार के उपक्रम ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन (बी0आई0सी0) की मिल इकाई है तथा वर्तमान में रुग्ण इकाई के अन्तर्गत बी0आई0एफ0आर0 में पंजीकृत है। बी0आई0एफ0आर0 द्वारा नामित एजेन्सी आई0एफ0सी0आई0 द्वारा इस मिल की परिसम्पत्तियों की बिक्री मै0 राजेन्द्र इस्पात प्रा0लि0 कोलकाता को दी जा चुकी है। अतः इसके पुनः संचालन के सम्बन्ध में क्रेता कम्पनी द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है।

जनपद अम्बेडकरनगर के किसानों की फसलें स्थानीय जंगली जानवरों जैसे नील गाय, जंगली सुअरों आदि नष्ट होने से बचाने की कार्यवाही

64–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकरनगर के किसानों की फसलें स्थानीय जंगली जानवरों जैसे नील गाय, जंगली सुअर आदि द्वारा बड़े पैमाने पर नष्ट की जा रही हैं जिससे स्थानीय किसान भुखमरी के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन जंगली जानवरों को पकड़ने की कोई नीतिगत योजना बनाने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में जंगली जानवरों जैसे नीलगाय, जंगली सुअर आदि द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की यदा–कदा घटनायें प्रकाश में आती रहती हैं।

प्रदेश में वनरोजों से कृषि फसलों को नष्ट करने से बचाने के लिये वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 यथा संशोधित धारा–4(1) के तहत् शासनादेश संख्या–736/14–4–94–854/92, दिनांक 09–03–1994 एवं शासनादेश संख्या–2194–14–4–2001–854/92, दिनांक 28–9–2001 तथा शासनादेश संख्या–1464/14–4–2008–854/92, दिनांक 31–7–2008 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी के स्तर से लेकर मुख्य वन संरक्षक स्तर तक तथा राजस्व विभाग के समस्त तहसीलदारों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। वनरोजों के आतंक से प्रभावित कृषक

अपने क्षेत्र के सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क कर फसलों को वनरोजों से सुरक्षा हेतु नष्ट करने की परमिट प्राप्त करके समस्या का निदान कर सकते हैं।

शासनादेश संख्या–446/14–4–2013, दिनांक 04–03–2013 द्वारा कृषकों को वनरोजों की समस्या से निजात दिलाने हेतु कार्य योजना के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वारा जिले के प्रत्येक ब्लाक में वनरोजों से फसलों को होने वाले नुकसान की समीक्षा तथा वनरोजों को परमिट द्वारा मारने की त्रैमासिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है। वनरोजों के नष्ट होने की 70 प्रतिशत की सीमा तक परमिट जारी किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के क्षेत्र आलापुर में नहरों की सफाई का कार्य नियमित कराने विषयक

65–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर में नहरों की सफाई विगत वर्षों में नाम मात्र की हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नहरों की नियमित गहन सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। प्रश्नगत क्षेत्र की नहरों में सिल्ट सफाई का कार्य वर्ष–प्रतिवर्ष उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष आवश्यकतानुसार कराये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत विद्युत विहीन गांवों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ कराया जाना

66–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला के अन्तर्गत विद्युत विहीन गांवों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत विद्युतीकरण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

विद्युतीकरण कार्य हेतु मेसर्स अरावली इन्फ्रा स्ट्रेक्चर लिमिटेड को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। कार्य शीघ्र शुरू किया जाना सम्भावित है। तत्पश्चात् दो वर्षों में कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला मुख्यालय को जनपद मुख्यालय से जुड़ी सिंगल सड़क को दो लेन से जोड़कर चौड़ीकरण करने विषयक

67–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला मुख्यालय को जनपद मुख्यालय से जुड़ी सिंगल सड़क को दो लेन से जोड़कर चौड़ीकारण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग के चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत ग्राम रामामऊ, विसरा, बारानगर, रतनपूरा, हरिहरपुर, कोटिया निरंजन, आदि गांवों में सरयू नदी की कटान से भयंकर खतरा होने से तथा राजमार्ग–72 को बचाने हेतु ठोकर बनाया जाना

68–श्री राजेश त्रिपाठी

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम रामामऊ, विसरा, बारानगर, रतनपूरा, हरिहरपुर, कोटिया निरंजन, गानघट, पटना, बरडीहा, अजयपूरा, भूडाडीह, गोनहा बाल्थर, सीधेगौर, दिस्तवलिया बगल नेतवार गांवों को सरयू नदी की कटान से भयंकर खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों के साथ–साथ ऐतिहासिक राजमार्ग 72 को भी बचाने हेतु जगह–जगह सरयू नदी पर ठोकर बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत जांच रामजानकी सड़क मार्ग एवं घाघरा नदी के बीच फ्लड प्लेन जोन में बसे हुए हैं। शासन की नीति के अनुसार फ्लड प्लेन जोन में बसे ग्रामों आबादी आदि की सुरक्षा किये जाने का प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला अन्तर्गत ब्लाक बड़हलगंज के ग्राम कोलखास का अस्तित्व सरयू नदी के कटान से समाप्त होने से वहां के ग्रामीण को जमीन रहने हेतु क्रय कर उपलब्ध कराई गई थी, लो लैण्ड को पटाव कर ऊंचा बनाने सम्बन्धी

69–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत ब्लाक बड़हलगंज के ग्राम कोलखास का अस्तित्व सरयू नदी के कटान से समाप्त हो जाने के बाद वहां के ग्रामीण को सरकार द्वारा क्रय कर जो भूमि उपलब्ध

करायी गयी है वह लो लैन्ड है तथा वहां बरसात एवं बाढ़ का पानी आ जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लो लैन्ड को किसी योजना के अन्तर्गत धन देकर पटाव कराकर ऊंचा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला के अन्तर्गत ब्लाक बड़हलगंज के ग्राम कोलखास का अस्तित्व सरयू नदी के कटान से समाप्त हो जाने के कारण सरकार द्वारा ग्राम पटना एहतमाली में रामजानकी राज मार्ग से (दक्षिण में) मात्र 50 मीटर की दूरी पर भूमि क्रय कर उपलब्ध कराया गया है। क्रय की गई भूमि आस–पास के भूमियों से ऊंची है तथा भूमि के बरसात के पानी से जल जमाव नहीं होता है। रामजानकी मार्ग (दक्षिण में) व घाघरा नदी के मध्य स्थित अन्य आस–पास के ग्राम ज्ञानकोल, बगहा, खैराटी कोटि या निरंजन, गोनहा, कोटिया दीपशाह, गोरघट आदि कछार (खादर) क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। घाघरा नदी में बाढ़ आने पर तथा जल स्तर ज्यादा बढ़ने पर ये सभी ग्राम बाढ़ के पानी से प्रभावित होते हैं उसी समय ग्राम पटना एहतमाली में क्रय कर दी गई भूमि भी बाढ़ के पानी से प्रभावित होती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम जगदीशपुर, जो राप्ती नदी से पूरी तरह से कट चुका है, उसके बेघर लोगों को बसाने हेतु जमीन खरीद कर देने की सरकार की योजना

70–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम जगदीशपुर, जो राप्ती नदी से पूरी तरह से कट चुका है, उसके बेघर लोगों को बसाने हेतु जमीन खरीद कर देने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त बेघर लोगों को उक्त भूमि कब मिलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत ग्राम जगदीशपुर में राप्ती नदी की कटान से गृह विहीन हुए परिवारों में से ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया जिनके पास आवास स्थल उपलब्ध नहीं थे। ऐसे चिन्हित किये गये 12 परिवारों के लिये ग्राम माझा उर्फ सूबेदारनगर में 0.134 हे0 भूमि क्रय कर उपलब्ध करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में सड़क निर्माण/मरम्मत एवं विशेष मरम्मत सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

71–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में सड़क निर्माण/मरम्मत एवं विशेष मरम्मत सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 30–10–2014 जो अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग मुरादाबाद को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित 39 कार्यों में से 10 कार्य नवनिर्माण के 29 कार्य मरम्मत के हैं।

नव निर्माण के 10 कार्यों में से क्रम संख्या–1 पर वर्णित कार्य स्वीकृत एवं प्रगति में हैं। क्रम संख्या–2 पर वर्णित कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। शेष कार्यों में उल्लिखित ग्राम एकल सम्पर्क मार्ग से जुड़े होने के कारण लोक निर्माण विभाग के किसी योजना से आच्छादित नहीं हैं।

मरम्मत/विशेष मरम्मत के 29 कार्यों में से 10 कार्य नवीनीकरण एवं 04 कार्य विशेष मरम्मत के अन्तर्गत स्वीकृत हैं। शेष 15 कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम मलगदया एवं नये मुरादाबाद के बीच गोगन नदी पर रपटा/पुल मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र कार्यवाही की जानकारी

72–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम मलगदया एवं नये मुरादाबाद के बीच गोगन नदी पर रपटा/पुल मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने हेतु अनापत्ति दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0 पी0जी0–10530706/2014 पर दर्ज है, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड मुरादाबाद के पत्र संख्या–345/बाखमु/मा0मु0जी, दिनांक 11–02–2015 जो अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मुरादाबाद को सम्बोधित एवं उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को पृष्ठांकित है के द्वारा सिंचाई विभाग के मानकों के अनुरूप आई0आर0सी0 के प्राविधानों के अनुसार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण कराये जाने हेतु अनुमति/अनापत्ति प्रदान कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–मुरादाबाद की तहसील कांठ के भवन निर्माण के साथ एक बार हाल, शौचालय, कार्यालय एवं लाईब्रेरी निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

73–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मुरादाबाद की तहसील कांठ के भवन निर्माण के साथ एक बार हाल, शौचालय, कार्यालय एवं लाईब्रेरी निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटर सं0 पी0जी0–10461626/2014 पर दर्ज है, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ के निर्माणाधीन भवन के साथ एक बार हाल, शौचालय, कार्यालय एवं लाइब्रेरी का निर्माण कराये जाने हेतु न्याय विभाग द्वारा जिलाधिकारी, मुरादाबाद से आख्या मांगी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा के विधान सभा क्षेत्र–खैरागढ़ में सी0ए0टी0 मार्ग से डांडा हेतु मिर्जपुरा तक पक्के सड़क मार्ग में जल भराव होने से क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कराया जाना

74–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के विधान सभा क्षेत्र–खैरागढ़ में सी0ए0टी0 मार्ग से डांडा हेतु हुए मिर्जपुरा तक पक्के सड़क मार्ग में जल भराव हो जाने के कारण पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मिर्जपुरा गांव का सम्पर्क टूट गया है तथा क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के वि0ख0 जगनेर में गुगावद बंधा व रिछोहा बंधा के कच्चे एवं टूटे होने से जलस्तर नीचे गिरने के कारण पीने का पानी तथा सिंचाई की असुविधा होने से पक्का बांध बनाने विषयक

75–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के वि0ख0 जगनेर में गुगावद बंधा व रिछोहा बंधा के कच्चे एवं टूटे होने के कारण पानी का जलस्तर नीचे गिरने से क्षेत्रीय जनता को पीने के पानी एवं सिंचाई के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बंधों को पक्का/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उक्त बन्धों को पक्का कराने व उनकी मरम्मत कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी नगर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त बिजौली से ललितपुर सड़क मार्ग का पुनः निर्माण कराया जाना

76–श्री रवि शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी नगर क्षेत्र बिजौली से ललितपुर सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की कुल लम्बाई 91.00 किमी0 है। मार्ग के 62.860 किमी का भाग एन0एच0ए0आई0 के अधीन है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण है तथा मार्ग की सतह ठीक है। लोक निर्माण विभाग के अधीन आने वाले 28.140 किमी0 में से 18.140 किमी0 के भाग के दाग मरम्मत का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं नवीनीकरण का कार्य प्रगति में है। शेष 10 किमी0 भाग के मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी–ग्वालियर मार्ग पर झांसी में स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाये जाने विषयक

77–श्री रवि शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी–ग्वालियर मार्ग पर झांसी में स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्या उक्त क्रासिंग पर व्यस्त यातायात की असुविधा को देखते हुए ओवरब्रिज बनाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्तमान समय में उ0प्र0 राजकीय क्षेत्र में तापीय परियोजनायें निर्माणाधीन स्थिति की जानकारी तथा कानपुर घाटमपुर में पावर प्रोजेक्ट निर्माण कार्य का पूर्ण किया जाना

78–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कहां–कहां कितनी–कितनी क्षमता के पावर प्रोजेक्ट्स लगाये जा रहे हैं ? क्या यह सही है कि घाटमपुर कानपुर में मुख्य मंत्री द्वारा माह जून, 2012 में पावर प्रोजेक्ट लगाने हेतु शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो उक्त पावर प्रोजेक्ट के एम0ओ0यू0 एवं उसको पूरा करने में क्या कठिनाई है ? यदि नहीं, तो उक्त पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव–

प्रदेश में वर्तमान समय में उ0प्र0 राजकीय क्षेत्र में निम्न तापीय परियोजनायें निर्माणाधीन/ प्रस्तावित हैं :–

राज्य क्षेत्र :–

1–2 ग 500 मे0वा0 अनपरा डी तापीय परियोजना,

2–1 ग 660 मे0वा0 हरदुआ तापीय परियोजना,

3–1 ग 660 मे0वा0 पनकी तापीय परियोजना,

4–2 ग 660 मे0वा0 ओवरा सी तापीय परियोजना,

5–2 ग 660 मे0वा0 जवाहरपुर तापीय परियोजना,

6–2 ग 660 मे0वा0 करछना तापीय परियोजना,

संयुक्त क्षेत्र :–

1–2 ग 660 मे0वा0 मेजा तापीय परियोजना (स्टेज–प्रथम),

2–2 ग 660 मे0वा0 मेजा द्वितीय तापीय परियोजना,

3–3 ग 660 मे0वा0 घाटमपुर तापीय परियोजना,

साथ ही निम्न परियोजनायें निजी क्षेत्र (आई0पी0पी0) में निर्माणाधीन हैं :–

1–3 ग 660 मे0वा0 बारा तापीय परियोजना,

2–3 ग 660 मे0वा0 ललितपुर तापीय परियोजना,

जी हां।

एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हो चुका है। पावर प्रोजेक्ट को पूरा करने में निम्न कठिनाइयां हैं :–

(1) परियोजना हेतु आवंटित कोल ब्लाक पछवारा दक्षिण झारखण्ड हेतु स्टेज–1 फारेस्ट क्लीयरेंस विलम्बित होने के दृष्टिगत आयातित कोल का प्रयोग करने के निर्णय दिनांक 28–10–2014 को भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम0ओ0ई09एफ0) को सूचित किया गया। कोल आयात करने हेतु एम0एस0टी0सी0 के साथ एम0ओ0यू0 दिनांक 21–11–2014 को हस्ताक्षर किया गया। परियोजना हेतु आयातित कोल के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम0ओ0ई0एफ0) से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु दिनांक 22–12–2014 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम0ओ0ई0एफ0) की एक्सपर्ट

अप्रेजल कमेटी के समक्ष केस प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में पुनः सुनवाई होनी है।

(2) पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण परियोजना स्थापना हेतु भारत सरकार की कैबिनेट विनियोग समिति से अनुमति प्राप्त नहीं हुई है।

भारत सरकार से अनुमति प्राप्त होने के अनुसार परियोजना की जीरो डेट निर्धारित होगी। परियोजना की प्रथम इकाई से उत्पादन जीरो डेट से 52 माह बाद, द्वितीय इकाई से प्रथम इकाई के 6 माह पश्चात् तथा तृतीय इकाई से द्वितीय इकाई के 06 माह पश्चात् होना सम्भावित है।

कानपुर नगर में सिंचन कार्य हेतु किसानों के खेतों तक पानी उपलब्ध कराने हेतु नहरवार क्षतिग्रस्त गूलों डी0पी0आर0 तैयार करके भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को देकर धन उपलब्ध कराने विषयक

79–श्री सतीश महाना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में सिंचन कार्य हेतु किसानों के खेतों तक पानी उपलब्ध कराने हेतु परीक्षणोपरान्त नहरवार गूलों की सूची अधिशासी अभियन्ता, कानपुर प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, कानपुर द्वारा भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि हां, तो पुरानी गूलों की मरम्मत हेतु वर्णित आवश्यक धनराशि सरकार द्वारा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

कानपुर नगर में सिंचन कार्य हेतु निर्मित नहरवार क्षतिग्रस्त गूलों की डीपीआर तैयार कर उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार की काडम योजना के दिशा– निर्देशों के अन्तर्गत भारत सरकार को स्वीकृत्यार्थ प्रेषित किया जायेगा। तत्क्रम में भारत सरकार से उक्त क्षतिग्रस्त गूलों की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वांछित धनराशि उपलब्ध होने पर राज्य सरकार द्वारा यथोचित कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर में शाहजहांपुर निगोही मार्ग तथा दौलतपुर काजीपुर क्षतिग्रस्त रोड का निर्माण कराना

80–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में शाहजहांपुर निगोही मार्ग दौलतपुर काजीपुर रोड अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण हालत में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर में शाहजहांपुर मोहम्मदी रोड से उदियापुर ददिउरा, बमिलिया ददिउरा, जानकीनगर तथा जमालपुर क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराना

81–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में शाहजहांपुर मोहम्मदी रोड से उदियापुर ददिउरा, बमिलिया ददिउरा, जानकीनगर तथा जमालपुर मार्ग क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर फिरोजाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 स्थित उसायनी होते हुए आफसाबाद तक का बाई पास अत्यन्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

82–श्री मनीष असीजा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर फिरोजाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 स्थित उसायनी होते हुए आसफाबाद तक का बाई पास मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में कार्यरत जिला अस्पताल एस0एन0एम0 चिकित्सालय में आंख रोगी के उपचार हेतु सी–आर्म मशीन एवं आई0ओ0टी0 फैको मशीन की स्थापना कराने विषयक

83–श्री मनीष असीजा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की 20 लाख की आबादी में कार्यरत एक मात्र जिला अस्पताल एस0एन0एम0 चिकित्सालय एवं क्षय रोग आश्रम में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आंखों के रोगी एवं दुर्घटनाओं में गम्भीर रूप से घायल रोगी आते है ? क्या यह सही है कि ऐसे रोगियों के उपचार हेतु वर्तमान में आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सी–आर्म मशीन का अनिवार्यतः प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में भी एक सी–आर्म

मशीन एवं आई0ओ0टी0 फैको मशीन की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जी हां।

जी हां। केवल सी–आर्म मशीन।

शासनादेश संख्या–41/932/पांच–6–14–2 (उपकरण)/13, दिनांक 10–09–2014 द्वारा प्रदेश के अन्य चिकित्सालयों के साथ ही जिला चिकित्सालय, फिरोजाबाद हेतु एक नग सी–आर्म मशीन की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसके अनुपालन में महानिदेशालय के पत्र संख्या–11फ/प्रस्ताव–2/ 2014/4420, दिनांक 24–09–2014 द्वारा निदेशक (भण्डार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को क्रय किये जाने हेतु पत्र निर्गत किया जा चुका है और उक्त सी–आर्म मशीन शीघ्र ही स्थापित कर क्रियाशील कर दी जायेगी।

आई0ओ0टी0 फैको मशीन जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों को स्थापित किया जाना संबंधित चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सा विशेषज्ञों, तकनीकी स्टाफ तथा प्रदेश सरकार की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ के ग्राम भडिवार में मानक के विपरीत बिना अनुमति के अवैध नर्सिंग होम का संचालन पर रोक

84–श्री दीपक पटेल–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड शंकरगढ़ के ग्राम भडिवार में मानक के विपरीत बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के अवैध नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव के अवैध नर्सिंग होम पर रोग लगा कर दोषी झोलाछाप डॉक्टर पर कानूनी कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 13–02–15 को क्षेत्रीय उप मुख्य चिकित्साधिकारी, बारा एवं अधीक्षक, सामु0स्वा0 केन्द्र, शंकरगढ़, इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम भडिवार का स्थलीय निरीक्षण/जांच किया गया। जांच में, गांव में कोई भी नर्सिंग होम संचालित होने का प्रमाण नहीं मिला। इस सम्बन्ध में गांव की ए0एन0एम0 एवं कुल 20 ग्रामवासियों के

बयान भी लिये गये, जो भडिवार गांव में कोई भी नर्सिंग होम संचालित न होने को प्रमाणित करते हैं।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना अन्तर्गत खोई भुण्डा सम्पर्क मार्ग से तिवारी का पूरा एवं कोहड़ार करछना मार्ग से निरिया होते हुए अरई तक जर्जर संपर्क मार्गों की मरम्मत

85–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना अन्तर्गत खोई भुण्डा सम्पर्क मार्ग से तिवारी का पूरा एवं कोहड़ार करछना मार्ग से निरिया होते हुए अरई तक संपर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

1–खोई भुण्डा सम्पर्क मार्ग से तिवारी का पूरा मार्ग के मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

2–कोहड़ार–करछना मार्ग से निरिया होते हुए अरई सम्पर्क मार्ग के नवीनीकरण के कार्य की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना के हथसरा में गुलाब पटेल के मजरे के विद्युत तार चोरों के काट करके ले जाने के कारण नये तार डालकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने विषयक

86–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड करछना के हथसरा में गुलाब पटेल के मजरे के विद्युत तार को चोरों द्वारा काट दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरे में नया तार लगवाकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निरीक्षण में तार चोरी की कोई घटना नहीं है।

जनपद इलाहाबाद के परिवार कल्याण विभाग में वर्ष 2013–14 में आवंटित धन एवं व्यय का विवरण, उपकेन्द्रों के निर्माण की जानकारी तथा दोनों वर्षों में बचे धन से जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर विचार किये जाने विषयक

87–श्री दीपक पटेल–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के परिवार कल्याण विभाग में वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में शासन व जिला योजना द्वारा कितने धन का आवंटन किया गया व धन का खर्च किन–मदों में किया गया तथा अब तक जनपद में कितने नये स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जा चुका है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त वर्षों में जनपद के स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों की मरम्मत पर कितना धन खर्च हुआ ? क्या सरकार उक्त दोनों वित्तीय वर्ष में बचे धन को जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर कार्य करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद को वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में आवंटित धन एवं व्यय का विवरण निम्नवत् है :–

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	मद	वित्तीय वर्ष 2012–13					
		आवंटन			व्यय		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	वेतन	4062.99	0.00	4062.99	3479.52	0.00	3479.52
2	अधिष्ठान व्यय	44.72	9.78	54.50	46.52	7.26	53.78
3	अनुरक्षण	9.33	0.00	9.33	9.33	0.00	9.33
4	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत शिशु मृत्यु दर घटाने की प्रोत्साहन योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बृहद निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग :	**4117.04**	**9.78**	**4126.82**	**3535.37**	**7.26**	**3542.63**

क्र0 सं0	मद	वित्तीय वर्ष 2013–14					
		आवंटन			व्यय		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	वेतन	3711.79	0.00	3711.79	3440.21	0.00	3440.21
2	अधिष्ठान व्यय	52.32	13.20	65.52	52.58	13.17	65.45
3	अनुरक्षण	5.41	0.00	5.41	5.41	0.00	5.41

4	तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत शिशु मृत्यु दर घटाने की प्रोत्साहन योजना	24.45	0.00	24.45	11.01	0.00	11.01
5	बृहद निर्माण	2.73	0.00	2.73	2.73	0.00	2.73
	योग :	**3796.70**	**13.20**	**3809.90**	**3511.94**	**13.17**	**3524.81**

जनपद इलाहाबाद में अब तक 435 उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जा चुका है।

वर्ष 2012–13 व 2013–14 में स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों के मरम्मत पर व्यय धनराशियों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0सं0	मद	वित्तीय वर्ष 2012–13		वित्तीय वर्ष 2013–14	
		आवंटित बजट	व्यय	आवंटित बजट	व्यय
1	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र भवनों की मरम्मत	69.46675	69.46675	52.93610	52.93610
2	उपकेन्द्रों भवनों की मरम्मत	26.78778	26.78778	10.61752	10.61752
	योग	**96.25453**	**96.25453**	**63.55362**	**63.55362**

जी नहीं।

उक्त दोनों वित्तीय वर्षों की अवशेष धनराशियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यपगत/समर्पित हो गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में ग्राम सिमरा मजरा प्रजापति का डेरा का विद्युतीकरण कराया जाना

88–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड व विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम सिमरा मजरा प्रजापति का डेरा का विद्युतीकरण नहीं हुआ है, जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार मजरा प्रजापति का डेरा का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद झांसी विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम सिमरा मजरा प्रजापति का डेरा का सूचीकरण जनगणना के सेन्सस कोड 2011 के अनुसार मजरा प्रजापति का डेरा

बसावटों की तालिका में सम्मिलित न होने के कारण भारत सरकार को 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में, जिसमें 100 से अधिक आबादी वाले ग्राम/मजरे सम्मिलित हैं, में सम्मिलित नहीं किया जा सका। भविष्य में अन्य योजना में सम्मिलित होने पर ही विद्युतीकरण किया जाना सम्भव हो पायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव में बेतवा नहर पर नाद पर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण कराया जाना

89–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव में बेतवा नहर पर नाद पर पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कई गांवों का रास्ता अवरुद्ध हो गया है जिसकी वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

बेतवा नहर पर ग्राम नंदखास के पास पुल क्षतिग्रस्त है, उक्त क्षतिग्रस्त पुल के निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति बुन्देलखण्ड विकास निधि (राज्यांश) के अन्तर्गत दिनांक 28–02–2014 को निर्गत की गई है तथा पुल के निर्माण हेतु अनुबन्ध का गठन हो चुका है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उन्नाव तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के गाटा संख्या–820, 821, 822, 829, 830 व अन्य के गलत व अनियमित रूप से रेखांकित किये जाने के कारण मानचित्रों को अभिलेखों को संशोधित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

90–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव, तह0 बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के गाटा संख्या–820, 821, 822, 829, 830 व अन्य के गलत व अनियमित रूप से रेखांकित किये गये मानचित्र को अभिलेखों एवं कब्जे के अनुसार संशोधित कराये जाने विषयक मा0 सभापति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति एवं याचिका समिति का पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 संलग्नक सहित जिलाधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मा0 सभापति, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति एवं याचिका समिति का पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 2013 के संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 24–10–2013 में संदीप विक्रम पुत्र श्री गंगाचरन निवासी ग्राम रम्भाखेड़ा मजरा त्रिपुरारपुर गाटा संख्या–820, 821, 822, 829, 830 में रकबा संशोधित किये जाने तथा उक्त गाटा नम्बरानों के नक्शे पुनः संशोधित करने का अनुरोध किया गया है। गाटा संख्या– 820, 821 व 822 के पुराने गाटा–729, 730 तथा 829, 830 के पुराने गाटा–731/2 व 731/1 है। ग्राम त्रिपुरारपुर का धारा–52 के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 08–04–2011 को जारी हो चुकी है। श्री गंगाचरन आदि निवासी ग्राम त्रिपुरारपुर ने दिनांक 29–11–2013 को चकबन्दी अधिकारी अन्तिम अभिलेख के न्यायालय में पूर्व पारित आदेश दिनांक 13–07–89 को निरस्त करते हुए पुनः रकबा व मानचित्र विवादित गाटों का दुरुस्त किये जाने का वाद जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–42क व 9क(2) के अन्तर्गत दायर किया है, जो न्यायालय में दिनांक 31–03–2015 को वास्ते बहस नियत है। उक्त प्रकरण/वाद का निस्तारण न्यायिक प्रक्रियों के तहत ही किया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर में राप्ती, आमी, कुचानों, घाघरा नदियों के तट बन्ध पर पुराने एवं जर्जर होने से बाढ़ के कारण हुए 50 प्रतिशत कृषि जलमग्न हो जाने के कारण इससे निपटने हेतु सरकार की कार्य योजना

91–श्री सन्त प्रसाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद में राप्ती, आमी, कुवानों, घाघरा नदियों के तटबन्ध पुराने एवं जर्जर होने से बाढ़ के कारण 50 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि प्रतिवर्ष जलमग्न हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इनसे निपटने के लिये कोई कार्ययोजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्न में उल्लिखित नदियों के तटबन्ध पुराने है, परन्तु जर्जर नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि पूर्व निर्मित तटबन्धों द्वारा बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जाती है एवं जल प्रसार को कम कर समय–समय पर तटबन्धों को मरम्मत एवं पुनर्स्थापना कर कृषि योग्य भूमि/जन–धन की हानि को बचाया जाता है।

जनपद मेरठ में बागपत के बड़ोत का जाने वाला मार्ग रोहटा रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

92–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो मेरठ जनपद में बागपत जनपद के बड़ोत को जाने वाला मार्ग रोहटा रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

है, मुख्य मंत्री कार्यालय में कम्प्यूटर संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10440248/2014 पर दर्ज प्रश्नकर्ता का पत्र प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 7–3–2014 को भेजा गया है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग पूर्व से निर्मित है। रेलवे फाटक से बाईपास मार्ग के मध्य लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में पड़ने वाले क्षतिग्रस्त भाग (कि0मी0 8) की विशेष मरम्मत माह दिसम्बर, 2014 में पूर्ण करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–2007 में पूर्वांचल विकास निधि योजना के तहत नहर से बनगवां नानकार होते हुए चन्द्रदीप घाट के भाग का निर्माण न कराकर इसके सम्पर्क मार्ग के निर्माण कराये जाने की शिकायत दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

93–श्री कमाल युसुफ मलिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006–07 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजना के तहत शासनादेश सं0–यू0 ओ0 200 पू0 वि0 मि0/23–14–08, दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 में नहर से बनगवां नानकार होते हुए चन्द्रदीप घाट तक मार्ग निर्माण कार्य 5.10 कि0मी0 की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गयी थी ? यदि हां, तो क्या स्वीकृत मार्ग के स्थान पर न बनाकर दूसरे जगह सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच कराकर दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग जिसकी लम्बाई 5.10 कि0मी0 तथा लागत रु0 74.78 लाख है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजना में की गयी है। बनगवां की तरफ से 4.00 कि0मी0 की लम्बाई में भूमि उपलब्ध न होने के कारण उक्त 4.00 कि0मी0 लम्बाई में निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका। मार्ग का अन्तिम भाग जिसकी लम्बाई 1.10 कि0मी0 है, में निर्माण कार्य कराया गया, जिसका उपयोग आवागमन में हो रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण अंचल में सम्पर्क मार्गो को लेपन स्तर तक कार्य कराये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

94–श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण अंचल में सम्पर्क मार्गों को लेपन स्तर तक का कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 26–10–2013 के क्रम में शासन का अर्द्ध शा0प0स0वी0आई0पी0– सां0–77/23–10–14 लोक निर्माण अनुभाग–10, दिनांक 13 जनवरी, 2014 प्रमुख अभियन्ता (विकास) लोक निर्माण विभाग उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत मार्गों का निर्माण कार्य लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड डुमरियागंज के ग्राम कादिराबाद में विद्युत जर्जर तारों को बदलने तथा अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगाने से सम्बन्धित योजना

95–श्री कमाल युसुफ मलिक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15 जून, 2012 पर पत्रांक संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10066402/2012 द्वारा ग्राम कादिराबाद, विकास खण्ड डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर में जर्जर तारों को बदलने ग्राम के उन भागों में जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है, विद्युतीकरण कराने एवं 250 के0वी0ए0 का अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन को निर्देश दिये गये थे ? यदि हां तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

ग्राम कादिराबाद, विकास खण्ड–डुमरियागंज, जनपद–सिद्धार्थनगर का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रस्तावित है।

ग्राम कादिराबाद विकास खण्ड–डुमरियागंज, जनपद–सिद्धार्थनगर में वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत आवश्यकता के आधार पर जर्जर तारों को बदलने एवं 250 के0वी0ए0 का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने का कार्य बिजनेस प्लान वर्ष 2014–15 में स्वीकृत है। कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में 33/11 विद्युत सब–स्टेशन स्थापित किये जाने विषयक प्रश्नकर्त्ता का पत्र, कृत कार्यवाही की जानकारी

96–श्री कमाल युसुफ मलिक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में दिनांक 26–10–2013 को मा0 मुख्य मंत्री जी के भ्रमण के दौरान डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भारतभारी में 33/11 विद्युत सब–स्टेशन स्थापित किये जाने विषयक पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उक्त क्षेत्र का परीक्षण कराया गया यह पाया गया कि उक्त क्षेत्र के निकट आर0जी0जी0वी0वाई0 फेस–द्वितीय में 1ग5 एम0वी0ए0 33/11 के0वी0 का उपकेन्द्र तरहर में निर्माणाधीन है निर्माणाधीन उपकेन्द्र ग्राम भारत–भारी के नजदीक है।

अतः डुमरियागंज विधान सभा क्षेत्र के ग्राम भारत–भारी में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण तकनीकी सम्भाव्यता के आधार पर आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में चौधरी चरण सिंह पम्प हाउस विथिरिया के मुख्य नहर में जमे सिल्ट के कारण सफाई कराये जाने विषयक पत्र पर हुई कार्यवाही की जानकारी

97–श्री कमाल युसुफ मलिक–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर भ्रमण के दौरान दिनांक 4–12–2013 डुमरियागंज कादिराबाद इण्टर कालेज के आगमन अवसर पर चौधरी चरण सिंह पम्प हाउस विथरिया के मुख्य नहर में जमें सिल्ट होने से नहरों में जल की आपूर्ति बाधित होने के कारण विथरिया पम्प कैनाल से चौरावनगवां हेड तक सिल्ट सफाई कराये जाने विषयक पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

सिल्ट सफाई का कार्य पूर्ण करा दिया गया है तथा पानी की मांग के अनुसार नहरें पूर्ण क्षमता से चलायी जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद में कांठ के ग्राम विलायतनगर, लाडलाबाद, ब्लाक छजलैट एवं ग्राम मुस्तापुर खण्डसाल एवं मुन्डिया गन्नु ब्लाक डिलारी का विद्युतीकरण कराने विषयक

98–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में कांठ के ग्राम विलायत नगर, लाडलाबाद, ब्लाक छजलैट एवं ग्राम मुस्तापुर खण्डसाल एवं मुन्डिया गन्नु ब्लाक डिलारी का विद्युतीकरण न होने के कारण नागरिकों को असुविधा हो रही है ?

यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चारों ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

दो ग्रामों/मजरों मुन्डिया गन्न ग्राम सिहाली खद्दर एवं मजरा मुस्तापुर ग्राम–मुस्तापुर का ही विद्युतीकरण कराना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र कांठ (मुरादाबाद) के ग्राम मुडिया गन्नु जो ग्राम सिहाली खद्दर ब्लाक डिलारी का मजरा है, राजीव गांधी द्वितीय चरण में मुडिया सिहाली के नाम से सम्मिलित है एवं ग्राम मुस्तापुर खण्डसाल (ब्लाक डिलारी) जो ग्राम मुस्तापुर का मजरा मुस्तापुर है, को भी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना द्वितीय चरण में मजरा मुस्तापुर के 'नाम से सम्मिलित है। उक्त योजना का कार्य दिसम्बर, 2016 तक' पूर्ण होना लक्षित है।

शेष दो ग्रामों में से ग्राम विलायतनगर ग्राम किरतपुरी (ब्लाक छजलैट) का मजरा का विद्युतीकरण हो चुका है तथा ग्राम लाडलाबाद (ब्लाक छजलैट) गैरआबाद है इस गैरआबाद ग्राम में मात्र एक मन्दिर है।

मुरादाबाद महानगर में कांशीराम आवास योजना में बने आवासो में अवैध कब्जों को खाली कराने की मांग

99–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद महानगर में कांशीराम आवास योजना में बने आवासों में अवैध रूप से कब्जा करके लोग रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आवासों को खाली कराकर इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों/ अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 कांशीराम शहरी गरीब आवासीय योजना मुरादाबाद महानगर में बने आवासों में अवैध रूप से कब्जा करके लोग नहीं रहे हैं।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम सलेमपुर, ग्राम सिकन्दरबाद तथा ग्राम उमरी चौराहा में 100 के0वी0ए0 के टी0एफ0 लगाने विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

100–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सलेम पुर, ग्राम सिकन्दराबाद तथा ग्राम उमरी चौराहा में क्रमशः 100, 100 तथा 100 के0वी0ए0 के टी0एफ0 लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पी0जी0

10463678/2014, दिनांक 13–6–14 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र के कांठ के उमरी चौराहा, सिकन्दराबाद, सलेमपुर में विद्युत उपभोक्ताओं पर वर्तमान में 85 प्रतिशत से अधिक राजस्व बकाया होने के कारण प्राक्कलन स्वीकृत नहीं हो पाया है। परिर्वतक की क्षमतावृद्धि/अतिरिक्त परिवर्तक स्थापित करने हेतु उपभोक्ताओं का न्यूनतम 50 प्रतिशत विद्युत बिल जमा होना चाहिए, जो इस प्रकरण में जमा नहीं है, जिस कारण उक्त ग्रामों के प्राक्कलन की स्वीकृति नहीं हो सकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम बाकरपुर अटायम अथवा ग्राम मुडया मोहीउद्दीन में एक 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

101–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मुरादाबाद के ग्राम बाकरपुर अटायन अथवा ग्राम मुडया मोहीउद्दीनपुर में एक 33/11 के0वी0ए0 का विद्युत केन्द्र स्थापित किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पी0जी0 10413993/2014, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

परीक्षण में उक्त क्षेत्र में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी है।

ग्राम बाकरपुर अटायन एवं मुडया मोहीउद्दीनपुर 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र जहांगीरपुर से पोषित है एवं इस विद्युत की क्षमता 2ग5.10 एम0वी0ए0 है, उक्त उपकेन्द्र पर विद्युत भार मात्र 5 एम0वी0ए0 है। उपरोक्त ग्राम उपकेन्द्र से 03 कि0मी0 की दूरी पर है। अतः उपर्युक्त ग्राम में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

जनपद मुरादाबाद के नगर पंचायत उमरी कला में 250 के0वी0ए0 के दो ट्रांसफार्मर स्थापित करने विषयक प्रश्नकर्त्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

102–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मुरादाबाद के नगर पंचायत उमरी कला में 250 के0वी0ए0 के दो ट्रान्सफार्मर लगाने सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य

मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पी0जी0 103301713, दिनांक 03–7–13 के अनुसार विद्युत विभाग द्वारा 250 के0वी0ए0 के दोनों ट्रांसफार्मर स्थापित कराने विषयक है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त ट्रान्सफार्मर नगर पंचायत उमरी कला में स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद मुरादाबाद के नगर पंचायत उमरी कला में 02 नं0 250 के0वी0ए0 के परिर्वतक के सापेक्ष बिजनेस प्लान योजना के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज/लिंकेज स्वीकृति के उपरान्त एक 250 के0वी0ए0 04 माह पूर्व स्थापित कर दिया गया तथा शेष 01 नं0 250 के0वी0ए0 परिर्वतक स्थापित करने हेतु उक्त क्षेत्र में विद्युत बकायेदारों से विद्युत बकाया वसूलने हेतु कैम्प लगाये गये, जिसके सापेक्ष उपभोक्ताओं द्वारा कैम्प लगभग 45 प्रतिशत विद्युत बिल जमा कर दिये गये है। शेष बकाया जमा कराने की कार्यवाही की जा रही है। विद्युत बकाया में कमी होने पर दूसरा परिवर्तक लगाना प्रस्तावित होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

103–श्री रोशन लाल वर्मा–

ख्ले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–66 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद शाहजहांपुर, विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत हमजापुर से महोलिया डीग होते हुए विकरनपुर तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

104–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर, विधान सभा क्षेत्र तिलहर के वि0ख0 निगोही के अन्तर्गत हमजापुर से महोलिया डीग होते हुए विकरनपुर तक क्षतिग्रस्त सड़क अत्यन्त उबड़–खाबड़ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत ग्रामीण श्रेणी के 9.50 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग के प्रथम 4.00 कि0मी0 का भाग सही है। शेष 5.50 कि0मी0 लम्बाई का मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत विकास खण्ड निगोही में चकौरा से वरौरा तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण

105–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर के 133, विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत वि0ख0 निगोही में चकौरा से वरौरा तक सड़क क्षतिग्रस्त हो जाने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत क्षतिग्रस्त मार्ग का स्वामित्व मण्डी परिषद् का है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में सेवला सराय ग्वालियर हाई–वे रोड से देवरी इरादत नगर तक की जर्जर सड़क का निर्माण

106–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा में सेवला सराय ग्वालियर हाई–वे रोड से देवरी इरादत नगर मार्ग (सैमरी रोड) तक की सड़क जर्जर एवं गढ्ढे युक्त होने के कारण आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का मरम्मत/निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड सैया में बरैठा राजस्थान बार्डर से झील के पुरा होते हुए दनकशा गांव तक एवं सैया खेरागढ़ रोड से कुर्री व जाजौ होते हुए ग्वालियर हाई–वे रोड तक की जर्जर सड़कों का निर्माण

107–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के विधान सभा क्षेत्र–खेरागढ़ के वि0ख0 सैया में बरैठा राजस्थान बार्डर से झील के पुरा होते हुए दनकशा गांव तक एवं सैया–खेरागढ़ रोड से कुर्री व जाजौ होते हुए ग्वालियर हाई–वे रोड तक की सड़के बहुत ही जर्जर होने के कारण आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चल रहा है।

मार्ग के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा के विधान सभा क्षेत्र–खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में सी0ए0टी0 मार्ग से दहगवां तक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय चंसौरा से नगला पलटू तक की जर्जर सड़कों का निर्माण

108–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के विधान सभा क्षेत्र–खेरागढ़ के वि0ख0 जगनेर में सी0ए0टी0 मार्ग से दहगवां तक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय चंसौरा से नगला पलटू तक की सड़कें जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों सड़कों की मरम्मत/निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत दोनों मार्गों की मरम्मत/निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एक क्विंटल गन्ने में कितनी चीनी उत्पादन तथा रिकवरी बढ़ाने का उपाय

109–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एक क्विंटल गन्ने में लगभग कितनी चीनी बनती है ? क्या प्रदेश की रिकवरी देश की रिकवरी के बराबर है ? यदि नहीं, तो क्या प्रदेश में रिकवरी बढ़ाने का कोई ठोस उपाय सरकार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

पेराई सत्र, 2013–14 में चीनी परता 9.26 प्रतिशत रहा है अर्थात् एक कुन्तल गन्ने से 9.26 कि0ग्रा0 चीनी बनाई गई। वर्तमान पेराई सत्र, 2014–15 में दिनांक 03–02–2015 तक संकलित सूचना के अनुसार गन्ने में चीनी परता 9.22 प्रतिशत प्राप्त हुआ अर्थात् एक कुन्तल गन्ने से वर्तमान सत्र में 9.22 कि0ग्रा0 चीनी तैयार हो रही है।

जी नहीं। देश की औसत रिकवरी 10.25 प्रतिशत है जो प्रदेश की औसत रिकवरी 9.26 प्रतिशत से अधिक है।

राज्य सरकार प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता एवं रिकवरी बढ़ाये जाने हेतु प्रयास कर रही है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा चार वर्षीय प्रजातीय बदलाव (2014 से 2017–18) एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 9.44 लाख हेक्टेयर सम्पूर्ण पौधा गन्ना क्षेत्रफल को उच्च शर्करायुक्त अधिक उपज देने वाली नवीन प्रजातियों से आच्छादन कराया जाना प्रस्तावित है।

2–उपरोक्त के अतिरिक्त वर्तमान में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं जिला योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को अनुदान पर उन्नतशील बीज उत्पादन एवं वितरण, बीज, भूमि उपचार हेतु कृषि रसायन, पेड़ी प्रबन्धन हेतु कृषि रसायन, माइक्रोन्यूट्रियन्ट/बायो फर्टिलाइजर की उपलब्धता, उपयोगी कृषि यंत्रों की उपलब्धता एवं प्रक्षेत्र प्रदर्शनों के माध्यम से गन्ने की रिकवरी एवं उत्पादकता बढ़ाये जाने हेतु कार्यक्रम संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 से छलेसर–चौगान होते हुए वास बादाम तक जर्जर सड़क की मरम्मत किया जाना

110–डॉ0 धर्मपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–2 से छलेसर–चौगान होते हुए वास बादाम तक की सड़क अत्यन्त जर्जर हो जाने के कारण आवागमन में कठिनाइयां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों में यातायात दबाव को देखते हुए मेट्रो रेल चलाने की विचाराधीन योजना

111–श्री सतीश महाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन महानगरों में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए मेट्रो रेल चलाने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां। उ0 प्र0 के लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोयडा, गाजियाबाद शहर में मेट्रो रेल परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त यातायात के बढ़ते

दबाव के दृष्टिगत 04 महानगरों–कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा एवं मेरठ में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु फिजिबिलिटी स्टडी/डी0पी0आर0 तैयार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्षों से सेवारत संग्रह अनुसेवकों का विनियमितीकरण

112–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्षों से सेवारत संग्रह अनुसेवकों को नियमित नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि संग्रह अमीनों के विनियमितीकरण का शासनादेश जारी हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार संग्रह अनुसेवकों के विनियमितीकरण पर भी विचार करेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 15–03–2012 द्वारा भर्तियों पर रोक तथा वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 08–09–2010 द्वारा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति न करने और रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने की व्यवस्था के दृष्टिगत सामयिक संग्रह अनुसेवकों की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया सम्प्रति बाधित है।

कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 15–03–2012 को शिथिल कर नियमावली में प्राविधानित 35 प्रतिशत पदों को सामयिक संग्रह अमीनों से भरने विषयक शासनादेश दिनांक 26–02–2014 जारी किया जा चुका है।

प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में सहकारी चीनी मिल साथा की पिराई क्षमतावृद्धि की मांग

113–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में एक मात्र सहकारी चीनी मिल साथा की पिराई क्षमता कम होने के कारण किसानों को कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी क्षमता वृद्धि पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में स्थापित किसान सहकारी चीनी मिल लि0, साथा द्वारा पेराई सत्र, 1976–77 से गन्ना पेराई कार्य प्रारम्भ किया गया। इस मिल की पेराई क्षमता 1250 टी0सी0डी0 है। इस पेराई क्षमता की मिल हेतु पेराई सत्र में सामान्यतः 18.75 लाख कु0

गन्ने की आवश्यकता होती है। पेराई सत्र, 2009–10 से वर्तमान पेराई सत्र, 2014–15 तक चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन एवं गन्ना उपलब्धता आदि का विवरण निम्न प्रकार है :–

पेराई सत्र	गन्ना क्षेत्रफल (हे0)	गन्ना उत्पादन (ला0कु0)	सट्टा/आफर (ला0कु0)	पेराई हेतु गन्ना उपलब्धता (लाख कु0)	वर्षवार शुद्ध हानि (लाख रु0)
2009–10	3544	20.27	17.31	1.34	1294.95
2010–11	4503	25.12	16.41	7.31	1733.10
2011–12	5929	35.03	11.62	8.32	2468.38
2012–13	7798	47.02	16.47	11.54	2534.63
2013–14	8266	50.86	15.11	11.80	2910.29
2014–15 (17–02–15 तक)	6085	37.07	15.00	6.91	

प्रारम्भ से साथा चीनी मिल को क्षमता के अनुरूप गन्ना उपलब्ध न होने के कारण मिल को निरन्तर हानि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2013–14 तक मिल को रु0 25723.73 की संचित शुद्ध हानि हो चुकी है, जिसके कारण चीनी मिल की नेटवर्थ ऋणात्मक हो गई है। विगत कई वर्षों से मिल को स्थापित क्षमतानुरूप गन्ना उपलब्ध न होने एवं मिल की आर्थिक स्थिति जर्जर होने के कारण मिल की क्षमता वृद्धि प्रस्तावित नहीं है। चीनी मिल की जर्जर आर्थिक स्थिति के बावजूद कृषक हित में प्रतिवर्ष आफ सीजन के दौरान मिल मशीनरी की मरम्मत एवं रख–रखाव कर मिल संचालित कर क्षेत्र में आपूर्ति योग्य उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई सुनिश्चित की जाती है।

जनपद अलीगढ़ में प्रदर्शिनी स्थल, बालू बदरपुर व अन्य ठेकों से प्राप्त आय को सरकारी कोष में जमा कराने विषयक

114–श्री दलवीर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ शहर में प्रदर्शिनी स्थल जिस पर जिलाधिकारी, अलीगढ़ एवं जिला पंचायत, अलीगढ़ का स्वामित्व है पर बालू बदरपुर व अन्य ठेकों से प्राप्त आय को सरकारी कोष में जमा नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आय को सरकारी कोष में जमा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

अलीगढ़ शहर में प्रदर्शनी स्थल पर जिलाधिकारी, अलीगढ़ एवं जिला पंचायत, अलीगढ़ का कोई स्वामित्व नहीं है, बल्कि राजकीय कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी, अलीगढ़ का अभिलेखों में भूमि स्वामित्व है, जिसके अध्यक्ष/प्रबन्धक जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ हैं। राजकीय कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी एक पंजीकृत संस्था (ट्रस्ट) है प्रदर्शनी परिसर में उठाये जाने वाले बालू, बदरपुर व अन्य ठेकों की आय को प्रदर्शनी कोष में जमा कराया जाता है, जिसका प्रदर्शनी आयोजन व्यवस्थाओं पर व्यय किया जाता है। अतः उक्त से प्राप्त आय को राजकोष में जमा कराने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद–उन्नाव की ग्राम पंचायत ओरहर में वर्ष 1981 में प्रारम्भ हुयी चकबन्दी प्रक्रिया जून, 2010 के बीच में ही स्थगित किये जाने का कारण

115–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–उन्नाव की ग्राम पंचायत ओरहर में वर्ष 1981 में प्रारम्भ हुयी चकबन्दी प्रक्रिया जून, 2010 के बीच में ही स्थगित कर दी गयी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? क्या उक्त चकबन्दी प्रक्रिया को पूर्ण कराने विषयक श्री अनूप कुमार गुप्ता, विधायक का पत्र, दिनांक 06 जनवरी, 2015 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

चकबन्दी प्रक्रिया स्थगित नहीं की गयी है, बल्कि जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–6 (1) के अन्तर्गत चकबन्दी प्रक्रिया निरस्त की गयी है।

ग्राम ओरहर में विगत 29 वर्षों से चकबन्दी प्रक्रिया कृषकगणों के जबरदस्त विरोध एवं असहयोग के कारण बाधित थी। जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, उन्नाव के पत्र संख्या–717/पी0के0/10–11, दिनांक 31–5–2010 के माध्यम से प्रश्नगत ग्राम को चकबन्दी से पृथक किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रश्नगत ग्राम ओरहर को उ0 प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा–6 (1) के अन्तर्गत दिनांक 10–6–2010 को चकबन्दी प्रक्रिया से पृथक किया गया है।

जी हां।

ग्राम की चकबन्दी उपरोक्तानुसार निरस्त की जा चुकी है। अतः चकबन्दी प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के क्षेत्र एत्मादपुर में यमुना पार स्थित अवैध, अपंजीकृत, अकुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मानकों के विपरीत अस्पतालों का संचालन

116–डॉ0 धर्मपाल सिंह–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में यमुना पार स्थित अवैध, अपंजीकृत, अकुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मानकों के विपरीत अस्पतालों का संचालन किया जाना उनके संज्ञान में है, जिसके कारण आये दिन लोगों की मौतें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अस्पतालों का संचालन तत्काल बन्द कर भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र एत्मादपुर में यमुना पार स्थित अवैध, अपंजीकृत, अकुशल स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मानकों के विपरीत अस्पतालों का संचालन रोकने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी, आगरा द्वारा दो टीमें बनाकर, जिसकी प्रत्येक टीम में जिलाधिकारी, आगरा द्वारा नामित एक–एक अपर जिलाधिकारी, आगरा भी हैं, कार्यवाही करायी जा रही है। इस सम्बन्ध में 21 चिकित्सालयों का निरीक्षण किया गया, जिसमें से 02 चिकित्सालयों को मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर सील किया गया तथा सुधारात्मक कमियां, यथा अप्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी पाये जाने पर चिकित्सालय संचालक/मालिक को सुधार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

जी हां।

प्रदेश के सभी सरकारी, गैर सरकारी क्लीनिकों, चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक सेन्टर व अन्य सभी प्रकार के निदान केन्द्रों पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा इनके द्वारा जनता को सुलभ एवं सुगम चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराये जाने एवं जनता को शोषण से बचाये जाने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली लागू किया जाना प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–आगरा के अन्तर्गत बरहन में 132 के0वी0ए0 बिजली घर का निर्माण

117–डॉ0 धर्मपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आगरा के अन्तर्गत बरहन में 132 के0वी0ए0 बिजली घर का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी आधार पर 132 के0वी0ए0 उपकेन्द्र का निर्माण किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

आगरा–जलेसर रोड से सेवरा तक की जर्जर सड़क मरम्मत कराने की मांग

118–डॉ0 धर्मपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा–जलेसर रोड से सेवरा तक की सड़क अत्यन्त जर्जर होने के कारण जनता को आवागमन में कठिनाइयां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम–पिपरोला में ट्रालीटोकेन से पुलिया छोहा में लगभग बसारा की हद तक खराब मार्गों का निर्माण कराया जाना

119–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम–पिपरोला में ट्रालीटोकेन से पुलिया छोहा में लगभग बसारा की हद तक लम्बाई लगभग 2.0 कि0मी0 सड़क नहीं बनी है, जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में बेहद परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–गोरखपुर के विकास खण्ड–ब्रहमपुर में बरही पाथ बांध–18 कि0मी0 एवं इटौवा बांध 10 कि0मी0 डुवारैला से लकडीहवा तक अत्यन्त जर्जर बांधों का निर्माण कराने विषयक

120–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोरखपुर, विकास खण्ड–ब्रहमपुर में बरही पाथ बांध–18 कि0मी0 एवं इटौवा बांध 10 कि0मी0 डुवारैला से लकडीहवा तक अत्यन्त जर्जर हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बांधों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

उक्त बांध पहले से ही निर्मित है।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि पहले से ही निर्मित बांध जर्जर नहीं है।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बलरामपुर के कंसा ताल से उसरा निषाद बस्ती होते हुए छोटी पिकिया नदी तक जाने वाला नाला को चौड़ा कर सफाई कराये जाने की मांग

121–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत ग्राम पंचायत बलरामपुर के कंसा ताल से उसरा निषाद बस्ती होते हुए छोटी पिकिया नदी तक जाने वाला नाला काफी सकरा है तथा उसकी काफी दिनों से सफाई भी नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले का चौड़ीकरण करते हुए सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं, क्योंकि उक्त नाला एक प्राकृतिक नाला है, जिससे गांव का वर्षा का पानी खेतों से होते हुए पिकिया नदी में जाता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के अनुसार प्रश्नगत नाले का चौड़ीकरण करते हुए सफाई कराये जाने की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत बाबा ब्रम्हचारी घिनहापुर बन्धा को चौड़ा कर मरम्मत किया जाना

122–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत बाबा ब्रम्हचारी घिनहापुर बन्धा जो आजमगढ़ सीमा तक बना है वह काफी जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्धे का चौड़ीकरण/मरम्मत कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतेहपुर मण्डांव के अन्तर्गत दुबारी चौक से जैयनेन्द्र कुमार के विद्यालय तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराया जाना

123–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतेहपुर मण्डांव के अन्तर्गत दुबारी चौक से जैयनेन्द्र कुमार के

विद्यालय तक (ल0 लगभग 2.0 किमी0) सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतेहपुर मण्डांव के अन्तर्गत ब्लाक मुख्यालय से खीरीकोठा अहिरौली तक क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराया जाना

124–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक फतेहपुर मण्डांव के अन्तर्गत ब्लाक मुख्यालय से खीरीकोठा अहिरौली तक (ल0 लगभग 1.0 किमी0) की क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में सरकार द्वारा लेपन कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत मार्ग की वास्तविक लम्बाई 0.500 कि0मी0 है। वर्तमान में खीरीकोठा ग्राम तथा अहिरौली ग्राम लेपित मार्ग से जुड़ा है। मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत करौंदी नरायनपुर सिवान से रामध्यान यादव के घर होते हुए कारूबीर अमिला मार्ग तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

125–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत करौंदी नरायनपुर सिवान से रामध्यान यादव के घर होते हुए कारूबीर अमिला मार्ग तक (ल0 लगभग 1.0 किमी0) की क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के अन्तर्गत करौंदी नरायनपुर सिवान से रामध्यान यादव के घर होते हुए कारूबीर अमिला मार्ग तक मार्ग की वास्तविक लम्बाई 1.200 कि0मी0 है। ग्राम करौंदी नरायनपुर एवं कारूबीर पूर्व से ही लेपित मार्गों से जुड़े हैं। प्रश्नगत मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत अमिला दरगाह से ओझौली दुर्ग विजय ओझा के घर तक क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण किया जाना

126–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट के अन्तर्गत अमिला दरगाह मार्ग से ओझौली दुर्ग विजय ओझा के घर तक (ल0 लगभग 1.0 किमी0) की क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग की वास्तविक लम्बाई 0.65 कि0मी0 है। ग्राम ओझौली की आबादी 250 से कम होने के कारण मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक बडरांव के अन्तर्गत कुसम्हा चट्टी से कुसम्हा अनुसूचित बस्ती तक क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण कराया जाना

127–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक बडरांव के अन्तर्गत कुसम्हा चट्टी से कुसम्हा अनु0 बस्ती तक (ल0 लगभग 1.0 किमी0) की क्षतिग्रस्त सड़क का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक बडरांव के अन्तर्गत एन0एच0–29 के कि0मी0 151 पर स्थित कुसम्हा चट्टी से कुसम्हा हरिजन बस्ती को जाने वाला मार्ग कच्चा मार्ग है, जिसकी लम्बाई 0.800 कि0मी0 है। कुसुम्हा हरिजन बस्ती की आबादी 185 अर्थात् 250 से कम होने के कारण प्रश्नगत मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

128–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

ख्ाले शुक्रवार के अता0प्र0सं0–67 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद–लखीमपुर खीरी के क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम–हिम्मतपुर से बरखेरा होते हुए मन्नापुर, शंकरपुर, पड़री सम्पर्क मार्ग को लेपन स्तर तक बनाया जाना

129–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम–हिम्मतपुर से बरखेरा होते हुए मन्नापुर, शंकरपुर, पड़री सम्पर्क मार्ग लेपन स्तर तक नहीं बनी है, जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम–हिम्मतपुर से बरखेरा होते हुए मन्नापुर, शंकरपुर, पड़री मार्ग लम्बाई 2.870 कि0मी0 है, जिसमें से हिम्मतपुर से बरखेरा तक खड़न्जा कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है। उक्त मार्ग का 200 मी0 भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पड़री सम्पर्क मार्ग के संरेखण में है एवं शेष भाग कच्चा है, जिसे जिला योजना वर्ष 2015–16 में प्रस्तावित किया गया है जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–लखीमपुर खीरी के क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम–महुआठाव से सेमराघाट गुरूद्वारा के पास से बरबर तक तथा ग्राम जमिरहा से गणेशपुर मार्ग को लेपन स्तर तक निर्मित कराया जाना

130–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम–महुआठाव से सेमराघाट गुरूद्वारा के पास से बरबर तक तथा ग्राम जमिरहा से गणेशपुर मार्ग (लम्बाई लगभग 01 किमी0) लेपन स्तर तक निर्मित नहीं है, जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

एन0एच0–24 से महुआठाव सेमराघाट मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन है। सेमराघाट से गुरूद्वारा होते हुए बरबर सम्पर्क मार्ग का स्वामित्व लो0नि0वि0 का नहीं है। यह मार्ग पंचायत विभाग के अधीन है। बरबर पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है।

जमिरहा तथा गनेशपुर पूर्व से लेपित मार्गों से जुड़े हैं। ग्रामों को आपस में जोड़ा जाना लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–लखीमपुर खीरी के क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत बरबर जहानीखेड़ा रोड पर मकसूदपुर के आगे ग्राम–नकटी तक जर्जर सड़क का निर्माण कराया जाना

131–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत बरबर जहानीखेड़ा रोड पर मकसूदपुर के आगे ग्राम–नकटी जर्जर खड़न्जा रोड नहीं बनी है, जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–लखीमपुर खीरी के क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम–सहजना से वाया खन्देवरा होते हुए क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

132–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम–सहजना से वाया खन्देवरा होते हुए, लम्बाई 3.0 कि0मी0 तक सड़क नहीं बनी है, जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां। ग्राम सहजना (सहिजना) से खन्देवरा मार्ग का नवनिर्माण श्री रामशरण दास ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 में स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

133–श्री जय प्रकाश निषाद–

खविस्तीर्णता के आधार पर निरस्त,

जनपद–गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रहमपुर के ग्राम हरैया (झिरझिरवा घाट) मझने नाले पर पुल न होने से पुल का निर्माण कराया जाना

134–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोरखपुर के वि0ख0–ब्रहमपुर के ग्राम सभा हरैया (झिरझिरवा घाट) जो मझने नाले पर स्थित है, पर पुल न होने से जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रस्तावित सेतु के अपस्ट्रीम में 2.00 कि0मी0 तथा डउनस्ट्रीम में 4.00 कि0मी0 की दूरी पर लघु सेतु निर्मित है। सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में 10.00 कि0मी0 अपस्ट्रीम अथवा डाउनस्ट्रीम में पूर्व से सेतु निर्मित होने की स्थिति में नये सेतु का निर्माण नहीं किया जाता है।

जनपद–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा के अन्तर्गत सभी ग्रामों के जर्जर विद्युत तारों को बदला जाना

135–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी–चौरा के अन्तर्गत सभी ग्रामों के जर्जर विद्युत तारों को क्या सरकार जनहित में बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जर्जर तार चिन्हित कर बदलना एक सतत् प्रक्रिया है, इसे बदलने की कार्यवाही नियमित बिजनेस प्लान के अन्तर्गत की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रहमपुर में स्थित गांवों को बाढ़ से बचाने हेतु बरही पाथ बांध, बरही, छितहरी सिंहोडवा, सराय मजगवां, टमठा आदि बंधे का बोल्डर पिचिंग कराने विषयक

136–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रहमपुर में स्थित गांवों को बाढ़ से बचाने हेतु क्या सरकार बरही पाथ बांध जो बरही, छितहरी सिंहोडवा, सराय मजगवां, टमठा आदि बंधे का बोल्डर पिचिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2015–16 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर के अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड सी0डी0–2 लो0नि0वि0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 व

2013–2014 के टेण्डर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता करने विषयक नेता विरोधी दल के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

137–श्री जय प्रकाश निषाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मिर्जापुर के अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग एवं अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड सी0डी0–2 लोक निर्माण मिर्जापुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–2014 के टेण्डर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतते हुए करोड़ों रुपये के गबन किये जाने की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा उ0 प्र0 का पत्र 0346/ने0वि0द0/2014, दिनांक 27–06–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर दिसम्बर 2014 तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों के सम्बन्ध में शासन के पत्र दिनांक 22–08–2014 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0, उ0 प्र0 लखनऊ को जांच कराने के आदेश दिये गये हैं। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मिर्जापुर के अन्तर्गत विशेष मरम्मत एवं पूर्वान्चल विकास निधि योजना के स्वीकृत कार्यों के सम्बन्ध में करायी गयी प्रारम्भिक जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अभियन्ताओं को निलम्बित करते हुए उनके विरुद्ध उ0 प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम–7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला के अन्तर्गत सन् 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल के किले के खण्डहर को देशी/विदेशी पर्यटकों को दृष्टिगत रखते हुए स्मारकों को बनाया जाना

138–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर–जनपद के तहसील गोला के अन्तर्गत सन् 1957 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल के किले के खण्डहर को देशी विदेशी पर्यटकों को दृष्टिगत रखते हुए स्मारक बनाने विषयक तत्कालीन धर्मार्थ एवं होमियोपैथिक चिकित्सा शिक्षा मंत्री का पत्र संख्या–335 दि0 10–7–2009, 466 दि0 29–8–2009, 578 दि0 15–10–2009 एवं 520 दि0 26–7–2010 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर दिसम्बर 2014 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

गोरखपुर जनपद के तहसील गोला के अन्तर्गत सन् 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल के किले के खण्डहर को देशी–विदेशी पर्यटकों के दृष्टिगत स्मारक बनाने विषयक तत्कालीन मा0 धर्मार्थ एवं होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा मंत्री का पत्र संख्या–335 दिनांक 18–7–2009 एवं पत्र संख्या–520 दिनांक 26–07–2010 प्राप्त हुए हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा उक्त विषय पर कोई कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

किले के खण्डहर को स्मारक का रूप देने तथा प्रतिमा लगाये जाने का कार्य पर्यटन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत गोला बाजार से सिकरीगंज के बीच राम जानकी राज्य मार्ग 72 के चौड़ीकरण–सुदृढ़ीकरण करने सम्बन्धित योजना की जानकारी

139–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के अन्तर्गत गोला बाजार से सिकरीगंज के बीच राम जानकी राज्य मार्ग 72 के सुदृढ़ीकरण–चौड़ीकरण करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राज्य मार्ग 72 पर शीघ्र कार्य आरम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। आंशिक रूप से।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर में राम जानकी राज्यमार्ग संख्या–72 के 136 कि0मी0 से 151 किमी0 के बीच सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण तथा चौड़ीकरण का कार्य पूरा कराया जाना

140–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर–जनपद में राम जानकी राज्यमार्ग संख्या 72 के 136 कि0मी0 से 151 किमी0 के बीच सुदृढ़ीकरण, उच्चीकरण, चौड़ीकरण का कार्य सन् 2011 में आरम्भ हुआ था, जो पिछले एक साल से बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण का कार्य शीघ्र पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। कार्य की स्वीकृति दिनांक 23–05–2011 को प्रदान की गयी थी। ठेकेदार द्वारा कार्य बन्द किये जाने के कारण गठित अनुबन्ध निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित की गयी है।

जी हां। सड़क निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कासगंज विधान सभा क्षेत्र अमांपुर, सहावर एवं मोहनपुर में 400 के0वी0ए0 के अतिरिक्त ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था

141–श्री ममतेश शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अमांपुर, जनपद–कासगंज के कस्बों–अमांपुर, सहावर एवं मोहनपुर में 400 के0वी0ए0 के अतिरिक्त ट्रॉली ट्रांसफार्मर नहीं है जिससे यदि कोई ट्रांसफार्मर खराब होता है, तो वहां कई दिनों बाद दूसरा नहीं ट्रांसफार्मर लग पाता है, जिससे वहां के निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बों में अतिरिक्त ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विधान सभा क्षेत्र अमांपुर, जनपद–कासगंज के कस्बों–अमांपुर, सहावर एवं मोहनपुर में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर ट्राली की व्यवस्था नहीं है किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में खराब ट्रांसफार्मर को 72 घण्टों में एवं शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे में बदलने की व्यवस्था निर्धारित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कस्बों में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर ट्राली की आवश्यकता नहीं है।

जनपद–कासगंज विधान सभा क्षेत्र अमांपुर के अन्तर्गत काली नदी के पुल से अमांपुर नगर होते हुए बीनपुर कलां ग्राम तक का क्षतिग्रस्त मार्ग निर्माण कराया जाना

142–श्री ममतेश शाक्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र अमांपुर, जनपद–कासगंज के अन्तर्गत काली नदी के पुल से अमांपुर नगर होते हुए बीनपुर कलां ग्राम तक का मार्ग, जो दो तहसील एवं दो जनपद मुख्यालयों को जोड़ता है पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग के मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

143–श्री ममतेश शाक्य–

खदिनांक 23–02–2015 को अता0प्र0सं0–124 द्वारा उत्तरित,

जनपद–रायबरेली में ग्राम सभा–रहवां, तहसील–सदर में ग्राम सभा की भूमि गाटा संख्या 460, 558, 1033 तथा 1103 पर दबंगों का अवैध कब्जा हटाने की मांग

144–श्री संजय प्रताप जयसवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा–रहवां, तहसील–सदर, जनपद–रायबरेली में ग्राम सभा की भूमि गाटा संख्या 460, 558, 1033 तथा 1103 पर कुछ दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम रहवां में स्थित गाटा संख्या–460 व 558 पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसे हटवाकर सुरक्षित कर लिया गया है एवं गाटा संख्या–1033 तथा 1103 पर कोई अतिक्रमण नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की राधिका विहार आवासीय कालोनी जनपद मथुरा में योजनान्तर्गत स्वीकृत ले आउट के अनुसार खसरा सं0–2059 के पीछे के भाग में प्रस्तावित परिषद् के मध्यम आय वर्ग रिक्त क्षेत्रफल 265 वर्ग मी0 सरकार की नीति के अनुसार उपलब्ध कराये जाने विषयक पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

145–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/ एम0/पी0जी0 10465218/2014, दिनांक 17–06–2014 प्रश्नकर्ता को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की राधिका विहार आवासीय कालोनी जनपद मथुरा में योजना के स्वीकृत ले आउट के अनुसार खसरा सं0 2059 के पीछे के भाग में प्रस्तावित परिषद् के मध्यम आय वर्ग रिक्त क्षेत्रफल 265 वर्ग मी0 सरकार के नीति के अनुसार उपलब्ध कराये जाने के विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की राधिका विहार आवासीय योजना जनपद मथुरा के स्वीकृत ले–आउट के अनुसार खसरा सं0–2059 के पीछे के भाग में प्रस्तावित परिषद् के मध्यम आय वर्ग भवन संख्या–424 तक का निर्माण हो पाया है। शेष भवन संख्या–425 से 428 तक के क्षेत्रफल 410.00 वर्ग मीटर के स्थान पर मौके पर भू–खण्ड के रूप में मात्र 265 वर्ग मी0 भूमि मौके पर समलम्बाकार में उपलब्ध है, जिसकी गहराई क्रमशः 13.70 व 6.30 मीटर है। भूमि समलम्बाकार में होने के कारण निर्माण सम्भव नहीं है। यदि यह भूमि आवंटित की जाती है तो उक्त चारों भू–खण्डों की अवशेष 145.00 वर्गमीटर भूमि की परिषद् के पास कोई उपयोगिता नहीं रहती।

प्रश्नगत खसरा संख्या–2059 पर (जो रिक्त क्षेत्रफल 265 वर्ग मीटर से लगी हुई भूमि है) वाद संख्या–99/1987 जगत सिंह बनाम रेजीडेन्ट इंजीनियर में दिनांक 10–01–1991 को सिविल जज सीनियर डिवीजन, मथुरा द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया था, जो दिनांक 13–01–2015 को बैकेट हुआ।

वर्तमान में परिषद् में 80 वर्ग मीटर से बड़े आवासीय भू–खण्डों का निस्तारण विज्ञापनोपरान्त जहां है जैसे है, के आधार पर खुली नीलामी से किये जाने का प्राविधान है।

प्रकरण की वस्तुस्थिति से मा0 विधायक को परिषद् के पत्र दिनांक 12–01–2015 द्वारा अवगत दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में ब्लाक बल्देव व ब्लाक राया के ग्रामीण अंचल को डार्क जोन दिखाकर किसानों को विद्युत कनेक्शन न देने से किसानों की सिंचाई प्रभावित होने के कारण विद्युत कनेक्शन दिया जाना

146–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा में ब्लाक बल्देव व ब्लाक राया के ग्रामीण अंचल को डार्क जोन दिखा कर किसानों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों को समुचित सिंचाई हेतु मांग के अनुसार विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद मथुरा में ब्लाक बल्देव एवं राया को भू–गर्भ जल संसाधनों के 31 मार्च, 2011 पर आधारित आंकलन के अनुसार उक्त विकास खण्डों को डार्क जोन घोषित किया गया है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में विधान सभा क्षेत्र बल्देव में बाबा जयगुरु देव आश्रम स्थित विद्युत उपकेन्द्र की 10 एम0वी0 की क्षमता वृद्धि किये जाने विषयक पत्र पर की गई कार्यवाही की जानकारी

147–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/ एम0–पी0जी0 10465801/2014, दिनांक 18–06–2014 जो जनपद मथुरा में विधान सभा क्षेत्र बल्देव में बाबा जयगुरु देव आश्रम स्थित विद्युत उपकेन्द्र की 10 एम0वी0 की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र जयगुरुदेव (मथुरा) की क्षमता 2ग10 एम0वी0ए0 है तथा इसे 132 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान, औरंगाबाद से डॉग कण्डक्टर पर बनी 33 के0वी0 लाइन से पोषित किया जा रहा है। यह विद्युत उपसंस्थान पूर्णतः भारित है। सामान्यतः 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान की क्षमता 2ग10 एम0वी0ए0 से अधिक नहीं होती है, क्योंकि डॉग, कण्डक्टर पर 20 एम0वी0ए0 से अधिक लोड लिये जाने पर उसमें ब्रेक डाउन की सम्भावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त 132 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान, औरंगाबाद भी पूर्णतः भारित होने के कारण इस उपसंस्थान से और अधिक भार नहीं दिया जा सकता है। उपरोक्त विद्युत उपसंस्थान की अतिभारिता को कम करने के लिये वर्तमान में सलेमपुर सौंख रोड, मथुरा पर 2ग5 एम0वी0ए0 क्षमता का नया विद्युत उपसंस्थान आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–बी0 योजना के अन्तर्गत निर्माण किया जाना है, जिसके लिये भूमि उपलब्ध हो चुकी है। उक्त नये विद्युत उपसंस्थान का निर्माण होने के उपरान्त 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान जयगुरुदेव का लगभग 4 एम0वी0ए0 भार नये विद्युत उपसंस्थान पर स्थानान्तरित हो जायेगा तथा जयगुरुदेव विद्युत (मथुरा) से भविष्य में और अतिरिक्त विद्युत भार अवमुक्त किये जाने की सम्भावना हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में उप जिलाधिकारी, मथुरा तथा उप जिलाधिकारी माट द्वारा जेड0 ए0 एल0 आर0 ऐक्ट की धारा–161 एवं धारा–143 के तहत कितने ग्राम सभाओं की भूमि की अनुमति दिये जाने तथा अनुमति में की गई अनियमितता की जांच

148–श्री पूरन प्रकाश–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद– मथुरा में तहसील मथुरा एवं तहसील माट के अन्तर्गत पिछले 3 वर्षों में उप जिलाधिकारी, मथुरा तथा उप जिलाधिकारी, माट द्वारा जेड0 ए0 एल0 आर0 एक्ट की धारा 161 एवं धारा 143 के तहत कितनी ग्राम सभाओं की भूमि की अनुमति प्रदान की गई तथा कितनी ग्राम सभाओं की भूमि को आबादी स्थल घोषित किया गया ? क्या यह सही है कि उपरोक्त अनुमति प्रदान करने में विधि के विपरीत कार्य किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद मथुरा की तहसील माट के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में उप जिलाधिकारी, माट द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–161 के अन्तर्गत गांव सभा भूमि का कोई विनिमय नहीं किया गया है तथा गांव सभा व भूमि को धारा–143 के अन्तर्गत आबादी घोषित नहीं किया गया है।

जनपद मथुरा की तहसील मथुरा के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में उप जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–161 के अन्तर्गत गांव सभा से विनिमय के 09 वाद निर्णीत किये गये तथा धारा–143 के अन्तर्गत किसी गांव सभा भूमि को आबादी स्थल घोषित नहीं किया गया है।

न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत दोनों पक्षों को सुनकर गुण–दोष के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित किये गये हैं।

न्यायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आदेश के विरुद्ध क्षुब्ध पक्ष/व्यक्ति उच्चतर न्यायालय में अपील योजित कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रकरण न्यायिक प्रक्रिया से आच्छादित होने के कारण किसी जांच की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद–मथुरा में लोक निर्माण विभाग सी0डी0–1 के अन्तर्गत राया से बल्देव मुख्य मार्ग के पूर्ण रूप से टूटने/उखड़ने तथा सड़क के अन्दर गड्ढे होने से उसे ठीक कराने की मांग

149–श्री पूरन प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा में लोक निर्माण विभाग सी0डी0–1 के अन्तर्गत राया से बल्देव मुख्य मार्ग के पूर्ण रूप से टूटने/उखड़ने तथा सड़क के अन्दर गहरे गड्ढे होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

यातायात चालू है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय जिला चिकित्सालयों व पोस्टमार्टम हाउसों में 24 घण्टे में केवल एक ही पाली में पोस्टमार्टम की व्यवस्था होने के कारण गंभीर दुर्घटनाओं की संवदेनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये प्रातः एवं सायंकाल पोस्टमार्टम हाउस खोले जाने की मांग

150–श्री सुदेश शर्मा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय जिला चिकित्सालयों व पोस्टमार्टम हाउसों में 24 घण्टे में केवल एक ही पाली में पोस्टमार्टम की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनता की परेशानियों एवं समय–समय पर गंभीर दुर्घटना की संवदेनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये पोस्टमार्टम

को दो पालियों प्रातः काल एवं सायं काल में किये जाने की व्यवस्था करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या–2247/सेक–2–पांच–07–7(123)/07, दिनांक 31–07–2007 एवं फोरेन्सिक मेडिसिन में निहित प्राविधानों के अनुसार शव विच्छेदन का कार्य सम्पादित किया जाता है। प्रदेश के सभी जनपदों में पोस्टमार्टम कार्य हेतु प्रतिदिन दो चिकित्सकों की ड्यूटी लगायी जाती है तथा ड्यूटी लिस्ट एक माह की अग्रिम तैयार की जाती है। इस प्रकार पोस्टमार्टम हाउस में आने वाले शवों का उसी दिन सूर्यास्त से पूर्व दिन के प्रकाश में पोस्टमार्टम किये जाने का प्राविधान है। अपरिहार्य परिस्थितियों में पुलिस के अनुरोध पर जिला अधिकारी की अनुमति से प्रशासनिक आधार पर सूर्यास्त के पश्चात् कृत्रिम प्रकाश में पोस्टमार्टम किये जाने का प्राविधान है।

जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में एन0एच0–58 पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के सम्बन्ध में बाईपास, एलिवेटेड पुल का निर्माण कराया जाना

151–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के मोदीनगर में एन0एच0–58 पर लगने वाले जाम से निजात दिलाने के सम्बन्ध में सरकार की कोई योजना जैसे बाईपास, एलिवेटेड पुल का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त समस्या का समाधान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के रख–रखाव एवं निर्माण का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दिल्ली–मेरठ द्रुतगामी मार्ग के विकास का दायित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के कि0मी0 6.800 (दिल्ली–उ0प्र0 बार्डर) से कि0मी0 52.250 (मेरठ–बाईपास) तक का 6 लेन में चौड़ीकरण किया जाना सम्मिलित है। उपरिगामी सेतु/अधोगामी सेतु/मार्ग इस कार्य के एकीकृत भाग हैं।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत मोदीनगर हापुड़ मार्ग पर ग्राम पट्टी के गेट से ग्राम पट्टी होते हुये ग्राम अमराला तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

152–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद, विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत मोदीनगर हापुड़ मार्ग पर ग्राम पट्टी के गेट से ग्राम पट्टी होते हुये ग्राम अमराला तक सड़क क्षतिग्रस्त है, जिससे क्षेत्रवासियों/किसानों को आवागमन में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां। यह मार्ग दो ग्रामीण मार्गों मोदीनगर–हापुड़ के किमी0 6 से पट्टी मार्ग एवं पट्टी से अमराला मार्ग को जोड़कर बना है। इन दोनों मार्गों की विशेष मरम्मत का कार्य स्वीकृत कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नही उठता।

जनपद गाजियाबाद के विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम ईशाकरनगर से ग्राम नाहली तक का क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण किया जाना

153–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर, जनपद गाजियाबाद, विकास खण्ड भोजपुर के अन्तर्गत ग्राम ईशाकरनगर से ग्राम नाहली तक का मार्ग पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के कांठ बिजली घर को सुचारु रूप से बिजली आपूर्ति हेतु मुरादाबाद के आशयाना बिजली घर से हटाकर खिदमतपुर बिजली घर से जोड़ने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

154–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के कांठ बिजली घर को सुचारु रूप से बिजली आपूर्ति हेतु मुरादाबाद के आशयाना बिजली घर से हटाकर कोठी खिदमतपुर बिजली घर से जोड़ने विषयक, मुख्य अभियन्ता को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3–9–14, पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

कांठ बिजली घर को सुचारु रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु कांठ में नवनिर्मित 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रसूलपुर को नवनिर्मित 132 के0वी0 प्राथमिक उपकेन्द्र कोठी खिदमतपुर से जोड़ते हुए 33 के0वी0 लाइन का निर्माण कर लिया गया है। इसी 33 के0वी0 लाइन से लिंक लाइन बनाने हेतु प्राक्कलन तैयार करने हेतु सर्वे किया जा रहा है। कांठ उपकेन्द्र मई, 2015 तक 132 के0वी0 उपकेन्द्र कोठी खिदमतपुर से जोड़ दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में राम गंगा नदी के किनारे बसे ग्राम गोपालपुर, बेगमपुर आश्रम एवं महदुद कलमी में प्रत्येक वर्ष नदी की बाढ़ से हुए कटानों को रोकने के लिये नदी किनारे पिचिंग लगाया जाना

155–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में राम गंगा नदी के किनारे बसे ग्राम गोपालपुर, बेगमपुर आश्रम एवं महदुद कलमी में प्रत्येक वर्ष नदी की बाढ़ से आबादी का कटान होता रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तीनों गांवों को बचाने हेतु नदी किनारे पिचिंग बनवाने/लगवाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में ग्राम गोपालपुर, बेगमपुर आश्रम एवं महदुद कलमी को रामगंगा नदी की बाढ़ से बचाने के लिये रामगंगा नदी पर पिचिंग बनाने/लगवाने पर विचार किया गया। सम्यक् विचारोपरान्त रामगंगा नदी पर वांछित पिचिंग का कार्य साध्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

इन गांवों के ग्राउन्ड लेबिल से नदी का एच0एफ0एल0 अत्यधिक ऊंचा होने के कारण पिचिंग लगवाने की कोई उपयोगिता नहीं है।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में मुरादाबाद–हरिद्वार हाइ–वे से सन्दलीपुर क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना

156–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ में मुरादाबाद–हरिद्वार हाइ–वे से सन्दलीपुर सम्पर्क मार्ग विगत काफी समय से क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो

क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

मार्ग के नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है। नवीनीकरण का कार्य मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम पाकबढ़ा से महलकपुर माफी तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना

157–श्री अनीसुर्ररहमान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ग्राम पाकबढ़ा से महलकपुर माफी सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पाकबड़ा से महलकपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी हां। मार्ग की कुल लम्बाई 2.100 कि0मी0 के सापेक्ष 1.500 कि0मी0 नवीनीकरण का कार्य स्वीकृत है जो इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। मार्ग के शेष भाग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी/इंजीनियर्स को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाना

158–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में कितने ऐसे अधिकारी/इंजीनियर्स हैं, जो स्थानान्तरण नीति के विपरीत विगत दस वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे अधिकारियों/इंजीनियर्स का स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उ0प्र0 विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के कार्मिकों के लिये वर्ष 2014–15 के लिये घोषित स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत 01 मुख्य नगर नियोजक, 01 अधीक्षण अभियन्ता, 03 अधिशासी अभियन्ता, 04 सहायक अभियन्ता एवं 19 अवर अभियन्ता ऐसे हैं

जिनकी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में पूरे सेवाकाल में तैनाती की कुल अवधि 10 वर्ष अथवा उससे अधिक रही है।

वर्ष 2014–15 के लिये घोषित स्थानान्तरण नीति में स्थानान्तरण किये जाने की कट आफ डेट 15–07–2014 नियत थी। आगामी स्थानान्तरण नीति घोषित होने पर उक्त नीति के प्राविधानों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर, विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत पिकिया नदी पर सरायहंकार व मुबारकपुर पिकार के बीच में पुल का निर्माण कराया जाना

159–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत पिकिया नदी पर सरायहंकार व मुबारकपुर पिकार के बीच में पुल का निर्माण न होने के कारण स्थानीय लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण जनहित में करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रस्तावित स्थल से 04 कि0मी0 अपस्ट्रीम में 79.20 मी0 स्पान का सेतु निर्मित है। सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में 10 किमी0 अपस्ट्रीम अथवा डाउन स्ट्रीम में पूर्व से सेतु निर्मित होने की स्थिति में नये सेतु का निर्माण नहीं किया जाता। अतः प्रस्तावित स्थल पर सेतु निर्माण किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है।

जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत जहांगीरगंज मुख्य मार्ग से राजेसुल्तानपुर बिजली तिहाई पुल तक सड़क का चौड़ा किया जाना तथा लेपन स्तर तक बनाने की मांग

160–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर अन्तर्गत जहांगीरगंज मुख्य मार्ग से राजेसुल्तानपुर बिजली तिहाई पुल तक सड़क का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य न होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग पर यातायात घनत्व चौड़ीकरण हेतु निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है। इस कारण मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना अनुमन्य नहीं है। मार्ग पर मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में बिजली की कटौती अत्यधिक होने से सिंचाई न कर पाने से उत्पन्न स्थिति के कारण बिजली उपलब्ध कराया जाना

161–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ में बिजली की कटौती अत्यधिक होने के कारण क्षेत्र के किसान अपनी फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहे तथा सूखा पड़ने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में कम से कम 15–16 घण्टे बिजली उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

खेरागढ़ क्षेत्र में माह दिसम्बर एवं जनवरी में ग्रामीण क्षेत्रों के औसतन 11 घण्टे विद्युत आपूर्ति की गई है। किसानों को रबी की फसलों हेतु पर्याप्त विद्युत उपलब्ध हुई है तथा पूरे क्षेत्र में आलू एवं गेहूं की अच्छी पैदावार की उम्मीद है।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के किसान सूखा पड़ने के कारण भुखमरी के कगार पर होने से शीघ्र मुआवजा व सहायता राशि दिलाया जाना

162–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के किसान सूखा पड़ने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे गरीब किसानों की फसलों का आंकलन कराकर शीघ्र मुआवजा व सहायता राशि दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

सूखाग्रस्त जनपदों जिनमें जनपद आगरा भी सम्मिलित है, के जिलाधिकारियों को शासनादेश संख्या–318/1–11–2014–18 (जी)/2006, दिनांक 16–09–2014 द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिये गये हैं :–

1–उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया है कि आगामी रबी की फसल आने तक (दिनांक 31 मार्च, 2015) कृषकों के अवशेष मुख्य राजस्व देयों (भू–राजस्व एवं सिंचाई) की वसूली का स्थगन दिनांक 31 मार्च, 2015 तक प्रभावी रहेगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में

कृषि ऋण से सम्बन्धित विविध देयों की वसूली हेतु कृषकों के विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

2–उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में सूखे की स्थिति गम्भीर होने की दशा में जिलाधिकारी जहां आवश्यक एवं अपरिहार्य समझते हैं, शासन की अनुमति प्राप्त करते हुए प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को विभिन्न विभागों के सहयोग से राहत हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जायेगी :–

(1) राहत कैम्प का संचालन किया जायेगा जिसमें वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित बच्चों को आवश्यकतानुसार सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था, अनाज की व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जायेगी।

(2) पशुओं हेतु आवश्यकतानुसार पशु राहत कैम्प संचालित किये जायेंगे, जिसमें चारा की व्यवस्था, पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था, टीकाकरण की व्यवस्था की जायेगी।

3–उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में आपदा राहत निधि से प्रभावित व्यक्तियों/कृषकों को निम्नांकित राहत सहायता प्रदान की जायेगी :–

(1) आपात स्थिति में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति की जाये।

(2) अवर्षण के कारण लघु एवं सीमान्त कृषकों की 60 प्रतिशत या इससे अधिक क्षतिग्रस्त फसल हेतु कृषि निवेश अनुदान का वितरण किया जाये।

(3) सूखे की स्थिति पर सतर्क दृष्टि रखते हुए इससे निपटने के लिये बनाई गई कार्ययोजना को तत्काल कार्यान्वित कराया जाये तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि कोई व्यक्ति सूखे से उत्पन्न स्थिति के कारण भुखमरी का शिकार न हो।

(4) सूखे की स्थिति से निपटने के लिये की जाने वाली प्रमुख कार्यवाही :–

(1) स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन जनपदों में रैपिड रेस्पांस टीम का गठन किया जाये जिसके माध्यम से पेयजल शुद्धता हेतु क्लोरीन टैबलेट का वितरण एवं पेयजल स्रोतों का विसंक्रमण सतत् रूप से किया जायेगा एवं समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के माध्यम से रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को प्रत्येक दिवस रोजगार उपलब्ध कराई जाये।

(3) पेयजल की आवश्यकतानुसार नये हैण्डपम्प की स्थापना तथा रिबोर की श्रेणी में आने वाले हैण्डपम्पों को तत्काल रिबोर कराया जाये।

(4) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पेयजल सुविधा को सुचारु रूप से बनाये रखने हेतु सामान्य मरम्मत से सम्बन्धित हैण्डपम्प को तत्काल समय से ठीक करा लिया जायेगा।

(5) लघु सिंचाई विभाग के माध्यम से उथले नलकूप, मध्यम गहरे नलकूप एवं गहरे नलकूप को स्थापित/लगाने के लक्ष्यों के पूर्ति की कार्यवाही समय से पूर्ण की जाय ताकि कृषकों को इससे तत्काल सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

(6) कृषि विभाग के माध्यम से लघु एवं सीमान्त कृषकों को बोवाई हेतु वैकल्पिक बीज की व्यवस्था हेतु नियमानुसार मिनी किट वितरित किया जाये।

(7) राजकीय नलकूपों में सामान्य खराबी शीघ्रातिशीघ्र ठीक कर सिंचाई व्यवस्था सामान्य बनाई रखी जाये। इन राजकीय नलकूप से सम्बन्धित यदि कोई ट्रान्सफार्मर खराब होता है तो इसे विद्युत विभाग द्वारा निर्धारित अवधि/दिवस के अन्दर बदल दिया जाये। इस हेतु सभी विद्युत भण्डार केन्द्रों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था की जाये।

(8) सूखाग्रस्त जिलों में सामान्य योजना एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0 वाई0) के अन्तर्गत कृषकों से बी0 एण्ड एल0 फार्म प्राप्त होने पर यथाशीघ्र प्राथमिकता पर नलकूप ऊर्जीकृत किया जाये।

(9) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सभी बी0पी0एल0 अन्त्योदय परिवारों को नियमानुसार प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ–साथ ए0पी0एल0 परिवारों के नियमानुसार अतिरिक्त गेहूं उपलब्ध कराया जाये।

जी हां।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 23–01–2015 को केन्द्रांश को समायोजित करते हुए रु0 490.28 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई है जिसका वित्तीय वर्ष 2015–16 में बजट प्राविधान कराकर किसानों के मध्य सहायता वितरित कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में आगरा से तांतापुर सी0ए0टी0 जर्जर मार्ग का निर्माण कराया जाना

163–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में आगरा से तांतपुर सी0ए0टी0 मार्ग जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है तथा आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग की लेपित सतह सामान्यतः संतोषजनक है एवं यातायात चल रहा है।

मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के क्षेत्र खेरागढ़ के अन्तर्गत कस्बा कागरौल, तातपुर, जगनेर, सैया, इकादत नगर सरांय जाजौं में जर्जर बिजली के तारों व ट्रान्सफार्मरों को बदला जाना

164–श्री भगवान सिंह कुशवाहा

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ जनपद आगरा के अन्तर्गत कस्बा कागरौल, तातपुर, जगनेर, सैया, इकादत नगर सरांय जाजौं में बिजली के तार व ट्रान्सफार्मर जर्जर होने से लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में टूटे बिजली के तार एवं ट्रान्सफार्मर बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थलीय परीक्षण के उपरान्त समय–समय पर आवश्यकतानुसार जर्जर बिजली के तार बदले जाते हैं एवं ट्रान्सफार्मर की क्षमतावृद्धि की जाती है।

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत सिकन्दरा से खटकर तक बनी सड़क एवं ग्राम चिलौली से अम्बियापुर तक की सड़क के उखड़ जाने से मरम्मत कराया जाना

165–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत सिकन्दरा से खटकर तक बनी सड़क एवं ग्राम चिलौली से अम्बियापुर तक की सड़क जो पूर्ण रूप से उखड़ चुकी है, पर नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम रसधान से देवपुर तक जर्जर गड्ढा युक्त सड़क की मरम्मत कराया जाना

166–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम रसधान से देवपुर तक बनी सड़क गड्ढा युक्त होने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत विद्युत से वंचित ग्रामों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल करने विषयक

167–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत विद्युत से वंचित ग्रामों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 12वीं योजना में 100 से अधिक आबादी वाले अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण कराया जाता है। कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा हेतु स्वीकृत योजना में अविद्युतीकृत ग्रामों/मजरों जिनकी आबादी 100 से अधिक है, का विद्युतीकरण माह सितम्बर, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम सरगांव खुर्द, ब्लाक डेरापुर की दलित बस्ती में विद्युतीकरण कराया जाना

168–श्री इन्द्रपाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत ग्राम सरगांव खुर्द, ब्लाक डेरापुर की दलित बस्ती को अभी तक विद्युतीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उसे कब तक विद्युतीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद कानपुर देहात के अन्तर्गत सरसांव खुर्द ब्लाक डेरापुर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 12वीं योजना में चयनित है। कार्यदायी संस्था को एन0ओ0ए0 निर्गत की जा चुकी है। कार्यदायी संस्था द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है। राजीव

गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा माह सितम्बर, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत घिसौली पाइप लाइन तिगैला से सुजालपुरा तक व जौनपुर से सूरजपुरा तक जौनपुर से फोरलेन (ललितपुर) तक तथा सुजालपुरा (घिसौली) से प्रेमपुरा तक सम्पर्क मार्गों को बनवाया जाना

169–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत घिसौली पाइप लाइन तिगैला से सुजालपुरा तक व जौनपुर से सूरजपुरा तक जौनपुर से फोरलेन (ललितपुर) तक तथा सुजालपुरा (घिसौली) से प्रेमपुरा तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत बसावटों की आबादी 250 से कम होने के कारण पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में खांडी रोड से बैरागढ़ तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना

170–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में खांडी रोड से बैरागढ़ तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत बसावट की आबादी 250 से कम होने के कारण पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़गांव, विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम तेदौल मजरा पुरेनिया खिरक में विद्युतीकरण कराया जाना

171–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़गांव, विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम तेदौल मजरा पुरेनिया खिरक में विद्युतीकरण न होने के कारण बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम तेदौल का मजरा पुरेनिया खिरक का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद झांसी विकास खण्ड बड़गांव, विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम तेदौल मजरा पुरेनिया खिरक का सूचीकरण जनगणना के सेन्सस कोड 2011 के अनुसार बसावटों की तालिका में सम्मिलित न होने के कारण भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जिसमें 100 से अधिक आबादी वाले ग्राम/मजरे सम्मिलित हैं, में सम्मिलित नहीं हो सका। भविष्य में अन्य योजना में सम्मिलित होने पर विद्युतीकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी विकास खण्ड बड़ागांव विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम धुधुवा मजरा गदरिया खिरक का विद्युतीकरण कराया जाना

172–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी वि0 खण्ड बड़ागांव विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम धुधुवा मजरा गदरिया खिरक का विद्युतीकरण न होने के कारण मजरा के लोगों में भारी आक्रोश है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम धुधुवा मजरा गदरिया खिरक का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद झांसी विकास खण्ड बड़ागांव विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम धुधुवा मजरा गदरिया खिरक की सूचीकरण जनगणना के सेन्सस कोड 2011 के अनुसार बसावटों की तालिका में सम्मिलित न होने के कारण भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जिसमें 100 से अधिक आबादी वाले ग्राम/मजरे सम्मिलित हैं, में सम्मिलित नहीं किया जा सका। भविष्य में अन्य योजना में सम्मिलित होने पर विद्युतीकरण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र करछना के कतिपय ग्रामों में वर्ष 2014–15 में पावर कारपोरेशन द्वारा बिजनेस प्लान के तहत ग्रामों/मजरों के पुराने तारों व ट्रान्सफार्मरों को बदला जाना

173–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2014–15 में पावर कारपोरेशन द्वारा बिजनेस प्लान के अन्तर्गत किन–किन गांव/मजरों में पुराने तारों एवं ट्रान्सफार्मरों को बदलने तथा नये ट्रान्सफार्मरों को लगाने की योजना है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र करछना के ग्राम पंचायत तेवरिया खुर्द, रिठैय, बगवना, पूरेखगन, मदरा, भगनपुर, हौज कटोरवा, डेरा पश्चिमी चकिया, मवैया, बेन्दों दानपुर, चकिया, बनपुरवा, भस्मा, मड़ौका उपहार, बड़गोहना खुर्द, महुवारी, मझिगवां (मडौका, बसवार, तिगनौता, कुदनीपुर राजापुर) कटका महेवा ददरी खास चाका, मुरादपुर आदि गांव/मजरे भी सम्मिलित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद–इलाहाबाद में वर्ष 2014–15 में पावर कारपोरेशन द्वारा बिजनेस प्लान के तहत ग्रामों/मजरों के पुराने परिवर्तकों को बदलकर नये परिवर्तक लगाने की कोई योजना नहीं है। क्षतिग्रस्त परिवर्तक बदले जाने एवं आवश्यकतानुसार परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि का कार्य किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

जिन ग्रामों/मजरों के तार पुराने एवं जर्जर हो गये हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बिजनेस प्लान के अन्तर्गत बदले जाने की योजना है। खण्ड में इस योजना के तहत अब तक निम्न स्थानों के जर्जर तार बदले गये हैं :–

1–33 के0वी0 कोरांव पोषक के जर्जर तार बदलने का कार्य 5.67 कि0मी0।

2–11 के0वी0 पीपलगंज पोषक के जर्जर तार बदलने का कार्य 2.5 कि0मी0।

बिजनेस प्लान के तहत बनाये गये ग्राम में पंचायत तेवरिया खुर्द, रिठैय, बगवना, पूरेखगन, मदना, भगनपुर, हौज, कटोरवा, डेरा पश्चिमी, चकिया, मवैया, बेन्दो दानपुर, चकिया, बनपुरवा, भस्मा, भड़ौका उपहार, बड़गोदना खुर्द, महुवारी, मझिगवां (मड़ौका), बसवार, तिगनौता, कुदनीपुर (राजापुर) कटका महेवा, ददरी खास चाका, मुरादपुर आदि सम्मिलित नहीं हैं।

उपरोक्त सभी ग्रामों/मजरों में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद में नर्सिंग होम के संचालन हेतु लाइसेंस प्रदान किये जाने विषयक

174–श्री दीपक पटेल–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद में कितने नर्सिंग होम को लाइसेंस विभाग द्वारा प्रदान किया गया है

? क्या यह सही है कि जनपद में बड़े पैमाने पर बिना लाइसेंस लिये नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जनपद इलाहाबाद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 07–02–2015 तक कुल 317 नर्सिंग होम को पंजीकृत करते हुए लाइसेंस प्रदान किया गया है।

जी नहीं। जनपद इलाहाबाद में बिना लाइसेंस/पंजीकरण के किसी भी नर्सिंग होम के संचालित होने की सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड–चाका स्थित ग्राम सभा–मछुवारी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र में डाक्टर, नर्स की तैनाती की व्यवस्था किया जाना

175–श्री दीपक पटेल–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के विकास खण्ड–चाका स्थित ग्राम सभा–मछुवारी में स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना दो वर्ष पहले की गई थी परन्तु अभी तक वहां पर कोई भी डाक्टर, नर्स की तैनाती नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र में नर्स एवं डाक्टर की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

स्वास्थ्य उपकेन्द्र महुवारी पर एक ए0एन0एम0 कार्यरत हैं। स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर चिकित्सक तथा स्टाफ नर्स की नियुक्ति/तैनाती का प्राविधान नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर चिकित्सक तथा स्टाफ नर्स की नियुक्ति/तैनाती का प्राविधान नहीं है।

जनपद–इलाहाबाद के समस्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर आयुर्वेद, होम्योपैथी दवाओं को वितरण हेतु अलग से भवन निर्माण कराने विषयक

176–श्री दीपक पटेल–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के समस्त स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर आयुर्वेद, होम्योपैथी दवाओं को वितरण हेतु अलग से भवन निर्माण का कार्य चालू कराने जैसी कोई योजना पर क्या सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना को चालू करने वास्ते क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को लेते हुये विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा में छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों से अन्य सामान्य वर्ग के छात्रों के समान परीक्षा शुल्क लिया जाना, शुल्क में छूट दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण

177–श्री दीपक पटेल–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा में छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों से अन्य सामान्य वर्ग के छात्रों के बराबर परीक्षा शुल्क लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें अन्य विभागों में होने वाली परीक्षाओं में शुल्क में मिलने वाली छूट के अनुरूप छूट प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रो0 शिवाकान्त ओझा–

प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में छात्राओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों से अन्य सामान्य वर्ग के छात्रों के समान परीक्षा शुल्क लिया जाता है।

सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक बड़रांव में मादी से रेयांव तक क्षतिग्रस्त नहर की पटरी सड़क का निर्माण कराया जाना

178–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक बड़रांव में मादी से रेयांव तक (ल0 लगभग 3.0 किमी0) की क्षतिग्रस्त नहर की पटरी की क्षतिग्रस्त पिच सड़क की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट में सियरही पुल से नयी बाजार तक एवं बड़रांव के अन्तर्गत रेयांव से चिऊटीडांड तक क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण कराया जाना

179–श्री उमेश पाण्डेय–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट में सियरही पुल से नयी बाजार तक एवं बड़रांव के अन्तर्गत रेयांव से चिऊटीडांड तक (क्रमशः ल0 लगभग 5.0–5.0 किमी0) की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मधुबन के ब्लाक दोहरीघाट में सियरही पुल से नई बाजार तक मार्ग की लम्बाई 4.5 किमी0 है जिसका प्रारम्भिक 0.700 किमी0 का भाग लो0नि0वि0 के स्वामित्व का मार्ग है जिसकी दशा संतोषजनक है तथा शेष 3.8 किमी0 ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित है।

बड़रांव के अन्तर्गत रेयांव से चिऊटीडांड तक मार्ग की लम्बाई 4.7 किमी0 है जो लो0नि0वि0 के स्वामित्व की है तथा क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में जिला योजनान्तर्गत नव निर्माण कार्य बड़खेरवा सम्पर्क कार्य, कल्लापुर छोटी झबरी, रीक्षिक से करमपुर, बड़ी झबरी, रीझिन से करमसेपुर आदि सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाना

180–श्री रामहेत भारती–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–4 द्वारा प्रकाशित कराये गये अल्पकालीन निविदा सूचना पत्रांक 118/निविदा दिनांक 25–01–2013 द्वारा जिला योजनान्तर्गत नव निर्माण कार्य बड़खेरवा सम्पर्क मार्ग, कल्लापुर सम्पर्क मार्ग, छोटी झबरी सम्पर्क मार्ग, रीक्षिन से करमसेपुर सम्पर्क मार्ग, बड़ी झबरी सम्पर्क मार्ग, बृजनगर सम्पर्क मार्ग, गदनापुर होते हुये गनेशपुर सम्पर्क मार्ग एवं विकास खण्ड हरगांव तथा पिछवै से महावत पुरवा सम्पर्क मार्गों का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

उल्लिखित 8 मार्गों में से सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत बड़खेरवा सम्पर्क मार्ग की वित्तीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2012–13 में तथा कल्लापुर सम्पर्क मार्ग की वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2013–14 में जिला योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई है। उक्त दोनों मार्गों का निर्माण कार्य क्रमशः माह मार्च, 2014 एवं माह अक्टूबर, 2014 में पूर्ण कराया जा चुका है। शेष 06 मार्ग स्वीकृत नहीं हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के गांव फफून्डा में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु काली नदी तक नाले का चौड़ा कराया जाना

181–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के गांव फफून्डा में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु काली नदी तक लगभग 2 किमी0 में दो मीटर चौड़े नाले का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

व्यापक सर्वेक्षण के उपरान्त तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा महायोजना–2021 में वायुयान द्वारा चिन्हित/सीमांकन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

182–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0पी0जी0–10474336/2014, दिनांक 8–7–2014 जो आगरा महायोजना–2021 में वायुयान द्वारा चिन्हित/सीमांकन के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर दिसम्बर, 2014 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

इस सम्बन्ध में आगरा विकास प्राधिकरण से प्राप्त आख्या पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा दिनांक 27–10–2014 को विभागीय अभिमत उपलब्ध कराया गया है। उक्त विभागीय अभिमत का परीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 03–11–2014 को आगरा विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव पुनः प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कराने विषयक सरकार की योजना

183–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि

हां, तो क्या प्रदेश सरकार द्वारा आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर में हजरतगंज स्थित मल्टीलेबल पार्किंग तथा इसके परिसर में बढ़ते हुये अनाधिकृत निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

184–श्री त्रिभुवन राम–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में हजरतगंज स्थित मल्टीलेबल पार्किंग तथा इसके परिसर में बढ़ते हुये अनाधिकृत निर्माण के क्रम में प्रश्नकर्ता का पत्रांक–22/अजगरा/2013, दिनांक 17–10–2013 तथा पत्रांक–97/वि0–12/2014, दिनांक 28–10–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया में शिवपुर घाट, सतीघाट एवं पंचरूखिया घाट को स्थानीय लोगों द्वारा संस्कार कराने के कारण, बढ़ती भीड़ को देखते हुए पक्के घाटों को बनवाया जाना

185–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे बने शिवपुर घाट, सतीघाट एवं पंचरूखिया घाट पर स्थानीय नागरिकों एवं अन्य लोगों द्वारा पूजा पाठ करने व बच्चों के मुंडन संस्कार के उपरान्त बाल को चढ़ाये जाने हेतु बड़े पैमाने पर हजारों लोग इक्ट्ठा होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थलों पर पक्के घाटों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय विभाग में कार्यरत कर्मचारी जो पति पत्नी के रूप में 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं के दो छोटे बच्चों में से एक की आयु 10 वर्ष होने पर प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने का प्रकरण

186–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय विभाग में कार्यरत पति–पत्नी दोनों जिन्होंने 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा उनके दो बच्चों में से सबसे छोटे बच्चे की उम्र 10 वर्ष की है, में से एक कर्मी को अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि यदि पति–पत्नी दोनों में से एक कर्मी जिसे प्रोत्साहन भत्ता मिल रहा है, उसके सेवानिवृत्त हो जाने पर क्या दूसरा कर्मी उक्त अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता पाने का हकदार होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

जी नहीं।

शासनादेश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र चमरौव्वा के विकास खण्ड सैदनगर में ग्राम व थाना आजीम नगर से ग्राम नगलिया होते हुये ग्राम खण्डिया के चौराहे तक डामर रोड का निर्माण

187–श्री अली यूसूफ अली–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चमरौव्वा, जनपद रामपुर के विकास खण्ड सैदनगर में ग्राम व थाना आजीम नगर से ग्राम नगलिया होते हुये ग्राम खण्डिया के चौराहे तक डामर रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिसके कारण उक्त रास्ता पूरी तरह राहगीरों के लिये बन्द हो चुका है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग क्षतिग्रस्त है परन्तु यातायात हेतु बन्द नहीं है।

जी नहीं।

मार्ग का मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, कृपया आप लोग शांत रहें, अब निधन के निर्देश हैं, इन्हें ले लेने दीजिये।

ख12.26, उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री हिम्मत सिंह, श्री अमीरुद्दीन, श्री मुफ्ती जलील अहमद, श्री गिरिजा शंकर पाठक, श्री नत्थू लाल, श्री अशर्फी लाल

यादव, श्री अनन्त राम जायसवाल, श्री रामदास पाल (आर0डी0 पाल एडवोकेट), श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी), श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री बाबूलाल, श्री गुन्जेश्वर प्रसाद तथा श्री आशाराम के निधन पर शोकोद्गार

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हिम्मत सिंह का 30 अक्टूबर, 1994 को निधन हो गया। वह लगभग 74 वर्ष के थे। श्री हिम्मत सिंह का जन्म 15 मार्च, 1920 को हुआ था। उन्होंने बी.ए.ए. एवं एल.एल.बी. की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हिम्मत सिंह वर्ष 1957, 1962, 1967, 1969 तथा 1974 में निर्वाचन क्षेत्र डिबाई, जिला बुलन्दशहर से जनसंघ के टिकट पर तथा वर्ष 1977 में इसी निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री हिम्मत सिंह ने राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया जिसके फलस्वरूप वे जेल भी गये। वे आर्य समाज, बुलन्दशहर के मंत्री तथा उत्तर प्रदेश जनसंघ के उपाध्यक्ष रहे थे। वे श्री चरण सिंह मंत्रिमण्डल में उप मंत्री तथा श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रिमण्डल में मंत्री रहे थे। वे शैक्षिक संस्थाओं से भी सम्बद्ध रहे तथा कृषि में उनकी विशेष रुचि थी। श्री हिम्मत सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अमीरूद्दीन का 05 जून, 1996 को निधन हो गया। श्री अमीरूद्दीन वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र चान्दपुर, जिला बिजनौर से कांग्रेस (यू0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री अमीरूद्दीन एक कुशल सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अमीरूद्दीन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री मुफ्ती जलील अहमद का 30 नवम्बर, 1996 को निधन हो गया। वे लगभग 52 वर्ष के थे। श्री मुफ्ती जलील अहमद का जन्म 04 अप्रैल, 1944 को हुआ था। उन्होंने दारूल उलूम मौलवी एवं मुफ्ती की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री मुफ्ती जलील अहमद वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र अफजलगढ़, जिला बिजनौर से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री मुफ्ती जलील अहमद दीनी तालीमी बोर्ड, जिला बिजनौर तथा शरहडी, जिला बिजनौर के अध्यक्ष रहे थे। वे जमीयतुल्मा, जिला बिजनौर के जनरल सेक्रेटरी, जिला लोकतांत्रिक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री तथा राष्ट्रीय कार्यकारिणी जमीतुल्ला हिन्द के सदस्य रहे थे। स्वाध्याय में उनकी विशेष रुचि थी। श्री मुफ्ती जलील अहमद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गिरिजा शंकर पाठक का 03 सितम्बर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 79 वर्ष के थे। श्री गिरिजा शंकर पाठक का जन्म अगस्त, 1935 में हुआ था। उन्होंने जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गिरिजा शंकर पाठक वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र औराई, तत्कालीन जिला वाराणसी से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री गिरिजा शंकर पाठक एक कुशल सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे सदैव अपने क्षेत्र के

विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। कृषि में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गिरिजा शंकर पाठक के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री नत्थू लाल का 02 दिसम्बर, 2014 को निधन हो गया। वे लगभग 84 वर्ष के थे। श्री नत्थू लाल का जन्म 12 दिसम्बर, 1930 को ग्राम बन्दरहा, जिला हरदोई में हुआ था। श्री नत्थू लाल वर्ष 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र बावन (अ0जा0), जिला हरदोई से कांग्रेस (आई) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री नत्थू लाल ने राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लिया जिसके फलस्वरूप वे हरदोई कारागार में बन्दी रहे थे। कृषि कार्यों तथा गरीबों की सहायता करने में उनकी विशेष रुचि थी। श्री नत्थू लाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अशर्फी लाल यादव का 16 जनवरी, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 80 वर्ष के थे। श्री अशर्फी लाल यादव का जन्म 11 फरवरी, 1935 को जिला बाराबंकी में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अशर्फी लाल यादव वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र दरियाबाद, जिला बाराबंकी से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री अशर्फी लाल यादव राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप कई बार जेल गये थे। वे सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री तथा अध्यक्ष रहे थे। शैक्षिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अशर्फी लाल यादव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अनन्तराम जायसवाल का 17 जनवरी, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री अनन्तराम जायसवाल का जन्म 1 अप्रैल, 1928 को ग्राम चन्दबारा, जिला बाराबंकी में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अनन्तराम जायसवाल वर्ष 1967 तथा 1969 में निर्वाचन क्षेत्र नवाबगंज, जिला बाराबंकी से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे थे। श्री अनन्तराम जायसवाल ने अनेक आन्दोलनों में भाग लिया जिसके फलस्वरूप वे कई बार जेल गये थे। वे शहर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी तथा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की राज्य समिति के अनुशासन संबंधी अदालत के सदस्य रहे थे। वे श्री चरण सिंह मंत्रिमंडल में उप मंत्री तथा श्री त्रिभुवन नारायण सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे। किसानों की समस्याओं को दूर करने तथा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अनन्तराम जायसवाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामदास पाल (आर0डी0पाल एडवोकेट) का 17 जनवरी, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 77 वर्ष के थे। श्री रामदास पाल का जन्म 05 फरवरी, 1938 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0, एल0टी0

एवं एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रामदास पाल वर्ष 1993 में निर्वाचन क्षेत्र डेरापुर, जिला कानपुर देहात से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री रामदास पाल विभिन्न आन्दोलनों में भाग लेने के फलस्वरूप अनेक बार कानपुर कारागार में बन्दी रहे थे। वे पंचायती राज एवं वित्त विकास निगम, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे। वे लोकदल एवं जनता दल के प्रदेश महासचिव, समाजवादी श्रम सभा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा अनेक शिक्षण संस्थाओं के संस्थापक भी रहे थे। साहित्यिक अध्ययन एवं योग में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रामदास पाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी) का 18 जनवरी, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 90 वर्ष के थे। श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव का जन्म 21 फरवरी, 1925 को ग्राम मनिकापार, जिला गोरखपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव सर्वप्रथम वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र बांसी, जिला बस्ती से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। तत्पश्चात वे वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र बांसी, जिला बस्ती, वर्ष 1996 तथा वर्ष 2002 में निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी कैंट, जिला वाराणसी से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने अनेक राजनैतिक आन्दोलनों में भाग लिया जिसके फलस्वरूप वे कई बार जेल गये थे। वे श्री राम नरेश यादव मंत्रिमंडल, श्री कल्याण सिंह मंत्रिमंडल, श्री राम प्रकाश मंत्रिमंडल तथा श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे। वे अनेक सामाजिक एवं शैक्षिक संस्थाओं से सम्बद्व रहे थे। लोक सेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा अध्ययन उन्हें प्रिय था। श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री का 21 जनवरी, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे। श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री का जन्म 9 जनवरी, 1939 को हुआ था। उन्होंने एम0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र जखनिया (अ0जा0), जिला गाजीपुर से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री नवयुवक संघ, उत्तर प्रदेश, काशी साहित्य परिषद्, उत्तर प्रदेश तथा जिला पिछड़ा वर्ग संघ, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे। दलित एवं पिछड़े वर्गो के उत्थान के लिये वे सदैव संघर्ष करते रहे। लेखन कार्य में उनकी विशेष रुचि थी तथा उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखीं। श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री बाबूलाल का 02 फरवरी, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 70 वर्ष के थे। श्री बाबूलाल का जन्म 12 सितम्बर, 1945 को ग्राम जगतनगर, जिला उन्नाव में हुआ था। उन्होंने स्नातक एवं एल0एल0बी0 की

शिक्षा ग्रहण की थी। श्री बाबूलाल वर्ष 1993 तथा 1996 में निर्वाचन क्षेत्र सफीपुर (अ0जा0), जिला उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री बाबूलाल वर्ष 1975 में पार्टी आन्दोलन में डी0आर0आर0 के अन्तर्गत उन्नाव कारागार में बन्दी रहे थे। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा जनसम्पर्क उन्हें प्रिय था। श्री बाबूलाल के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गुन्जेश्वर प्रसाद का 09 फरवरी, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 83 वर्ष के थे। श्री गुन्जेश्वर प्रसाद का जन्म वर्ष 1932 में हुआ था। उन्होंने हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गुन्जेश्वर प्रसाद वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र पनियारा, जिला गोरखपुर से निर्दलीय सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री गुन्जेश्वर प्रसाद आपातकाल के दौरान डी0आई0आर0 तथा मीसा के अन्तर्गत जेल में बंदी रहे थे। वे न्याय पंचायत सोरावारी के सरपंच तथा कैम्पियरगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख भी रहे थे। कृषि, अध्यापन तथा देशाटन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गुन्जेश्वर प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री आशाराम का 22 फरवरी, 2015 को निधन हो गया। वे लगभग 87 वर्ष के थे। श्री आशाराम का जन्म वर्ष 1928 में ग्राम पहाड़पुर, जिला मेरठ में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 एवं साहित्य विशारद की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री आशाराम वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर (अ0जा0), जिला मेरठ से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री आशाराम ने नायब तहसीलदार तथा सहायक बिक्री कर अधिकारी के पद पर कार्य किया था। वे हिन्दी साहित्य समिति तथा ए0एस0 कॉलेज यूनियन के प्रधान मंत्री भी रहे थे। खेल तथा अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री आशाराम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

विधान सभा के मा0 भूतपूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे तथा उनके शोक–संतृप्त परिवारों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन की शोक संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों तक पहुंचा दूंगा। अब हम सभी इन दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए खड़े हो करके दो मिनट का मौन रखेंगे।

(सदन के सभी सदस्य अपने–अपने स्थान पर दो मिनट मौन खड़े हुए)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

नत्थी ख के तारांकित प्रश्न संख्या–3 के अनुपूरक प्रश्न में श्री अजय कुमार लल्लू द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिये प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्दों को कार्यवाही से निकाले जाने की मांग

श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा'–

मा0 अध्यक्ष महोदय, नियमों में भी है और परम्पराओं में भी यह है कि अगर ऐसे सदस्यों के खिलाफ यदि कोई आरोप लगाये जाते हैं जो इस मा0 सदन के सदस्य नहीं हैं और उनके पास स्पष्टीकरण देने का अवसर भी नहीं है तो उन पर आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए और नहीं लगाये जाते हैं। अभी प्रश्न प्रहर में मा0 अजय कुमार उर्फ लल्लू जी ने ऐसे बहुप्रतिष्ठित व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ अनर्गल आरोप लगाये। मेरा आपसे निवेदन यह है कि उक्त नियम के तहत् ये आरोप नहीं लगाये जा सकते क्योंकि वो दोनों इस सदन के सदस्य नहीं हैं और न ही स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अतः आपसे यह निवेदन है कि अगर उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही में आया है तो उसे निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, मैं उसे दिखवा लूंगा।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, कोई आरोप नहीं लगाया है इनकी पार्टी के नेताओं ने जो बात कही थी उसी को रिपीट किया था, कोई आरोप नहीं लगाया था।

ख12.37 , नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25.02.2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 46 सूचनाएं प्राप्त हुईं और उसमें से 15 सूचनाएं स्वीकार की गईं:–

पहली सूचना श्री गेंदालाल चौधरी की जे0एस0एस0 कॉलेज, नोएडा समेत प्रदेश में बी0टेक आदि उच्च शिक्षा के छात्र–छात्रओं को विगत दो वर्षों से छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा समाजवादी पेंशन योजना में की जा रही धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया में आर्सेनिक युक्त पानी होने के कारण पेयजल की आपूर्ति नदियों से कराये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) की मेरठ महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की कानपुर महानगर के कैंट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सरकारी कालोनियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री ललितेशपति त्रिपाठी की जनपद मीरजापुर अन्तर्गत सोन पम्प कैनाल को पूर्ण क्षमता से चलाये जाने के सम्बन्ध में है।

आठवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेस–वे से वाया यमुना पुल होते हुए मथुरा–वृन्दावन मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष–

नवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की, जनपद मथुरा के जयगुरूदेव बाबा के आश्रम पर स्थापित 33 के0वी0ए0 के सब–स्टेशन की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की विधान सभा क्षेत्र चन्दौली के विकास खण्ड नियन्ताबाद की ग्राम सभा दुलहीपुर में हुई घटना के मृतकों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र जगनेर अन्तर्गत सी0ए0टी0 मार्ग जगनेर रोड से डांडा होते हुये मिर्जापुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री विजय कुमार पासवान की है जो उपस्थित नहीं हैं, तेरहवीं सूचना श्री अमरपाल शर्मा की जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2013–2014 की अवस्थापना निधि की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री अविनाश कुशवाहा की जनपद सोनभद्र में सर्पदंश से हो रही मौतों को दैवीय आपदा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है।

(कई सदस्यों द्वारा अनुपस्थित मा0 सदस्य की जगह अपनी सूचना स्वीकार किये जाने का आग्रह करने पर)

आप लोग बैठिये। श्री विजय कुमार पासवान जी नहीं हैं तो उनकी जगह पर एक मा0 सदस्य की सूचना ली जायेगी। इसके लिए व्यवस्था बनी हुई है, जिन मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी हैं उस सूची में पहला नं0 श्री सिनोद कुमार शाक्य का है इसलिए उनकी सूचना ले लेते हैं, श्री सिनोद कुमार जी हैं ? श्री सिनोद कुमार शाक्य जी नहीं हैं, तो दूसरा नं0 डा0 अजय कुमार का है, डा0 अजय कुमार भी उपस्थिति नहीं हैं तो तीसरे नम्बर पर श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय की सूचना को स्वीकार किया जाता है, वह उपस्थित हैं।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईः–

श्री सिनोद कुमार शाक्य, डा0 अजय कुमार, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री विजय बहादुर यादव, श्रीमती विमला बॉथम, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री दलजीत सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री प्रदीप चौधरी, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री कालीचरण समुन, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री बृजेश वर्मा, श्री शमशेर बहादुर उफ्र शेरू भईया, कुंवर कौशल सिंह, श्री जगपाल, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री राजनारायण सिंह

बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री उमेश पाण्डेय, श्री मोहम्मद जासमीर अन्सारी, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री रोशनलाल वर्मा, श्री रामहेत भारती, श्री रामचन्द्र यादव, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू व श्री मदन चौहान।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जे0एस0एस0 कालेज, नोएडा समेत प्रदेश में बी0टेक आदि उच्च शिक्षा के छात्र–छात्राओं को विगत दो वर्षों से छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदालाल चौधरी–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान प्रदेश के बी0टेक आदि उच्च शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं के छात्र–छात्राओं को सत्र 2014–15 की लगभग समाप्ति पर भी वजीफा न मिलने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

उल्लेखनीय है कि जे0एस0एस0 कालेज, नोएडा एवं प्रदेश के अन्य कालेजों में सत्र 2014–15 की लगभग समाप्ति पर भी बी0टेक आदि उच्च शिक्षा की विभिन्न कक्षाओं के पात्र छात्र–छात्राओं को वजीफा न मिलने से छात्र–छात्राओं में अत्यन्त निराशा एवं रोष है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व के दो सत्रों में भी वजीफा छात्रों को नहीं मिला था।

अतः जनहित में लोक महत्व के इस विषय पर मैं जे0एस0एस0 कालेज, नोएडा एवं प्रदेश के अन्य कालेजों में सत्र 2014–15 के पात्र छात्र–छात्राओं को अतिशीघ्र वजीफा प्रदान किये जाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।,

जनपद बलिया में समाज कल्याण विभाग द्वारा समाजवादी पेंशन योजना में की जा रही धांधली की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि बलिया जनपद में समाजवादी पेंशन योजना में समाज कल्याण विभाग द्वारा बहुत धांधली हो रही है। पात्रों को चयनित लिस्ट में अपने व्यक्तियों का चयन किया गया है। शासन द्वारा 20 (बीस) प्रतिशत कोटा जो अल्पसंख्यकों के लिये निर्धारित था, उसको भी ग्राम सभा वार्ड न देकर कुछ गांव में सीमित कर दिया गया है और वहीं भी कोटे के अनुसार पात्रों का चयन न करके रिक्त घोषित कर दिया गया है। जिला समाज कल्याण विभाग में धोखा–धड़ी एवं हेरा–फेरी एवं धन उगाही का कार्य बहुत दिनों से चल रहा है। इस विभाग में 20 साल से जो बाबू बैठे हैं, वह शासन के मन्शा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और सरकार को बदनाम कर रहे हैं और केवल धन उगाही करके प्रधानों का भी शोषण कर रहे और अपना हित साध रहे हैं। बड़े पैमाने पर समाजवादी पेंशन योजना एवं वृद्धा पेंशन में हेरा–फेरी किया गया है। मेरे क्षेत्र के ग्राम पूर, किकौड़ा, डुहाबेड़ा सीसोटार, नाहनी, जिगिड़सर खडसरा एकइल, करसी, नवानगर, बिजलीपुर, मझवलीया,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

खंडसरा, पकड़ी, उक्सी, एकईल, सरवी, मुडेरा, भरहनी आदि अनेक गांव जनता में जबरदस्ती शिकायत एवं आक्रोश व्याप्त है। मैंने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी को भी अवगत कराया है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। सम्बन्धित अधिकारी एवं बाबू घोर अनियमितता किये हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार से कार्यवाही किये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु मांग करता हूं।,

जनपद बलिया में आर्सेनिक युक्त पानी होने के कारण पेयजल की आपूर्ति नदियों से कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बलिया में इस समय आर्सेनिक युक्त पानी पीने के कारण आये दिन लोग गम्भीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। तरह–तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसकी रोकथाम के लिये कोई ठोस कदम उठाये जाने की आवश्यकता है और नदियों से पीने के लिये पानी की सप्लाई कराये जाने की भी आवश्यकता है। आर्सेनिक युक्त पानी के इस्तेमाल से जानवरों में भी गम्भीर बीमारियां हो रही हैं। मैंने इस पर ठोस कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में जिले के अधिकारियों से लिखित रूप से कई बार अनुरोध किया परन्तु उसका कोई समाधान नहीं हो सका।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ठोस कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।,

मेरठ महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)–

ख्महोदय, मेरठ महानगर में नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत सभी सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों एवं ट्रैफिक व्यवस्था न होने के कारण रोजाना प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक भयंकर जाम लगा रहता है। जिसके कारण आम जन को समय का अपव्यय तो हो ही रहा है साथ ही साथ राष्ट्रीय धन के रूप में पेट्रोल, डीजल की भी भयंकर खपत हो रही है। दिल्ली रोड पर यह स्थिति है कि संजय वन चौराहे से बेगम पुल तक लगभग 6 कि0मी0 चलने में 1.5 घण्टा व्यतीत हो रहा है। इसका मुख्य कारण पुलिस विभाग के पास ट्रैफिक संचालन हेतु संसाधनों की अत्याधिक कमी है। बढ़ती आबादी एवं ट्रैफिक के अनुरूप चौराहे पर सिपाहियों का न होना आटोमैटिक रेड लाइट, जेब्रा

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

क्रासिंग, वन–वे ट्रैफिक, भारी वाहनों का दिन में शहर में प्रतिबन्धित न होना इस समस्या का मुख्य कारण है। जनपद स्तर से शासन को केसरगंज पुलिस चौकी पर आटोमैटिक ट्रैफिक कन्ट्रोल रूम स्थापना का प्रस्ताव भेजा गया है। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरठ शहर के आमजन के साथ–साथ स्कूली बच्चे भी जाम से त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। मेरठ शहर में चौराहों पर आटोमेटिक रेड, ग्रीन लाइट ट्रैफिक कन्ट्रोल रूम तथा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या में इजाफा तत्काल प्रभाव से होना चाहिए। मेरठ जनपद में नजदीकी जनपद गाजियाबाद एवं नोएडा में ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्था है उसी के अनुरूप व्यवस्था मेरठ में भी होनी चाहिए। मेरठ शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली सड़कों पर नगर निगम सीमा के अन्तर्गत डिवाइडर आदि लगाकर कट बन्द करने चाहिए।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र खागा के कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र खागा, जनपद–फतेहपुर के कई मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं जिस कारण स्थानीय जनता को अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से चंदापुर से बरियाछे तक वाया लोहंगपुर तक मार्ग का डामरीकरण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त खागा रेलवे गेट से पाम्भीपुर तक सम्पर्क मार्ग तथा नाले पर पुल का निर्माण कराया जाना जनहित में आवश्यक है। उपरोक्त दोनों मार्गों पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आवागमन करते हैं परन्तु अत्याधिक जर्जर होने के कारण उनको काफी दिक्कतें होती हैं। बारिश के समय इन मार्गों पर चलना और भी दुष्कर हो जाता है। ग्रामीण जनता द्वारा इन मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में कई बार स्थानीय स्तर पर अनुरोध किया गया है। परन्तु कोई सुनवायी नहीं हुई। जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए चंदापुर से बरियाछे तक वाया लोहंगपुर तक मार्ग का डामरीकरण तथा खागा रेलवे गेट से पाम्भीपुर तक सम्पर्क मार्ग एवं नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद कानपुर महानगर के कैण्ट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सरकारी कालोनियों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

ख्महोदय, कानपुर महानगर के कैण्ट विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत जाजमऊ स्थित जजेज कालोनी, अपर नगर मजिस्ट्रेट कालोनी, पुलिस लाइन कालोनी, ट्रैफिक कालोनी, पी0ए0सी0 लाइन जो सब सरकारी कालोनियां हैं जिनके रख–रखाव की जिम्मेदारी सरकार की होती है। इसके बावजूद समस्त कैम्पस टूटे हुए हैं। यहां स्थित आवासों की स्थिति अत्यन्त जर्जर है। मार्ग अत्यन्त खराब हैं। कुछ कालोनियों में सीवर लाइन ध्वस्त है और पानी बाहर सड़कों पर बह रहा है जिससे कालोनीवासियों का जीवन नारकीय हो गया है। बंदरों का भी आतंक है। आवास जर्जर होने के कारण बंदर घर के अन्दर तक पहुंच जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूड़ीवाली गली, चरारी में पकड़िया वाली गली आदि ऐसी कई गलियां जहां सीवर ऊपर बह रहा है, गन्दगी सड़क पर है उसी गन्दगी से लोग निकलते हैं। ऐसी गन्दगी में निवास करने वाले लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। पानी बजबजा रहा है। रोगों का संक्रमण हो रहा है। उक्त कालोनियों में निवास करने वाले लोग अपनी समस्याओं से स्थानीय प्रशासन को अवगत कराते रहते हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। स्थानीय नागरिकों में भयंकर आक्रोश व्याप्त हो रहा है।

अतः लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मिर्जापुर अन्तर्गत सोन पम्प कैनाल को पूर्ण क्षमता से चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ललितेशपति त्रिपाठी–

ख्मान्यवर, सोन पम्प कैनाल द्वारा जनपद मीरजापुर एवं जनपद सोनभद्र के तहसील मड़िहान, घोरावल तथा रार्बट्सगंज के लगभग एक लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती थी, विगत कई वर्षों से उक्त पम्प कैनाल को पूरी क्षमता से नहीं चलाया जा रहा है, जिसके कारण फसलों की सिंचाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है और उक्त पम्प कैनाल से सिंचित होने वाली कई हेक्टेयर की फसलें सिंचाई के अभाव में प्रत्येक वर्ष सूख जाती हैं और किसानों की मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसी स्थिति में जहां किसानों को उपज नहीं मिल पाती है वहीं उनके सामने भरण–पोषण एवं जीविकोपार्जन की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। यही नहीं पिछले तीन वर्षों के बजट में सोन पम्प कैनाल के लिये किसी धनराशि की व्यवस्था नहीं की गयी जिसके कारण उक्त कैनाल की मरम्मत नहीं की जा रही है और पूरी क्षमता से नहीं चलायी जा रही है। सोन पम्प कैनाल की क्षमता वृद्धि की जाय, उसकी मरम्मत के लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जाय तथा सोन पम्प कैनाल को पूरी क्षमता से चलाया जाय जिससे जनता को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिये पानी सुलभ हो सके। जनता की समस्याओं का समाधान न होने से लोगों में रोष व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेस–वे से वाया यमुना पुल होते हुए मथुरा–वृन्दावन मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर–

ख्महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मथुरा जनपद में यमुना एक्सप्रेस–वे से वाया यमुना पुल होते हुए मथुरा–वृन्दावन तक जाने वाले मार्ग का कुछ भाग विगत वर्षों में यमुना नदी में आयी बाढ़ के कारण पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था। उक्त मार्ग अत्यन्त मुख्य मार्ग है। जिस पर सड़क न बनने के कारण यमुना एक्सप्रेस–वे से आने वाले लोग परिक्रमा मार्ग से होते हुए मथुरा–वृन्दावन रोड पर जाते हैं। परिक्रमा मार्ग पर हजारों श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों के वाहनों का आवागमन प्रतिदिन बना रहता है। परिक्रमा मार्ग पर अत्यधिक ट्रैफिक के कारण इस पर चलने वाले हजारों श्रद्धालुओं एवं परिक्रमार्थियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं तथा श्रद्धालु घायल हो रहे हैं। उक्त क्षतिग्रस्त सड़क पर गाइडबन्ध बन गया है। जिस पर सड़क का निर्माण होना है। ऐसी स्थिति में यमुना एक्सप्रेस–वे से मथुरा–वृन्दावन रोड तक जाने वाले अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग जिसमें कि यमुना एक्सप्रेस–वे से यमुना पुल तक के मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा बी0एम0एस0डी0बी0सी0 निर्माण कराये जाने तथा यमुना पुल से होते हुए क्षतिग्रस्त मार्ग जिस पर वर्तमान में गाइडबंध बन गया है, से लेकर मथुरा–वृन्दावन रोड तक जाने वाले मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु आगणन लोक निर्माण विभाग, मथुरा के सी0डी0–1 द्वारा बनाते हुए निर्माण हेतु शीघ्र कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद मथुरा के जयगुरूदेव बाबा के आश्रम पर स्थापित 33 के0वी0ए0 के सब–स्टेशन की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश–

ख्मान्यवर, जनपद मथुरा में नगरीय क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0वी0 का सब–स्टेशन जयगुरुदेव बाबा के आश्रम (बाईपास) मथुरा पर स्थापित है। यह 33 के0वी0 का सब–स्टेशन जयगुरूदेव बाबा का आश्रम मथुरा में बहुत वर्षों पहले से है। हाइ–वे बाईपास के आस–पास काफी संख्या में कालोनियों एवं रिहायशी आवासों में कई सौ गुना अधिक आबादी की वृद्धि हो गयी है। जिसके कारण लोड की समस्या बनी रहती है। आये दिन विद्युत आपूर्ति ठप्प हो जाती है। साथ ही जयगुरूदेव बाबा आश्रम पर काफी श्रद्धालु आते हैं तथा मेला भी लगा रहता है। नगर मथुरा के बीच जयगुरूदेव बाबा आश्रम के पास स्थित 33 के0वी0 सब–स्टेशन की 10 एम0वी0 की क्षमता वृद्धि बढ़ाने से क्षेत्रीय

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

जनता को राहत मिल सकती है। विद्युत आपूर्ति के लिये 33 के0वी0 से 10 एम0वी0 की वृद्धि न करने से जनता में काफी रोष है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विद्युत आपूर्ति हेतु 33 के0वी0 से 10 एम0वी0 की वृद्धि कराये जाने की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र चन्दौली के विकास खण्ड नियन्ताबाद की ग्राम सभा दुलहीपुर में हुई घटना के मृतकों को मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड नियन्ताबाद के ग्राम सभा दुलहीपुर में दिनांक 15–2–2015 को सुबह लगभग 3.00 बजे भोर में स्व0 कमरूल हसन के नवनिर्मित भवन के पूरी तरह ध्वस्त हो जाने से मकान में सो रहे 13 लोगों की मौके पर ही मौत हो गयी, जिसमें से 9 लोग एक ही परिवार के थे और 4 लोग रिश्तेदार थे, पीड़िता के परिवार की घटना पर अभी तक जिला प्रशासन/शासन द्वारा कोई सहायता नहीं दी गयी और न ही उनके मकानों को पुनः निर्माण कार्य कराये जाने की कोई व्यवस्था की गयी, घटित घटना में उक्त परिवार के केवल 3 ही सदस्य बचे हैं, जिनके रहने, खाने–पीने एवं जीवन–यापन की गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है। जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है, स्थिति कभी भी आन्दोलन का रूप ले सकती है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में यथाशीघ्र कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र जगनेर अन्तर्गत सी0ए0टी0 मार्ग जगनेर रोड से डांडा होते हुए मिर्जपुरा मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

ख्मान्यवर, कृपया अवगत कराना है कि जनपद आगरा के मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सी0ए0टी0 मार्ग जगनेर रोड से डांडा होते हुए मिर्जपुरा तक की सड़क बहुत ही जर्जर हालत में है। सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। केवल गड्ढेयुक्त कच्चा मार्ग बनकर रह गया है, बरसात के दिनों में तो ग्राम मिर्जपुरा का सम्पर्क टूट जाता है। आने–जाने का कोई रास्ता नहीं होने के कारण पानी में पैदल चलकर निकलना पड़ता है। इस मार्ग की लम्बाई लगभग 4 कि0मी0 है, सड़क निर्माण/विशेष मरम्मत न होने से क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद गाजियाबाद में वर्ष 2013–2014 की अवस्थापना निधि की धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमरपाल शर्मा–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि प्रदेश में सम्पत्तियों की रजिस्ट्री पर लगने वाले 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का भुगतान नगर निगम, आवास विकास परिषद्, प्राधिकरण तथा नगर पालिका संस्थाओं में नियमानुसार स्टाम्प विभाग द्वारा आवंटित कर भुगतान किया जाता है। पूर्व में समस्त प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर सहायक आयुक्त स्टाम्प द्वारा सम्पादित की जाती थी तथा सभी संस्थाओं को भुगतान समय से प्राप्त हो जाता था। वित्तीय वर्ष 2014–15 से इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया है तथा बजट आवंटन के माध्यम से सभी प्राधिकरण को प्रथमतः आवंटित कर दिया जाता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ के जिलाधिकारी से आहरण वित्त को प्रति हस्ताक्षरित कर लखनऊ कोषागार से 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आहरित कर सभी विकास प्राधिकरण को वितरित किया जाना है किन्तु अभी किसी भी प्राधिकरण को वितरण नहीं किया गया है। उक्त का वितरण किया जाना आवश्यक है तथा वर्ष 2013–14 की अवस्थापना निधि की धनराशि भी अवमुक्त नहीं की गई है जिससे जिले का विकास कार्य ठप्प पड़ा है।

अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्त विकास प्राधिकरणों में उनका हिस्सा वितरित कराये जाने की सरकार से मांग करता हूं।,

जनपद हमीरपुर मुख्यालय में यमुना नदी व बेतवा नदी के दोआब में बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शिवचरण प्रजापति–

ख्महोदय, सादर अवगत कराना है कि हमीरपुर मुख्यालय में यमुना व बेतवा नदी पर बने दोनों पुल राजधानी लखनऊ एवं उद्योग नगरी व बुन्देलखण्ड के समस्त जिलों के आवागमन के लिये सड़क मार्ग का एक मात्र साधन है। विगत चार वर्षों से यमुना नदी पर बना पुल कतिपय कारणों से टूट जाता है। तदुपरान्त आवागमन महीनों बन्द हो जाता है। पड़ोसी जनपदों की जनता जो सीधे कानपुर से व्यापार चलाती है, पूरा व्यापार महीनों बन्द रहता है। कबरई–महोबा से पहाड़ों की गिट्टी, पत्थर तथा मौरंग खदान से बालू जो कि कानपुर–लखनऊ से हजारों गाड़ियां निकलती हैं, पुल टूटने से राजस्व की प्रतिदिन लाखों रुपये की क्षति होती है। पुल टूटने की समाचार–पत्र की छायाप्रतियां प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है तथा पांचवीं बार पुल टूटने की सम्भावनायें भी प्रेस द्वारा जतायी गई हैं।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि जनपद हमीरपुर एवं पड़ोसी जनपदों की जनता को आवागमन में होने वाली कठिनाइयां व मौरंग, गिट्टी आदि से होने वाली राजस्व की हानि को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में रामपुर से सिटी फारेस्ट तक तथा सिटी फारेस्ट से बदुली तीर तक जो कि हमीरपुर–राठ मार्ग में जुड़ता है व कानपुर सागर मार्ग एन0एच0–86 में भी जुड़ता है। उक्त दोनों यमुना तथा बेतवा नदियों में लगे पुलों का निर्माण कराकर बाईपास बनाये जाने की कृपा करें, बुन्देलखण्ड की जनता आपकी सदैव आभारी रहेगी।,

जनपद सोनभद्र में सर्पदंश से हो रही मौतों को दैवीय आपदा घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अविनाश कुशवाहा–

ख्महोदय, कृ0 अवगत हों कि जनपद सोनभद्र का 70 प्रतिशत भू–भाग पहाड़ों व वनों से आच्छादित एवं अत्यन्त पिछड़ा हुआ व विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला जनपद है। यहां पर रहने वाले आदिवासी वनवासी, भूमिहीन व्यक्ति जंगलों एवं पहाड़ों में काम करते समय सर्पदंश से प्रति वर्ष सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है जिससे मृतक के परिवार/बच्चे अनाथ एवं असहाय हो जाते हैं। ऐसा जनपद सोनभद्र के अलावा उ0 प्र0 के अन्य दूसरे पहाड़ों एवं वनों से आच्छादित जनपदों में भी सर्पदंश से मौतें हो रही हैं। सर्पदंश से हुयी मौत पर मृतक के परिवार को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं मिल पा रही है, जबकि बिजली गिरने से हुई मौतों में दैवीय आपदा राहत कोष से आर्थिक मदद दी जाती है। भूमिधर किसान की दुर्घटना में मौत होने पर किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत आर्थिक मदद मिल सकती है, परन्तु सर्पदंश से हुए मौत वाले भूमिहीन परिवार को कोई आर्थिक मदद का प्राविधान नहीं है और यह भी सत्य है कि गरीब भूमिहीन मजदूरों को ही अधिकतर सर्पदंश का शिकार होना पड़ता है। उ0 प्र0 में प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियों की मौत सर्पदंश से होती है।

अतः जनहित में आपसे अनुरोध है कि सर्पदंश से हुयी मौत को दैवीय आपदा घोषित करने हेतु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की कृपा करें।,

जनपद इलाहाबाद के विद्युत सब–स्टेशन पर वर्कशाप, स्टोर में तैनात संविदा कर्मियों को नियमानुसार हर माह भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय–

ख्मान्यवर, जनपद इलाहाबाद के विद्युत सब–स्टेशनों पर बक्से, शाप, स्टोर में नियुक्त विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों को नियमानुसार भुगतान न देकर उनका शोषण व अन्याय किया जा रहा है।

क्या सरकार की कोई योजना संविदा कर्मियों को नियमानुसार भुगतान कराने की व कर्मियों के आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजे की है।

---

uksV %&[ ];g va'k i<+k gqvk ekuk x;kA

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है।

अतः विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों की नियमानुसार हर माह भुगतान की मांग करता हूं।,

ख12.40, औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25 फरवरी, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुईं। इनमें एक भी सूचना पोषणीय नहीं है। अब अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ कराते हैं।

(श्री सतीश महाना व श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) जी के कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप कहते हैं तो मैं इसको पूरा पढ़कर सुना देता हूं। अब सुन लीजिए सदन तय कर देगा कि आता है या नहीं। पहली सूचना श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत की जनपद झांसी में स्थित पारीछा थर्मल पावर कारपोरेशन में भूमि अधिग्रहीत कृषकों के वारिसों को अभी तक नियुक्तियां न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, यह नियम–300 में कैसे आ जायेगा। दूसरी सूचना, श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद चन्दौली के मुगलसरॉय के विकास खण्ड नियन्ताबाद के ग्राम सभा दुलहीपुर में दिनांक 15.02.2015 को हुई घटना में मृतकों के परिवारों को 10–10 लाख रु0 की आर्थिक मदद एवं पीड़ित परिवार के ध्वस्त मकान को पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में नियुक्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा शिष्ट व्यवहार न किये जाने एवं उनके विभागों में सामन्जस्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ये सब तो नियम–51 के मामले हैं यह नियम–300 में कैसे आ जायेगा। चौथी सूचना, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) की दिनांक 24.02.15 को नत्थी ''ख'' के तारांकित प्रश्न संख्या–7 में माध्यमिक शिक्षा मंत्री के उत्तर के विपरीत जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा बी0एस0ए0 के सचल दस्ते को परीक्षाओं में हो रही नकल में छापेमारी करने से रोकने के सम्बन्ध में, यह नियम–300 में कहां से आयेगी। पांचवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं द्वारा किये जा रहे अवैध खनन से हो रही राजस्व हानि के सम्बन्ध में, यह कहां नियम–300 में आयेगा। रघुनन्दन सिंह भदौरिया जी चाहे जो मामला पाते हैं वह नियम–300 में उठा देते हैं।

'श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, पुलिस की मदद से अवैध खनन का धन्धा जोरों से चल रहा है। निहित स्वार्थ के कारण न तो संबंधित विभाग इस पर गौर करता है और न ही पुलिस विभाग। इससे खनन माफियाओं सहित सभी को

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

फायदा पहुंच रहा है और दूसरी तरफ सरकार को राजस्व की हानि हो रही है। इसे प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

श्री अध्यक्ष–

रघुनन्दन सिंह जी बैठिये, सूचना पोषणीय नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) –

माननीय अध्यक्ष जी, यह सबको मालुम है कि नकल कहीं नही हो रही है, दूसरी तरफ...

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्यों की कुछ याचिकायें भी हैं इससे पहले याचिका ले लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, पहले याचिका ले लेते हैं। चौधरी साहब आप दे दीजिएगा मैं माननीय मंत्री को बुलाकर आपके सामने बताकर दूंगा, अब बैठिये।

ख12.42, जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 बाघनगर चौराहे से ग्राम पंचायत सिसईमाफी होते हुए ग्राम पंचायत बूढ़ानगर मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शकील अहमद आदि निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से (1) जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 बाघनगर चौराहे से ग्राम पंचायत सिसईमाफी होते हुए ग्राम पंचायत बूढ़ानगर मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शकील अहमद व श्री मो0 मुस्तकीम निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित पैड़ी हनुमानगंज मार्ग पर स्थित गंगौली से पुरैना मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शकील अहमद आदि निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित पैड़ी हनुमानगंज मार्ग पर स्थित गंगौली से पुरैना मार्ग की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री शकील अहमद व श्री हाफीज यासीन निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड दादुकुईया चौराहे से दारनुकोईया ग्राम पंचायत के अन्दर तक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़क की

मरम्मत कराये जाने विषयक श्री वकीउद्दीन आदि निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित पैड़ी हनुमानगंज मार्ग पर दादुकुईया चौराहे से दानुकोईया ग्राम पंचायत के अन्दर तक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री वकीउद्दीन व श्री अब्दुल गनी निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 उसरा शहीद से ग्राम पंचायत मुडाडीहा खुर्द होते हुए ग्राम पंचायत महुआरी मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अब्दुलवफा आदि निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित बी0एम0सी0टी0 उसरा शहीद से ग्राम पंचायत मुड़ाडीहा खुर्द होते हुए ग्राम पंचायत महुआरी मार्ग पर सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अब्दुलवफा व श्री एजाज अहमद निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां में स्थित सेमरियावां टेमारहमत मार्ग पर सालेहपुर चौराहे से छितौना होते हुए सिहोरवा तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अब्दुल अहद आदि निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

डा0 मो0 अय्यूब–

जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड सेमरियावां टेमारहमत मार्ग पर सालेहपुर चौराहे से छितौना होते हुए सिहोरवा तक सड़क की मरम्मत कराये जाने विषयक श्री अब्दुल अहद व श्री अजीजर्रहमान निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बरैचा एवं ग्राम पंचायत रतूली के मध्य कैमुआ नाले पर जनहित में पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रोशन लाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति–

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अनतर्गत ग्राम पंचायत बरैचा एवं ग्राम पंचायत रतूली के मध्य कैमुआ नाले पर जनहित में पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर अन्तर्गत निगोही–तिलहर क्षतिग्रस्त मार्ग का जनहित में निर्माण/ मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रोशन लाल वर्मा–

जनपद शाहजहांपुर के क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत निगोही–तिलहर क्षतिग्रस्त मार्ग का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराये जाने विषयक श्री राजपाल पाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हजमापुर एवं ग्राम पंचायत डींग के मध्य कैमुआ नाले पर जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री पातीराम वर्मा आदि निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री रोशन लाल वर्मा–

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत ग्राम पंचायत हजमापुर एवं ग्राम पंचायत डींग के मध्य कैमुआ नाले पर जर्जर पुल का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक श्री पाती राम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत श्रीराम नगर क्षेत्र में सीवर लाइन डालने तथा नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमर सिंह राठौर आदि निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत श्रीराम नगर क्षेत्र में सीवर लाइन डालने तथा नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अमर सिंह राठौर व श्री सुरेन्द्र तिवारी निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत भाभानगर क्षेत्र में खड़न्जा की मरम्मत तथा नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री धीरज लोहानी आदि निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सतीश महाना–

जनपद कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत भाभानगर क्षेत्र में खड़न्जा की मरम्मत तथा नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री धीरज लोहानी व श्री इन्दर सिंह निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत नरवल तहसील बनाये जाने पर नरवल ग्राम सभा में सभी सुविधायें उपलब्ध होने के कारण तहसील मुख्यालय नरवल ग्राम को रखे जाने विषयक श्री सुरेन्द्र कुमार अवस्थी आदि निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सतीश महाना–

जनपद कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत नरवल तहसील बनाये जाने पर नरवल ग्राम सभा में सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण तहसील मुख्यालय नरवल ग्राम को रखे जाने विषयक श्री सुरेन्द्र कुमार अवस्थी व श्री अरविन्द दीक्षित निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत यशोदा नगर में जलभराव के कारण पुलिया नं0–1 से 22 तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रशान्त शुक्ला आदि निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री सतीश महाना–

जनपद कानपुर महानगर के विधान सभा क्षेत्र महाराजपुर अन्तर्गत यशोदा नगर में जलभराव के कारण पुलिया नं0–1 से 22 तक नाले का निर्माण कराये जाने विषयक श्री प्रशान्त शुक्ला व श्री अतुल शुक्ला निवासीगण जनपद कानपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जनपद एवं शहर बहराइच के मोहल्ला–घसियारीपुरा (नई बस्ती) में जल निकासी की समुचित एवं स्थायी व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री वी0एस0 श्रीवास्तव आदि निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से जनपद एवं शहर बहराइच के मोहल्ला–घसियारीपुरा (नई बस्ती) में जल निकासी की समुचित एवं स्थायी व्यवस्था कराये जाने विषयक श्री वी0एस0 श्रीवास्तव व श्री सौरभ चतुर्वेदी निवासीगण जनपद बहराइच द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

ख12.49, उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2015–2016 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम निर्धारण की सूचना

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना सदन को देनी है 315 के अन्तर्गत।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2015–2016 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

1.	नाम–निर्देशन करने की अंतिम तिथि तथा समय	सोमवार, 02 मार्च, 2015 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2.	नाम–निर्देशन–पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	मंगलवार, 03 मार्च, 2015 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय–कक्ष में)
3.	नामों की वापसी की तिथि तथा समय	बुधवार, 04 मार्च, 2015 को समय अपराह्न 4.00 बजे तक
	निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान।	
	(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति, प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति तथा पंचायती राज समिति के लिए	सोमवार, 09 मार्च, 2015
	(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए सदस्यों को नाम–निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम–निर्देशित कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगें।	

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या–44 ख में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्वान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा सम्पन्न किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम–निर्देशन–पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2015–2016 की ''लोक लेखा समिति'', ''प्राक्कलन समिति'', ''अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति'', ''सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति'', ''प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति'' तथा ''पंचायती राज समिति'' और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में विधान सभा के सदस्यों का नाम–निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2015–2016 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति', 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और 'मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए, जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2015–2016 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम–निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम–निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उपर्युक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हों, पूर्ति के लिए यथासमय सदस्यों को नाम–निर्देशित करने के लिये भी श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम–निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में सम्बन्धित नियमों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगें।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 2015–2016 की 'लोक लेखा समिति', 'प्राक्कलन समिति', 'अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति', 'सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति', 'प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति' तथा 'पंचायती राज समिति' और 'मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों' में सदस्यता के लिये सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए,

जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से सम्बन्धित हैं, श्री अध्यक्ष को उक्त सभी समितियों में वर्ष 2015–2016 के लिये अपेक्षित संख्या में विधान सभा के

ख12.54, कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 24 फरवरी, 2015 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 25 फरवरी, 2015 से दिनांक 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 25 फरवरी, 2015 को निधन के निर्देश लिये जायं।

2–दिनांक 02 मार्च, 2015 को सदन का उपवेशन न हो।

3–दिनांक 03 मार्च, 2015 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो तथा श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिन नियम–56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

4–दिनांक 4, 9, 10 व 11 मार्च, 2015 को वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा हो।

5–तद्नुसार दिनांक 25 फरवरी, 2015 से 27 मार्च, 2015 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :–

फरवरी,2015

25 बुधवार	1–निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें। 2–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
26 गुरुवार 27 शुक्रवार 28 शनिवार **मार्च, 2015** 01 रविवार 02 सोमवार	बैठक नहीं होगी।
03 मंगलवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।
04 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा।
05 गुरुवार 06 शुक्रवार 07 शनिवार 08 रविवार	(होली का अवकाश) बैठक नहीं होगी।

09 सोमवार 10 मंगलवार 11 बुधवार	वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा।
12 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
13 शुक्रवार	1–असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2–विधायी कार्य (आधा दिन)।
14 शनिवार 15 रविवार	बैठक नहीं होगी।
16 सोमवार 17 मंगलवार 18 बुधवार 19 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
20 शुक्रवार	1–असरकारी दिवस (आधा दिन)। 2–विधायी कार्य (आधा दिन)।

मार्च, 2015

21 शनिवार 22 रविवार	बैठक नहीं होगी।
23 सोमवार 24 मंगलवार 25 बुधवार 26 गुरुवार	वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
27 शुक्रवार	1–वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान। **2–3.00 बजे अपराह्न** उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2015 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।''

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ख12.55, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015[४]

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–11 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–12

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 2015 को पुरःस्थापित करता हूं।

ख12.56, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव[४ ४]

'श्री सलिल विश्नोई–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने आपको नेता भारतीय जनता पार्टी श्री सुरेश खन्ना जी के भाषण के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रथम पेज पर ही लिखा है कि –'आज के युग में कोई प्रदेश विकसित अवस्थापना सुविधाओं के बिना प्रगति नहीं कर सकता है। जन–मानस को बेहतर जीवन और उद्योग–धन्धे की बेहतरी के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं में तीव्र गति से सुधार लाया जाए।'

---

† fnukad 11 ekpZ] 2015 ds vlk/kkj.k xtV ds fo/kk;h ifjf'k"V esa Nik gSA

†† fnukad 19 Qjojh] 2015 dh dk;Zokgh lsA

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मान्यवर, इन्फ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बिजली. पानी, सड़क और कानून व्यवस्था, आज हम इस बात को सोचने को मजबूर हैं कि हमारे प्रदेश में क्या इन सब चीजों की ऐसी स्थिति है कि हम इन पर संतोष व्यक्त कर सकें। प्रदेश में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है।.....

(इस समय 01 बजे अधिष्ठाता श्री मदन चौहान पीठासीन हुए)

मान्यवर, प्रदेश में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, क्योंकि यह सरकार का दृष्टि–पत्र है और सरकार का दृष्टि–पत्र महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण इस बात का संकेत देता है कि सरकार ने पिछले साल में क्या किया और उसकी आगे की कार्य योजना क्या है। पूरे प्रदेश में दिनदहाड़े हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, चोरी–डकैती हो रही है, दस–दस करोड़ की डकैतियां हो रही हैं। अब तो आदमी की जान और माल जेल के अन्दर और कोर्ट–कचेहरी में भी सुरक्षित नहीं है। थाने अपराधों के अड्डे बन गए हैं। अपराधी या तो पुलिस के साथ खड़े नजर आते हैं या पुलिस पिटती नजर आती है। इस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में व्याप्त है कि आम जनता दहशत में है। मान्यवर, कानपुर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है, प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अभी दो दिन पहले महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक पति–पत्नी मोटरसाईकिल पर जा रहे थे। पत्नी एक प्राईमरी स्कूल में टीचर थी। उसके बैग को बदमाशों ने छीना। उस छीना–झपटी में महिला मोटरसाईकिल से गिर गई, घायल हो गई और उसके बाद कोमा में चली गई। सामने खड़ी पुलिस देखती रही और इस बात का इंतजार करती रही कि उस महिला के परिवार का कोई व्यक्ति या उसका पति आए और एफ0आई0आर0 दर्ज कराए। मान्यवर, जिसकी पत्नी कोमा में आ गई हो वह पहले अपनी पत्नी का इलाज कराएगा या एफ0आई0आर0 दर्ज कराने जायेगा। पुलिस विभाग इतना असंवेदनशील हो गया है कि आज कानून व्यवस्था के लिये सबसे बड़ा खतरा यह विभाग ही बन गया है। इसी प्रकार से शास्त्री नगर पुलिस चौकी के ठीक सामने एक रिक्शे पर मां–बेटी जा रही थीं बदमाशों द्वारा उनकी चेन खींचे जाने पर मां ने जब उस बदमाश का हाथ पकड़ा तो वह मोटरसाईकिल के साथ घिसटती हुई चली गई, लेकिन पुलिस चौकी में तैनात सिपाही देखते रहे। आज इस प्रकार की एक असंवेदनशीलता की स्थिति हो गई है कि पूरी की पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इस तरह की अनेक घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं। किस तरह से कोर्ट–कचेहरी के अन्दर हत्या की गई और किस तरह से तनिष्क का शोरूम लूटा गया, यह प्रदेश की मौजूदा कानून व्यवस्था बताने के लिये पर्याप्त है। अभी वैलेन्टाइन डे पर मा0 मुख्य मंत्री जी सांसद जी के साथ आगरा गए थे और वहां उन्होंने लवर्स बेंच पर बैठकर प्यार और मोहब्बत का एक संदेश देने की कोशिश की थी। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में कानून–व्यवस्था की ऐसी स्थिति बने कि पूरे प्रदेश के नागरिक प्रेम और सौहार्द्र के साथ अपना जीवन जी सकें। लवर्स बेंच पर बैठकर सिर्फ फोटो खिंचवाने से कोई संदेश नहीं जायेगा। आज प्रदेश में इस तरह का वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि प्रदेश का आम नागरिक और प्रदेश की आम महिला, प्रदेश के आम छात्र–छात्राएं अपने आपको महफूज महसूस कर सकें।

मान्यवर, सरकार के विभागों के मध्य किसी प्रकार का कोई सामंजस्य नहीं है। प्रदेश के दो बड़े सीनियर मंत्री हैं एक मा0 मुख्य मंत्री जी के दाएं हैं और एक मा0 मुख्य मंत्री जी के बायें हैं।

'पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, मेरा हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है मैं विरोध नहीं करना चाहता। आपकी जानकारी ठीक करना चाहता हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी जिस कार्यक्रम से गये थे वह कितने महत्व का कार्यक्रम था इसका उल्लेख करने के बजाय आपने सिर्फ मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा पत्नी के साथ उस बेंच पर फोटो खिंचवाने का उल्लेख किया है। मैं यह चाहता हूं कि आप इसका उल्लेख बेशक करें, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी प्रदेश के हितार्थ जिस बड़े कार्यक्रम से गए थे उसका भी संज्ञान लेकर यदि आप बात करें तो अच्छा लगेगा।

श्री सलिल बिश्नोई–

मान्यवर, मैंने एक बार भी मा0 मुख्य मंत्री जी के इस प्रयास की आलोचना नहीं की। मैं सिर्फ आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि मैंने यह चाहा कि मा0 मुख्य मंत्री जी जिस प्रेम और सौहार्द के वातावरण के लिये गये, प्रदेश की कानून व्यवस्था उस तरह की बने।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मा0 सदस्य बात को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। मा0 मुख्य मंत्री जी वैलेंटाइन–डे मनाने नहीं गए थे। आपने जो उल्लेख किया वह गलत है।

प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी–

यह तो आर0एस0एस0 की भाषा है।

श्री सलिल विश्नोई–

मान्यवर, आर0एस0एस0 की भाषा तो यह भी थी कि इतिहास के जो तथ्य कल मा0 मोहम्मद आजम खां जी ने इस सदन को बताए वह भी आर0एस0एस0 की भाषा थी।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, हम उन लोगों के पक्षधर नहीं हो सकते जो वैलेंटाइन डे के नाम पर इतनी अशिष्ट हरकतें करते हैं और कानून व्यवस्था को ठीक करने के मामले में हमें उनको भी ठीक करना पड़ेगा अगर वो गड़बड़ी करेंगे।

श्री सलिल विश्नोई–

यदि कानून–व्यवस्था ठीक कर दें तो यह कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अधिष्ठाता जी, सरकार के दो बड़े विभाग, जिनके दो सीनियर मंत्री, एक मुख्य मंत्री जी के दायें हाथ और एक मुख्य मंत्री जी के बायें हाथ, दोनों विभागों में कोई सामंजस्य नहीं

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

है। हमारे कानपुर शहर में सड़कें बनती हैं, नई–नई सड़कों का निर्माण होता है लेकिन सड़क बने हुए एक महीना नहीं होता है कि सीवर खुदाई के नाम पर सड़क को खोद दिया जाता है। यह जनता के पैसे का अपव्यय है। कम से कम सरकार के विभागों में आपस में सामंजस्य होना चाहिए था, अगर नई सड़क बनने जा रही है तो उसके पहले और विभागों से बात करनी चाहिए कि कहां पर सीवर लाइन पड़नी है, कहां पर और कोई लाइन पड़नी है तो सड़क बनाने के पहले इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। सड़क बनते देर नहीं होती है कि सड़क को खोद दिया जाता है। कानपुर शहर की माल रोड और वी0आई0पी0 रोड, दो साल में 06 बार खुद चुकी हैं, माननीय अधिष्ठाता जी। यह जनता के पैसे का अपव्यय है, ऐसी कार्यवाइयों को रोका जाए और जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हों, उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। अधिष्ठाता जी, कानपुर शहर में पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। पांच हजार से ज्यादा हैण्डपम्प रि–बोर के इन्तजार में खड़े हुए हैं, शहरी क्षेत्र में विधायकों को हैण्डपम्प दिए नहीं गए हैं। दो दर्जन से ज्यादा ओवर हेड टैंक/वाटर टैंक, जिनके निर्माण में लगभग 01 अरब रूपया खर्च हो चुका है, माननीय अधिष्ठाता जी, पिछले चार साल से वह ओवर हेड टैंक/वाटर टैंक बने खड़े हुए हैं, नगर विकास विभाग के अधिकारी और मंत्री जी कहते हैं कि वह इस काबिल नहीं हैं कि उनमें पानी भरा जाए। अगर उनमें पानी भरा जाता है तो वह टैंक हिलते हैं। मैं कहता हूं कि अगर वह टैंक मानक के अनुरूप नहीं हैं तो उन अधिकारियों के खिलाफ 04 साल में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 03 साल तो आपकी सरकार को हो गए हैं, अगर किसी ने ऐसा गलत काम किया है तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह जनता के धन का खुला दुरूपयोग हो रहा है। माननीय अधिष्ठाता जी, बिजली के बारे में हमेशा यहां सदन में चर्चा होती है, सरकार कहती है कि हम भरपूर बिजली दे रहे हैं। सरकार की योजना पर कल बजट भाषण भी आया, उसमें भी कहीं पर सरकार के द्वारा बिजली के उत्पादन की बात नहीं है। दूसरी सरकार से बिजली खरीद कर प्रदेश की जनता को बिजली देने की बात कही जाती है। माननीय अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश अपने संसाधनों से बिजली पैदा करने की कोशिश करे, सोलर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी, उद्योग और प्रगति को देखते हुए हमें और अधिक बिजली की आवश्यकता है लेकिन सरकार इस ओर संवेदनशील नहीं है, सरकार की कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि निकट भविष्य में बिजली का उत्पादन बढ़ने की किसी भी तरह से उम्मीद की जाए। एक बहुत बड़ा विषय है, पूरे विश्व में पर्यावरण की बात आती है, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए कतई कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि वन विभाग के द्वारा जो लाखों–करोड़ों पेड़ लगाये जाते हैं, उनमें 90 प्रतिशत पेड़ कागजों पर लगते हैं, धरातल पर कहीं पेड़ नजर नहीं आते हैं, पेड़ लगते हैं, सूख जाते हैं, उनके खर्चे के बिल पास हो जाते हैं, अधिकारियों की जेबें भर जाती हैं, लेकिन वन विभाग के द्वारा पेड़ तो कहीं हरे–भरे दिखाई नहीं देते, हां उनके अधिकारी और उनके सम्बन्धित लोग जरूर हरे–भरे और मजबूत होते दिखायी देते हैं। प्रदेश में

पर्यावरण की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। हमारे कानपुर में फूलबाग जो कानपुर की पहचान है, उस फूलबाग का मैदान पिछले दो सालों से खुदा हुआ पड़ा है, पूरी तरह से अस्त–व्यस्त हो गया है, वहां की हरियाली खत्म कर दी गई, वहां की घास खत्म कर दी गई, दो वर्ष हो गए हैं, माननीय अधिष्ठाता जी, फूलबाग की दुर्दशा हो गई है। अभी कानपुर के प्रशासन ने कचहरी के सामने जो एक हरा–भरा पार्क था, जिसे क्षेत्रीय नागरिक मेनटेन करते थे, उस पार्क को भी समतल कराकर वहां स्कूटर स्टैंड बनाने की योजना चल रही है। तो यह प्रशासन की हठधर्मिता है, अधिष्ठाता जी, कि पर्यावरण को संरक्षण देने, पर्यावरण को बढ़ाने के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए कोई प्रयास तो कर नहीं रहे, उल्टे फूलबाग और कचहरी के सामने वाले पार्कों को बर्बाद करने की योजना प्रशासन के द्वारा बन रही है। मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से इस ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, कानपुर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है।

कानपुर के आसपास के दस–बीस जिलों के मरीज इलाज कराने के लिए आते हैं। कानपुर का लाला लाजपत राय अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। वहां की सुविधाएं एम्स स्तर पर की जाए इसकी पिछली कई बार मांग हो चुकी है सरकार आश्वासन भी देती है लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश की सरकारों के द्वारा जो आई0सी0यू0 और वेंटीलेटर लगाए गए वह भी काम नहीं कर रहे हैं वह भी खराब हो चुके हैं। कानपुर की कार्डियोलॉजी और कैंसर इंस्टीट्यूट को भी विस्तार करने की जरूरत है। कार्डियोलॉजी में तो यह स्थिति है कि मरीजों को जमीन पर लिटाकर उनका इलाज किया जाता है। कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर को अगर बढ़ावा दिया जाए तो कन्नौज के कैंसर इंस्टीट्यूट की जरूरत न पड़े क्योंकि कानपुर पूरे प्रदेश का सेंटर है अगर वहां कैंसर का बड़ा अस्पताल हो जायेगा। वहां पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है केवल उसे अपग्रेड करने की जरूरत है। इसी प्रकार से इस समय प्रदेश में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है कानपुर में एक आई0डी0एच0 अस्पताल है 'इन्टैनसिव डीसीज़ हॉस्पिटल' उस अस्पताल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। उसमें ताला लगा हुआ है। अगर सरकार इसे फिर से इसे ठीक कर दें तो स्वाइन फ्लू जैसी समस्याओं से लड़ने में बहुत सहयोग मिल सके। मैं मा0 अधिष्ठाता जी आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं नेता प्रतिपक्ष और नेता भारतीय जनता पार्टी की भावनाओं के साथ अपने आप को सम्बद्ध करता हूं।

' श्री गजेन्द्र सिंह–

अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और अपने आप को नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्या जी से जोड़ते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। मान्यवर मैं छोटी काशी अनूपशहर से चुन कर आता हूं और वहां पर अभी जो अभिभाषण पढ़ा गया उसे मैंने भी

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

पढ़ा उसमें मुझे कहीं अनूपशहर का जिक्र नहीं मिला न अनूपशहर गंगा के लिए। क्योंकि अनूपशहर छोटी काशी के नाम से जाना है और छोटी काशी होने के साथ–साथ वहां प्रदेश से ही नहीं देश के कोने–कोने से लोग वहां भ्रमण करने के लिए आते हैं। गंगा स्नान पर वहां पर मंदिरों का दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन वहां के लिए कोई योजना इस बार इस अभिभाषण में देखने को नहीं मिली। इसलिए मैं उस अभिभाषण का विरोध करता हूं। पिछली बार मा0 मुख्य मंत्री जी ने एक आदेश किया था जिसके आदेश के क्रम में एक आदेश जारी किया गया था हमारे यहां एक कार्यक्रम चलाया गया था उसमें हमने सरकार को पत्र दिये थे जिसके क्रम में पत्र संख्या 961/80–1–2012–600 कोष्ठक 60 2012 मा0 मुख्य मंत्री जी के संदर्भ से यह पत्र प्रमुख सचिव द्वारा भेजा गया जिसमें हमारे पत्रों को शामिल करके लोहिया ग्राम में शामिल कराने के लिए और श्री जनेश्वर मिश्र योजना में शामिल कराने के लिए भेजा गया। वहां से वह पत्र राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उत्तर प्रदेश के द्वारा जिलाधिकारी बुलंदशहर को भेजा गया। जिसमें हमारे पत्रों का संदर्भ लिया गया लेकिन श्री जनेश्वर मिश्र योजना में शामिल होने के आदेश मा0 मुख्य मंत्री जी से होने के बाद भी वह सारे के सारे गांव जो जनेश्वर मिश्र योजना के अंतर्गत शामिल किये गये थे। उन पर कोई काम नहीं हुआ। हमारे यहां कोई काम नहीं हुआ है। छोटी काशी अनूपशहर में तीन नगर लगते हैं अनूप शहर झंगीराबाद और औरंगाबाद। झंगीराबाद वह नगर है जहां पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी धान की मंडी है और वहीं पर चीनी मिल स्थित है। जहां पर इस प्रदेश के किसान और प्रदेश के व्यापारी आकर धान व गुड़ खरीदने का काम करते हैं। मान्यवर उस मंडी और 1.5 लाख की आबादी वाले झंगीराबाद के लिए तीन मुख्य मार्ग हैं और तीनों की हालत यह है कि वहां पर पैदल नहीं निकल सकते। और जनता ने वहां पर मांग की थी कि मा0 मुख्य मंत्री जी इन सड़कों का निर्माण करा दें। क्योंकि डेढ़ लाख की आबादी वाले उस नगर में और कोई रास्ता नहीं है। जो सबसे बड़ी मण्डी है वहां पर व्यापारी आते हैं, किसान आते हैं। उनके ट्रेक्टर ट्राली कट जाते हैं और स्थिति यह है कि वहां पर पैदल निकलना भी मुश्किल है। मा0 अधिष्ठाता जी जब मा0 मुख्य मंत्री जी लोक सभा चुनाव में वहां पर गये थे तो रातोंरात पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग ने उस सड़क में जो गढढे थे उनमें रातोंरात राख भराकर ऊपर से पानी बिखेरकर उस पर रोलर चला दिया। जब मा0 मुख्य मंत्री जी अपनी मीटिंग खत्म करके चले गये तो जैसे–जैसे पानी सूखता चला गया वह राख उड़ती रही और पूरे शहर में उस राख ने जीना दूभर कर दिया। और ज्यों के त्यों गढढे फिर दिखने लगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि झंगीराबाद जो पर्यटन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है।

जहां पर अवन्तिका देवी और महादेव मंदिर है। वहां पर विभिन्न स्थानों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। झंगीराबाद का पूरा रास्ता खराब है। वहां जाने को कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उन रास्तों को प्राथमिकता पर बनाया जाये। एक और निवेदन है कि ओम नगर जो है।

वहां रात दिन वाहन चलते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी खराब सड़क शायद पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होगी। अधिष्ठाता महोदय, इसी के साथ आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि छोटी काशी अनूपशहर जो पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है वहां पर पीछे जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो 132 के0वी0ए0 का बिजली घर नगर अनूपशहर में बनाया गया था। तब एक योजना बनायी गयी थी कि लोग वहां पर्यटन की दृष्टि से आते हैं। वहां पर 24 घण्टे लाइट दी जाये और उन क्षेत्रों को पर्यटन में शामिल किया जाये। उसी क्रम में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी की देन है कि हमारे अवंतिका देवी और अनूप शहर में 5–5 करोड़ के घाट बनाये गये। घाट तो बना। जैसे ही सरकार का परिवर्तन हुआ वहां तमाम घाटों की बिजली बंद हो गयी और वहां की और जो पर्यटन की योजनायें थीं उन्हें भी ग्रहण लगने का काम हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से अनूपशहर भी महत्वपूर्ण है जैसे हरिद्वार उत्तराखण्ड में चला गया तब से अनूपशहर का महत्व और बढ़ गया। क्योंकि सिर्फ अनूप शहर ही ऐसा स्थान बचा है जहां आबादी के बीच से होकर गंगा गुजरती है। और उसी दृष्टि से वहां पर पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए था। लेकिन वह बढ़ावा आज हमें नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि अनूपशहर को पर्यटन में शामिल करके वहां पर विकास कराया जाये। और वहां पर जो पुरानी योजनायें हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाये। इससे वहां पर जो देश, प्रदेश और अन्य देश के लोग भी भ्रमण करने आते हैं उससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे प्रदेश को चार चांद लगने का काम अनूपशहर को बढ़ाने से होगा। अधिष्ठाता महोदय, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज गन्ना किसान मारा–मारा फिर रहा है। और जो पेमेंट की स्थिति है 40 रुपये की स्टैम्प लगाकर उसको पर्ची बांटी जाती है तब दोबारा पेमेंट मिलने की बात हो रही है। वह भी नहीं हो पा रहा है। 240 रुपये का पेमेंट भी चीनी मिलों द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार गन्ना किसानों का पेमेंट कराये। सरकार उन किसानों के हित में चीनी मिल मालिकों पर दबाव बनाये और जो सरकारी चीनी मिल अनूप शहर का है। वहां पर जो आज का हमारा पेमेंट है वह दिलाया जाये। इसी के साथ कहना चाहूंगा कि जो सोसायटी है, जब वहां का किसान वहां पर गेट पर गन्ना डालने आता है तो उससे पैसा काटा जाता है जो गन्ना मिल की सड़कें हैं उनके बनाने के लिए पैसा काटा जाता है। गन्ना किसान का पैसा तो हर एक पर्ची पर कटता है लेकिन जो चीनी मिल से जुड़ी हुयी सड़कें हैं उनका निर्माण सरकार नही करा रही है। मान्यवर, जिन किसानों का पैसा पर्ची के रूप में काटा जा रहा है वह रोडें जो चीनी मिल से घिरी हुयी हैं जो अनूपशहर चीनी मिल और अगौता चीनी मिल से घिरी हुयी हैं उन सड़कों को बनवाया जाये। मान्यवर, आज हमारे यहां नगरों में लाइट नहीं आती है। लोग मारे–मारे फिर रहे हैं। लूट, हत्या, डकैती चरम पर है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और लूट, हत्या पर रोक लगाये। इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

'श्री श्याम बहादुर सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी द्वारा रखे गये अभिभाषण के समर्थन में हमारे साथी इलाहाबाद विश्व विद्यालय के छात्र नेता, हमारे जनपद के विधायक भाई संग्राम सिंह यादव जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में सदन के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इतनी जल्दी मुझे अवसर दे दिया कि आपके पास से मुझे दौड़ कर यहां आना पड़ा। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण सदन के समक्ष रखा है, जिसके समर्थन में भाई संग्राम जी ने अपनी बात धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में कही है, वह हमारी सरकार के नीति और कार्यक्रमों का विस्तृत लेखा–जोखा है। मैं आपके समक्ष यह बात कहना चाहता हूं कि जिस भाव से, जिस समर्थन से, जिस निष्ठा से, जिस नियत से और जिस नीति से माननीय मुख्यमंत्री जी अपने विजन के हिसाब से चलकर प्रदेश को आगे विस्तार और विकास की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, मैं आज इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से स्वागत और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय मुख्य मंत्री जी ने जिस सोच से लैप–टाप देने की योजना बनाई थी, इसी सदन में झुन–झुना कर करके उसका मजाक उड़ाया गया था। 15 लाख लोगों को लैप–टाप देने का काम हमारी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ गरीबों, मजलूमों, नौजवानों और किसानों के घर में लैपटाप पहुंचाने का काम किया और जब इस सदन के बीच उसका विस्तार हुआ तो लोगों ने फिर से विरोध करना शुरू कर दिया। अब तो बजट भी आ गया है, तो अब सन्नाटा छाया हुआ है। जो–जो काम हमारी सरकार, चाहे 108 एम्बुलेन्स की बात हो चाहे 102 एम्बुलेन्स की बात हो, मैं अपने क्षेत्र के एक घटनाक्रम को यहां कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में पौरी ब्लाक एक है, ब्लाक में पत्तल बनाने वाला एक परिवार है, मैं वहां गया जब घटना घट चुकी थी तो लोगों ने अवगत कराया कि माननीय विधायक जी जो आपकी सरकार ने 102 एम्बुलेन्स सेवा चलायी है, पड़ोस की एक लड़की अपने ससुराल से अमूमन देहातों में यह होता है कि पहला बच्चा जब पैदा होने को होता है तो हमारी बहने, हमारी मातायें, मायके की तरफ अपनी सुरक्षा, संरक्षण के लिए चली जाती है और इसी उम्मीद से अपने मायके आयी थी वह लड़की लेकिन उस गांव में जब उसे प्रसव पीड़ा हुई तो कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं थी, रात का समय था। उसकी मां ने आकर मुझसे कहा कि हमने जब अपने गांव के एक समृद्ध आदमी से सिफारिश की कि गाड़ी उपलब्ध करा दीजिये, हमारी बेटी अस्पताल पहुंच जाये, छटपटा रही है तो उन्होनें कहा कि अभी 20 मिनट के अन्दर सुविधा हो जाती है और मान्यवर एक फोन हुआ और जैसे ही मेरी बेटी को उस एम्बुलेन्स में ले गये दो किलोमीटर भी नहीं गये थे कि उसी सुविधा से मेरा नाती उस गाड़ी में पैदा हुआ। हम

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे कि एक पत्तल बनाने वाले का बेटा, एक नाती उसकी बेटी के पेट से पैदा होने वाला एयर कण्डीशन अस्पताल में जो मोबाइल अस्पताल होगा, उसमें पैदा होगा इसलिए अधिष्ठाता महोदय मैं कहना चाहता हूं कि यह पीड़ा जो गांव देहात में हमारी सरकार की जो सुविधा, जो निष्ठा है, माननीय मुख्य मंत्री जी की समाजवाद की प्राथमिकता है कि गरीब, मजलूम, किसान को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 40 लाख समाजवादी पेन्शन, जरा कल्पना कीजिये पहली ही खेप में 40 लाख समाजवादी पेन्शन दिया गया है और पारदर्शिता यह कि इनके खातों में सीधे पेन्शन जा रही है और मान्यवर, आगे जो बजट में आया उस पर बहस होगी हमारे लोग कहेंगे और मौका मिला तो मैं भी कहूंगा लेकिन इतनी बड़ी संख्या में मान्यवर, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं हमारे यहां अशोक चौहान डी0एम थे जनपद आजमगढ़ में, अम्बेडकर पार्क का निर्माण हो रहा था, मुझे आज भी आंकड़े याद हैं 23 करोड़ रूपया विकलांग, विधवा और वृद्धा पेन्शन का जब्त कर के एक तरह से जबरिया रंगबाजी से यहां वापस मंगा लिया गया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में। कल ऊर्जा की बात आई थी अभी भी ऊर्जा पर चर्चा हुई है, बहुत बड़ा हंगामा हो गया बीच में, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी बैठे हैं हम लोगों के नेता हैं, हम लोग हृदय से उनका सम्मान करते हैं, नाम लेकर के कहते हैं, क्यों 25 हजार करोड़ का कर्जा छोड़ा गया सरकार के जिम्मे और अगर छोड़ा गया तो क्या हमें उसे चुकता नहीं करना है और अगर उसे चुकता करना है तो जो विकास के कार्य करने हैं, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जो हमें बिजली की सुविधा बढ़ानी है, जो बिजली पैदा करना है, तो उसी कर्जा के साथ में ही करना है, हम कर्जा भी निपटा रहे हैं और विकास के आयाम भी खड़े कर रहे हैं। तो क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर इन 30 महीनों में 32 महीनों में खड़ा हो जायेगा।

मान्यवर, मुझे याद है 15 मार्च को सरकार बनी थी और अभी महीना तीन साल होने में बाकी है और 03 अगस्त को पहला बजट फाइनलाईज हुआ था, चार–पॉच महीने तो उसकी प्रक्रिया में निकल गये। ढाई साल की सरकार में जो काम हमारे मा0 मुख्य मंत्री ने हमारी मंत्रि–परिषद् ने हमारी सरकार ने किया है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। अभी लवर्स बेन्च की बात आ गई, इस उमर में भी लवर्स बेन्च का ध्यान है और आप ही अभियान चलाते हैं पूरे देश के अन्दर तो कम से कम वह लोग लवर्स बेन्च की बात न करें जो अभियान चलाकर के नौजवानों को पीटने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, मैं और कुछ बातें आपके सामने कहना चाहता हूं कि हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने व्यवसायिक शिक्षा के नाम पर हमारे नौजवान साथियों जो हमारी उम्र के साथी हैं जो हम लोगों के साथ में पढ़–लिख कर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, उन्हें स्किल्ड डेवलपमेण्ट के नाम पर एक योजना बनाकर उन्हें ट्रेण्ड कर के तमाम नियुक्तियों में उन्हें अवसर देने का, उन्हें प्राथमिकता देने का और उन्हें रोजगार से जोड़ने का काम किया है, इसकी भी मैं बहुत सराहना करता हूं। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने उन कामों को भी कर के दिखाया है, मुझे

याद है समाजवादी एम्बुलेन्स सेवा के चलाये जाने पर जब एन0एच0आर0एम0 के नाम पर पूर्व केन्द्र की सरकार ने समाजवादी एम्बुलेन्स नाम रखने पर पैसा न देने का काम किया था और पांच रुपया प्रति किमी0 उसमें फीस भी तय की गई थी, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा कि समाजवादी नाम नहीं हटाया जायेगा और हम अपने संसाधनों से इस एम्बुलेन्स को चलाकर जनता को सेवा देंगे, सुविधा देंगे और फ्री आफ कास्ट देंगे, एक पैसा नहीं लेंगे। वह चल नहीं रही है योजना ? मैट्रो के लिए केन्द्र की सरकार ने पैसा नहीं दिया, तो क्या मैट्रो की योजना नहीं चल रही है, सब के सामने बना है मैट्रो। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी को कि अपने संसाधनों से उसको क्रियान्वित कर रहे हैं और चार अन्य शहरों में मैट्रो को चलाये जाने की जो योजना है उसके लिए मैं उन्हें बहुत–बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा के नाम पर कल चर्चा हो रही थी 2014–15 में 12 विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपया मा0 मुख्य मंत्री जी ने बजट में प्राविधान किया था। प्रोबेशन विद्यालयों के लिए 66 करोड़ और अन्य में 26 करोड़ यानी कुल 216 करोड़ रुपया पिछली बार उच्च शिक्षा के नाम पर देकर के उच्च शिक्षा की बेहतरी के लिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने हमारी सरकार में प्रयास किया और इस बजट में भी 142 करोड़ रुपया देने का उन्होंने प्राविधान किया है। चिकित्सा शिक्षा के लिए 86 करोड़ रुपया इन्सेफ्लाइटिस के नाम गोरखपुर चिकित्सा विश्वविद्यालय को दिया गया और कन्नौज से लेकर आजमगढ़, बांदा, जौनपुर न जाने कहां–कहां पर मेडिकल कालेजों का निर्माण हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री श्याम बहादुर सिंह यादव–

आपने लोक निर्माण का विषय रखा, पिछली बार 500 की जितनी बसावटें थीं सबको पिच रोड से जोड़ने का निर्णय लिया गया था, इस बार और ज्यादा किया गया, ढाई सौ की जितनी बसावटें थी उन सबको पिच रोड से जोड़ने का निर्णय लिया लोक निर्माण मंत्री जी ने और सभी जिलों को दर्ज तो उसमें 14 हैं, लेकिन 10 में काम हो रहा हैं जिनको फोर लेन से जोड़े जाने का काम हो रहा है। अभी कल यहां पर बात आई थी, हमारे साथी हैं कांग्रेस के विधायक उन्होंनें कहा कि यूरोपियन माडल में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, हम यह कहना चाहते हैं मान्यवर आपके माध्यम से कि जब हम यूरोपियन और नेशनल मॉडल का सामान्जस्य नहीं बिठा पायेंगे, अभी कल एक मा0 सदस्य बोल रहे थे कि विभागों का सामान्जस्य नहीं है। अगर हम सामन्जस्य नहीं बैठायेंगे तो हम जैसी तरक्की चाहते हैं वैसी तरक्की प्रदेश की नहीं हो पायेगी। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप आगरा एक्सप्रेस, नेशनल हाई–वे बना रहे हैं। मान्यवर, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल में राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से करीब 2100 गांव में 200 कि0मी0 तक हम सी0सी0 रोड का काम कर चुके हैं। उसमें आवास की सुविधा, पेंशन की सुविधा,

हैण्डपम्प की सुविधा, लाइट की सुविधा मतलब सम्पूर्ण सशक्तीकरण करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। इसी तरह से जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर सी0सी0 रोड का निर्माण, ड्रेन का निर्माण, सरकारी ट्यूबवेल से लेकर, नहरों का पानी पहले की बात है। ये सब सुविधायें किसानों को सरकार द्वारा दी जा रही है। मान्यवन, किसानों के उनके बकाये के लिये उनकी जमीन नीलाम नहीं हो रही है। मान्यवर, यह कोई कम बात नहीं है कि उनको खाद, बीज, पानी पर छूट की सुविधा दी जा रही है। उनकी फसलों पर अगर कोई आगजनी दुर्घटना हो जाती है तो हमारी सरकार 30 हजार रुपये और बड़ी घटना होने पर डेढ़ लाख तक दे रही है। यह सब हमारी सरकार उपलब्धियां हैं। मान्यवर, मैं आज बहुत ज्यादा न कह करके एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, जो यह प्रस्ताव हमारे भाई संग्राम यादव जी द्वारा रखा गया है, उसका मैं सम्पूर्ण रूप से समर्थन करते हुये एक शेर कहना चाहता हूं और अन्त में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। हमारे एक कांग्रेस के साथी जो कल बोल गये, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इंगित करना चाहता हूं कि ''कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे''। कुछ शेष बचा नहीं है और बहुत सी बातें कहनी थीं लेकिन समयाभाव है। अब फिर भी आपका आशीर्वाद और मौका मिलेगा तो अपनी बात कहूंगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये और भाई संग्राम यादव जी द्वारा रखे गये इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने नेता प्रतिपक्ष मा0 मौर्य जी के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं इसके लिये आपका आभारी हूं। चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनकी देखरेख में ही हम सब विपक्ष के लोग हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के इस अभिभाषण में बहुत सारी चीजों का उल्लेख है और बहुत सारी चीजों को छोड़ने का काम किया गया है। जहां तक विधायक निधि का सवाल है तो यह एक सबसे महत्वपूर्ण निधि है। हम सब विपक्ष के विधायकों के पास मात्र एक विधायक निधि ही है जिसके सहारे हम छोटे–बड़े विकास के कार्यों को कर सकते हैं। हमें डेढ़ करोड़ रुपये की विधायक निधि इस मा0 सदन के द्वारा दी जाती है। डेढ़ करोड़ रुपये में हम वे विकास के कार्य जिनके लिये क्षेत्र में लोगों को आशा और आकांक्षा है उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। इस विधायक निधि से हम लोगों को सीधे लिखकर प्रस्ताव के माध्यम से सड़कें, नाली, खड़न्जा आदि तमाम चीजों को बनवाने का अधिकार होता है। साथ ही साथ जो हमारे मरीज हैं जिनको जरूरत होती है उनको भी हम अपनी निधि से पैसा देकर उनके इलाज को सुनिश्चित कराते हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह विधायक निधि डेढ़ करोड़ पर्याप्त न होने के कारण हम ढेर सारे विकास के कार्य नहीं करा पाते हैं और हम अपने क्षेत्र की जनता की आकांक्षा और आशा पर खरा नहीं उतर पाते हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से इस बात की

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

मांग करूँगा कि वे इस डेढ़ करोड़ रुपये को विकास निधि के नाम पर वह प्रस्ताव केवल हमसे लिया जाये, एजेंसी सरकार तय करे। सरकार अपनी देखरेख में काम कराये और कम से कम 10 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश की विधान सभा जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है। वह 10 करोड़ रुपये का हम से प्रस्ताव लेकर उस कार्य को कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये ताकि कम से कम सदन के सदस्यों द्वारा उन कार्यों को कराया जा सके। एक कि0मी0 सड़क बनवाने में कम से कम 40 लाख रुपये का खर्च आता है और डेढ़ करोड़ रुपये मात्र 3 कि0मी0 सड़क एक साल में बनवा पाते हैं इस निधि से तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि तमाम जो क्षेत्र में जरूरतें हैं उनमें हमसे केवल प्रस्ताव लिया जाये। उसकी एजेन्सी सरकार तय करे कैसे बनेगा वह सरकार तय करे और हमसे उस प्रस्ताव को लेकर उसको बनवाने का काम किया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इतना ही नहीं जिला योजना की बैठक हर बार होती है और जिला योजना की बैठक में तमाम प्रस्ताव शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सड़कें और ग्राम विकास, पंचायतीराज तमाम मदों में एक लंबा–चौड़ा प्रस्ताव बनकर आता है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि जिला योजना की बैठकें तो होती हैं, प्रस्ताव आता है लेकिन उसको अमलीजामा पहनाने का काम नहीं किया जाता। मात्र चंद राशि सरकार के द्वारा जारी होती है और उस जिला योजना के सारे कार्य रह जाते हैं, एक–आधा काम मात्र हो पाता है। सारी योजनाएं धरी–की–धरी रह जाती है। अगर यही स्थिति है तो उस जिला योजना की बैठक होने का मेरे समझ से कोई मतलब नहीं है। अगर जिला योजना की बैठक होती हैं तो उसमें छोटे से छोटे सदस्य, चाहे वह ब्लाक प्रमुख हो या विधायक हो, सरकारी अधिकारियों द्वारा बनाई गई योजनाओं का क्रियान्वयन हो कम–से–कम जिला योजना के माध्यम से आती है तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। बाढ़ की स्थिति में अक्सर यह देखा जाता है। पिछले तीन वर्षों से लगातार मैं यह देख रहा हूं। हमारे क्षेत्र में अमवा तटबंध और रेती तटबंध है। इस प्रदेश के तमाम जनपद संतकबीरनगर, कुशीनगर या तमाम जनपदों में मैंने देखा कि बाढ़ के समय पैसे जारी होते हैं। परियोजनाएं स्वीकृत होती हैं, गंगा फ्ल्ड लेविल कमेटी आती है, प्रस्ताव करती है, देखती है, चिन्ह्ति करके पहले चली जाती है। जो काम 15 जून के पहले होने चाहिए, वह 15 जून के बाद धन जारी किया जाता है। स्थिति यह है कि एक ट्रक बोल्डर को कई ट्रक बोल्डर दिखाकर अधिकारी, जो एजेन्सी सिंचाई विभाग की बाढ़ प्रबन्धन की है, वह करोड़ों–करोड़ रुपये डकार जाती है। स्थिति यह होती है कि बाढ़ का काम भी ठीक से पूरा नहीं हो पाता और गांव के गांव कट जाते हैं और सरकार केवल सदन में यह कहती है कि हम बाढ़ से पहले सारा काम करा लेंगे। इस महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी इसका जिक्र नहीं है कहीं पर भी नहीं है कि बाढ़ के लिए कम से कम कोई समुचित योजना बना कर 15 जून से पहले इसकी व्यवस्था करायी जाए। जहां तक आप जानते हैं कि कुशीनगर जनपद काफी पिछड़ा क्षेत्र है और कुशीनगर जनपद में इन्सेफेलाइटिस और ए0ई0एस0 के सबसे ज्यादा मरीज पाये जाते हैं और तमाम साल से गोरखपुर मेडिकल कालेज में अब तक अगर रिकार्ड देखा जाए तो

हजारों बच्चों की मौतें हो चुकी हैं। आपके माध्यम से मैं यह सरकार से मांग करना चाहता हूं कि कुशीनगर जनपद में अगर ए0ई0एस0 और जे0ई0एस0 के कारण अगर इतनी ढेर सारी मौतें हो रही हैं तो कम से कम वहां पर ट्रामा सेन्टर की व्यवस्था कराकर वहां की स्थिति को ठीक करने का काम किया जाए। पिछड़े क्षेत्र में एक ट्रामा सेन्टर होने से कम से कम वहां का एक स्वास्थ्य के प्रति जो गंभीर चिंता का विषय बना है, वह लोगों की सुविधाओं में काम आएगा। जिला मुख्यालय को तहसील मुख्यालय से सड़क से जोड़ने की बात का इस महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में उल्लेख किया गया है। सरकार की तरफ से जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय को जोड़ने के लिए फोर लेन की बात हो रही है। मेरे कुशीनगर जनपद को तम्कूही तहसील से जोड़ने वाली जिला मुख्यालय की सड़क मात्र आधी बनी है। तीन साल से मैं पत्र दे रहा हूं, पत्राचार कर रहा हूं, अधिकारी इस्टीमेट बनाते हैं और इस्टीमेट आता है और आज तक जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालय, अभी जिसको स्टेट हाइ–वे में कन्वर्ट करने की योजना है, वह पूरी नहीं हो पायी है, अभी सिंगल लाइन चल रहा है तो फोर लाइन बनाने की स्थिति कहां से सुनिश्चित हो पाएगी। मान्यवर, आपके माध्मय से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कृषि अनुसंधान केन्द्र है, जिसके बारे में लगातार चर्चा होती रही और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि कृषि अनुसंधान केन्द्रों के विषय में कि तमाम कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना करने की बात कही। मैं आपके माध्मय से माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदन से यह आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा कृषि अनुसंधान केन्द्र जो एशिया को एक नंबर का कृषि अनुसंधान केन्द्र है। गन्ने पर जो वहां पर शोध किया जाता है उस गन्ने के बीज को उत्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर दिया जाता है और उत्तर प्रदेश में शोध केन्द्रों में नम्बर एक के स्थान पर हमारा गन्ना अनुसंधान केन्द्र है। गन्ने की रिकवरी से लेकर, गन्ने के बीज के लिए यह ख्याति प्राप्त है। मैं आपके माध्यम से सदन से यह मांग करना चाहूंगा कि वहां 300 एकड़ की जमीन है।

श्री अधिष्ठाता –

माननीय सदस्य अब आपकी पूरी बात आ गई है, बजट के लिए भी तो कुछ रख लीजिए, बाकी उसमें बोलिएगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, सिर्फ तीन मिनट और लूंगा। मान्यवर, मैं चाहूंगा कि कम–से–कम कृषि अनुसंधान केन्द्र को कृषि विश्वविद्यालय को दर्जा देकर, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आदरणीय अम्बिका चौधरी जी जो यहां बैठे हैं इस समय संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार देख रहे हैं इसी सदन में जब मैं पहली बार आया था तो हमने यह सवाल उठाया था उस समय वह राजस्व मंत्री थे। बाढ विस्थापन के मुद्दे पर इन्होंने बड़ी गम्भीरतापूर्वक कहा था कि अगर बाढ़ से जो कटे हुए गांव है या लोग हैं उनके लिए हम विशेष कार्ययोजना बनायेंगे जरूरत पड़ेगी तो सरकार के पास पैसा भी है उस पैसे को देकर के उनके विस्थापन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जायेगी।

हमने लिस्ट दिया सरकार को कई बार दिया कि हमारे यहां अमवा तटबन्ध और एपी तटबन्ध के किनारे रहने वाले तमाम गांव के लोगों की जमीन कट गया और लोग बेघर की स्थिति में है। हमने यह मांग किया था कि उन लोगों को चिन्हित कराकर 2002 से लेकर अब तक जो लोग बन्धे के किनारे रह रहे हैं उन लोगों की सूची बनाकर उनके विस्थापन की व्यवस्था कराई जाय लेकिन वह कार्य नहीं हो पाया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि बाढ़ विस्थापन।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। लल्लू जी बैठ जायें। आपकी सारी बात आ गयी है। मैने रविन्द्र जी का नाम पुकार लिया है, वह खड़े हो गये हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि एक विशेष कार्ययोजना बनाकर उनको जमीन देने की व्यवस्था की जाय। अधिष्ठाता महोदय, एक लास्ट बात कहकर समाप्त करूंगा। बिजली की चर्चा हो रही थी बिजली की हालत यह है कि जिन क्षेत्रों में पुराने पोल, खम्भे और तार हैं और ट्रांसफारमरों की क्षमता वृद्धि नहीं है और पुराने समय से बिजली के पोल तार नहीं बदलने के कारण लोगों को गांवों में बिजली तक नहीं मिल पा रही है आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे गांव जिन गांवों में पोल टूटे हुए है बांस के खम्भों पर तार लटके हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब नहीं लिखा जायेगा, आप बैठें, मैंने श्री रविन्द्र भड़ाना को बुला लिया है। लल्लू जी बैठिये।

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है सभी को जाने की जल्दी है और सभी चाहते हैं कि एक ही समय पर बोल लिया जाय मेरा आप से अनुरोध है कि यह अच्छा अवसर है अगर आप बोलना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की बात कहना चाहते हैं तो निश्चित तौर से थोड़ा धैर्य रखते हुए अपनी बात आप आज अच्छे मौके पर कह पायेंगे। माननीय रविन्द्र जी आप अपनी बात कहें।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा लगातार बोलने का प्रयास करने पर)

लल्लू जी अब लिखा नहीं जायेगा।ज्यादा जिद अच्छी नहीं आपकी सारी बात आ गयी आपकी बात मैने मान ली, अब आप बैठ जायें। (व्यवधान)

आपका लिखा नहीं जायेगा। लल्लू जी सारी बात आ गयी फिर भी आप जिद कर रहे हैं यह अच्छा नहीं लगता एक अच्छे सदस्य के लिए एक आदर्श सदस्य के लिए। अब लिखा नहीं जायेगा। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र भड़ाना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका आभारी हूं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन पर नेता प्रतिपक्ष, नेता भारतीय जनता पार्टी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के द्वारा प्रदेश की जनता को यह बताने का कार्य किया है कि हम क्या–क्या कर रहे हैं और क्या हमारी योजनायें हैं। सदन के अंदर वो सारी चीजें आई हैं, लेकिन मान्यवर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें अभी भी शेष रह गई हैं, जो इसमें शामिल होनी चाहिये थी। सरकार ने बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, शिक्षा का खूब जिक्र किया है, लेकिन अगर कहना शुरू करें तो किसान की हालत क्या है, इस सरकार ने किसान की उपज के मूल्य पर किसान को डुगडुगी बजाकर दिखाई, किसान के गन्ना मूल्य के भुगतान पर कहा कि हम ब्याज सहित भुगतान देंगे। गन्ने के मूल्य का भुगतान कहां हो रहा है, यह सर्वविदित है और पूरे प्रदेश के किसानों को भी विदित है। सिंचाई की हालत की बात करें तो सिंचाई की हालत यह है कि नहरों में पानी नहीं आ रहा है, टेलों तक पानी नहीं जा रहा है। गेहूं की फसल सूख रही है, लगातार कहा जाता है कि पानी नहीं है। सरकार गौर से सुने किसानों को अपने पराये में भेदभाव के आधार पर विद्युत का कनेक्शन देने का काम किया गया है। सामान्य योजना के अन्तर्गत जनसाधारण को ''पहले आओ, पहले पाओ'' के स्थान पर कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, सुरक्षा का हाल तो आप जानते ही हैं कि पूरे प्रदेश में कोई व्यक्ति कहीं सुरक्षित नहीं है। मेरठ के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार रोज हत्यायें हो रही हैं, अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार यह सारी चीजें लगातार हो रही हैं। मान्यवर, मैं तीन–चार बातों के ऊपर विशेष ध्यान इंगित कराना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में मेरठ सहित अनेक स्थानों पर लेकिन मेरठ की प्रमुख समस्या है पशुओं की अवैध कटान तथा गोवंश का कटान। मान्यवर, यह दोनों कटान तो हैं ही, इसके साथ–साथ एक कटान और है और वह है गाड़ी कटान। जिसके कारण समूचे उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेशों से देश भर से गाड़ियां लाकर मेरठ के अंदर काटी जा रही हैं, पुलिस की नाक के नीचे काटी जा रही हैं। मेरठ के जिला प्रशासन की नाक के नीचे काटी जा रही हैं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक है। आखिर क्या बात है कि ऐसे लोग पकड़े नहीं जाते हैं। मुकदमें दर्ज हो जाते हैं, लेकिन अपराधियों को जेल के अंदर ठूंसा नहीं जाता है अगर जेल के अंदर भेजा भी जाता है, तो सेटिंग करके भेजा जाता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश के अंदर एक और उद्योग पनप रहा है वह है अवैध होर्डिंग का उद्योग। अवैध होर्डिंग लगाओ और इन दोनों कटानों से ज्यादा प्रतिफल पाओ। मेरठ के अंदर और दूसरे भी महानगरों में भी अवैध होर्डिगों की बाढ़ आ गई है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। सरकार यह न समझे कि यह चीजें केवल आपकी बुराईस्वरूप कही जा रही हैं, बड़ाई स्वरूप आपके नहीं हैं, आपकी आंखें खोलने के लिए और आत्मदर्शन कराने के लिए यह बातें कही जा रही है। आप देखो तो सही कि क्या–क्या हो रहा है। मेरठ के अंदर अवैध होडिंगों की बाढ़ आ गई है, अवैध होर्डिंग का ठेकेदार लगातार सभासदों को मेयर को धमकाकर जबर्दस्ती होर्डिंग लगवा रहा है। इसके बाद केबिल वसूली का व्यवसाय आता है, इस व्यवसाय में लोगों को डरा और धमका कर इस पर आधिपत्य जमाया जा रहा है, कब्जे जमाये जा रहे हैं, हत्यायें हो रही

हैं इसके पीछे आखिर है क्या ? एक बात और कहना चाहूंगा, गलत मत समझियेगा। पता नहीं क्यों पहले कुछ लोग इन लोगों को ठेकेदार के रूप में अच्छे नहीं लगे, लेकिन अब वही लोग इन्हें अच्छे लगने लगे हैं। यादव सिंह जैसे लोग पहले उनको अच्छे लगे, लेकिन अब इनको कैसे अच्छे लगे ? भ्रष्टाचार चरम पर चढ़कर बोल रहा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यादव सिंह जैसे माफिया, शराब के माफिया उनके कुछ लोगों को पसंद आये होंगे वही इन लोगों को अब पसंद आ गये। अगर इस शराब के व्यवसाय में खुली लाटरी के द्वारा नीलामी हो तो निश्चित रूप से दुकानों की नीलामी में फायदा निकलेगा और सरकार को उसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, चोरी के सामान खुले रूप से बाजारों में बेंचे जा रहे हैं, खुले रूप से इसकी मण्डिया सजती हैं। पुलिस की नाक के नीचे मेरठ में शुक्रवार का बाजार लगता है। यह बाजार चोरी के बाजार के नाम से जाना जाता है। कोई पूछता है कि वह यह सामान कहां से लेकर आये। हैं। यह शर्म की बात है। अब कैसिनो का व्यवसाय, कैसिनो, जुयें चल रहे हैं और खुले आम चल रहे हैं कोई है पूछने वाला ? सरकार को इन बातों का संज्ञान लेना चाहिये। अतिक्रमण हो रहे हैं, सड़कों पर ऊपर आकर अतिक्रमण हो गया, जाम लग रहे हैं, जाम की समस्या है, मान्यवर, सरकार इस ओर ध्यान दे तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छी बात होगी।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरठ में कोई कैसिनो खुला है क्या ?

श्री रविन्द्र भड़ाना–

हां लाइन से।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अब संक्षिप्त करें, सभी सदस्य बोलकर जाने के इंतजार में बैठे हैं।

श्री रविन्द्र भड़ाना–

बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, सरकार कह रही है कि हम सड़कें बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान्यवर, मेरे क्षेत्र की 13 सड़कें हैं, आज 13 की 13 सड़कें बाट जोह रही हैं कि वह गड्ढामुक्त हों। लेकिन वह गढ्ढामुक्त नहीं, आज गड्ढों के अंदर सड़कें हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरठ में आये थे, हमें बड़ा अच्छा लगा, वह हमारे क्षेत्र के मानवपुरम के लिये एक घोषणा करके गये कि वहां अस्पताल खोलेंगे लेकिन आज तक वहां अस्पताल नहीं खुल पाया। लोहिया आवास की स्थिति और जो लोहिया गांव चिन्हित किये गये, उन गांवों के अंदर विकास मान्यवर, नाममात्र की चीज है। मेरे क्षेत्र के अंदर विकास नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, जनेश्वर मिश्र योजना के अन्तर्गत गांव चिन्हित नहीं किये गये हैं। प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर हाईस्कूल गांव फफूंदा व गगोल गांव व महरौली के स्कूलों को उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। 10–15 किमी0 तक कोई हाईस्कूल और इंटर

कालेज नहीं है। इसलिये यहां के जूनियर हाईस्कूल उच्चीकृत हों। पशु चिकित्सालय लोगों की पहुंच के अनुसार खोले जायें। मान्यवर, वृक्षारोपण में घांधली इतनी है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें, आपको बजट में भी बोलना है।

श्री रविन्द्र भड़ाना–

मान्यवर, यह बजट के विषय नहीं है। यह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से संबंधित विषय है। मान्यवर, पेड़ों का कटान हो रहा है। मान्यवर, प्राइवेट स्कूल, छोटे स्कूल, बड़े स्कूल सभी का बाजारीकरण हो गया है जो नीचे से लेकर ऊपर तक लोगों का दोहन कर रहे हैं। करोड़ो–करोड़ों रुपये में वह एम0बी0बी0एस0 करा रहे हैं। आज इंटर तक में पढ़ना तो मुश्किल की बात हो गयी है। शिक्षा में बेसिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, मेरठ के गांव फफूंदा में, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं वहां एक शिक्षक कहते हैं कि वहां वन्देमातरम् नहीं होगा। यह वन्देमातरम् का अपमान है शिक्षक के विरुद्ध और कार्यवाही रिपोर्ट आदि दर्ज कर निलम्बन करना यह बड़ी दुर्दशा की बात है। हमारे यहां पुलिसकर्मियों की अत्यन्त कमी है। थानों की कमी है जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। माननीय सदस्य अमरपाल शर्मा प्रारम्भ करें और भड़ाना जी आप बैठें।

श्री अमरपाल शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर अपने नेता प्रतिपक्ष के संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण होता है, सभी जानते हैं कि वह सरकार का ही एक दस्तावेज होता है। मान्यवर, मैनें उस अभिभाषण को पढ़ा और मैनें जब उसको अच्छी तरह से देखा तो मैं यह कहना चाहूंगा कि उस अभिभाषण में कहीं भी, जो इस प्रदेश का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जिला गाजियाबाद है, उस जिले गाजियाबाद के लिये उस अभिभाषण में कोई योजना नहीं थी। यहां तक कि जिले गाजियाबाद के अंदर जिस विधान सभा से हम आते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं, मैं समझता हूं कि वह देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी विधान सभा है जिसमें आज की डेट में 8 लाख और 22 हजार वोटिंग है और इसका एरिया भी बहुत बड़ा है, साहिबाबाद विधान सभा को आप सभी जानते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधान सभा के अंदर खासतौर से आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, कहीं भी महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में उस ट्रांस हिन्डन का जिक्र नहीं है, जिसकी वजह से हाट सिटी गाजियाबाद को जाना जाता है। वर्षो से सरकार भी कहती आई है कि हम ट्रांस हिन्डन को गंगा वाटर देंगे लेकिन ट्रांस हिन्डन क्षेत्र को आज तक गंगा वाटर नहीं मिला है। यहां पूरे देश से लाखों लोग आ करके बसे

हैं, चाहे कर्नाटक से आये हों, चाहे पंजाब से आये हों, सरकार ने वादा किया था सरकारी अस्पताल बनायेंगे और वहां पर कोई डिग्री कालेज खोलेंगे, ऐसी कोई योजना इस अभिभाषण में नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में हिन्डन क्षेत्र के अंदर जो गंगा वाटर के बिना वहां पर अवैध पानी का धंधा लोगों का फल–फूल रहा है, आये दिन लोग उससे बीमार होते हैं। वहां पर ट्रांस हिन्डन के अंदर गंगा वाटर की भी योजना लागू कराई जाये। उस क्षेत्र में मात्र 5ः प्रताप बिहार में गंगा वाटर आता है, बाकी गंगा वाटर नोएडा को दे दिया जाता है। अब पूरा इंदिरापुरम, लाजपत नगर, श्याम पार्क, जनकपुरी, राजेन्द्र नगर, शालीमार गार्डेन यह पूरा क्षेत्र पानी की वजह से वंचित रह जाता है जिससे लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। इसी तरह से पूरे ट्रांस हिंडन के अन्तर्गत चाहे आपका वसुंधरा हो, चाहे वैशाली हो, राजेन्द्र नगर हो चाहे कोई सा भी क्षेत्र आप देख लीजिए सीवर की वहां पर इतनी भयंकर समस्या है कि आये दिन हम लोगों को वहां पर सीवर सम्बन्धित अधिकारी के सामने जूझना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब ये कॉलोनियां बसाई गई थीं तो एकल यूनिट के हिसाब से प्लॉट काटे गये थे और उसी के हिसाब से यहां पर सीवर की लाइनें डाली गई थीं, 200 एम0एम0 की या ढाई सौ एम0एम0 की। आज उस एकल यूनिट में जिसमें 6 या 8 आदमी रहते थे अब उसमें 10–10, 20–20 फ्लोर बना करके उनमें 2–2 सौ आदमी रह रहे हैं और सारी लाइनें चोक हो गई हैं। उसी के हिसाब से पानी की लाइन, पानी की लाइन जल निगम की लाइन उसके साथ–साथ डाली गई थीं अब जहां से सीवर लीक हुआ वहीं से वह लोहे की लाइनें गल गई हैं और जब आदमी मोटर चलाता है तो वह मोटर उस सीवर से पानी खींच लेता है। मा0 मंत्री जी मेरे सामने बैठे हैं मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा कि यह बहुत गम्भीर समस्या है, यह सबकी समस्या है। खास करके ट्रॉस हिंडन में बिल्डरों द्वारा अवैध मकान बनाये जा रहे हैं उन पर तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिए हालांकि कुछ कार्यवाही हुई है लेकिन वह काम अभी भी चल रहा है। इसी तरीके से उस 30 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में एक–दो सरकारी स्कूल हैं कोई पांचवीं क्लास तक है कोई आठवीं क्लास तक है कोई डिग्री कॉलेज नहीं है कोई सरकारी अस्पताल नहीं है, बुजुर्गों को बैठने के लिए कोई क्लब जैसी व्यवस्था नहीं है, डिस्पेंसरी नहीं है उस क्षेत्र में। इन सारी चीजों को शामिल करके इन चीजों की व्यवस्था कराई जाए। उस क्षेत्र के अन्दर ट्रैफिक की बहुत भयंकर समस्या है आप भी जानते हैं कि वहां दो–दो घण्टे ट्रैफिक में लग जाते हैं।

ट्रैफिक को सुचारु रूप से चलाने के लिए वहां लाल बत्तियां जो बन्द पड़ी हैं उनको चलाया जाए। पहले भी इस सदन में मैंने आपके माध्यम से कहा था कि कुछ जगहों पर छिनैती होती है वहां चेन स्नेचिंग होती है और बदमाश खुलेआम अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। यह कहा गया था वहां पर हम कैमरे लगायेंगे, इसके लिए एक टीम वहां गई थी और उसने हमने से पूछा कि कहां–कहां कैमरे लगवाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक इस योजना को अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। इसी तरीके से पूरे क्षेत्र के अन्दर कोई रामलीला मैदान नहीं है। बहुत बड़ी कॉलोनी जिसमें आठ लाख लोग रहते हैं

खोड़ा कॉलोनी, उसको मैंने कई बार सदन में अवगत कराया है मैं कहना चाहता हूं कि उसको या तो नगर पालिका बना दिया जाए या फिर उसे नगर पालिका में शामिल कर दिया जाए ताकि उसको वहां की जनसुविधाएं मिल सकें। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा मेरी विधान सभा में अल्पसंख्यक समुदाय का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है शहीदनगर, वहां पर कोई ईदगाह नहीं है। वहां जमीन है यदि सरकार चाहे तो वहां पर ईदगाह बनवाने का काम कर सकती है। इसी तरह से शालीमार गार्डेन में अगर एक एस0टी0पी0 प्लॉन्ट लग जाता है तो सीवर की समस्या से निजात पाया जा सकता है। इन्दिरापुरम का जो एस0टी0पी0 प्लान्ट है वह एस0टी0पी0 प्लान्ट बहुत कम क्षमता का है, आजकल नई तकनीक के एस0टी0पी0 प्लान्ट आ रहे हैं, अगर नई तकनीकी का एस0टी0पी0 प्लान्ट हम इन्दिरापुरम के अन्दर लगाते हैं तो पूरे क्षेत्र की समस्या का समाधान हो जायेगा। पुराना जो एस0टी0पी0 प्लान्ट है उससे बहुत ज्यादा बदबू आती है इससे लोगों को राहत भी मिल जायेगी। इसी तरह से नन्दग्राम सिहानी क्षेत्र के अन्दर सड़कों और सीवर की हालत को दुरुस्त कराने का काम किया जाए। अधिष्ठाता महोदय, हमारे यहां बंथला से चिरौरी तक करीब 5 कि0मी0 लम्बी रोड है जिससे लगभग डेढ़ सौ गांवों के लिए रास्ता जाता है। पिछले सत्र में मा0 मंत्री जी ने कहा था कि उसका काम बहुत जल्दी हो रहा है, 22 करोड़ रुपये उसके लिए रिलीज कर दिये गये लेकिन आज भी आप देखेंगे तो वहां सड़क देखने को नहीं मिलती है चार–चार फिट के गड्ढे वहां पर हैं। वहां आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं हालात यह है कि वहां से लोगों ने निकलना बन्द कर दिया है लोग खेतों की पगडंडियों से निकला पसन्द करते हैं लेकिन उस रोड से चलना पसन्द नहीं करते हैं यदि आप उस रोड को बनवाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से जो सरकार अपने विकास कार्यों को दिखाना चाहती है ऐसा करने से विकास कार्य भी नजर आयेगा। इसी तरह से जिला गाजियाबाद जिले का जो विकास है वह ठप पड़ा है और ठप इसलिए पड़ा है क्योंकि गाजियाबाद जिले का जो अवस्थापना निधि का पैसा था वह दो साल से एक रुपया भी रिलीज नहीं किया गया है। अवस्थापना निधि का पैसा जब जायेगा नहीं तो विकास कहां से होगा क्योंकि अवस्थापना निधि के पैसे से ही नगर निगम, जी0डी0ए, आवास विकास शेयरिंग करते हैं और वही पैसा विकास में लगता है। लोग जब किसी से कार्य के लिए अधिकारी से कहते हैं तो कहते हैं तो अधिकारी हमें कहते हैं कि अवस्थापना निधि का पैसा आयेगा तब काम होगा। हमारे पार्षद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम सब भी उसमें शामिल हैं। लेकिन एक भी पैसा वहां पर रिलीज नहीं हुआ है, उस निधि को अवमुक्त कराने का काम करेंगे तो जिले की जो योजनायें हैं वह परवान चढ़ेंगी। इसी तरह से राजेन्द्र नगर क्षेत्र के अंदर गोल पार्क एक जगह है पिछली बार हमने सवाल लगाया था हमसे पूछा गया था कि सरकारी अस्पताल के लिए जगह कहां है ? हमने बताया कि यह जगह है इसमें आप सरकारी अस्पताल बनायें लेकिन उसको दर–किनार कर दिया गया, अस्पताल बनाने की कोई योजना अब तक नहीं है। जब जगह भी हम मुहैया करा रहे हैं तो वहां एक सरकारी अस्पताल बनाया जाए। इसी तरीके से अधिष्ठाता महोदय, शहीद

नगर के अन्दर जो एक नाला है सबसे बड़ी समस्या है जब बरसात आती है, हमारी यहां की सबसे बड़ी समस्या है, सही तरीके से उसका हल नहीं करना चाहते। एक खड़ंजा बनाने से किसी रास्ते का सुधार नहीं होगा। अगर उस रोड पर मोहन नगर से लेकर शहीद नगर तक एक नाला सी0सी0 का बना दिया जाए तो पूरा ट्रांस हिन्डन का पानी उससे आगे चला जायेगा और कॉलोनी में पानी नहीं भरेगा, उससे सड़कें भी बच जायेंगी।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

श्री अमरपाल शर्मा–

इसी तरह से पूरे क्षेत्र में बिजली के जो तार हैं वह गले पड़े हुए हैं, पूरे क्षेत्र में बिजली के तार चेंज कराये जायें....।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिये, 10 मिनट हो गया है।

श्री अमरपाल शर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका एक मिनट और लेना चाहता हूं, जितनी बातें मैंने कही है मैं सरकार पर कोई लांछन नहीं लगाना चाह रहा हूं बल्कि में सरकार को स्थिति से आगाह कर रहा हूं कि किसी व्यक्ति को अगर सामने वाले की बात सुनेंगें और आपको लगता है कि अच्छी बातें हैं तो उस पर काम करना चाहिए। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि ये सारी चीजें आम जनता की जरूरत की चीजें हैं अगर इन पर सरकार काम करेगी तब सरकार अच्छी कहलायी जायेगी खाली यहां पर महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में सरकार की योजनाओं का एक पुलिन्दा बांध दें और कहें कि हमने ये–ये कर दिया तो इससे सरकार अच्छी नहीं हो सकती। मान्यवर, इसके साथ ही मैं महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पूरन प्रकाश–

माननीय मंत्री जी, आप देख लीजिए, हाउस में इस समय कोरम पूरा नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

पूरन प्रकाश जी बैठिये।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

अधिष्ठाता जी, वैसे पूरन प्रकाश जी बहुत पुराने सदस्य हैं और उनको हम नियमों की बात बतायें यह मुनासिब नहीं है लेकिन उनकी जानकारी के लिए सदन में दोबारा यह बताना पड़ रहा है कि कोरम का सवाल मद के समाप्त होने और नई मद के लेने पर उसी समय कोरम का सवाल उठाया जा सकता है। दूसरी बात, कोरम नहीं है और अधिष्ठाता जी, अगर कार्यवाही स्थगित करना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

तीसरी बात बता दूं, कोरम का सवाल आमतौर पर जब कोई सरकारी मद होती है तब उठायें तो ठीक है, इस समय श्रीराज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

पूरन प्रकाश जी, बैठिये आपका नम्बर आने वाला है।

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, बी0एस0पी0 का नम्बर आ गया, कांग्रेस का आ गया, बी0जे0पी0 का आ गया, हमारा नहीं आया।

श्री अधिष्ठाता–

पूरन प्रकाश जी बैठिये।

'श्री इन्दल कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे डा0 संग्राम यादव जी द्वारा प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें सरकार की पूरी योजनाओं का समायोजन किया गया है, कल हमने देखा कि प्रतिपक्ष के तमाम सदस्य मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर तमाम टिप्पणी कर रहे थे, तुलना कर रहे थे। हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश भैय्या जिन्होंने लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस–वे का निर्माण करा रहे हैं जिसका यमुना एक्सप्रेस–वे से तुलना कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमुना एक्सप्रेस–वे .....

(इस समय 02 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

कितने दिनों में बना किसानों की जमीन किस तरह ली गई लाठी डण्डे चले गोलियां चलीं आज तक उनका पूरा मुआवजा नहीं मिल पाया। कितने लोगों ने आत्महत्या करने का काम किया।हमारे युवा मुख्य मंत्री जी ने बहुत कम समय में किसानों का पूरा मुआवजा एक भी एप्लीकेशन नहीं आई होगी कि किसी ने विरोध किया और पूरी तरह से वह काम चल रहा है सरकार रहते–रहते 2016 तक यह एक्सप्रेस हाई–वे पूर्ण हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूं हम मलिहाबाद क्षेत्र से आते हैं यह फलपट्टी क्षेत्र है मलिहाबाद क्षेत्र में चाहे गोमती नदी हो गोमती नदी पर जितने भी पुल बने हैं चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार में बने या फिर हमारे अखिलेश भैय्या की सरकार में बने जितने भी पुल बने हैं सब इन्हीं की सरकारों में बने हैं। जब 2006 में हमारी सरकार चल रही थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्य मंत्री थे तब मलिहाबाद में फल पट्टी क्षेत्र में बड़ी मण्डी बनाने का निर्णय लिया था और भूमि का पूरा मुआवजा दे दिया गया था लेकिन पांच साल इनकी सरकार रही इन्होंने उसमें दो पैसे का काम नहीं किया। जब 2012 में फिर हमारी सरकार बनी हमारे युवा मुख्य मंत्री बनें तब जाकर उसका काम शुरू हुआ है। पूरी बाउंड्रीवाल बन गई है अन्दर का काम भी

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

100 करोड़ की लागत से होने जा रहा है। कहीं न कहीं चाहे वह रहीमाबाद का पावर हाउस हो तमाम ऐसे काम हुए हैं। साथियों मैं कहना चाहता हूं यही शिक्षा मित्र लाठी डण्डा खा रहे थे हम लोग जब चुनाव में थे तब हम लोगों ने वायदा किया था और शिक्षा में सुधार करने के लिए एक लाख बान्नवे हजार शिक्षा मित्रों को पूर्ण शिक्षक बनाकर शिक्षा में बहुत बड़ी प्रगति की गई है। चाहे स्वास्थ्य में एम्बुलेंस सेवा हो चाहें कैंसर अस्पताल खोलने की बात हो पूर्व में हम सीधे पैसा नहीं दे सकते थे अपनी विधायक निधि से तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने शासनादेश करके 25 लाख रुपए सीधे बांटने के लिए हम लोगों को निर्देशित कर दिया। किसानों को रोजगार के लिए कौशल विकास योजना के कार्य चलाए जा रहे हैं बेरोजगारी भत्ता कन्या विद्याधन व लैपटाप देकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है क्योंकि आज इण्टरनेट का जमाना है आप बटन क्लिक करिए और दुनियां में क्या हो रहा है सब आपको पता चल जाएगा। तो हमारे युवा यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने बड़े फैसले लिए हैं। मेट्रो जैसा ऐतिहासिक निर्णय लिया है चार–चार शहरों में मेट्रो का काम शुरू होने जा रहा है यह ऐतिहासिक निर्णय है इसकी कहीं न कहीं सराहना होनी चाहिए प्रसंशा होनी चाहिए लेकिन विपक्ष का काम है कहीं न कहीं उसको आरोपित करना मैं माननीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं कि हमारे यहां फलपट्टी क्षेत्र है बिजली में काफी सुधार हो गया है लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारे यहां का जो फीडर है वह एच0बी0–2 करके फिट है जबकि बिल एच0बी0अरबन का लिया जाता है फल पट्टी क्षेत्र होने के नाते हम चाह रहे हैं कि एच0बी0अरबन जो बिल लिया जाता है उसी तरह से इसको सुधार करा लिया जाय। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

सुरेश राणा को जाना है इनकी ट्रेन छूटनी है इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि मुझे पहले बुलवा लें।

'श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का अवसर दिया मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं। यह सरकार गन्ना किसानों के दम पर सत्ता में आई थी और किसानों के लिए बड़े बड़े वायदे सरकार ने किए थे मुझे यह कहते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर यदि उत्तर प्रदेश की पहचान है यदि हिन्दुस्तान के अन्दर एक बिन्दु ऐसा है जहां हम नम्बर एक पर हैं तो वह है कि पूरे हिन्दुस्तान में 45 प्रतिशत क्षेत्र में गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य आप देखें आज सुबह सवालों के जवाब में यह कहा गया कि 97 प्रतिशत हमने गन्ने का भुगतान कर दिया अध्यक्ष जी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मेरा छोटा सा शामली जिला है पूरे शामली जिले का 400 करोड़ रुपया भुगतान बकाया है। यह अकेले शामली जनपद का है। रिकवरी की बात है एक सवाल मैंने पूछा था उसमें जवाब आया जहां महाराष्ट्र की रिकवरी 14

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिशत है वहीं उत्तर प्रदेश की रिकवरी 9 प्रतिशत है। हम कहते हैं कि हमारे अनुसंधान केन्द्र खुल रहे हैं हम कहते हैं कि हम नई प्रजातियों का उत्पादन कर रहे हैं मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कौन सी नई प्रजाति आई है कौन सा उत्पादन हुआ है आप 9 प्रतिशत रिकवरी पर टिके हुए हो जहां दूसरे राज्य 14 प्रतिशत पर हैं आप उसका मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था हो। जो हाल आज गन्ना किसान का है। माननीय शिवपाल जी इधर बैठते थे तो उन्होंने कहा था कि 350 रुपये गन्ने का भाव होना चाहिए आज वह सरकार में हैं तो गन्ने का भाव क्या है? 280 रुपये गन्ने का भाव है और उसमें से भी 40 रुपये की कटौती हो गई इस प्रकार का घोर अन्धेर अत्याचार किसानों के साथ हो रहा है। आपकी कृपा हमेशा गन्ना किसानों के साथ रही है इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि यह जोड़ा जाय और गन्ना किसानों के लिये विशेष पैकेज की व्यवस्था भी की जाय। मान्यवर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आत्महत्यायें नहीं होती थीं लेकिन इस सरकार की मेहरबानी से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी बड़ी मात्रा में आत्महत्यायें हुई हैं। कानून–व्यवस्था के बारे में तो सरकार पूरी तरह फेल है। इस सरकार के कैबिनेट मंत्री बयान देते हैं कि दाऊद का पैसा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अबू सलेम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सरकार के जिम्मेदार मंत्री इस तरह का बयान देंगें कि हम दाऊद का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अबू सलेम का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, जन्मदिन पर दाऊद का पैसा लगा रहे हैं तो क्या असर प्रदेश में जायेगा ? क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था होगी ? मुज्जफरनगर में अगर किसी डायरेक्टर को कहा जाता कि वहां का पिक्चराइजेशन कर दे तो डायरेक्टर भी पिक्चराइजेशन नहीं कर सकता। वहां कोर्ट में गवाही चल रही है और गवाही में जज के सामने हत्या हो जाती है। दो दिन पहले मुरादाबाद में हत्या हुई। ऐसा माहौल हो गया है कि अपराधियों के सामने पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरा प्रदेश का प्रशासन सरेन्डर है। मान्यवर, सड़कों का बुरा हाल है। हमारी तीन सड़कें प्रमुख हैं। आपका दौरा पश्चिम में हुआ है आप जानते होंगें। दिल्ली से लेकर सहारनपुर मार्ग, मेरठ से लेकर करनाल मार्ग, और यमुनोत्री से लेकर सहारनपुर मार्ग। इन तीनों मार्गों की हालत ऐसी है कि चलने की स्थिति में यह मार्ग नहीं हैं। मोदीनगर में दो–दो घंटे का जाम लगा रहता है। इतनी खराब हालत है कि अगर किसी को गाजियाबाद से ट्रेन पकड़ना है तो तीन घंटे पहले उसे मेरठ से चलना पड़ता है। रोजाना घंटों घंटो जाम लगा रहता है। यमुनोत्री से जो सहारनपुर मार्ग की हालत ऐसी खराब है कि उस पर चला ही नहीं जा सकता है। कोई सड़क चलने की स्थिति में नहीं है इसलिये सड़कों के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़कें के निर्माण की पुनर्निर्माण की व्यवस्था उचित व्यवस्था की जाय। मैं पूर्वांचल और बुन्देलखंड के पैकेज के खिलाफ नहीं हूं। पूरे क्षेत्रों का सरकार को सर्वांगीण ध्यान रखना चाहिए सबको सहायता देनी चाहिए लेकिन मैं अधिकार के साथ मांग करता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश से भारी राजस्व सरकार को मिलता है। पूरा लघु उद्योग,

चाहे आगरा का उद्योग हो, चाहे अलीगढ़ का उद्योग हो, सहारनपुर का हो, मेरठ का हो। आज भी हमारी क्रिकेट टीम अफ्रीका से जीत रही है या पाकिस्तान से जीत रही है तो हिन्दुस्तान की टीम में 50 प्रतिशत बल्लों का प्रयोग है मेरठ के निर्मित बल्लों का है। आज आगरा का चमड़े का उद्योग नम्बर वन है। पीतल के उद्योग में मुरादाबाद का नाम है इसकी मैं अक्सर चर्चा करता हूं। सहारनपुर आपका घूमा जाना हुआ है वहां का कारपेट का उद्योग पूरी दुनिया में मशहूर है आज कहां चला गया? कोई सुविधा नहीं है। सरकार ने कोई सुविधा मुहैया नहीं की है। कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई बिजली नहीं है। कहां से उद्योग आयेगा ? इसलिये पूरा उद्योग उत्तराखंड में पलायन कर रहा है या पूरा उद्योग हरियाणा में पलायन कर रहा है। और भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण पर तो सरकार ने सारी हदें पार कर दीं। केन्द्र सरकार की डायरेक्शन थी कि जो बहुफसली और सिंचित भूमि है उसका अधिग्रहण नहीं होगा। सरकार भूमि अधिग्रहण के लिये क्या कहती है। सरकार कहती है कि 20 प्रतिशत तक सिंचिंत और जो बहुफसली जमीन है उसका अधिग्रहण कर सकते हैं। मैं अध्यक्ष जी आपका संरक्षण चाहते हुए कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में 40 प्रतिशत मात्र सिंचित और बहुफसली जगह है जब यह सिंचित और बहुतफसली जमीन 40 प्रतिशत है और 20 प्रतिशत का अधिग्रहण करने के लिये सरकार बैठी है तो प्रदेश के किसानों का क्या होगा। किसानों की चिन्ता सरकार को नहीं है।

डा0 संग्राम सिंह यादव–

पूरे देश का किसान आन्दोलित हैं दिल्ली में अनशन पर बैठे हैं।

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश राणा–

संग्राम सिंह जी सुनने का भी साहस रखिये।

श्री अध्यक्ष–

आपकी ट्रेन ढाई बजे की है और 2.15 हो गया है।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। लेकिन समय रहते सरकार की आंखें नहीं खुलीं। सरकार न चेती किसानों की चिन्ता न की तो पहले सत्र में कहा था कि 4500 मेगावाट का उत्पादन है आज कह रहे हैं कि 3100 मेगावाट का उत्पादन है। यह उत्पादन घट रहा है कि बढ़ रहा है मैं आपका संरक्षण चाहते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर समय रहते सरकार न चेती, समय रहते सरकार की आंखें न खुलीं, समय रहते सरकार ने किसानों की चिन्ता नहीं की, तो इस सरकार का भी वही हश्र होने वाला है जो लोकसभा के चुनाव में हुआ है आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

'श्री पूरन प्रकाश–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपनी बात कहने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष–

समय का ध्यान रखिएगा। दस मिनट से ज्यादा नहीं।

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, यह बहुत बड़ी विडम्बना है कि सभी विधायक बराबर होते हैं सबका एक ही स्तर से चुनाव होता है, जीत कर आते हैं जिसकी संख्या अधिक होती है उनकी सरकार बन जाती है। बाकी जो कम रहते हैं वह विपक्ष में बैठ जाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ी पीड़ा है विपक्ष के विधायक हों चाहे सत्तापक्ष के विधायक हों सब का दर्जा बराबर का रहता है। मान्यवर, 1991 में मैं आया था एक मामला मैंने उठाया था आपने आदेश दिया था यह 301 में क्यों उठाया पत्र लिखकर दे देते। माननीय अध्यक्ष जी, मेरी पीड़ा है 1991 में आया था तब यह स्थिति थी अब तो अगर पैड पर फूल छप रहा है तो काम होगा उसके बाद पैड बेकार, अभी पिछली बार थे तब नीला पैड है तो काम होगा उसके बाद पैड बेकार, अभी अगर पैड पर साइकिल छप रही है तो काम होगा वरना पैड बेकार। तो माननीय अध्यक्ष जी, हम कहां जाएं, किससे कहें, आप सुप्रीम सीट पर बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष जी हमारी बड़ी पीड़ा है। जनता हमें चुनकर भेजती है बड़ी आशा, बड़ी अपेक्षा से भेजती है कि क्षेत्र का विकास होगा, तो जो आज स्थिति है उसका मैंने वर्णन किया। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में हमारा जनपद मथुरा है वहां भगवान कृष्ण जी, बिहारी जी, गिरिराज जी के यहां भक्त लोग आते हैं और जब वह परिक्रमा लगाते हैं और सड़कों की हालत देखते हैं तो सरकार को तो वह गाली देते ही देते हैं लेकिन जो वहां से विधायक है उसका नम्बर पहले ही आ जाता है। माननीय अध्यक्ष जी,जनपद मथुरा में आप किसी भी स्तर पर लेकर चलिएगा, चाहे सड़कों की स्थिति पर आ जाइए मान्यवर, 24 सड़कों के बारे में मा0 अध्यक्ष जी लिखकर दिया है और उसमें माननीय मंत्री जी ने आदेश दिए सरकार ने आदेश दिए कि इनको बनाया जाए लेकिन एक ही जबाव आता है कि वित्तीय अभाव के कारण यह संभव नहीं है। यह सड़कें टूटी हुई हैं। दूसरी बात मैं किसानों के बारे में कहना चाहूंगा। मान्यवर, कहीं भी कोई भी अगर कोई एक कुर्सी बनाता है, मेज बनाता है, कार बनाता है तो उसकी कीमत बनाने वाला रखता है। जब किसान की फसल का मामला आता है तो सरकार उसका रेट डिसाइड करती है। उसकी लागत आती है दो हजार रुपये कुन्तल। रेट उसका लगता है वह डेढ़ हजार कुन्तल, वह किसान कहां जावे। इसी कारण कई किसानों ने आत्महत्यायें की हैं। आज किसान दौड़ रहा है उसको बीज नहीं मिल रहा है। खाद दुगुनी कीमत पर मिल रही है किसी साल की आप देखिए क्या खाद का रेट था और आज क्या रेट है। तीन साल पहले गेहूं की कीमत क्या थी आज कितना फर्क है। आप खुद जान सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसी बातें आई हैं जहां कहीं वर्णन नहीं है। मान्यवर, आप सिंचाई की स्थिति देखें। हमारे जनपद मथुरा में लोअर आगरा माट ब्रांच है। सिंचाई का मुख्य साधन

पानी आता है दिल्ली से, मथुरा हमारे लास्ट कार्नर में पड़ता है जब वहां से पानी छूटता है नहरों तक के, मजरों में, रजवाहों में, तो वहां पहले जो जनपद पड़ते हैं वह लट्ठ से, गोली से, पुलिस से अपनी हैसियत के हिसाब से पानी काट लेते हैं। हमारे किसान को मथुरा जनपद में टेल पर पानी नहीं आ पाता है। कई बार सदन में भी बात आई लेकिन स्थिति जैसी की तैसी है। किसान दुखी है बदकिस्मत से मथुरा में पानी खारा है बोरिंग कराता है कड़वा पानी है उससे फसल और जमीन दोनों चौपट हो रही है। ऐसी विषम स्थिति है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी पहले मैंने सड़कों की बात कही थी। मान्यवर, आपने स्वीकार किया है। पी0एम0जी0एस0वाई की दुगनी कीमत आती है सड़क की कॉस्ट और उसकी पॉच साल की गारण्टी होती है, लेकिन वह पांच साल क्या उसकी एक साल भी देख–रेख नहीं कर रहे हैं। हमनें सरकार से कहा, क्योंकि वह है तो प्रदेश सरकार के अन्तर्गत ही। दूसरी सड़क का मामला आया कि यह मण्डी समिति की सड़क है पी0डबल्यू0डी0 की नहीं है। तीसरी सड़क का मामला आया कि यह जिला पंचायत की सड़क है पी0डबल्यू0डी0 की नहीं है।

मान्यवर, अगर इस तरह से जवाब मिलते रहेंगे तो हमारे प्रदेश का विकास कैसे होगा, कैसे हमारे क्षेत्र की जनता उसको फेस कर पायेगी ? मा0 अध्यक्ष जी, हमारे जनपद मथुरा में एक जयपुर प्रदेश का नेशनल हाई–वे नम्बर–33 है जो कि मथुरा से लेकर, भरतपुर से लेकर बुलन्दशहर, मुरादाबाद, हाथरस और अलीगढ़ आदि सारे जनपदों को जोड़ता है और मथुरा के बीच में पड़ता है राया। राया की स्थिति यह है कि वहां पर एक तरफ तो रेलवे लाईन है और एक तरफ पूरी मार्केट बनी हुई है और उस पर रोजाना चार–पांच घंटे ट्रैफिक जाम बना रहता है। यदि कोई पेशेन्ट हॉस्पिटल जाना चाहे तो वह हॉस्पिटल नहीं पहॅच पाता है। हमनें सरकार से अनुरोध किया है कि 2 कि0मी0 मात्र का बाईपास है, वहां बाईपास बन जाए तो उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जनपद में यमुना जी से बहुत बड़ी मात्रा में बालू का खनन होता है, यहां पर भी बात उठी, लेकिन इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। खुलेआम पुलिस का संरक्षण मिल रहा है और खुलेआम वहां पर बालू का खनन हो रहा है। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि विधायक निधि डेढ़ करोड़ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि हमारी डेढ़ करोड़ की निधि बिल्कुल समाप्त कर दें, हमें केवल पन्द्रह किलोमीटर सड़क दिलवा दें, हमारे तीन ब्लाक पड़ते हैं, हम उसमें अपनी सहमति व्यक्त करते हैं चाहे हमारे साथी माने अथवा न मानें, लेकिन मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूं कि आखिर हम क्या करें। मान्यवर, हमारे जनपद मथुरा में दाऊ जी महराज, बल्देव जुगसना होते हुए सादाबाद मार्ग जाता है। पूरी की पूरी रोड तीन साल से टूटी पड़ी हुई है। सबके सर्वे आ गए हैं सबका इस्टीमेट आ गया है और वह चीफ इंजीनियर के यहां पड़ा हुआ है, लेकिन धन आवंटन की स्वीकृति नहीं मिल पा रही है, चाहे वह मथुरा से सादाबाद रोड हो, चाहे राया से बल्देव मार्ग हो, चाहे बल्देव से बरौड़ी मार्ग हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बात और रखना चाह रहा हूं। हमारे यहां पर पूरे एशिया की रिफाईनरी स्थापित है, अकेले मथुरा जनपद

से जितना राजस्व पूरे प्रदेश और देश को मिलता है उसका मात्र 10 परसेंट रेवेन्यू यदि हमारे जनपद मथुरा के विकास पर लगा दिया जाए तो हमें आपसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहां के लोग उस रिफाईनरी से धुएं से, उस झार से, उस गैस से मरते हैं। इसकी वजह से मेरे क्षेत्र के 60 लोग मर चुके हैं। उस रिफाईनरी से 400 करोड़ का रेवेन्यू प्रतिदिन आता है। यदि यह पैसा हमारे यहां आ जाए तो चाहे बिजली की समस्या हो, नहर की समस्या हो, बम्बों की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, सभी की पूर्ति उससे हो जायेगी यदि हमें मात्र 10 परसेंट अपना हक मिल जाए, जो हमें नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश–

मान्यवर, मैं केवल एक बात कहना चहता हूं कि हमारे मथुरा में यमुना मैय्या हैं, उनके साथ सभी की बड़ी आस्था जुड़ी हुई है। आज यमुना में दिल्ली, हरियाणा से मल–मूत्र खुलेआम आ रहा है और तीन महीनों से लगातार हमारे क्षेत्र में यमुना जी की शुद्धि हेतु आंदोलन चल रहा है, पैदल यात्रा चल रही है। केन्द्रीय सरकार गंगा जी की बात करती है। हम तो अपनी प्रदेश सरकार से कहते हैं यमुना जी में हमारी आस्था है और जब हम उसका जल लेकर आचमन करते हैं तो बदबू की वजह से आप खड़े नहीं हो सकते हैं। यमुना के शुद्धीकरण के लिये शासन के विचाराधीन एक योजना पड़ी है।

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी चीज जो आ रही है, हमारे यहां के लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है। जो आपकी सड़के 6 महीने में, 03 महीने में टूट जाती हैं, मंत्री जी बैठे हैं, चार दिन पहले ही 186 कोलतार के ड्रम रिफाइनरी से पुलिस की देखरेख में गायब हो गए। पाइप लाइन जाती है, पेट्रोल की, डीजल की, दिल्ली जा रही है, जयपुर जा रही है, जगह–जगह उसमें छेद करके पेट्रोल चोरी हो रहा है, डीजल चोरी हो रहा है, नैफ्ता चोरी हो रहा है, मिट्टी का तेल चोरी हो रहा है। लोग पकड़े जाते हैं, कुछ दे देते हैं, छोड़ दिये जाते हैं, वहां छेद बन्द हो गया, उसके बाद आगे कहीं पाइप लाइन में छेद हो गया। मान्यवर, अगर एलपीजी की पाइप लाइन में छेद करके गैस चोरी हो रही है तो कब कौन सा हादसा हो जाए, कोई नहीं जानता। इसके लिए प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। क्योंकि जो पाइप लाइन जा रही हैं, रिफाइनरी के अन्दर तो सी0आई0एस0एफ0 की जिम्मेदारी है, वह देखभाल करती है, लेकिन जो पाइन लाइन हमारे स्टेट के अन्दर से जा रही हैं, हमारे जिले के अन्दर से जा रही हैं, कब कौन सा हादसा हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसी तरह से मान्यवर, अभी 15 दिन पहले से 17 साल का एक बालक गायब हुआ पड़ा है, थाना–बलदेव के अन्तर्गत। वह नगला भल्ला का था, उसके मां–बाप मारे–मारे फिर रहे हैं, कोई सर्च नहीं हो पा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक चीज और रखना चाहूंगा कि जो हमारा मथुरा जनपद है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, वहां जो लोग आते हैं, कुछ भावना लेकर

आते हैं। अगर प्रदेश में आगरा की पहचान ताजमहल से है तो मथुरा की बिहारी जी, गिरिराज जी, गोबर्धन, बलदेव जी से है। मान्यवर, वहां की सड़कों का जो हाल है, बिजली का हाल है, किसानों के लिए नहर बनाने का हाल जो चल रहा है, वहां का किसान किस तरह से आताताई होकर बैठा है, कब कौन सी स्थिति आ जाये और प्रदेश सरकार का संकट बढ़ जाए, उसके पहले मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि इन समस्याओं की ओर अवश्य ध्यान दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने यहां की कुछ सड़कों के बारे में कहना चाहता हूं, मान्यवर, राया से बलदेव मार्ग, राया से सादाबाद मार्ग, बलदेव से कंजौली घाट पुल तक, बलदेव से बरौली नेरा तक, फरह से ओल मार्ग, परखम से अछनेरा मार्ग, भेदरूआ से बिरौन मार्ग, इनकी हालत बहुत जर्जर है, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जाए। अध्यक्ष जी, आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं, धन्यवाद।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं अपने आप को नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के सभी नेताओं के द्वारा पेश किए गए संशोधन और उनकी कही हुई बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का एक खाका है, ब्लू प्रिंट है। मगर श्री राज्यपाल का जो अभिभाषण सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सुविचारित नीति दर्शित नहीं होती। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि इस सम्बन्ध में हमारे नेता के द्वारा विस्तार से चर्चा की गई है, बहुत सारी बातें वह पहले भी इसमें कह चुके हैं, इसलिए मैं अपना समय उसमें न गंवा करके दो–चार बातों पर अपने को ले आता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि हम पूर्वांचल से आते हैं और इस बात को बहुत भारी मन से कहना पड़ रहा है कि श्री राज्यपाल महोदय के पूरे अभिभाषण में पूर्वांचल जो इस प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां के औद्योगिक और आर्थिक विकास की कोई ठोस योजना नहीं है। यह सभी जानते हैं, पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है, मगर सरकार के जहन में पूर्वांचल का न आना, उसका आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से किस प्रकार से विकास हो, इस बात का न आना बहुत आश्चर्य की बात है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करता हूं कि उसको पूर्वांचल के विकास के लिए सोचना चाहिए। मा0 मुख्य मंत्री जी जब कल बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि इस बार का बजट हम लोग किसान दिवस के रूप में पेश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय अगर बजट को ध्यान से देखा जाए तो इस पूरे अभिभाषण में सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे किसानों का पूरा भला हो सके। यह प्रदेश कृषि प्रधान है 70 प्रतिशत गांव हैं इसमें ऐसा नहीं लगता कि बहुत पलौण्ड वे में बनाया गया हो सरकार कहती है इससे पूरे प्रदेश का इम्पलीमेण्ट हो जायेगा लेकिन कैसे होगा इसका कोई जिक्र नहीं है। मा0 अध्यक्ष महोदय चूंकि मैं मुबारकपुर से जीता हुआ विधायक हूं। अभी बिजली पर चर्चा हो

रही थी इसलिए यह बात मैं कहना चाहता हूं। शुरू से लेकर जब से मैं यहां पर आया हूं हमने इस बात को कहा है सरकार कहती है कि 20 घण्टे 18 घण्टे 15 घण्टे बिजली की सप्लाई डिफरेंट केटेगरिज़ में इस–इस तरह से दी जा रही है परन्तु मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यह सरासर गलत है। मैं मुबारकपुर क्षेत्र का विधायक हूं जहां पर 60–70 हजार बुनकरों की आबादी है और बिजली से ही इनका काम चलता है। इतनी बड़ी आबादी में मुश्किल से 6 से 7 घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं आ रही है। मेरे कहने पर न जाए सदन चाहे तो इसकी जांच करा ली जाए। एक घण्टा आती है फिर चली जाती है। अब तो वह मा0 नेता जी का संसदीय क्षेत्र भी हो गया है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर की स्थिति उत्पन्न हो गई)

मा0 नेता जी आप हमारे बोलने के बाद बोल लीजिएगा जो बोलना है। मा0 अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि जहां इस तरह के बुनकर बहुल क्षेत्र हैं उनको इण्डिस्ट्रल बेल्ट घोषित कर दिया जाये चूंकि बिजली से ही इनकी रोजी–रोटी जुड़ी हुई है इनके बाल–बच्चों की परवरिश इससे होती है लिहाजा उनको प्राथमिकता के आधार पर बिजली की सप्लाई दी जाये। मुबारकपुर को तहसील घोषित कर दिया जाये। मेरे ही क्षेत्र में जहानागंज कस्बा आता है। यह क्षेत्र अत्यधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। उसकी जॉच करा ली जाये यदि वह इसमें आता है तो मैं आग्रह करता हूं कि इसे नगर पंचायत घोषित कर दिया जाये। तीसरा जो जहानागंज से सठियाउ को मुड़कर रेलवे क्रॉसिंग से सड़क जाती है वह मेन रोड है उस पर रास्ते में बहुत बड़ा गड्डा है। हमने बहुत प्रयास किया कि वह ठीक हो जाए लेकिन वह सरकार के हस्तक्षेप के बिना नहीं हो सकती है। अगर निधि से होना होता तो हम पहले करा चुके होते। बहुत बड़ा काम है। वहां से आने–जाने वाले लोगों को बहुत परेशानी होती है। वहां कई बार चक्का जाम भी हो चुका है। एक बार प्रमुख सचिव महोदय भी वहां गए थे उनकी भी गाड़ी को जनता ने रोका था। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि उसे ठीक करा दिया जाए। कल जब अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तो हमारे सत्तापक्ष के एक साथी ने कहा कि सरकार ने अपने चुनावी घोषणा–पत्र को शत–प्रतिशत लागू कर दिया है। अगर इस तरह की बात होगी तो हम लोग विपक्ष में हैं इसलिए कहना ही पड़ेगा क्योंकि सत्तापक्ष का अपना धर्म है विपक्ष का अपना धर्म है हमें भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है यह सरासर ख्या ग ग, है।

श्री अध्यक्ष–

ख्या ग ग, असंसदीय शब्द है इसे असत्य कहें।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

ठीक है मैं अपने शब्द वापस लेता हूं यह असत्य है। यह सदन को भ्रमित करने वाली बात है। मैं मुस्लिम समाज का सदस्य हूं। सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में बिलकुल स्पष्ट कहा था कि मुस्लिम समाज को जनसंख्या के आधार पर भागीदारी दी जाएगी। यह बिलकुल सत्य है। आज चौथा बजट पेश हो गया, तीसरा साल सरकार का

पूरा हो गया। अगर आपने रिजर्वेशन दे दिया है तो बिल्कुल कहिये कि दे दिया है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको कहना चाहिए कि हम नहीं दे पा रहे हैं। चाहे आपकी जो भी मजबूरियां हों आपको बोलना चाहिए कि हम इन–इन कारणों से नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं हमने सब कर दिया।

डा0 श्री शिव प्रताप यादव–

संविधान पढ़ लें।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

देखिये संविधान जितना आप जानते हैं आपसे ज्यादा मैं जानता हूं। आपको ऐसी बातें कहना ही नहीं चाहिए था।

(सत्तापक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

श्री जियाउद्दीन रिजवी–

मान्यवर, हमारे नेता मोहम्मद आजम खां ने स्पष्ट कर दिया कि यह संवैधानिक मामला है दिल्ली से होगा। और हमने 20 प्रतिशत रिजर्वेशन हर विभाग को दिया है ख्ग ग ग,

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ यह बोलने पर कि ख्ग ग ग, शब्द कार्यवाही से निकाला जाये, शोर शराबा उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इस शब्द को कार्यवाही से निकाल देंगे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक सदस्य को अपनी भावना को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार भी है और सदन इसीलिए है कि हम अपनी बात कहें और आप अपनी बात कहें और आप हमारी बात सुनें हम आपकी बात सुनें। इसमें कोई दो राय नही होनी चाहिए। लेकिन मैं एक अनुरोध करूंगा कि कल भी इस सदन में इस सवाल पर काफी समय सदन का भी खराब हुआ और जो भी बातें रहीं हों उसमें नहीं जाना चाहते। आप शायद उस वक्त रहे होंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि इन मुद्दों पर नहीं जायें जिन मुददों पर कल विस्तृत रूप से इस पर बातचीत भी हो चुकी है और यह मुनासिब इसलिए नहीं है कि अगर फिर उन्हीं बातों को दोहराया जाये और फिर वही दृश्य दोहराया जाये। यह मेरा विनम्र अनुरोध है। मैं आपके अधिकार को कोई चुनौती नहीं देता। आपके अपने विचार हैं। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप इसको स्वीकार करेंगे तो आपका आभारी रहूंगा।

श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली–

चलिये मैं मा0 मंत्री जी की बात को मानता हूं। वह वरिष्ठ हैं। मेरी मंशा यह नहीं है कि मैं सरकार के जबरदस्ती विरोध के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह जरूर कहना

नोट :–ख्ग ग ग, यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

चाहता हूं कि इस सरकार को बनवाने में मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब यह सरकार बनी थी तो शुरू में 146 मदरसों की बात कही गयी कि अनुदान पर 146 मदरसे लिये जायेंगे। अभी फिर आया है कि इसको हम करेंगे। मा0 अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे भाई ने खड़े होकर कहा कि बहन जी कुछ भी कर लें नहीं कर सकतीं। अरे, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी तो वह नेता हैं जो पहली बात यह कहकर किसी से वोट नहीं मांगती कि हमें वोट दो और सरकार बनवाओं तो हम तुम्हें भागीदारी देंगे। मैं तो पूरे घमण्ड से इस सदन में कहता हूं कि हमारी नेता धर्म और जाति के नाम पर वोट नही मांगती। अपने कर्मों पर वोट मांगती हैं। और दूसरी बात मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस समाज ने आपको इतनी ताकत दिया है आप उसके साथ इंसाफ कीजिए। कम से कम 500 मदरसों को अनुदान पर ले लीजिए। भई, आप ही ने कहा खड़े होकर कि आपकी नेता यह नहीं कर सकतीं। इस सत्य को आप जानते हैं कि उसी नेता ने इसी लखनऊ में उर्दू फारसी युनिवर्सिटी बनवायी थी। महोदय नाम से कुछ नहीं होगा, आप किसी का भी नाम रख दीजिये मगर मैं आपसे यह मांग करता हूं कि कम से कम सरकार को 04–05 यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए। माननीय मंत्री जी मैं आपकी बात मान रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा। क्यां मांगने का अधिकार हमारा नहीं है ? हम तो अपनी बात कहेंगे माननीय मंत्री महोदय, हम तो अपनी बात कहने के लिए ही यहां आये है और अगर हमें कहने से रोका जायेगा या यह सोचा जायेगा कि विपक्ष का कोई विधायक न बोले तो यह तो आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से इन–इन बिन्दुओं पर आप का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सरकार हमारे समाज के साथ इन्साफ करें जो मुझे लगता है कि सरकार नहीं कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

मान्यवर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर मैं अपने को नेता प्रतिपक्ष, नेता भाजपा से सम्बद्ध करते हुए आपका ध्यान कुछ बिन्दुओं पर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, जो भी राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है उसमें भ्रष्टाचार समाप्ति पर चर्चा हुई हैं किन्तु सवाल इस बात का है भ्रष्टाचार समाप्ति की चर्चा चाहे जितनी की जाये जब मान्यवर मंत्री ही कहेंगे कि नमक भर लिया जा सकता है अपने आप दृष्टि उधर इंगित हो जाती है। हम भ्रष्टाचार कहां समाप्त कर रहे हैं। जहां बात होती है सरकार की सफलता–असफलता की सत्ता रूढ़ दल का संरक्षक ही विफलताओं पर चर्चा करता है, जब सुरक्षा पर सवाल उठता है सत्तारूढ़ दल का एक आनरेबल मिनिस्टर एक वरिष्ठ मंत्री यह कहता है, सुरक्षा के लिए याचना करता है अपने आप सब दृष्टिगत हो जाता है। मान्यवर, मैं राज्यपाल जी के अभिभाषण को एक डिबेट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं क्योकि हम जहां बैठे हैं सदन में समता और समाज की चिन्ता करने वाली सरकार है चर्चा करती है लेकिन इन्होने पृष्ठ–2 पर दो बातों का उल्लेख किया है इसका मैं उल्लेख करूंगा

इन्होनें कहा मेरी सरकार गरीबों, कृषकों, पिछड़े वगों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, युवाओं काश इन्होने कहीं अनुसूचित वर्ग का भी उल्लेख कर दिया होता। यह भी तो चर्चा में रहने वाला है। इस सब से दूर हट कर आप किस तरफ जाना चाहते है इस पर जरा सोचिये। कैसे इस पर चिन्तन मनन होगा? मान्यवर चूंकि समय का अभाव है इसलिए ईधर–उधर न जाकर मैं सीधे बहराइच की घटनाओं की तरफ जाना चाहता हूं। तमाम नदियों का उद्गम बहराइच में है, नदियों का निर्माण भी बहराइच में है, नदियां आती भी बहराइच में है, घाघरा का निर्माण बहराइच से होता है, राप्ती का निर्माण बहराइच से होता है, कुआनो बहराइच से निकलती है, टेढ़ी बहराइच से निकलती है, सारी नदियां बहराइच से निकलती हैं और कभी जब बहराइच और नदी का उल्लेख होता है वो बाढ़ जब आती है तभी उल्लेख होता है। आदरणीय मंत्री जी गये जब बाढ़ आती है, सारे अखबारों में छपता है तो मंत्री जी हैलीकाप्टर से उड़कर जाते हैं उन निरीह लोगों को देखते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं कहता हूं सरकार को चिन्ता करनी है तो नदिया केवल नुकसान पहुचाने वाली ही नहीं हैं, नदियां जीवन दायिनी भी हो सकती हैं, प्राण दायिनी भी हो सकती है यदि चिन्तन की विधा ठीक हो। यदि हम सोचे कि नदियों का उपयोग हम कैसे समाज के हित के लिए कर सकते हैं। क्या वहां बांध बनाने का काम आप करेंगे ? बाढ़ को समाप्त करने के लिए क्या किया जाये ? नदी का पानी समाज के लिए कैसे उपयोग हो ? यह भी सोचा जाये। चाहे नदी के पानी का प्रवाह के लिए, यातायात के लिए या सिंचाई के लिए हमारे यहां नहर बन रही है, 50 वर्ष पूरे हो गये, नहर पूरी नहीं हुई, यह गति है, नदियां बह रही हैं, नहर भी बन रही है अपूर्ण, मान्यवर, यह सोचने की आवश्यकता है, कैसे उस समाज का भला हो सरकार की कृति इस पर दिखनी चाहिए, ऐसा भी उल्लेख आता है वनों का, बहराइच के जंगलों के बारे में बहुत उल्लेख होता है, जब कभी उल्लेख होता है अखबारों में पढ़िये कि तेन्दुए ने उठा लिया चार बच्चों को, फलाना हो गया ठिमाका हो, इस प्रकार के समाचार तमाम छपते हैं, लेकिन इस वन का समाज के लिए सही उपयोग हो, ऐसा कहीं भी सरकार के बजट में नहीं है, पूरा हमने देख लिया है, सरकार की कोई एक भी योजना नहीं है कि जहां वन का उपयोग समाज के हित के लिए हो, लकड़ियां हैं, लेकिन वहां कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट लगाया जाता बहराइच में जहां लगता कि वन के जितने भी संसाधन हैं, वहां पत्ती है, वहां मूंजा है, वहां राणा है, वहां लकड़ी है, इनको लेकर वहां कोई उद्योग लगाया गया होता तो लगता कि बहराइच जनपद में वन का उपयोग कर के बहराइच को कुछ देना चाहते हैं, यह भी नहीं हुआ। बहराइच जनपद में तो मान्यवर श्रावस्ती है, राजा सुहेलदेव हैं, पर्यटन की दृष्टि से वहां बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं, लेकिन सरकार की दृष्टि में इस एजेण्डे में कहीं रंचमात्र का जिक्र नहीं है। पिछली बार जब मैं प्राक्कलन समिति का सदस्य था और उसमें पर्यटन की सारी रिपोर्ट्स आई थीं, उसमें श्रावस्ती को एक पैसा नहीं दिया गया था, अब इस बजट में हमने देखा है, इसमें भी कहीं उसका उल्लेख नहीं है, न तो श्रावस्ती का कहीं उल्लेख है न ही राजा सुहेलदेव का कहीं उल्लेख है। मान्यवर, पर्यटन की दृष्टि से इनका स्थान देश में ही नहीं, बल्कि विदेश में भी महत्वपूर्ण है। दस–दस देशों के मन्दिर वहां बने हैं, लंका का, जापान का, कोरिया

का, सोमालिया का, थाईलैण्ड का सबके मन्दिर हैं सबकी जमीनें, सबके लोग हैं वहां, लेकिन सरकार की दृष्टि कतई नहीं है कि उसका उपयोग करके हम कैसे वहां के लोगों का हित कर पायें। यदि इसको उद्योग बनाकर के किया जाता तो कम से कम उसके चारों तरफ रहने वाले 10 किमी0 15 किमी0 के लोगों को कुछ न कुछ तो राहत मिलती, लेकिन कतई इस दिशा में सोंच नहीं है। मान्यवर, जहां तक सड़कों का सवाल है, सड़कों के मामले में बहराइच सबसे ज्यादा दुरूह है, बहराइच 130 किमी0 यहां से है, बाराबंकी पहुंचने के बाद आपको तीन घण्टे लगते हैं। मान्यवर आप भी गये हैं आपको पता है तीन घण्टे से कम नहीं लगते उतनी यात्रा को करने में और लखनऊ से चार घण्टा लगेगा 130 किमी0 यात्रा तय करने में, सड़क की यह दुर्गति है और उस सड़क को हम लोगों ने बहुत बार लिखा, एक बार उत्तर आया कि एनएच हो गया, एक बार उत्तर आता था एसएच हो गया, एनएच, एसएच होते–होते अब एनएच हो गया और गडकरी जी ने उसका शिलान्यास किया, हो रहा है, लेकिन इन सबके बावजूद सवाल इस बात का है मैं आपको उल्लेख करता हूं प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत फखरपुर से लेकर जगतापुर तक 11 किमी0 रोड है और उस 11 किमी0 रोड के ठेकेदार को कहा गया कि यह तो ब्लैक लिस्टेड हो गया, इसलिए पूरी गड्ढे में है, रोड बन गई, पत्थर लगा है, लेकिन चल नहीं सकते आप। ठीक इसी प्रकार से आपको बतायें चार किमी0 रोड का निर्माण हो गया हैं पत्थर लगा हुआ है यह है मगौरा का, लेकिन इसके बावजूद एक भी ईंटा, एक भी पत्थर, एक भी मौरंग क्या कहते हैं कि सड़क बनी ही नहीं, सड़क निर्माण हुआ ही नहीं है और बोर्ड लगा हुआ है कि निर्माण हो गया, कमाल है भइया और यदि यह सारा विषय सरकार के ध्यान में दृष्टि में नहीं आया, यदि सरकार इसको सुधार नहीं करेगी, तो क्या जनपद का कल्याण होगा, क्या जनता का कल्याण होगा, यह सारी दुर्गति की स्थितियां है, इस तरफ सरकार की दृष्टि जानी ही चाहिए। मान्यवर गन्ना समस्या बहराइच की बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, दो–दो, तीन–तीन चीनी मिलें हैं, लेकिन उसके बाद कोई भी सरकारी मिल नहीं है, सारी मिलें प्राईवेट हैं और उनकी स्थिति यह है कि किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान समय से करना उनकी सोच ही नहीं है, कम तौलना वह समझते हैं कि उनका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष–

समाप्त करें, समय हो गया है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

मान्यवर, बस समाप्त कर रहा हूं। बाढ़ क्षेत्र जितना है जूट का उत्पादन अभूतपूर्व हो रहा था, अब भी हो रहा है, यदि उस क्षेत्र में जूट का कारखाना लगा दिया जाय तो उस क्षेत्र का भी विकास हो जायेगा, तीन–चार जनपदों को काम मिल जायेगा, मेरे इन विषयों को भी इसमें जोड़ लिया जाय तो मेरी बात पूरी हो जायेगी। मान्यवर, आपने हमें बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

'श्री गुटियारी लाल दुबेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया मैं आभारी हूं, इस अभिभाषण में एक लाईन लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रसिद्ध शहर आगरा, मैं वहीं से चुन कर आता हूं, दूसरी बार चुनकर आया हूं।

कुछ बातें आगरा की मैं रखना चाहता हूं। मान्यवर, उद्योग के लिये इसमें जिक्र हुआ है कि लेदर पार्क की स्थापना के लिये कानपुर में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें इंगित किया गया है लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मैंने एक 900 बीघा का लेदर पार्क स्वीकृत कराया था आगरा में क्योंकि ताजमहल की वजह से कुटीर उद्योग चाहे वे पोल्यूशन की वजह से जेनरेटर का काम हो, चाहे वह अनेक उद्योग हों वे वहां से पलायन कर गये 70 कि0मी0 की दूरी पर। अब सवाल रहा जूते का तो शू एक्सपोर्ट बड़ी तादाद में होता है मा0 मंत्री जी बैठे थे और मैंने पिछली बार इस सवाल को उठाया था कि उद्योग को लेकर जब सरकारें चिंतित नहीं रहेंगी तो देश और प्रदेश खुशहाल नहीं रह सकता। मान्यवर, वहां करीब 5 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट होता है आगरा से, 5 हजार करोड़ रुपये का। 150 जूते की फैक्ट्रियां हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं, वे बहुत कम हैं। ऐसे हम चाइना जायेंगे, अगर हम चाइना का पिछले 5 साल का रिकार्ड देखें और फिर आगरा का रिकार्ड देखेंगे तो हमारा आगरा, हमारा उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट करने में बहुत पीछे रह गया है। क्या खूबी थी जो चाइना एक्सपोर्ट में इतने हजार करोड़ आगे बढ़ गया। क्या कमी रह गई उद्योग के लिये जो जूते का एक्सपोर्ट आगरा से पलायन कर गया, चाहे वह चेन्नई गया हो, चाहे वह दिल्ली गया हो। अदर स्टेट में गया तो नुकसान हुआ तो वह आगरा नहीं उत्तर प्रदेश का हुआ। वहां पर डोमेस्टिक की फैक्ट्रियां हैं बहुत सारी, हजारों फैक्ट्रियां हैं, उनसे भी पूरे देश में तमाम सप्लाई होता है। वहां पर बाहर का पर्यटक आता है, देशी विदेशी हर प्रकार का पर्यटक आता है क्योंकि वहां पर ताज महल है। ताज महल के टिकट का पैसा आता है पता नहीं कहां चला जाता है? मान्यवर, वहां बच्चों की बात आती है, बात आती है कि वहां फैक्ट्रियों में बाल श्रम होता है और 500, 600 बच्चे बाल श्रमिक पकड़े गये थे। मैं पिछले 30 साल से इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट की इस लाइन से जुड़ा हुआ हूं। मुझे सब एक्सपोर्ट करने का मौका मिला। अगर आप एक–एक फैक्ट्री में जायेंगे तो वहां पर एक–एक फैक्ट्री में कम से कम 50 से 100 बच्चे मिल जायेंगे जिनके घरों में पढ़ाई का साधन नहीं है। जो मजदूर काम करते हैं उनके पास बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है। आगरा की यह दुर्दशा है, अगर आप सही तथ्यों पर जायेंगे क्योंकि जो आपके अधिकारियों ने आपको जो रिपोर्ट दी है, वह गलत दी है। मा0 मंत्री जी, आप मेरी बातों का संज्ञान लीजियेगा क्योंकि यह आगरा की बात है। आगरा में ताज महल है जिसे दुनिया देखने के लिये आती है वहां सड़कों का हाल इतना बुरा है। मैं आगरा की सड़कों का हाल आपको बताऊं, मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि वहां हजारों देशी विदेशी पर्यटक आता है

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्योंकि आगरा में ताज महल है। ताज महल से तीन, चार किलोमीटर की दूरी तक इतना बुरा हाल है। चाहे देशी पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो मेरी नजरों में एक है क्योंकि वह ताजमहल देखने के लिये आता है। आप अगर वहां पर बस्तियों में चले जायें तो वे फोटो खींचकर ले जाते हैं, वे फिर उस पर टिप्पणी करते हैं, वह अखबार में छपता है। इससे आगरा ही नहीं पूरे प्रदेश की बदनामी होती है। वहां पर एक सड़क है एयरपोर्ट के पास में देवली रोड की सड़क है, वह बिल्कुल खण्डहर पड़ी हुई है और वहां एक सड़क है नगला महादेव वाली, वहां का विकास नहीं हो रहा है जो ताज महल से मात्र डेढ़ कि0मी0 दूर है। नगला महादेव सड़क का बहुत बुरा हाल है। वहां पर पर्यटक जाता है और बड़ी टिप्पणी करके जाता है। मान्यवर, ऐसे ही मधुनगर से ताल फिरोज खां तक जो सड़क है। मैं उसे पहले भी कई नियमों में लगा चुका हूं और याचिका में मैंने आपके माध्यम से स्वीकृत भी कराई है लेकिन वह भी अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है।

मान्यवर, एक सेवला है वह भी एयरपोर्ट के पास है और सेवला से पोटली बगीची तक की सड़क का इतना बुरा हाल है मा0 मंत्री जी कि डेढ़–डेढ़ फुट तक के गडढे हैं वहां पर। मेरा अनुरोध है कि अगर वहां का विकास हो जाये तो अच्छा मैसेज जायेगा। वह ताज महल वाली सीट है, वह हॉट सीट है। मान्यवर, इन बातों का ध्यान रखा जाये। मैं दोबारा श्रम विभाग पर आ जाता हूं। पी0एफ0, ई0एस0आई0 है, आप फैक्ट्री में जायेंगे तो बड़ी मनमानी एक्सपोर्टर कर रहे हैं। एक एक्सपोर्टर जिसने हमारे सामने नींव रखी जूते की फैक्ट्री की 15, 20 साल पहले आज वह खरबपति बनकर आगरा को छोड़कर, पैसे कमाकर या तो वह दिल्ली में यूनिट लगा रहा है या वह चेन्नई में यूनिट लगा रहा है। मान्यवर, यह दुर्भाग्य का विषय है कि जो मजदूर 25 साल पहले साइकिल पर चलता था, जो मजदूर स्कूटर पर चलता था आज 25 साल के बाद अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकता। अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसको सुविधायें नहीं मिलीं और वह वंचित रह गया। मामला फिर आ जाता है पी0एफ0, ई0एस0आई0 का, वहां श्रम विभाग के आदमी जाते हैं, इंस्पेक्टर जाते हैं, वे एक्सपोर्टर्स से पैसे लेकर वापस चले जाते हैं। कोई रजिस्टर चेक नहीं करते कि कितने वर्करों का पी0एफ0 कट रहा है, कितने वर्करों का ई0एस0आई0 कट रहा है। मेरा यह भी कहना है कि उनकी दवाई का ख्याल रखा जाये। वह मजदूर आज 20 साल के बाद भी अपने बच्चे की शादी के लिये पर्याप्त पैसा एकत्र नहीं कर पाया कि वह 50 हजार रुपये अपने बच्चे की शादी में लगा सके, उसको उस एक्सपोर्टर से मांगने की जरूरत पड़ती है। वह बाद में धीरे–धीरे कटाता है। यह बड़ा गंभीर विषय है। मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के समय में टोरन्ट पॉवर से करार हुआ था, इसलिए करार हुआ था कि आगरा में सुचारू रूप से बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले, अच्छे तार हो वहां पर, अच्छी सुविधा हो लेकिन हुआ उल्टा, क्या हुआ उल्टा ? जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो वहां पर बड़े–बड़े होल्डिंग नेता जी के साथ लगाये थे, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कि अगर हमारी सरकार आई तो हम टोरन्ट पॉवर को विद इन वीक या मन्थ में भगा देंगे। यह सबूत है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज टोरन्ट पॉवर वाले आगरा

शहर के अंदर मनमानी कर रहे हैं। मान्यवर, यहां मेरा यह मतलब नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग ही जीत कर आते हैं, यहां सभी पार्टियों के वोटर हैं, ताजमहल की सीट से मैं जीतकर आया हूं, तो वहां पर 40–50 हजार वोट समाजवादी पार्टी को भी मिला है लेकिन चुन–चुन कर ये प्राइवेट गुण्डे बाहर से आकर, जो प्राइवेट लड़के इन्होंने रख रखे हैं, वह घरों में घुसकर, मां–बहनों की क्लिप बनाते हैं। इस सम्बन्ध में कई बार टकराव हुआ है, पुलिस प्रशासन से टकराव हुआ है। थाने में यह पैसा देते हैं और थाने वालों को ले जाकर वह बस्तियों में जाकर उनकी क्लिप बनाते हैं। फिर वह असेस्मेंट बनवाते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति को 500/– रुपये का बिल आता था, उस व्यक्ति का बिल 1000/– रुपये आ रहा है। झोपड़ी और एक–एक कमरे वालों का बिल 1000/– रुपये आ रहा है। मान्यवर, असेस्मेंट के नाम पर आगरा के लड़कों को नौकरी पर लगा दिया है, वे बेराजगार हैं बेचारे, वे टेलीफोन करते हैं, एफ0आई0आर0 के लिए धौंस देते हैं। मान्यवर, 70 से 80 हजार के असेस्मेंट को वह 20–25 हजार में निपटाने का काम करते हैं। वह आगरा को लूट कर ले जा रहे हैं, उन पर गौर करने की जरूरत है। मान्यवर, यह गंभीर घटना बता रहा हूं, कई घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, तमाम आदमी जेल में जा चुके हैं टोरन्ट पॉवर के चक्कर में। पुलिस से टकराव हो चुका है। सरकारी संपत्ति का नुकसान हो चुका है। कई बार मैं इस बात को नियम–56 में नियम–51 में उठा चुका हूं, इस पर गौर किया जाए। सम्मानित मुख्यमंत्री जी, तक यह मेरा संदेश पहुंचा दिया जाए कि जब हमने करार किया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में तब उस समय आगरा के साथ–साथ, कानपुर जिले को भी लिया गया था। लेकिन कानुपर वालों ने इनको भगा दिया। कानपुर वालों को पता था कि ये यहां पर गलत करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री गुटियारी लाल दुवेश–

मान्यवर, अब शिक्षा पर आते हैं, मान्यवर, तीन–चार मिनट ज्यादा लूंगा, बहुत कम बोलता हूं और दूसरी बार जीत कर आया हूं। आप दो मिनट मेरी बात सुन लें। मान्यवर, शिक्षा में फीस की मनमानि के बारे में बातें होती रहती हैं, माननीय मंत्री बेसिक शिक्षा के मंत्री जी भी थे। यह सत्य है पूरे प्रदेश में, चाहे हम दबी जुबान से कहें, चाहे सत्ता पक्ष वाले हो या विपक्ष वाले हो, यह सत्य है कि मध्यम वर्ग का व्यक्ति हाईस्कूल, इण्टर चाहे वह सीबीएससी बोर्ड स्कूल हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड स्कूल हो या अन्य कोई निजी कालेज हो, यहां पर 30 से 40 हजार रुपये फीस उसकी वसूली जाती है। चाहे बच्चे का मामला हो, चाहे लड़की का मामला हो, आसुओं से रोते हैं वे लोग कि कहां से देंगे वह एक साल में इतनी फीस। यह मनमानी रोकी जाए, ऐसा कोई कानून पास किया जाए कि प्राइवेट कालेजों में इस पर अंकुश लग सके। हम कहते हैं कि हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे, हम चिकित्सा को बढ़ावा देंगे। अगर चिकित्सा और शिक्षा को विदेशी तर्ज पर नहीं किया गया, तो हम तरक्की के रास्ते में कहीं–न–कहीं कमजोर हैं। फीस की

मनमानी जो इनकी हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए ताकि आम आदमी अपने बच्चे को शिक्षा मुहैया करा सकें। इनकी फीस पर अंकुश लगाकर इनके खिलाफ कड़ी–से–कड़ी कार्यवाही की जाए। चिकित्सा के क्षेत्र में मैंने देखा है।

चिकित्सा में कहते हैं कि हमारे यहां दवाई, एक्स रे और ब्लड टेस्ट ये सारी चीजें मुफ्त में मिलेगी। सरकार ने प्रयास किया है, पूर्व में सरकार ने प्रयास किया है लेकिन यह धरातल पर हो रही है, मैं कई बार ऐसे हास्पिटल में गया, गरीबों की मद्द के लिए, कई बार गया तो पता चला कि वहां पर कोई दवा फ्री नहीं मिलती है। हां मिलती होगी, मैं कह रहा हूं कि मिलती भी होगी, लेकिन ज्यादातर वहां केमिस्ट जो बैठते हैं, वह मनमानी करते हैं, वह सुनते नहीं हैं। वह सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रहे हैं। वह जनता को गुमराह कर देते हैं। अनपढ़ जनता है वह जाते हैं वहां पर अपने मरीज को दिखाने के लिए वह कह देते हैं कि यह तो सरकार देती नहीं है, जबकि सरकार दे रही है। सरकार ने कुछ नार्म्स बना रखे हैं कि एक्स–रे फ्री होगा, लेकिन वह कहते हैं कि यहां पर एक्स–रे के पैसे जमा किये जाएंगे।

मान्यवर, छात्रवृत्ति की बात आई है, छात्रवृत्ति के मामले में मैं देख रहा था अभी प्रधानमंत्री जी आगरा आये थे। पेपर में छपा था, जो मिनिस्टर हैं इसी डिपार्टमेंट के उनके यहां आए थे। छात्रवृत्ति यहां से साल–दर–साल स्वीकृत होती है, सारे बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के हो उनके लिए स्वीकृत होती है, लेकिन कालेज वाले गुमराह करते हैं। पहले उनसे फीस जमा कराते हैं फिर उसके बाद कहते हैं कि अभी इस साल की फीस सरकार से नहीं आई है यह प्रतिवर्ष चलता है और एजूकेशन के मामले में यह बच्चे छात्रवृत्ति के लिए परेशान रहते हैं। यहां कालेज के ओनर प्रधानमंत्री जी के साथ, देख लेंगे आप, प्रधानमंत्री जी के साथ सबसे पहले फोटो खिचाने में यहॉ आगरा में खड़े हुए थे मान्यवर, जब प्रधानमंत्री जी के साथ जो बहुत बड़ा आनन्द इंजीनियरिंग कालेज है, के ओनर वहां खड़े हुए हैं वह किससे डरेंगे या नहीं डरेंगे, उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

श्री धर्मपाल सिंह–

मान्यवर, प्रधानमंत्री जी का नाम कोड किया गया यह गलत है श्री गुटियारी लाल दुबेश– मैंने यह कहा था कि आये थे उनकी फोटो हुई मैने कोई बुराई नहीं की जो सत्य बात थी वह मैने रखी है। मान्यवर, यह सच्चाई है इसमें कोई बुराई नहीं की है।

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध है 20–25 करोड़ रुपये ताजमहल के इधर उधर 2–3–4 कि0मी0 में जो गलियां हैं जो गलत मैसेज जाता है माननीय मंत्री जी, आप सीनियर मिनिस्टर हैं मेरा अनुरोध है कि किसी भी तरह से 25–30–50 करोड़ रुपये इस विधान सभा के लिए चाहे जो भी गलियां हों, ताकि संदेश अच्छा जाय वहां के लिए व्यवस्था करा दी जाय। बहुत–बहुत धन्यवाद आपने बोलने का मौका दिया।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया यह हमारा संयोग है कि 3 साल बाद पहली बार मुझे बोलने का मौका मिल रहा है

चाहे हम इसे अपने दल की व्यवस्था की खामी समझ ले चाहे आपकी व्यवस्था की खामी समझ लें जो है वह है।

श्री अध्यक्ष–

उपाध्याय जी, बोलो जल्दी, यह संख्या बल देख रहे हो बहुत ज्यादा चलेगा नहीं दो एक लोग बोलने वाले हैं वह बोल लें बस।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता खन्ना जी और सभी विपक्ष के नेताओं के संशोधनों से अपने को सम्बद्ध करता हुआ बताना चाहता हूं कि यह जो अभिभाषण राज्यपाल जी का है इसमें वास्तव में महामहिम राज्यपाल के मुखारबिन्द से सत्ताधारी दल की भावी नीतियां या पुराने कृत्य का ही बखान किया जाता है 152 पेज के इस हैवी अभिभाषण को मैने पढ़ा पूरा निरर्थक, समझ में नहीं आया कि 152 पेज का यह क्यों दिया गया है यह वेटलिफ्टिंग के लिए दिया गया है या पढ़ने के लिए दिया गया है। मैं 2 पंक्तियां इसके लिए कहना चाहता हूं ''हमने इंसान के दुखदर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा किया जो यह अफवाह उड़ा दी जाय''। तो यह अफवाह का दस्तावेज है। क्या बुरा है जो यह अफवाह उड़ा दी जाय कि हमने इंसान के दुखदर्द का हल ढूंढ लिया। बहुत अपनी पीठ थपथपाई है उस सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेन्ट की बात कही है। अफवाह का दस्तावेज मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहते हैं कि हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया आम आदमी को सुविधा सम्पन्न बनाया यह शास्वत सत्य है कि विकास और समृद्धि समानुपातिक शब्द है इन दोनों शब्दों में सीधा अनुपात होता है विकास होगा समृद्धि होगी लेकिन कौन सी समृद्धिशाली, समृद्धिशाली लोगों के लिए विकास या समृद्धिशाली बनाने के लिये विकास यह तय होना चाहिए। बड़े दावे के साथ बजट में कहा गया है कि पन्द्रह सौ करोड़ रुपये का लखनऊ आगरा एक्सप्रेस–वे बनायेंगे। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि यह किनके लिए हैं, यह चमचमाती कारें, लक्जरी कारों को दौड़ाने के लिए है या जिस साइकिल के चुनाव चिह्न पर आप जीत कर आये हैं, उस साईकिल के चलने के लिए। अगर आपने उन साइकिल वालों का ख्याल किया होता और विकास को गांव की गलियों और मोहल्लो को जोड़ा होता तो यह विकास समृद्धि के लिए होता, लेकिन ऐसा इसमें नहीं किया गया। कोई ऐसा इन्स्फ्राक्ट्रचर तैयार नहीं किया गया जैसे बिजली, पानी, सड़क जिससे आम आदमी सीधा लाभान्वित हो रहा हो। माननीय अध्यक्ष जी, कानून–व्यवस्था की बड़ी चौकस होने की बात कही गई है, बड़े नियंत्रण में रखने की बात कही गई है। कानून–व्यवस्था की बात वो कर रहे हैं जो पूरे देश में विख्यात हैं कानून की धज्जियां उड़ाने के लिए। जो पूरे देश में जाने जाते हैं कानून का मजाक उड़ाने के लिए। जिनके घर कानून चेरी बनकर रहता और दासी बनकर रहता है, वह कह रहे हैं हमने कानून व्यवस्था ठीक किया है। महोदय जिस शासन में जेल के अंदर गोलियां चलती हो, जिस शासन में जेल के अंदर गोली चलने के बाद घायल को अस्पताल ले जाने पर वहां उसकी हत्या हो जाती हो, तो उस सरकार में कहना कि कानून व्यवस्था नियंत्रण में है यह खेद की बात है।

श्री सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि इनके शासन में कानपुर नगर के चौबेपुर थाने के अंदर संतोष शुक्ला जी की हत्या हुई थी और वह इनकी सरकार में मंत्री थे।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो अपनी तारीफ कर रहे थे, अपने मियां मुंह मिठ्ठू बन रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मान्यवर, आगरा की घटना की बात मैं कर रहा हूं। भ्रष्टाचार में लिप्त एक इन्स्पेक्टर को डी.आई.जी. लाइन हाजिर करते हैं और नोटिस देते हैं कि लाइनहाजिर करके सस्पेंड क्यों न किया जाये। दूसरे दिन आई0जी0 उसे बहाल कर देते हैं और उसी थाने में तैनात कर देते हैं। कैसे कानून–व्यवस्था ठीक रहेगी, क्योंकि वह इन्सपेक्टर कुर्सी पर बैठकर मेज पर अपने पैर रखकर कहता है कि मैं जब तक सेफ हूं जब तक सैफई सेफ है तब तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कानून व्यवस्था कैसे ठीक रहेगी ? मान्यवर, हमीं को कत्ल करते हैं, हमीं से पूछते हैं, सही बात शहीद नाज बतलाओ मेरी तलवार कैसी है।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अब यह राज खुला कि खन्ना जी ने इनको तीन साल तक छुपाये क्यों रखा।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

माननीय खन्ना जी तो अब बने हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय उपाध्याय जी, कृपया आप संक्षेप करें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने गरीब, किसान, पिछड़े वर्ग के विकास की बात कही है, जबकि हकीकत यह है कि अगर पूरा पढ़ा जाये, तो उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। अभी हमारे साथी विधायक माननीय वर्मा जी बता रहे थे कि अनुसूचित वर्ग को छोड़ ही दिया गया है। इसमें पेज नम्बर–02 उन्होंने पढ़कर सुनाया है। मैंने तो पूरा पढ़ा है, कहीं कुछ नहीं है। ''बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, काट कर देखा तो कतरा खून का निकला।'' जहां तक सवाल है आम आदमी की आवश्यकता का, आम आदमी की आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, जिसकी कोई व्यवस्था नहीं है पूरे अभिभाषण में। दूसरी बात दवाई और पढ़ाई की है। मैं जानता हूं और हममें से कितने लोग जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में कोई इलाज कराना नहीं चाहता है, क्योंकि वहां दवाईयां नहीं मिलती, वहां काबिलियत नहीं है, वहां पर उपेक्षा होती है, इसलिए आज भी गरीब बीमार अपना पूरा मकान बेंचकर प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज कराना पसंद करता है। यह है पूरे प्रदेश की स्थिति। मान्यवर, आगरा के एस0एन0 मेडिकल कालेज के प्राइवेट वार्ड में कुत्ता बैठा हुआ है, यह आगरा के अमर उजाला अखबार में दो दिन छपा

है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो जहां कुत्ते लोट रहे हों, वहां आदमी क्या इलाज करायेगा। महोदय, जहां तक पढ़ाई की बात है, पढ़ाई रोजगार से जुड़े। आगरा में आर0बी0एस0 कालेज एक बहुत बड़ी संस्था है, वह संस्था ऐसी संस्था है, जहां पर कृषि विज्ञान की बेमिसाल पढ़ाई होती है। बहुत दिनों से आगरा की मांग थी कि अगर कृषि के अच्छे वैज्ञानिक देने हों, कृषि का प्रचार–प्रसार करना हो, कृषि में नये–नये अनुसंधान करने हों तो उसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाना चाहिये। लेकिन इस अभिभाषण में ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं मांग करता हूं कि इसको कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाय, यदि इसे यह दर्जा दे दिया जाता तो कृषि का ही लाभ होता और पढ़ने वाले छात्रों को भी वैज्ञानिक बनने का अवसर प्राप्त होता।

मान्यवर, आगरा का पर्यटन उद्योग बहुत बड़ा उद्योग है। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग के विकास की इतनी संभावनायें हैं, इतनी धरोहर हैं यहां प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक सम्पदा भरी पड़ी है और मान्यवर, राजस्थान रेत बेच सकता है लेकिन हम अपनी इन धरोहरों को विश्व पर्यटन मानचित्र पर परोस नहीं पा रहे हैं, स्थिति यह है। मैं हरियाणा के बार्डर से शुरू करता हूं और अपने बृज क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं। हरियाणा के बार्डर पर कोसी में शनिदेव का बहुत बड़ा मंदिर कोकिला वन ऐतिहासिक–पौराणिक मंदिर है, जहां प्रतिदिन दसियों हजार लोग आते हैं और लाखों लोग साल में आते हैं। मथुरा धार्मिक नगरी, आगरा का अपना इतिहास यानि कोसी से लेकर अगर हम फिरोजाबाद तक चलें तो जैन धर्म, सिख धर्म, हिन्दू धर्म, मुगलों का इतिहास, कीठम झील, ताज नेवर पार्क, वन चेतना केन्द्र जैसे प्राकृतिक स्थल लेकिन अगर इसको नेचुरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस टूरिस्ट जोन बना करके विकसित किया जाता, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाय तो यह न सिर्फ प्रदेश की आर्थिक रीढ़ बनेगी बल्कि इससे वहां की पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। इस अभिभाषण में पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की योजना का कहीं कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, आगरे का पेठा उद्योग, कईयों ने इस पेठे को खाया होगा, आगरे का विश्वविख्यात 500 साल पुराना उद्योग सरकार की संवेदनहीनता के कारण आज दम तोड़ रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने कोयले के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है लेकिन उसका गैस से संचालन हो सके, बायो फ्यूल से संचालन हो सके, पूरी सरकार इस पर संवेदन शून्य है। न इस अभिभाषण में इसकी कोई व्यवस्था है और न सरकार ऐसा कुछ सोचती है। प्रशासन की दादागिरी से आज यह उद्योग पूरी तरह दम तोड़ रहा है, आज हजारों लोग रोजी रोटी के लिये तरस रहे हैं। यह मैं कहना चाहता हूं, इस अभिभाषण में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य अब आप समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

मान्यवर, मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है, मैं थोड़ी सी बात और कहूंगा। पर्यटन उद्योग आगरे का केन्द्र है। पर्यटन उद्योग के विकास के लिये कुछ

आकर्षण होने चाहिये थे। मैंने आगरा में अर्न्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अर्न्तराष्ट्रीय खेल के लिये स्टेडियम, अर्न्तराष्ट्रीय सभागार, ऐसे कुछ आकर्षणों की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि देशी विदेशी नागरिक/पर्यटक वहां और आये और आप इस प्रदेश की आर्थिक रीढ़ को मजबूत कर सके तो जो घाटे के बजट आप पेश कर रहे हैं तो आप घाटे के बजट न पेश करके लाभ के बजट पेश कर सकेंगे। आगरा इस सम्पदा से छिपा हुआ शहर है, और पूरा बृज क्षेत्र सम्पदा से छिपा हुआ शहर है।

मान्यवर, सीवरेज आगरा का ध्वस्त है, पानी बिजली की स्थिति ध्वस्त है। टोरन्ट ने आगरा को जकड़ रखा है, वह टोरंट नहीं चोरंट है। चोरों की पूरी जमात इकठ्ठी हो गयी है। आगरा से जो सपा से विधायक का चुनाव लड़े थे, उन्होंने वायदा किया था कि अगर हमारा शासन आ गया तो टोरंट को हटा देंगे लेकिन टोरंट हटाना तो दूर उसको और जमा दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब खत्म करिये, राणा जी अपनी बात प्रारम्भ करें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

इसी के साथ ही मैं संशोधन प्रस्ताव से अपने को जोड़ता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री महावीर सिंह राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मा0 नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मा0 अध्यक्ष जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर मण्डल है, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में उस पूरे मण्डल का कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। सहारनपुर मण्डल में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर जनपद हैं, एक भी योजना, एक भी डेवलपमेंट का कार्य इस अभिभाषण में सहारनपुर मण्डल के लिए नहीं है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सहारनपुर जनपद की तहसील हरिद्वार होती थी। आज हरिद्वार कितना डेवलप हो चुका है वहां पर 57 सौ करोड़ रुपए का टर्नओवर चल रहा है। देहरादून 12 किलोमीटर हमारे विधान सभा क्षेत्र से दूर है, हरियाणा, पंजाब तक का यात्री हरिद्वार आता है जब भी किसी हिन्दू की वहां डेथ होती है तो उसकी अस्थि कलश लेकर आदमी वहां आता है। सहारनपुर में तीन साल पहले बाईपास मंजूर हुआ था आज तक नहीं बन पाया है। पांच व्यक्तियों की डेथ बाईपास न होने से इस साल हो गई है, बच्चे तड़पते हैं। एक मार्ग दिल्ली से साथ–साथ चलता है यमुना नदी के और विकास नगर में जुड़ता है, यह तीन साल से बन्द पड़ा है। इतने बड़े–बड़े गड्ढे हैं कि कहते हुए शर्म लगती है और उन गड्ढों में भैंसे नहाती हैं। कोई भी व्यवस्था नहीं है, पिछले तीन वर्षों से जिला योजना जीरो पर है जिला योजना तीन साल से कैंसिल है। पिछले साल जो बाढ़ आई थी 36 व्यक्ति सहारनपुर जनपद में बाढ़ में बहकर मर गये और करीब हजारों हमारे पशु मर गये। देहरादून से लगता है विधान सभा क्षेत्र नम्बर–1 जहां से मैं चुनकर आता हूं उसके बाद

नम्बर–3, नम्बर–2 और नम्बर–6। पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ थी और बहुत ज्यादा जनहानि हुई थी। तत्कालीन डी0एम0 ने 24 करोड़ रुपये के लिए लिखा था, पुल खड़े हैं एप्रोच रोड बह गये, बिजली के खम्भे बह गये, खेद का विषय है कि आज तक एक भी रुपया आपदा के नाम पर नहीं गया है। इस साल अभी हमारे जो जिलाधिकारी थे उन्होंने भी प्रयास किया लेकिन एक भी पैसा नहीं दिया गया। चंडीगढ़ से लेकर पंचकुला तक एन0एच0–57 मंजूर है, हरियाणा में जमीन एक्वायर करके कार्य प्रारम्भ हो गया है परन्तु जो नरपतिगंज है जो हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखण्ड से लगा हुआ है वहां सड़क के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कह देना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार में मान्यवर कॉशीराम जी के नाम से मेडिकल कालेज तैयार खड़ा है गतवर्ष सांसद के चुनाव से पहले उसका नाम स्वतन्त्रता सेनानी के नाम रख दिया गया था लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वह अभी तक नहीं चल पाया, इसको चलवाने की आवश्यक रूप से कोशिश होनी चाहिए। सहारनपुर जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर तीन साल से तैयार है 67 डॉक्टर्स की नियुक्ति वहां होनी थी जबकि मात्र 14 डॉक्टर हैं। जो कमिश्नरी है वहां किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे जनपद में 6 शुगर मिल हैं उसमें से 3 बन्द हो गई हैं और 3 चल रही हैं। मेरे क्षेत्र का गन्ना इकबालपुर शुगर मिल हरिद्वार, पीपरहिल शुगर मिल हरिद्वार को ट्रांसफर कर दिया गया था। बेड़ा शुगर मिल का पेमेंट पिछले सात सालों से नहीं हो पाया है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आज मा0 मंत्री जी ने गन्ना पेमेंट की बात बताई है उसमें उत्तर प्रदेश की मिलों की बात बताई है, उत्तराखण्ड की मिलों पर हमारा कोई असर नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि 20 फरवरी के बाद 2014 के गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं हो पाया है। बार–बार वहां के डी0एम0 साहब से और अन्य अधिकारियों से बात करते हैं परन्तु रिजल्ट जीरो आता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है मा0 उद्यान मंत्री जी सौभाग्य से बैठे हुए हैं, हमारे जनपद में 1922 का स्थापित कम्पनीबाग है वहां उद्यान पर बहुत रिसर्च होती है, बहुत साइन्टिस्ट हैं वहां पर और बहुत अच्छी किस्म की लीची, आम सभी हैं, फलपट्टी घोषित है 1985 से परन्तु किसी भी किस्म की फलपट्टी पर किसानों को कोई विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं है। पिछले साल लक्ष्य अच्छा दिया गया था इस साल लक्ष्य आम का और लीची का कम कर दिया गया था, बहुत कम कर दिया गया था। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि चूंकि हमारे यहां फल का बहुत अच्छा उत्पादन है सब्जी का बहुत अच्छा उत्पादन है जो देहरादून से लगता हुआ इलाका है वहां बरसात में पानी नहीं रुकता है। हमारे यहां से लोग सब्जी पंजाब और दिल्ली लाते हैं अगर वहां पर कोल्डस्टोरेज की व्यवस्था हो जाए तो सब्जी के उत्पादन में हमारा जनपद बहुत अच्छा बन सकता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि हरिद्वार जनपद अलग होने के बाद सहारनपुर में एक बहुत बड़ा शक्तिपीठ है शाकुम्भरी देवी का, वहां पर लाखों तीर्थयात्री आते हैं। पिछले साल तीन लोग वहां बहकर मर गये थे यदि एक पुल बन जाए, जैसे हरिद्वार में जिस तरह से गंगा जी पर पुल है तो उससे तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा होगी। बरसात में लोग आते हैं और पानी भरा रहता है,

पत्थरों में पैर टिकता नहीं और लोग बह जाते हैं जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां पर एक पुल का निर्माण हो। बिजली की सुव्यवस्था के लिए शाकुम्भरी पीठ के लिए 33 के.वी.ए. का अलग से बिजली घर बने। स्पोर्टस कालेज के लिए 40 करोड़ रुपया गत वर्ष दिया गया था इस बजट में उसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है, एक बहुत बड़ी रकम है जो खर्च होना है, 800 बीघा जमीन है स्पोर्टस कॉलेज के नाम पर, गोरखपुर के बाद यही कॉलेज आता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि 10 करोड़ रुपया और चाहिए, इस पैसे को दिलवा दें ताकि वह प्रारम्भ हो सके और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके। आपसे पुनः अनुरोध है कि किसानों का गन्ना जो हमारे बराबर में हरियाणा है 310 रुपये प्रति क्विंटल का पेमेंट मिल रहा है लेकिन हमारे यहां उससे बहुत कम है। हमारे यहां गन्ने की चरखी चलती थी टयूबवेल के कनेक्शन होते थे उसकी 10 हजार रुपये की रसीद कटती थी पिछले सालों में, इस साल उसे बढ़ाकर 50 हजार रूपया कर दिया गया है इससे हजारों लोग परेशान हैं सरकार इस ओर ध्यान दे। धन्यवाद।

'श्री सुशील सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्रीराज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में प्रदेश की समस्याओं का जिक्र कई विषयों पर नहीं आया, मैं इस विषय को सरकार को बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र सकलडीहा में जो किसानों का क्षेत्र है, यह सरकार किसानों की हितैषी भी है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी किसान परिवार से ही हैं और वह हमेशा किसानों का ध्यान रखते रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया कि चन्दौली हमेशा धान का कटोरा कहा जाने वाला जनपद है, पूर्वांचल में वहां सबसे ज्यादा धान होता है। वहां सबसे बड़ी समस्या है सिंचाई की, हमारे यहां दो पम्प कैनाल हैं, भुपौली पम्प कैनाल, लगभग 07 साल से उस पर काम चल रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से चल रहा है, पिछली सरकार में कुछ काम हुए लेकिन इस सरकार में काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि किसानों की समस्याओं कि निस्तारण के लिए जो परियोजना चल रही है उसको जल्द से जल्द चलाया जाए और साथ में उसकी जो गुणवत्ता है उसमें बहुत कमियां मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले लगभग 5–7 करोड़ रुपये से वहां काम कराया गया, जो काम कराया और पानी चला वह सारी चीजें बह गयी। परियोजना पूरी नहीं हुई और धनराशि खर्च कर दी गयी। मेरा कहना है कि इस तरह के काम हो रहे हैं तो गुणवत्ता पर सरकार का ध्यान रहे, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं। दूसरे, हमारे क्षेत्र में टांडा मारूतपुर शहपुर क्षेत्र में पड़ता है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें यादव समाज, पिछड़ा समाज का वोट है, सभी वर्गो का वोट है लेकिन सबसे ज्यादा वोट पिछड़े वर्ग का है वह क्षेत्र असिंचित है, हम चाहते हैं कि वहां पर पम्प

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कैनाल की स्थापना सरकार द्वारा की जाए और इस अभिभाषण चर्चा में इसको भी जोड़ लिया जाए। दूसरा विषय है बलुआ पम्प कैनाल जो हमारे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण पम्प कैनाल है उसका भी काम चल रहा है लेकिन बहुत धीमी गति से काम चल रहा है और बीच में तो उसका काम रूका हुआ था, उसको द्रुतगति से कराया जाए और उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब समाप्त करिये।

श्री सुशील सिंह–

दूसरा विषय है कि हमारा क्षेत्र पर्यटन के मामले में बहुत चर्चित क्षेत्र है। बाबा किनाराम स्थल पूर्वान्चल में प्रसिद्ध है। बाबा किनाराम स्थल पर इस सरकार के कई मंत्री वहां जा चुके हैं, माननीय ओम प्रकाश जी, मा0 कैलाश यादव जी और माननीय राम गोविन्द चौधरी जी भी वहां पर जा चुके हैं। बाबा किनाराम स्थल पर पिछले गवर्न्मेण्ट से हमने काफी काम करवाये थे, इस गवर्न्मेण्ट से कोई भी काम वहां पर नहीं हो रहा है। वहां पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, बाबा के दर्शन के माध्यम से गरीब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो हमारा सिर्फ यह कहना है कि वहां के लिए कोई न कोई योजना बनाकर बाबा का सुन्दरीकरण कराया जाय बाबा के लिए कुछ काम कराया जाय ताकि लाखों लोग जो आते हैं उनको कोई न कोई फायदा मिल सके। दूसरा हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा विषय है बलुआ घाट जहां गंगा पश्चिमी वाहिनी बहती है। गंगा जब हिमालय से निकलती है तो केवल वहां ऐसी जगह है जहां यह पश्चिम में बहती है। और कहीं पश्चिम की तरफ नहीं बहती है। वहां अमावस्या के दिन लाखों की भीड़ होती है। पिछली गवर्मेंट में वहां काम भी हुए थे हमने घाट भी पूरा बनवाया था वहां पर महिलाओं के लिए या और लोगों के लिए अलग व्यवस्था की गई थी। लेकिन इस अभिभाषण में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं है। जबकि पूर्वांचल के लाखों लोग वहां आते हैं इसको भी विचार करके अभिभाषण में इसको जोड़ा जाय दूसरा विषय है बाबा डंगरिया सरकार हमारे क्षेत्र के बाबा हैं और पूर्वांचल में बहुत प्रसिद्ध हैं। वहां भी कुछ सुन्दरीकरण का काम अगर शामिल कर लिया जाय तो मेहरबानी होगी। दूसरा मैं शिक्षा के विषय में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री सुशील सिंह–

हमने आपको लिखकर भी दिया था नियम 301 में लगाया भी था लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई मैं कहना चाहता हूं कि हमारे धानापुर विधान सभा क्षेत्र में जो पिछड़ा विधान सभा क्षेत्र है एक पालीटेक्निक कालेज चंदौली में पड़ता है कई वर्ष पहले उसको स्नातकोत्तर की मान्यता मिली थी जिसमें शिक्षक का अभाव है लगभग 45 शिक्षक होने चाहिए परन्तु सिर्फ 14 अध्यापक शिक्षा करा रहे हैं आप बताइए कि कैसे विद्यालय चलेगा

उसकी मान्यता है यह सरकार का विद्यालय है इसमें 45 अध्यापक होने चाहिए तभी शिक्षा चल पाएगी। एक चीज मुझे और कहनी है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें। अब हो गया।

श्री सुशील सिंह–

मेरे विधान सभा में एक महिला इण्टर कालेज है महिला इण्टर कालेज में लगभग एक हजार छात्र हैं 1970 में इसको मान्यता मिली उसके बाद उसको बढ़ाया नहीं गया हम चाहते हैं कि उसको राजकीय महाविद्यालय किया जाय ताकि वहां की बच्चियों को सुविधाएं मिल सकें।

श्री अध्यक्ष–

अब मैंने पाण्डेय जी को बुला लिया है अब आप बैठ जाएं।

श्री सुशील सिंह–

मान्यवर, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं अब बैठ जाएं।

श्री सुशील सिंह–

वहां पर जो महाविद्यालय है उसमें सात विषयों में मान्यता मिली है। इन लोगों ने पांच साल में जो किया है मैं वह बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका लिखा नहीं जाएगा। मैंने अगला नाम बुला लिया। आपको दस मिनट हो गए। आप सवाल क्यों नहीं लगाते।

श्री सुशील सिंह–

वहां पर मान्यता तो मिली है लेकिन शिक्षक ही नहीं हैं। मैंने सवाल लगाया था लेकिन उत्तर ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष–

आप कह रहे थे कि साढ़े चार बजे हवाई अड्डे पर पहुंचना है। आप जाइए नहीं तो हवाईजहाज चला जाएगा।

श्री सुशील सिंह–

ख्ग ग ग,

श्री अध्यक्ष–

आपका लिखा नहीं जाएगा न कार्यवाही का अंग बनेगा आप बोलते रहें।

श्री उमेश पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं माननीय अध्यक्ष जी अपने नेता माननीय मौर्य जी के संशोधन प्रस्ताव पर अपने आप को सम्बद्ध करते हुए मैं

नोट :–ख्ग ग ग, यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अपनी बात आगे रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता को एक आइना दिखाने का काम किया था जब 2012 का चुनाव था। (व्यवधान) अब 22 करोड़ हो गई है। उस समय एक आइना दिखाने का काम किया था और उत्तर प्रदेश की जनता ने एक युवा को देखकर के इनको सत्ता पर लाकर बैठाने का काम किया और पूरा भरोसा किया कि जब उत्तर प्रदेश के अन्दर सरकार बन रही है समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में, और उसका नेतत्व एक युवा करने जा रहा है उन्होंने इनको बैठाने का काम किया इस भरोसे के साथ। मान्यवर, किसानों की हितैषी कहलाती है यह सरकार। माननीय अध्यक्ष जी, इन तीन वर्षों में आज यह चौथा बजट पास करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे किसानों के साथ क्या किया ? आपने अपने मैनिफैस्टो में कहा था कि हम किसानों का 50 हजार रुपये का कर्जा माफ करेंगे, हम किसानों को मुफ्त पानी देगें, हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, हम किसानों की उपज का सही मूल्य दिलाने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं (व्यवधान) आपने जो किया है मैं उस पर भी आता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जिस बैंक का कर्जा माफ किया वह है भूमि विकास बैंक। हमारे पूर्वांचल के हमारे साथी विधायक हैं पता कर लीजिये भूमि विकास बैंक अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकता है। जब वह अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकता है तो किसानों को कर्जा कहां से देगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि किसानों ने जो नेशनलाइजड बैंकों से कर्जा लिया है उनका 50 हजार रुपये का कर्जा माफ कर दें तो यह सरकार किसानों की हितैषी कही जायेगी। वरना आने वाले दिनों में इनके ऊपर किसान विरोधी का ठप्पा लगेगा और निश्चित रूप से लगेगा। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने पानी देने की बात कही कि मुफ्त पानी देंगे। टेल तक पानी नहीं पहुंचा, नहरें सूखी हैं, नहरों में पानी नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, आज किसान परेशान है। समय पर बिजली नहीं मिल रही है। एक घंटा रोज सड़कों पर धरना प्रदर्शन चल रहे थे। अभी तो ठंडक का समय था गर्मियों में क्या होगा। हमारे प्रभारी मंत्री वहां पर गये थे जिला योजना की बैठक में। मान्यवर, मैं लोहिया गांव की बात करता हूं वर्ष 2012–2013 में हमारे विधान सभा में मात्र एक गांव लिया गया। वर्ष 2013–2014 में दो गांव लिये गये और वर्ष 2014–2015 में एक भी गांव नहीं लिया गया। यही है आपका विकास। और आप विकास की बात करते हैं, विकास का ढिंढोरा पीटने का काम करते हैं। ऐसे सरकार चलेगी? आज हम बधाई देना चाहते हैं अपनी बहिन कुमारी मायावती जी को, जिन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे करके इस सूबे के अन्दर पूरे पांच साल सरकार को चलाने का काम किया और कानून का राज स्थापित किया। लेकिन आप लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में भय का वातावरण पैदा करके बड़े आतंक का वातावरण पैदा करके पूरे सूबे के अंदर, पूरे प्रदेश में जंगलराज कायम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं 21 अगस्त का वह काला दिन याद करिये हमारे क्षेत्र की घटना है। पिता पुत्र गांव में मैययत हो गई थी। हमारे विधान सभा क्षेत्र में अंतिम गांव है बलिया का बार्डर है। थाने से 400 मीटर की

दूरी पर शमशानघाट है। मान्यवर, गोंड बिरादरी में एक मौत होती है तो पिता दाह संस्कार के लिये उसमें चले जाते हैं शमशान घाट। एक ब्राह्मण परिवार की पुत्रवधू की मौत होती है बेटा उसमें चला जाता है। लौटते वक्त दिन के 4 बजे जैसे ही वह शमशान घाट से पिता पुत्र मोटर साइकिल से लौट रहे थे जैसे ही वहां से निकले झाड़ी में बैठे अपराधी ताबड तोड़ पिता पुत्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं। गोलियों से छलनी करने का काम करती है पुलिस को जब जानकारी मिलती है पुलिस क्या करती है बगल में हास्पिटल है, वहां पर एक स्वास्थ्य केन्द्र है। माननीय अध्यक्ष जी, अपराधी गोली मार करके वहां से परशुराम तिवारी का रिवाल्वर लेकर फरार हो गए। जो पीड़ित परिवार है जो पिता–पुत्र को गोली लगी थी उनको वहां पास के हास्पिटल न ले जाकर के सीधे बलिया चालीस किलोमीटर ले जाने का काम करती है यह पुलिस का दोहरा चरित्र है। अपराध ऐसे कैसे मिटेगा। चिन्ता करनी पड़ेगी हम सबको बैठकर के, बाहें फैलाकर के, अच्छी–अच्छी बातें कर करे, खाली घोषणायें करके किसी का काम नहीं चलने वाला है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं सात महीना हो गया, 21 अगस्त से अब सातवां महीना शुरू हो गया लेकिन आज तक परशुराम तिवारी का रिवाल्वर बरामद नहीं हुआ। उनकी मां और पत्नी ने मुख्य मंत्री जी से मिलने का भी काम किया। मुख्य मंत्री जी से उन्होंने सी0बी0आई0 से जांच कराने की मांग किया था लेकिन आज तक जांच तो हुई नहीं और पुलिस ने किसी अपराधी को टच करने का भी काम नहीं किया। उसमें अपने आप तीन अपराधियों ने सरेन्डर किया। लेकिन मुख्य आरोपी आज भी पुलिस के चंगुल से बाहर घूम रहा है खुलेआम। आज तक वह रिवाल्वर बरामद नहीं हुई। यही नहीं मा0 अध्यक्ष जी किसान बीमे का पैसा, सात महीना हो गया। मान्यवर, मैंने आपसे भी मांग किया था, लिखित रूप में मांग किया था उस पीड़ित परिवार को दस–दस लाख रुपया मुआवजे में दिया जाए और मृतक परिवार के एक पुत्र को नौकरी देने की भी मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूं उसकी न्यायिक जांच करा करके जिन लोगों ने षडयंत्र रचकर हत्या कराने का काम किया था। इस साजिश में जितने भी लोग हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे सरकार भेजने का काम करे।

मान्यवर, बाढ़ का समय था माननीय सिंचाई मंत्री जी हमारे क्षेत्र में गए थे आप भी हमारे उस रास्ते से गए होंगे दोहरी घाट से आजमगढ़ को जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि बगल में एक नदी है। मान्यवर, तीन हजार एकड़ भूमि किसानों की उस नदी में विलीन हो चुकी है। मान्यवर, आजमगढ़, दोहरीघाट, गोरखपुर को जोड़ने वाली जो रोड है, सिंचाई मंत्री जी वहां मौके पर जनता से वायदा करके आए थे कि इसका तत्काल प्राक्कलन तैयार कराकर भेजो, माननीय अध्यक्ष जी, वह प्राक्कलन आ गया है और वित्त विभाग में पड़ा है। अब 22 करोड़ का वह प्रस्ताव आ सका है और दूसरा प्रस्ताव 18 करोड़ का प्रस्ताव भी वित्त विभाग में लम्बित पड़ा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं अगर वह कार्य नहीं किया गया।....

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री उमेश पाण्डेय–

आजमगढ़ से दोहरीघाट और गोरखपुर को जाने वाला रास्ता बाधित हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से यह मामला सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

'डा0 अरूण कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बड़ी अच्छी बात है कि नगर विकास मंत्री और मेरे क्षेत्र के प्रभारी मंत्री जी भी मौजूद हैं। यहां राज्यपाल के अभिभाषण पर काफी नेता बोल चुके हैं। मैं अपने आपको नेता विरोधी दल और नेता भा0ज0पा0 से सम्बद्ध करते हुए अपने शहर की समस्याओं पर ज्यादा ध्यान दूंगा। सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां नगर निगम द्वारा बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है। भवन कर,सीवर कर,वाटर टैक्स जिसमें कुछ समय पहले पॉच सौ रुपये महीना आता था आज 3600 रुपये आ रहा है। इसी तरह से बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ गया है। मैं नगर विकास मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह इसको देखें कि बरेली नगर निगम द्वारा इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है।

मान्यवर, बरेली नगर निगम द्वारा जो इतना ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया गया है कृपया उसको रीजनेबल करें। जितना बढ़ना चाहिये वह ठीक है, लेकिन टेन टाइम्स बढ़ा हुआ टैक्स आम आदमी के लिये पेमेन्ट करना मुश्किल होता है। इसको अपने स्तर से देखने की कृपा करें। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगा कि बरेली नगर निगम में बहुत सी ऐसी गलियां हैं जहां पानी भर जाता है। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। नालियों का पानी सड़कों पर भरा रहता है और लोगों का निकलना मुश्किल है। खासतौर से जो स्लम एरियाज हैं वहां की हालत बहुत खराब है।

'संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, यह समस्या वास्तव में बहुत गम्भीर है और मैंने कई बार इस संबंध में बात की है। जहां भी नाले–नालियां चोक हैं उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वह साफ नहीं हो पा रही हैं। दुकानें हैं मकान हैं। लोगों ने नाली के अगले किनारे पर पहले छोटा सा इन्क्रोचमेंट किया फिर स्लैब डाला और उसी पर इमारत बना दी। फिर अगली नाली उसके आगे बना दी और फिर वहां इन्क्रोचमेंट हो गया। अगर आप मुझे कोई खास इलाका इंगित कर दें, यह मैं इसलिये नहीं कह रहा कि आप सदन में कह रहे हैं और मैंने सुन लिया, इसका समाधान होना चाहिये। आप उन खास इलाकों की सड़कों का विवरण मुझे दे दीजिये, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप वहां का इन्क्रोचमेंट

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हटवाएंगे। मान्यवर, हम इन्क्रोचमेंट हटवाते हैं। वहां नगर निगम पुलिस लेकर जाता है, परन्तु वहां नेता साहिबान पहुँच जाते हैं और बुल्डोजर के आगे खड़े हो जाते हैं कि हम पर चलाइये। जब तक इन्क्रोचमेंट नहीं हटेगा नाली–नाले साफ नहीं होंगे। आप जिस जगह का भी मुझे लिखकर दे देंगे मैं नगर आयुक्त से कह दूंगा। आप जहां चाहेंगे वहां का इन्क्रोचमेंट हटेगा, लेकिन उसमें आपके सहयोग की जरूरत होगी।

डा0 अरूण कुमार–

मान्यवर, मैं इन्क्रोचमेंट हटाने में पूरी तरह से सहयोग करूंगा और इनक्रोचमेंट हटाने में हम सभी को पूरी तरह से सहयोग करना चाहिये। इनक्रोचमेंट पूरे शहर के लिये नुकसानदेह है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर कहीं भी इन्क्रोचमेंट होगा तो हम उसको हटाने में नगर निगम का सहयोग करेंगे। साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि जनपद बरेली में एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है जिस पर साढ़े तेरह करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और मा0 नगर विकास मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। लगभग दो साल हो गए हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वह प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सत्र उठ जाने के बाद इस संबंध में मैं एक मीटिंग बुला लूंगा। उसमें आप आइये, नगर आयुक्त होंगे, सचिव वगैरह को बुला लिया जायेगा और कोई हल निकाला जायेगा, क्योंकि इनवर्टिस वाले उसको नहीं चलने दे रहे हैं। बच्चे आ जाते हैं बच्चियां आ जाती हैं और ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि गोली चल जाए तो जाहिर कि इंसानी जिन्दगी से बढ़कर नहीं है। हम बहुत संजीदगी से चाहते हैं कि उसका हल निकले। हालांकि वह इसके लिये भी तैयार हैं कि जमीन का पैसा दे देंगे, जो नुकसान सरकार का हुआ है वह भी दे देंगे। उनकी तरफ से कई प्रपोजल्स हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको भरोसे में लेकर ही वहां कोई काम किया जाए। इसलिये आप उस मीटिंग में रहिये जिससे फैसला हो जाए।

डा0 अरूण कुमार–

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि नालों की सफाई इन गर्मियों में ही करा ली जाए, क्योंकि पिछले साल ज्यादा बारिश नहीं हुई इसलिये ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस बार यदि नार्मल बारिश भी हुई तो बहुत से मोहल्ले पानी में डूब जायेंगे। इसलिये मैं चाहूंगा कि अभी से नालों की तली से सफाई किये जाने के निर्देश देने की कृपा करें। इसके साथ ही साथ हमारे यहां का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां स्पेशलिस्ट डाक्टर्स की बहुत कमी है। डायलिसिस की मशीन जो पिछले चार–पांच साल पहले खरीदी गई थी धूल फांक रही है और उसका इस्तेमाल न होने से वह खराब हो गई है। वहां पर डायलिसिस का इंतजाम जरूर करवा दें। बहुत से गरीब मरीज जिन्हें लगातार डायलिसिस करानी पड़ती है वे या तो प्राइवेट अस्पताल में डायलिसिस कराते हैं या कहीं बाहर कराते हैं जिससे उनको बहुत दिक्कत होती है। मैं चाहूंगा कि सरकार डायलिसिस की मशीन को ठीक करा दे। इसके साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि बरेली जो लखनऊ और

दिल्ली के बीचोंबीच का शहर है। यदि वहां पर कोई मरीज ज्यादा सीरियस हो जाता है, हेड इंजरी हो जाती है, हार्ट का ऑपरेशन होता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिये कोई ऐसा सेन्टर नहीं है जहां पर उसका अच्छी तरह से इलाज हो सके। बरेली में 300 बेड का एक अस्पताल बन रहा है। मैं चाहता हूं कि उसी के अन्दर अगर ट्रॉमा सेन्टर बने, न्यूरो सेन्टर बने, कार्डियो सेन्टर बने और वहां पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। सरकारी मेडिकल कॉलेज होने से हमें कई फायदे मिलेंगे। एक तो आम गरीब आदमी को इलाज मिलेगा दूसरा पी0एम0एस0 सर्विस के डाक्टर्स, स्पेशलिस्ट डाक्टर्स और चिकित्साधिकारी हमारे पास बहुत कम हैं। वे चिकित्सक जो प्राइवेट कालेजों से पढ़कर आते हैं, यह हमारी सरकारी नौकरी कोई नहीं करने वाले हैं। हमारे जो सरकारी मेडिकल कालेजों से पास होकर चिकित्साधिकारी आते हैं, वही हमारी पीएमएस सर्विस में ज्यादा आते हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा, अभी हाल ही में बरेली के अन्दर जमीनों के पट्टे हुए, राष्ट्रीय पारिवारिक योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन इनमें बहुत घोटाले हुए हैं। मान्यवर, जो अपात्र हैं, उनके नाम पट्टे हो गए और जो पात्र हैं, वह देखते रह गए। इसी तरह से राष्ट्रीय पारिवारिक योजना में डेढ़–डेढ़, दो–दो साल हो गए लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों की मिली–भगत से उनको रुपया दे दिया गया है, इसी तरह से विधवा पेंशन योजना में भी हुआ है। मैं इसी के साथ–साथ आपसे यह भी कहूंगा कि बरेली में एक बड़ा उद्योग स्थापित करने की कोशिश करें, वहां बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। किसी समय वहां अच्छे–खासे उद्योग हुआ करते थे, लेकिन आज उद्योग बहुत कम होते चले जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

आपके यहां इतना बड़ा उद्योग है, मेडिकल उद्योग, कितना मरीज आता है, आपके यहां, बहुत अच्छे–अच्छे हास्पिटल हो गए हैं, बड़े अच्छे नर्सिंग होम्स हो गए हैं और क्या चाहेंगे आप ?

डा0 अरूण कुमार–

आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हर गरीब आदमी वहां इलाज नहीं करा सकता है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

लेकिन मेडिकल हब हुआ जा रहा है, बरेली।

डा0 अरूण कुमार–

मैं आपकी बात मानता हूं, आप सही कह रहे हैं लेकिन गरीब आदमी वहां अपना इलाज नहीं करा पा रहा है तो गरीब की तरफ भी थोड़ा देख लीजिए, उसे भी जिन्दा रहना है, उसे भी इलाज कराने का मौका दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य, उमेश पाण्डेय जी, बातें आपकी सब अच्छी थीं, मगर इतना डांट कर कह रहे थे आप कि दिल नहीं लगा। अब देखिए, माननीय विधायक, बरेली ने, भाजपा के हैं, आप बसपा के हैं, लेकिन इन्होंने हर बात इतनी शालीनता से कही है कि जी चाहता है कि आपकी सारी समस्याएं दूर हो जायें। आपने अपने जमाने में क्या किया ? वह भी तो याद कीजिए। देखिए, ऐसा है अगर हम आपस में यह नहीं तय करेंगे कि सत्ता बदल जाये लेकिन हम आदमियत नहीं छोड़ेंगे, अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे, जरूरतें खराब नहीं करेंगे, जो पैसा खजाने का लगा है, उसे बर्बाद नहीं करेंगे। हमारे यहां कितना मंहगा सीवर लगा था, रामपुर में, एक साल में हमने पूरे टाइम का सीवर कराया और पांच साल तक वह काम रुका रहा, एक पैसा नहीं दिया, आपकी सरकार ने। अगर मामूली सी सड़क के लिए भी फाइल गयी तो उठा कर फेंक दी गयी कि बहुत चला गया रामपुर के लिए तो यह भी एक बड़ा कारण रहा। हम अपने नेता से भी कहते हैं और चाहते हैं और आप से भी गुजारिश करते हैं कि हिम्मत करके कहिए अपने नेता से कि अगर कभी गलती से भी सत्ता मिल जाए तो फिर बैर का रिश्ता न रखिएगा। विकास नहीं रुकना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

अब श्री बब्बन चौहान जी बोलें।

'श्री बब्बन सिंह चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां एक बहुत दुःखद घटना हो गयी। ग्राम सभा दुलहीपुर में स्व0 कमरूद हसन के परिवार के 13 सदस्य मकान गिर जाने के कारण मर गए, केवल 3 सदस्य बचे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि उस परिवार के आश्रितों को कम से कम 10–10 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए क्योंकि वह लोग उस मकान में करघा का काम करते थे, इसके अलावा उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, न वह किसान थे, उनके पास खेती–बाड़ी भी नहीं थी, केवल हैण्डलूम–करघा ही एक आजीविका का सहारा था, उसी से वह अपना परिवार पालते थे। मैं विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि इस दलित परिवार को सहानुभूतिपूर्वक ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने का काम करे और जो उनका मकान गिर गया है, परिवार के बचे हुए सदस्य बिना छत के खुले में अपना जीवन बिता रहे हैं, उनका मकान बनाकर सरकार उन्हें देने का काम करें। मान्यवर, मैं उसी बस्ती की बात करता हूं, वहां 25 हजार की आबादी है। मान्यवर, मैं उसी बस्ती की बात करता हूं वहां 25 हजार की आबादी है दुल्हीपुर सतपोखरी महिड़या इस तरह के जो सटे हुए गांव हैं वहां पर जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। इस विषय को मैंने नियम में भी लगाया था। मुख्य मंत्री जी को भी लिखा था कई अधिकारियों को भी लिखा था लेकिन उस पर कोई विचार नहीं हुआ। लेकिन जो एस्टीमेट जिले से बनकर आया है उस पर विचार नहीं हुआ तो आने वाले समय में ऐसी घटनाएं और भी देखने को मिलेंगी। मैं आपके माध्यम

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं मान्यवर खाद की समस्या जो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। वहां गेहूं और धान की फसल बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा किया जाता है। वहां पर खाद और बीज का बजट में भी प्रावधान रखा गया है लेकिन चन्दौली जनपद एक ऐसा जनपद है इस जनपद में महिलाएं सुबह घर का काम छोड़कर लाइन में लगकर खाद लेने का काम करती हैं। इसको आप अपने स्तर से जांच करवा लें। वहां पर खाद की किल्लत होने के कारण गेहूं की फसल में इस बार बहुत मारामारी रही है। पिछले वर्ष वहां पर धान की फसल हुई वहां पर मंडियों में फसल को जब क्रय के लिये लाया गया तो नमी के कारण वहां पूरा धान नहीं लिया गया। इससे किसान बहुत आहत हुए हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर भी विचार करे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने नगर विकास मंत्री जी को एक पत्र लिखा था और वहां नगर पालिका की जल निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। वहां पर तरह–तरह की बीमारी फैलने की आशंका रहती है। मच्छरों का वहां पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मा0 मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि नगर पालिका की तरफ से विशेष रूप से जल निकासी की व्यवस्था तथा छिड़काव का काम करवा दें। वहां पर जो बहुत बड़ी लूट की घटना हुई थी सोलर लाइट जो हमने 13 हजार 600 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में लगवाई थी सब्सिडी पर वह सब्सिडी के बगैर 20 हजार के लगभग दाम हैं। उसी नगर पालिका में 53 हजार 900 रुपये का टेण्डर किया गया और जब मैंने इसकी शिकायत डीएम साहब से की तो रातों–रात उसको उतारने का काम किया गया जिसकी फोटोग्राफ आज भी मेरे पास मौजूद है। मैने इसे लिखित में भी दिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर थोड़ा–सा भी उनका ध्यान हो जायेगा तो हमारे यहां नगर पालिका में बहुत बड़ी लूट हो रही है क्योंकि एक लाख के नीचे का टेण्डर जो सामान खरीदने के लिये है और खुलेआम करोड़ो–करोड़ों रुपये का एक–एक लाख का छोटा–छोटा टेण्डर बनाकर काम करने के लिए एग्रीमेण्ट कर दिया गया है और जमीन पर काम नहीं हो रहा है। सीधे–सीधे इसकी लूट हो रही है। मैंने इस सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी को पत्र लिखा था और मा0 मुख्य मंत्री जी को भी लिखा था और मैंने नियम में भी दिया था। इसलिए अगर मंत्री जी की कृपा हो जायेगी तो बहुत बड़ी लूट से हमारा शहर बच जायेगा जिससे विकास का काम होगा। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे विधान सभा क्षेत्र में पड़ाव क्षेत्र है वहां रोड की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का हमारे मुख्य मंत्री जी का हमारे लोक निर्माण मंत्री जी का हमारे ग्रामवासियों की तरफ से वहां एक पोस्टर लगाया गया है फोटो लगाकर लिखा गया है कि शर्म करो शर्म करो। इतनी जर्जर रोड है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी निधि रोक कर कम से कम इस रोड को बनवा दें क्योंकि वहां पर हमारे इतने बड़े प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की अवहेलना हो रही है उससे हम लोग बचें। मैं आपके माध्यम से छोटा–सा निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बिजली कनेक्शन का काम लोगों के द्वारा हुआ है और हजारों की संख्या में कनेक्शन का काम करवाया गया है। अगर उसकी ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि

और जर्जर तार बदलवाने की कुछ व्यवस्था हो जाये तो जो बिजली मिल रही है तो कम से कम उसमें सुधार हो जाएगा और बिजली की समस्या से थोड़ी सी निजात मिल जाये। क्योंकि गर्मी आ रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों से बी0आर0जी0एफ0 का पैसा जो जिला पंचायत और ब्लाक में ले लिया जाता है। जो पैसा 70 प्रतिशत ग्राम सभाओं के विकास के लिए जाना चाहिए वह जिला पंचायत और ब्लाक ले रहा है। जिससे ग्राम सभाओं की कोई भी समस्या का निराकरण नहीं हो पा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बी0आर0जी0एफ0 का जो भी पैसा है उसका 70 प्रतिशत ग्राम सभाओं में जाये। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती कृष्णा पासवान–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में बिजली, पानी, कानून व्यवस्था के बारे में बातें कहीं गयी हैं। मैं कहना चाहती हूं कि जनपद फतेहपुर, खागा विधान सभा में 03 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक लगातार हर दूसरे–तीसरे दिन लूट, डकैती और दो लोगों के मर्डर भी हुये। 15 फरवरी को पंकज केसरवानी व्यापारी है। वह हथगांव से वसूली करके आ रहा था। रास्ते में उसका दो लाख रुपया लूट लिया गया और उसका वहीं पर मर्डर कर दिया गया। मोटर साईकिल से तीन लोग थे। फिल्मी स्टाईल से तमंचा घुमाकर निकल गये। कुछ भी नहीं हुआ। पोस्टमार्टम हुआ। इसके बाद लाश रखी थी। दसियों हजार लोग जाम लगाये थे। वहां पर प्रशासन गया। समझा–बुझाकर जाम हटाया और मिटटी के लिए उसकी मिटटी चली गयी। इसके बाद एक और घटना हुयी। दस हजार रुपये एक लड़की बैंक से निकाली और वह मुस्लिम कास्ट की लड़की थी। बैंक से लड़की निकली नहीं कि तुरन्त उसका पैसा छीन लिया गया। फिर 17 फरवरी, को एक सोनी व्यापारी अपना थैला और पैसा लेकर जा रहा था। उसको लूट लिया और लूटने के बाद उसका भी मर्डर कर दिया। आज तीन फरवरी से लेकर आज तक एक भी केस नहीं खुला है। वहां पर जाम लगा, धरना–प्रदर्शन सब कुछ हुआ। प्रशासन यही कहता रहा कि हमको तीन दिन की मोहलत दे दो, हम केस का खुलासा कर देंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। मैं चाहती हूं कि अगर सही ढंग से इन मामलों को देख लेंगे कि जो हर दूसरे दिन घटनायें हो रही हैं। तो घटनाओं में रोक जरूर लगेगी और किशनपुर नगर पंचायत है। नगर पंचायत में कब्रिस्तान बनाने के लिए पैसा गया था। 1955 में एक लेखपाल की वहां पर पोस्टिंग थी। उन्होंने वहां पर 85 बीघा में कब्रिस्तान बनाने के लिए लिख आये थे। लिखने में गाटा संख्या में शमशान घाट लिखा है और कब्रिस्तान जहां पर खाता संख्या है वहां पर लिखा है कब्रिस्तान। जब प्रशासन बैठा, तहसील में डी0एम0 और एस0डी0एम0 बैठे तो बोले कि किसी तहसील के किसी भी भू–लेख में वहां दर्ज नहीं है। रोक लग गयी। अभी एक महीना पहले कुछ लोग पहुंचे और जाकर जबरदस्ती उस कब्रिस्तान की बाउंड्री कराने में काम शुरू करवा दिये। फिर प्रशासन से हम लोग मिले और मिलने के बाद

उन्होंने कहा कि यह गलत है। माननीय अध्यक्ष जी मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वह कागज मंगाकर देख लेंगे। कब्रिस्तान बने कब्रिस्तान का कोई विरोध नहीं है पर 85 बीघा में पूरी नगर पंचायत आ रही है और असाढ़पुर ग्राम सभा पड़ती है, रायपुर ग्राम सभा पड़ती है इन दोनों ग्राम सभाओं की जमीन है जो कहीं पर भी दर्ज नहीं है और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी हमारे जिले में गये और हुसैनगंज विधान सभा खागा विधान सभा में इनका कार्यक्रम लगा हुआ था। इस कार्यक्रम में यह घोषणा कर के आये थे किशनपुर, गांदोपुर, जमुना जी में और तत्काल बहुत जल्दी 15 दिन के अन्दर इस्टीमेट बनकर आ गया और उसमें 05–06 जिले, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट 15 दिन में 68 करोड़ और कुछ रुपये का इस्टीमेट बनकर आ गया। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि अगर उस पुल में पैसा चला जायेगा तो 07–08 जिलों को वह पुल प्रभावित करता है और माननीय राजस्व मंत्री जी बैठे हैं 01 लाख से बढ़ाकर किसान बीमा 05 लाख कर दिये हैं बहुत से लोग कैन्सर से पीड़ित लोग खत्म हो जाते हैं और कृषि भी रहती है इनको किसान बीमा नहीं मिलता है। मेरी मांग है कि इनको भी किसान बीमा मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी मैं पिछली बार भी 2002 मे जब सरकार बनी थी, नेता जी मुख्य मंत्री बने थे तो इसी सदन में हम सब विधायकों को 07–07 किलोमीटर रोड देते थे, मैं आपके माध्यम से और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं दो साल का समय रह गया है 07 किलोमीटर से बढ़ा करके हम सब विधायकों को 10–10 किलोमीटर रोड दे दें और अध्यक्ष जी आपने बोलने का अवसर दिया मैं आपकी बहुत–बहुत आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष–

श्री बंशी सिंह पहाड़िया 05 मिनट है अब इससे ज्यादा लेंगे तो लिखा नहीं जायेगा। चाहे जितना बोल लें।

'श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आदरणीय मौर्या जी द्वारा माननीय महामहिम के अभिभाषण के प्रस्ताव में बोलने का आपने मौका दिया, धन्यवाद। मैं अपनी बात सुझाव के तौर पर भी, आग्रह के तौर पर भी और सरकार की नाकामिया हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है उसके बारे में आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी सबसे पहले 65 साल के इतिहास में आज तक कभी भी गरीब बच्चों की छात्रवृत्ति चाहे ओ0बी0सी0 के थे या अनुसूचित जाति के लोग थे और बेसहारा लोगों के इलाज और उनकी शादी–ब्याह के पैसों को इस सरकार ने जो व्यवस्था की उसमें मेरा सरकार से आग्रह है कि उसे बरकरार रखा जाये। माननीय अध्यक्ष जी हर जिले में 04 लेन आगरा, लखनऊ ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं लेकिन अध्यक्ष जी हर जिले को 04 लेन से जोड़ने की जो योजना इन्होंने बनाई अभी उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया है। साथ में इन्होनें अवस्थापना की

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात कही विश्व स्तर खुर्जा पॉटरी उद्योग है। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि आज तक कोई एक कौड़ी खुर्जा के विश्व स्तरीय पॉटरी उद्योग के विकास के लिए सरकार ने लगाने का काम या कोई प्रोविजन किया हो, ऐसा इसमें नहीं कहा गया। साथ में अध्यक्ष जी समाजवादी पेन्शन योजना है, बहुत अच्छी है लेकिन उसके चयन में जिस तरह बन्दरबांट हुआ है जिस तरह समाजवादी लोगों ने पात्र लोगों को अपात्र घोषित कर दिया और पात्र लोग छूट गये उसका या तो दायरा बढ़ायें या जो लोग छूट गये हैं उसको साबित करें। अध्यक्ष जी आज नहरों में पानी की बातें सरकार करती है मैं इसका धन्यवाद करता हूं लेकिन नहरों की शिल्ट सफाई की व्यवस्था पिछले 03 वर्षों में अध्यक्ष जी न के बराबर सरकार ने की है पानी आ ही नहीं रहा है और आ रहा है तो आगे नहीं बढ़ रहा। माननीय अध्यक्ष जी प्राइमरी के स्तर को सुधारने की बात सरकार ने की। आदरणीय अध्यक्ष जी, एम्बुलेन्स सेवा इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने दी है, यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अध्यक्ष जी इसमें एक व्यवहारिक दिक्कत है, उसमें दिक्कत क्या है कि घटना स्थल से मरीज को या तो सरकारी अस्पताल ले जायेंगे, भले ही वह दूर हो और अगर बीच में कोई अच्छा ट्रामा सेण्टर या अस्पताल है, परिवार के लोग वहां ले जाना चाहते हैं तो उसको वहां नहीं ले जाते। मेरा आग्रह है सरकार से यदि बीच में कोई अच्छा अस्पताल है तो उसको वहां उतारने का काम किया जाय ताकि उसकी जान बच सके।

आदरणीय अध्यक्ष जी आज एम्बुलेंस तो दी लेकिन जिला चिकित्सालयों की क्या दशा है, उनकी दशा भी सुधारने की जरूरत है। खाद की व्यवस्था की बात करते हैं, डाया और यूरिया की सरकार ने समुचित व्यवस्था की इसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है, लेकिन जिस कदर ब्लैक मार्केटिंग लाईसेन्स धारकों ने किया और प्रशासन फेल साबित हुआ उस बात को भी मैं अपनी बात में इंगित करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी आज व्यवहारिक बात यह है कि गांवों में नलों की बात, हैण्डपम्प की बात हो रही है, सरकार ने 25 लाख जनेश्वर मिश्र योजना का दायरा बढ़ा कर 40 लाख किया इसके लिए मुख्य मंत्री और सरकार धन्यवाद की पात्र है, लेकिन इसमें यह कहा गया है कि इसमें सौर ऊर्जा, पानी की निकासी, हैण्डपम्प की भी व्यवस्था की गई है, वह एक छलावा है, वह केवल सी0सी0 मार्ग बनाने का काम करते हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रोविजन भी कराया जाय, यह मेरा आग्रह है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आई0टी0 के क्षेत्र में मा0 मुख्य मंत्री ने बहुत काम किया है, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे नेता मा0 राजीव गांधी इसको लेकर आये थे और ये लोग विरोध करते थे कि कम्प्यूटर आयेगा तो लोग बेरोजगार हो जायेंगे, आज यह उसमें रुचि दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, आज स्वाइनफ्लू की बात हो रही है, आज साम्प्रदायिक सौहार्द कहीं बिगड़ता है, हमारे मुस्लिम भाइयों को ऐतराज है, उनका कोई धार्मिक मामला होगा, जैसे गांवों में खुला सुअर गलियों में घूमता है, यदि मुसलमान टोकता और मारता है, साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ता है, अपर कास्ट का आदमी मारता है तो हिन्दू हरिजन और सवर्ण के मुकदमें दर्ज होते हैं, मेरा सरकार से आग्रह है,

स्वाइनफ्लू जैसी बीमारियों को रोकने के लिए बाड़ों में उन्हें प्रतिबन्ध करने के लिए सरकार ऐसे कोई कदम उठाये ताकि इस तरह के कोई विवाद ही पैदा न हों और बीमारी पर कण्ट्रोल पाने में भी सरकार को मदद मिले। मा0 अध्यक्ष जी, एक बड़ी व्यवहारिक बात है, नगर विकास मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, वह जानते हैं और आप भी जानते हैं, शहरों का दायरा बढ़ा है, लेकिन पिछले 20–25 वर्षों से नगर पंचायतों का दायरा नहीं बढ़ा, लोग गांव से पलायन करके शहर में आ गये, न वहां नाली है, न जल निकासी है, न उनके शहर के राशन कार्ड हैं, शहर की बिजली का बिल देंगे, लेकिन न तो वह देहात के मतदाता हैं न तो शहर के मतदाता हैं। आज उन्हें जन्म–मृत्यु प्रमाण–पत्र बनवाने में कितनी दिक्कत होती है। मा0 अध्यक्ष जी मेरा आग्रह है आपके माध्यम से मा0 नगर विकास मंत्री जी से, उसका दायरा बढ़ाने की बातें, दस साल, बीस साल से मैं देख रहा हूं, नगर पंचायतों से प्रस्ताव आते हैं और ठण्डे बस्ते में पड़ जाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपको कुछ नहीं करना, मैं यह नहीं कह रहा कि आप आज ही वहां सड़क बना दें, आज ही वहां नाली और सीवर की व्यवस्था कर दें, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, जन्म और मृत्यु प्रमाण–पत्र तो कम से कम उन लोगों को नसीब हो जाय, उसका दायरा बढ़ाया जाय मा0 अध्यक्ष जी यह मैं कहना चाहता हूं। गौतमबुद्धनगर जो मेरा मूल जिला है, मेरे संज्ञान में आया है कि सरकार की मंशा गौतमबुद्धनगर में पंचायत व्यवस्था को खत्म करने की है। जनपद गौतमबुद्धनगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस–वे होने के कारण वहां की पंचायत व्यवस्था का अब तक न परिसीमन किया गया है न आरक्षण और दूसरी चीजें की गई हैं, वहां नोएडा एथार्टी के अधिकारी सरकार पर इस तरह का दबाव बना रहे हैं कि वहां न ग्राम पंचायत के चुनाव होंगे, न नगर पंचायत के चुनाव होंगे, न जिला पंचायत के चुनाव होंगे, न ब्लाक प्रमुखी के चुनाव होंगे, यह लोकतंत्र की हत्या है, मेरा सरकार से आग्रह है कि वहां इस पंचायत व्यवस्था को खत्म न किया जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, वही समस्या आपके सामने है और सभी मा0 सदस्यों के सामने भी है। अध्यक्ष जी, मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से कुछ हैण्डपम्प के लिय आग्रह किया और यहां से लिख करके चला गया कि आपका अनुपात के हिसाब से वह सही पाया गया है। अध्यक्ष जी, आप 2015 में बैठे हैं और 2001 की जनगणना जो लमसम तरीके से हुई थी उसका विस्तृत ढंग से सर्वे नहीं किया गया था। तब जिस गांव की आबादी हजार थी और किसी ने आज से 15 वर्ष पहले लेखपाल, पटवारी या कानून–गो या सेक्रेट्री को यह बता दिया गांव की चौपाल पर बैठ कर कि गांव की आबादी 800 होगी और उसने 1200, 1500 की आबादी को 800 लिख कर भेजा दिया। जनगणना विस्तृत रूप से नहीं हुई। आज वह 1500 की आबादी जो 800 में की गई थी, आज वही आबादी 3500 की हो गई है और आपकी सरकार प्रति 150 व्यक्ति के हिसाब, उसी 800 की आबादी के हिसाब से हैण्डपम्प की बात कर रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये। अब आपका लिखा नहीं जायेगा, आप चाहे जितना बोलिये। अब यह 3 तारीख को होगा जो दो–चार लोग बचे हैं, वे उस दिन बोल लेंगे। आज भी बहुत ज्यादा लोग बोले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोले हैं और संख्या बल आप देख ही रहे हैं इसलिये इसे आगे बढ़ाया नहीं जा सकता।

ख04.14, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 25–2–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 56 सूचनायें प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित सभी मा0 सदस्यों की सूचनायें केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं :–

पहली सूचना श्री अनीसुर्रहमान की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के ब्लाक छजलैट में स्वीकृत आई0टी0आई0 भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

दूसरी सूचना श्री चन्द्रभान सिंह पटेल की जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों/स्वास्थ्य कर्मचारियों के अनुपस्थिति के कारण हो रही असुविधा के सम्बन्ध में,

तीसरी सूचना श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू की जनपद–सहारनपुर के रामपुर मनिहारन क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्थानों पर निर्मित विद्युत केन्द्रों को तत्काल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में,

चौथी सूचना डा0 अरुण कुमार की बरेली महानगर में नगर निगम द्वारा भवन–कर, जल–कर एवं सीवर–कर की धनराशि को दस गुना बढ़ाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

पांचवीं सूचना श्री सुल्तान बेग की जनपद–बरेली के नगर पंचायत–शाही के अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में,

छठी सूचना श्री काली चरन सुमन की जनपद–आगरा के आगरा ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत पूर्व में स्वीकृत 125 नग टी0टी0एस0पी0 की टंकियों को लगवाए जाने के सम्बन्ध में,

सातवीं सूचना श्रीमती लालमुन्नी सिंह की जनपद–सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र सोहरतगढ़ के अन्तर्गत कठेला को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में,

आठवीं सूचना श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू) की जनपद–बदायूं की दातागंज तहसील के अन्तर्गत नगरिया खनु में पैन्टून पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में,

नवीं सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद नगर पालिका परिषद्, फिरोजाबाद को नगर निगम का दर्जा प्रदान किये जाने के उपरान्त जनता को नगर निगम की सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में, तथा

दसवीं सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की रेन्ज अधिकारी रामगढ़ टिकरी रेन्ज द्वारा लकड़ी की अवैध कटान कराये जाने के कारण वन कर्मियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करवाये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की जाती हैं :–

1–श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया,
2–श्री रामचन्द्र यादव,
3–श्री सुरेश कुमार खन्ना,
4–श्री अजय कुमार 'लल्लू',
5–श्री अवस्थी बाला प्रसाद,
6–श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना',
7–श्री गेंदालाल चौधरी,
8–श्री अगयश रामसरन वर्मा,
9–श्री रामहेत भारती,
10–श्री भगवान सिंह कुशवाहा,
11–श्री रोशन लाल वर्मा,
12–श्री देवनारायण उर्फ जी0एम0 सिंह,
13–श्री पूर्णमासी देहाती,
14–श्री इन्द्रपाल सिंह,
15–श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,
16–श्री बृजेश कुमार,
17–श्री उमेश पाण्डेय,
18–श्री रविदास मेहरोत्रा,
19–श्री प्रदीप माथुर,
20–श्री जय प्रकाश अंचल,
21–श्री मदन चौहान,
22–श्री अमर पाल शर्मा,
23–श्री सुशील सिंह,
24–श्री दलवीर सिंह,
25–श्री प्रदीप चौधरी,
26–श्री सन्त प्रसाद,
27–श्री सुदेश शर्मा,
28–श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट,
29–डा0 धर्मपाल सिंह,

30–श्री बब्बन सिंह चौहान,
31–श्री संजय कपूर,
32–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत,
33–श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया,
34–श्री मो0 जासमीर अंसारी,
35–श्री गयादीन अनुरागी,
36–श्री दलजीत सिंह,
37–श्री ममतेश शाक्य,
38–श्री जन्मेजय सिंह,
39–श्री मुकुट बिहारी वर्मा,
40–श्री रविन्द्र भडाना,
41–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले),
42–श्री जगन प्रसाद गर्ग,
43–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी,
44–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल,
45–श्री विजय बहादुर यादव तथा
46–श्री धर्मपाल सिंह।

जनपद अलीगढ़ के किरन देवी, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बामौती, अलीगढ़ के पूर्व प्रबन्धक एवं वर्तमान प्रधानाचार्य को प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये कदाचार की जांच में दोषी पाये जाने के बावजूद मण्डलीय सचल दल का प्रभारी बनाकर नकल रोकने की जिम्मेदारी सौंपे जाने के सम्बन्ध में श्री दलवीर सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग देख लीजिये कि लोग नियम–51 देते हैं लेकिन अपना वक्तव्य लेने के लिये कोई रहता नहीं है तो फिर क्या फायदा नियम–51 से, अब हम 51 को घटाकर दो कर देंगे।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, जनपद अलीगढ़ के किरन देवी रा0उ0मा0 विद्यालय.....

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्बामौती अलीगढ़ में प्रबन्ध समिति द्वारा किये कदाचार की जांच में जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ की आख्या दिनांक 26 नवम्बर, 2010 पर जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांक–8285/2010, दिनांक 27 नवम्बर, 2010 द्वारा दोषियों की सेवा समाप्ति व कार्यवाही की संस्तुति की गई थी उक्त प्रकरण में दोषी श्री बी0के0 शर्मा, पूर्व प्रबन्धक एवं वर्तमान प्रधानाचार्य को शासन ने प्रोन्नति कर अलीगढ़ मण्डल में मण्डलीय सचल दल का प्रभारी बनाकर नकल रोकने का जिम्मा दिया है। जबकि उक्त व्यक्ति पर अपने सात निजी रिश्तेदारों को स्कूल में नियुक्ति दिये जाने का प्रकरण सिद्ध हो चुका है। जिसकी स्पष्ट जांच आख्या शासन को आ चुकी है। ऐसे दोषी व्यक्ति के खिलाफ शासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः उपरोक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन से वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2014 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित मा0 सदस्य, विधान सभा, श्री दलवीर सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–31 में निम्नवत् प्रश्न पूछा गया था :–

''क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के किरन देवी रा0उ0मा0 विद्यालय बामौती अलीगढ़ में प्रबन्ध समिति द्वारा किये कदाचार की जांच में जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ की आख्या दिनांक 26–11–2010 पर जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांक 8285/2010, दिनांक 27–11–2010 द्वारा दोषियों की सेवा समाप्ति व कार्यवाही की संस्तुति की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकरण में दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उक्त प्रश्न के उत्तर में शासन द्वारा जी हां, जिलाधिकारी, अलीगढ़ की संस्तुति के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन है, के रूप में उत्तर दिया गया था।

उल्लेखनीय है कि मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रश्न में पूछे गये जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 27–11–2010 शासन में प्राप्त नहीं हुआ था। उक्त पत्र की प्रति ई–मेल द्वारा दिनांक 20–6–2014 को प्राप्त की गई तथा प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–वी0आई0पी0 36/15–7–2014–1(19)/2014, दिनांक 30–6–2014 द्वारा श्री राम विशाल मिश्रा, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति में श्री राम विशाल मिश्रा, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन के अतिरिक्त श्री संजय कुशवाहा, सह जिला विद्यालय निरीक्षक,

---

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इलाहाबाद एवं श्री सी0पी0 सिंह, सह जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ को सदस्य नामित किया गया था। समिति द्वारा प्रकरण की जांच कर जांच आख्या शासन को तीन दिन में उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। श्री राम विशाल मिश्रा, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के स्थानान्तरण के फलस्वरूप कार्यालय–ज्ञाप संख्या–वी0आई0पी0 36/15–7–2014, दिनांक 31–7–2014 द्वारा श्री त्रियुग नाथ शुक्ला, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई।

मा0 सदस्य, विधान सभा ठा0 दलवीर सिंह द्वारा विधान सभा के प्रथम सत्र, 2015 में दिनांक 19–2–2015 को इसी प्रकरण के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गई गई थी जिसके सम्बन्ध में टिप्पणी उसी दिन प्रेषित की जा चुकी है।

श्री बी0के0 शर्मा, प्रधानाचार्य, किरन देवी रा0उ0मा0 विद्यालय, बामौती, अलीगढ़ को शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–224/15–8–2015–वि0स0(नियम–1)/15, दिनांक 19–2–2015 द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित की जा रही इण्टरमीडिएट/हाई स्कूल की परीक्षाओं के लिये नामित मण्डलीय सचल दल के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है।

श्री त्रियुग नाथ, उप सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की जांच आख्या दिनांक 5–2–2015 शासन को प्राप्त हो चुकी है। जांच अधिकारी की आख्या के परीक्षणोपरान्त प्रकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायेगी।

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होने का कष्ट करें।,

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2011 में आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गेंदा लाल चौधरी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

यह गेंदा लाल चौधरी जी का है, इसमें स्थगन के लिये लिखा गया है। ठीक है, इसे स्थगित किया जाता है।

जनपद बुलन्दशहर में वेव चीनी मिल को माह जनवरी, 2015 में बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर में वेव चीनी मिल नाम से.....

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्एक प्राइवेट चीनी मिल है। पिछले वर्ष भी यह चीनी मिल प्रशासन द्वारा काफी दबाव देने के बाद कम समय के लिये चल पाई थी तथा बाद में इसके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के गन्ने को दूसरी मिलों को स्थानान्तरित करना पड़ा था। इस मिल के मालिकों ने इस वर्ष भी जिला प्रशासन के भारी दबाव के बाद मुश्किल से दिसम्बर माह में इस चीनी मिल को चलाया और मुश्किल से डेढ़ माह चलाने के बाद अचानक 28 जनवरी, 2015 को इसे बन्द कर दिया जिसके कारण इस मिल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के किसान का गन्ना खेतों में खड़ा है तथा किसान बर्बादी व तबाही पर पहुंच गये हैं। 28 जनवरी, 2015 से किसान लगातार आन्दोलन कर रहे हैं इस क्षेत्र के किसानों के लिये बाकी चीनी मिलें काफी दूरी पर हैं जिसके कारण उन्हें गन्ना पहुंचाने तथा भुगतान आदि में भारी परेशानियां आती हैं। उक्त चीनी मिल को इसके मालिकों ने उ0प्र0 सरकार से काफी कम दामों में खरीदा था तथा ऐसा लगता है कि इसके मालिकों की रुचि इसे चलाने की अपेक्षा इसकी मंहगी जमीन को आवासीय तथा व्यावसायिक उपयोग में लाने की है, जिससे भारी धन कमाया जा सके।

2–इस सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 से प्राप्त आख्यानुसार अवगत कराना है कि चीनी मिल बुलन्दशहर निगम क्षेत्र की चीनी मिल थी जिसे पिछली सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में बेंचा जा चुका है। वर्तमान में यह वेव ग्रुप की चीनी मिल है। उक्त चीनी मिल गत पेराई सत्र 2013–14 में दिनांक 04–12–2013 को चलकर दिनांक 06–04–2014 को बन्द हुई। पूरे सत्र के दौरान चीनी मिल द्वारा 20.86 लाख कुन्तल गन्ने की पेराई की गई। इसका गन्ना अन्य चीनी मिलों को व्यावर्तित नहीं किया गया। पेराई सत्र 2013–14 का चीनी मिल द्वारा समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है।

3–वर्तमान पेराई सत्र 2014–15 हेतु चीनी मिल को कुल 38.07 लाख कुन्तल गन्ना आवंटित किया गया। चीनी मिल दिनांक 06–12–2014 को चलकर दिनांक 28–01–2015 को बन्द हुई। प्रदूषण मानकों को पूरा न करने के कारण चीनी मिल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 14–11–14 को दी गई क्लोजर नोटिस के क्रम में बन्द कर दी गई। दिनांक 28–11–14 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपनी क्लोजर नोटिस को दो माह के लिये निलम्बित करते हुए यह आदेशित किया गया कि चीनी मिल के संचालन हेतु बोर्ड की सहमति हेतु आवेदन प्रेषित किया जाये तथा मानकों को पूरा करने के उपरान्त ही चीनी मिल का संचालन किया जाये। उक्त नोटिस की अवधि दिनांक 28–01–15 को समाप्त होने एवं चनी मिल द्वारा प्रदूषण मानकों के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही न करने के कारण उक्त तिथि से चीनी मिल का संचालन बन्द कर

नोट :–ख्ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिया गया है। वर्तमान पेराई सत्र में संचालन अवधि (दिनांक 06–12–2014 से दिनांक 28–01–2015 तक) में चीनी मिल द्वारा कुल 8.94 लाख कुन्तल गन्ना खरीदा गया जिसका कुल गन्ना मूल्य रु0 2469.10 लाख देय हुआ। चीनी मिल द्वारा अब तक रु0 185.53 लाख का गन्ना मूल्य भुगतान किया गया है। जिला गन्ना अधिकारी बुलन्दशहर, उप गन्ना आयुक्त, मेरठ तथा जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा चीनी मिल के संचालन न हो पाने के सम्बन्ध में दी गई आख्या के क्रम में गन्ना आयुक्त के आदेश दिनांक 28–01–2015 द्वारा चीनी मिल क्षेत्र में अवशेष बचे गन्ने को निकटवर्ती चीनी मिलों यथा–साबितगढ़ को मिलगेट का 1/2 भाग व 18 क्रय केन्द्र तथा चीनी मिल रजपुरा को मिलगेट का 1/2 भाग व 10 क्रय केन्द्र आवंटित कर सुचारु रूप से गन्ना आपूर्ति कराई जा रही है।

4–यह भी उल्लेखनीय है कि ओरिजनल एप्लीकेशन सं0–1/2015 जितेश कुमार बनाम उ0प्र0 पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) द्वारा दिनांक 17–02–15 को यह आदेश पारित किया गया है कि चीनी मिल जब तक कमियों का निराकरण नहीं करा देती तब तक बन्द रहेगी। कमियों के निराकरण उपरान्त उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति से ही संचालन के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

5–जहां तक भूमि को आवासीय तथा व्यावसायिक उपयोग में लाकर भारी धन कमाने की भावना निहित है, के सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 की इकाई बुलन्दशहर का विक्रय मे0 वेव इण्डस्ट्रीज लि0 को दिनांक 17–09–2010 को किया गया था। क्रेता के साथ स्लम्प सेल एग्रीमेंट का निष्पादन दिनांक 7–10–2010 को एवं सेलडीड का निष्पादन दिनांक 25–11–2010 को हुआ तथा इनमें भू–उपयोग परिवर्तन का कोई प्राविधान नहीं है।,

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह कह रही थी।

श्री अध्यक्ष–

इस समय कोई है नहीं इसलिये इसका जवाब आ नहीं पायेगा। आप मा0 मंत्री जी से मिल लेना, बैठिये। आप मिल के बता देना क्योंकि कोई है नहीं।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मान्यवर, संक्षिप्त में कह दूं।

श्री अध्यक्ष–

आप हमें बता दीजियेगा, हम मा0 मंत्री जी से कह देंगे।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा विषय वेव चीनी मिल का है जिसे पोण्टी चड्ढा को मायावती जी ने बेंच दी थी। वह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा

बन्द कर दी गई है। मेरा इसमें इतना कहना है कि और चीनी मिलों पर इन्होंने कितना अमल किया है, जो इस चीनी मिल को बंद कर दिया, क्योंकि यह मिल को चलाना नहीं चाहते इसलिए इसका बहाना ले करके इस चीनी मिल को बंद करना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी यहां पर हैं, मेरा इसमें सिर्फ यह कहना है कि इन मानकों को पूरा करवा कर कम से कम उस चीनी मिल को चालू करा दीजिए। वहां बेचारा किसान बेहाल बर्बाद हो गया है और उसे अपने गन्ने को ले जाने के लिए 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वहां आज भी ट्रालियां खड़ी हैं, बिना तुली हुई और जो बकाया है वह दिया ही नहीं गया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम इसे चालू कर दिया जाए, क्योंकि वह आवासीय कालोनी काटना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि उस चीनी मिल के प्रदूषण के जो मानक हैं उनको पूरा कराकर उसे चालू करा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार द्वारा पर्यटन विभाग को मेजा डेस्टीनेशन स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि द्वारा यमुना नदी पर अवस्थित घाटों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

श्री प्रदीप माथुर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा .....

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

खदिनांक 23–02–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि ''जनहित एवं लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि पूर्ववर्ती केन्द्र सरकार के कार्यकाल में पर्यटन विभाग (केन्द्र सरकार) की मेगा डेस्टिनेशन स्कीम के अन्तर्गत मथुरा में यमुना नदी पर अवस्थित घाटों का निर्माण कराये जाने हेतु 1–विश्राम घाट से कंश किले तक के घाटों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग रु0 14.00 करोड़, 2–गोकुल के घाटों की मरम्मत कराने एवं 3–चिन्ताहरण महादेव, महावन में घाटों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की गई थी। यह धनराशि वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा सिंचाई विभाग, मथुरा को अभी तक

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्गत नहीं की गई है। प्रकरण 02 वर्ष से लम्बित है। इससे जहां एक ओर उक्त घाटों के निर्माण में विलम्ब हो रहा है वहीं दूसरी ओर निर्माण सामग्री के दामों में वृद्धि होने के कारण उक्त परियोजना की लागत लगभग रु0 30.00 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के मेगा डेस्टिनेशन स्कीम के अन्तर्गत प्रदत्त एवं वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन में लम्बित लगभग रु0 14.00 करोड़ की धनराशि को तत्काल सिंचाई विभगा मथुरा को स्थानान्तरित करते हुए प्रश्नगत घाटों का निर्माण कराये जाने हेतु अवशेष आवश्यक धनराशि को सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रदान किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।''

उक्त वक्तव्य के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत मथुरा– वृन्दावन मेगा टूरिस्ट सर्किट के लिये भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 में रु0 3178.66 लाख की परियोजना अनुमोदित करते हुए पचास प्रतिशत धनराशि रु0 1589.33 लाख अवमुक्त की गई थी। स्वीकृत योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :–

1–मथुरा परिक्रमा मार्ग का सुधार	रु0 904.42 लाख
2–राधारानी मानसरोवर का विकास	रु0 198.20 लाख
3–चिन्ताहरण महादेव का विकास	रु0 125.81 लाख
4–गोकुल के घाटों के पास का विकास	रु0 291.79 लाख
5–विश्रामघाट के अपस्ट्रीम घाटों का जीर्णोद्धार	रु0 1180.87 लाख
6–पांच स्थानों पर सुलभ शौचालयों का निर्माण	रु0 96.12 लाख
7–गोवर्धन पर्वत पर स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना	रु0 91.95 लाख
8–दावानल कुण्ड, वृन्दावन का जीर्णोद्धार	रु0 130.81 लाख
9–प्रह्लाद कुण्ड, फालेन का जीर्णोद्धार	रु0 130.26 लाख
10–गोवर्धन छतरियों का जीर्णोद्धार	रु0 28.43 लाख
योग :	**3178.66 लाख**

2–उपरोक्त कार्यों में से क्रम सं0–8, 9 एवं 10 पर अंकित कार्य भारत सरकार द्वारा ड्राप कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रथम किश्त कुल रु0 1589.33 लाख में से परिक्रमा मार्ग, राधारानी मानसरोवर एवं सुलभ प्रसाधन के निर्माण तथा गोकुल घाट के चिन्ताहरण महादेव (महावन) में विविध पर्यटन विकास कार्यों से संबंधित निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा प्रथम किश्त (रु0 1589.33 लाख) में से शेष बची हुई कुल धनराशि रु0 383.35 लाख भारत सरकार को वापस करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू0सी0) की देयता पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जा चुकी है, और भारत सरकार से परियोजना के द्वितीय एवं अवशेष किश्त रु0 1589.33 लाख की मांग की गई है, जो कि भारत सरकार से प्रतीक्षित है।

3–भारत सरकार द्वारा स्वीकृत उपरोक्त योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्य कराये जाने अवशेष हैं :–

1–विश्रामघाट से अपस्ट्रीम घाटों (विश्रामघाट एवं हंसियारानी घाट) का जीर्णोद्धार,

2–चिन्ताहरण महादेव (महावन) घाट का जीर्णोद्धार।

4–नदी के अन्दर उपरोक्त प्रस्तावित घाटों के कार्यों की विशिष्ट प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस हेतु राजकीय निर्माण निगम के स्थान पर सिंचाई विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। सिंचाई विभाग द्वारा नदी के बाढ़ मानकों के अनुरूप घाटों के निर्माण/जीर्णोद्धार के प्रस्ताव उ0प्र0 पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराये गये। चूंकि श्रम–सामग्री की दरों में वृद्धि एवं बाढ़ मानकों के अनुरूप पुनरीक्षित परिकल्पन के कारण स्वीकृत धनराशि में घाटों की सम्पूर्ण लम्बाई में कार्य पूर्ण कर पाना सम्भव नहीं था। अतः सिंचाई विभाग द्वारा उपलब्ध धनराशि के अनुरूप घाटों की लम्बाई कम रखी गई। प्रकरण में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के स्तर पर सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजना के अनुसार घाटों की लम्बाई मूल स्वीकृत परियोजना के अनुरूप ही रखी जाये। बाढ़ मानकों एवं लागत वृद्धि के दृष्टिगत परियोजना की लागत में हुई वृद्धि से सम्बन्धित धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

5–सिंचाई विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यों को सिंचाई विभाग की सिस्टर–कन्सर्न यू0पी0पी0सी0एल0 से कराये जाने का अनुरोध किया गया। अतः तद्नुसार यू0पी0पी0सी0एल0 को मूल स्वीकृत लम्बाई के अनुरूप प्राक्कलन पुनरीक्षित करने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 द्वारा माह मई, 2014 में पुनरीक्षित आगणन रु0 2607.90 लाख प्रस्तुत किया गया, जिसे शासन के प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा विधीक्षण के उपरान्त रुपया 2264.69 लाख (सेन्टेज रहित) अनुमोदित किया गया है। उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार से रु0 1589.33 लाख की धनराशि अभी प्राप्त होना है।

7–वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत उपरोक्त योजना हेतु उपलब्ध बजट प्राविधान रु0 10.00 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु पत्रावली वित्त विभाग को प्रस्तुत है।,

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर में किसानों के गन्ना बकाये का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुदयाल बाल्मिकी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना में यह .....

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्उल्लिखित किया गया है कि अपने निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुरकी ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जहां के हजारों किसान गन्ने के बकाये का भुगतान न हो पाने की वजह से आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। कई परिवार भुखमरी के कगार पर आ गये हैं।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निर्वाचन क्षेत्र हस्तिनापुर के कृषकों की गन्ना आपूर्ति 06 चीनी मिलों क्रमशः मवाना, दौराला, नगलामल, सिम्भावली, खतौली एवं टिकोला को की जाती है। दिनांक 23–02–2015 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त चीनी मिलों के गन्ना भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है :–

1–पेराई सत्र 2014–15 में इन चीनी मिलों द्वारा प्रथम किश्त के रूप में देय गन्ना मूल्य, भुगतान एवं अवशेष की स्थिति निम्न प्रकार है :–

चीनी मिल का नाम	प्रथम किश्त के रूप में देय गन्ना मूल्य (लाख रुपये में)	भुगतान (लाख रुपये में)	अवशेष गन्ना मूल्य (लाख रुपये में)
मवाना	16710.75	3662.62	13048.13
दौराला	19699.64	19713.85	– 14.21
नगलामल	10420.26	3383.16	7037.10
सिम्भावली	17078.40	3581.32	13497.08
खतौली	18313.95	15421.55	2892.40
टिकोला	11501.35	11982.59	– 481.24

2–गत पेराई सत्र 2013–14 में उपर्युक्त चीनी मिलों में देय गन्ना मूल्य भुगतान के सापेक्ष किये गये भुगतान की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :–

चीनी मिल का नाम	प्रथम किश्त के रूप में देय गन्ना मूल्य (लाख रुपये में)	भुगतान (लाख रुपये में)	अवशेष गन्ना मूल्य (लाख रुपये में)
मवाना	29423.84	14205.74	15218.10
नगलामल	15470.89	12632.45	2838.44
सिम्भावली	30981.43	25826.25	5155.18

गत सत्र उपर्युक्त बकाया गन्ना मूल्य की वसूली हेतु चीनी मिल मवाना, सिम्भावली एवं नगलामल के विरुद्ध वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। उक्त 03 चीनी मिलों के विरुद्ध संबंधित थानों में एफ0आई0आर0 भी दर्ज कराई गई है। संबंधित चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य का भुगतान अपने स्रोतों से नहीं किये जाने के कारण

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उनकी चीनी की विक्रय से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उपरोक्त को छोड़कर अन्य चीनी मिलों पर गत सत्र का कोई गन्ना मूल्य अवशेष नहीं है।

उपर्युक्त के अतिरिक्ति गन्ना कृषकों को उनके गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान कराये जाने हेतु नियमित रूप से गन्ना आयुक्त/शासन स्तर पर अनुश्रवण किया जा रहा है। समय से गन्ना मूल्य का भुगतान करने हेतु प्रत्येक चीनी मिल को नोटिसें निर्गत की गई हैं। गन्ना आयुक्त/शासन स्तर पर समय–समय पर चीनी मिल प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकें करके सम्पूर्ण गन्ना मूल्य का त्वरित भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया है। सम्बन्धित जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्त से भी अनुरोध किये गये हैं। राज्य सरकार किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।,

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में दिनांक 05 मई, 2014 को गंगा राम पुत्र मैकू लाल की विद्युत तार की चपेट में आने से हुई मृत्यु के उपरान्त कृषक दुर्घटना बीमा की सहायता दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, यह मद व्यपगत रहेगी।

राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में तैनात अधीक्षक द्वारा बड़े पैमाने पर की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में श्रीमती लालमुन्नी सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, यह मद व्यपगत रहेगी।

जनपद वाराणसी नगर के पेय जलापूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने के कार्य में जल निगम द्वारा अत्यधिक विलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, यह मद व्यपगत रहेगी।

कानपुर महानगर में नजूल की भूमि को फ्री–होल्ड कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश महाना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, यह मद व्यपगत रहेगी।

जनपद शाहजहांपुर के पं0 राम प्रसाद बिस्मिल सरकारी चिकित्सालय में चिकित्सकों, टेक्नीशियन्स की तैनाती तथा आवश्यक उपकरण लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

शाहजहांपुर जनपद मुख्यालय में पं0 राम प्रसाद बिस्मिल .....

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अरविन्द सिंह गोप)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्सरकारी चिकित्सालय जो कि प्रारम्भ में 300 शैय्याओं का अस्पताल स्वीकृत हुआ था किन्तु उसमें अभी तक 300 शैय्याओं की अनुमति प्राप्त नहीं हो सकी है। वर्तमान में ट्रामा सेन्टर सहित 43 चिकित्सक होने चाहिये थे किन्तु 43 के स्थान पर मात्र 23 चिकित्सक ही कार्यरत हैं। 20 चिकित्सकों की अभी भी कमी है। इसमें मुख्य रूप से 04 हार्ट स्पेशिलिस्ट जिला अस्पताल में कम हैं, केवल 01 तैनात है। कोई भी न्यूरो फिजीशियन/सर्जन तैनात नहीं है। एक पैथालॉजिस्ट कम है और 03 एनेस्थेटिस्ट कम हैं तथा 25 नर्सों की तैनाती होनी है। ट्रामा सेन्टर के लिये जो भी अनुमन्य टेक्नीशियन्स हैं वह भी तैनात नहीं हैं। ट्रामा सेन्टर के सभी पद रिक्त हैं चिकित्सकों की कमी के कारण मरीजों की समुचित देखभाल तथा इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाती है। वर्तमान में स्वाइन फ्लू चल रहा है। इसकी न दवा है और न ही अभी तक टेस्टिंग की कोई व्यवस्था है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जब कभी कैम्प आयोजित किये जाते हैं उसमें भी जिला चिकित्सालय के चिकित्सक ही कैम्प में भेज दिये जाते हैं। निश्चित रूप से तब जिला अस्पताल में और भी अधिक समस्या हो जाती है। जिला योजना के माध्यम से 01 एम0आर0आई0 मशीन का प्रस्ताव आया था, जिसको बाद में सी0टी0 स्कैन में परिवर्तित कर दिया गया। सी0टी0 स्कैन का इक्यूपमेंट भी जनहित में होना अत्यन्त आवश्यक है। जनहित में चिकित्सकों तथा टेक्नीशियन्स की तैनाती तथा आवश्यक उपकरण जिला चिकित्सालय (पं0 राम प्रसाद बिस्मिल सरकारी चिकित्सालय) शाहजहांपुर में होना अत्यन्त आवश्यक है। स्वाइन फ्लू के टेस्ट व इलाज भी जनहित में आवश्यक है।

नोट :–ख्ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन के माध्यम से वक्तव्य की मांग की गई है।

2–उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पं0 राम प्रसाद बिस्मिल संयुक्त चिकित्सालय होने के कारण पुरुष/महिला चिकित्सालय दोनों को मिलाकर 300 शैय्याएं कार्यशील हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल 54 कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरो फिजीशियन/न्यूरो सर्जन के 03–03 चिकित्साधिकारी उपलब्ध हैं, जिसके कारण जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में न्यूरो फिजीशियन/न्यूरो सर्जन की तैनाती करने में कठिनाई है। यह भी उल्लेखनीय है कि जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में 02 सर्जन, 02 आर्थोपैडिक सर्जन, 01 ई0एन0टी0 सर्जन, 01 नेत्र सर्जन एवं 01 डेन्टल सर्जन, 02 एनेस्थेटिस्ट, 01 पैथॉलाजिस्ट तैनात हैं। इस प्रकार जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में 12 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं 08 चिकित्साधिकारी तैनात हैं। यद्यपि प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अत्यधिक कमी है। तथापि आवश्यकता एवं उपलब्धता के दृष्टिगत प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों, ट्रामा सेन्टर, सामुदायिक/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सा सुविधायें सुचारु रूप से की जा रही हैं। लोक सेवा आयोग से नव चयनित चिकित्साधिकारियों की संस्तुतियां प्राप्त हुई हैं। प्राप्त संस्तुतियों में से विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर प्रदेश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती की जायेगी।

3–उक्त के अतिरिक्त जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में स्टाफ नर्स–44, लैब टेक्नीशियन–08, एक्सरे टेक्नीशियन–02, नेत्र परीक्षण अधिकारी–01, डेंटल हाईजनिस्ट–01, ई0सी0जी0 टैक्नीशिन–02 कार्यरत हैं। उपचारिकाओं एवं लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने का प्रकरण मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

4–जनपद शाहजहांपुर में स्वाइन फ्लू रोग से अब तक 02 रोगी ग्रसित सूचित हुए हैं तथा किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई है। जिला चिकित्सालय, शाहजहांपुर में स्वाइन फ्लू उपचार की पूर्ण व्यवस्था है, कैप्सूल आसिल्टामिविर के 200 कैप्सूल 25 पर्शनल प्रोटेक्शन किट्स तथा एन–95 मास्क उपलब्ध हैं। नमूने एकत्र करने हेतु वी0टी0एम0 किट्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। आकस्मिकता की स्थिति में जनपद स्तर पर लोकल पर्चेज के माध्यम से आवश्यक औषधियां क्रय करने के भी निर्देश हैं। स्वाइन फ्लू रोग की जांच सुविधा प्रदेश में एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ एवं के0जी0एम0यू0 लखनऊ में उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक न होने के कारण जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञों की ड्यूटी अपरिहार्य परिस्थितियों में लगाई जाती है।,

जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ग्राम सभा की भूमि, पोखरों, चारागाहों की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन चौहान द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–26 जो जनपद गौतमबुद्ध नगर के नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ग्राम सभा की भूमि, पोखरों, चारागाहों की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में है, इसे स्थगित कर दिया गया है।

अब हम उठते हैं, दिनांक 03–03–2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 15 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 03 मार्च, 2015 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक : 25 फरवरी, 2015

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 52 विधान सभा (91)–09–07–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।